खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश
वर्ष 2012–13

टैरिफ आदेश
दिनांक 31, मार्च 2012
(हिंदी अनुवाद)

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग
पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा खुदरा विद्युत–प्रदाय दर निर्धारण (टैरिफ) आदेश

याचिका क्रमांक

72/2011 (पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि.)
73/2011 (पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि.)
74/2011 (मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि.)

उपस्थित :

राकेश साहनी, अध्यक्ष
सी. एस. शर्मा, सदस्य

विषयः–वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, यथा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., द्वारा दाखिल की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ आवेदनों के आधार पर संपूर्ण राजस्व आवश्यता तथा खुदरा विद्युत प्रदाय दर का अवधारण।

विषय–सूची

ए1	आदेश	8
ए2	याचिका क्र. 72/2011, 74/2011 तथा 73/2011 के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2012 को जारी खुदरा विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के साथ संलग्न विस्तृत कारण तथा आधार	20
ए3	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु मध्य प्रदेश पूर्व, पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों (ईस्ट, वेस्ट तथा सेंट्रल डिस्कॉम) की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	21
	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका	21
	अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनीवार प्रस्तुतिकरण निम्नानुसार प्रस्तुत है	22
	विक्रयों के संबंध में आयोग का विश्लेषण	27
	अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित किया गया ऊर्जा संतुलन एवं विद्युत क्रय	35
	विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन	37
	विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत क्रय लागत (स्थाई एवं परिवर्तनीय लागत) का आकलन	40
	विद्यमान स्टेशनों हेतु	40
	भविष्यगामी क्षमताओं हेतु लागत संबंधी विवरण	43
	विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत क्रय लागत के अन्य घटकों का आकलन	44
	ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण	46
	वितरण हानियां	46
	बाह्य (पीजीसीआईएल) हानियां	47
	विद्युत क्रय लागतें	63
	अनुज्ञप्तिधारियों के प्रस्तुतिकरण	75
	पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति पर	76
	आयोग का विश्लेषण	**76**
	संचालन तथा संधारण लागतें	78
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण	78
	कर्मचारी व्यय	84
	मरम्मत तथा अनुरक्षण लागत	87
	संचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में आयोग का विश्लेषण	***87***
	अवमूल्यन या अवक्षयण	90
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण	90
	अवमूल्यन के संबंध में आयोग का विश्लेषण	93
	ब्याज तथा वित्त प्रभार	95
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण	95
	ब्याज तथा वित्त प्रभारों पर आयोग का विश्लेषण	103

	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	**106**
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण	106
	कार्यकारी पूंजी के ब्याज पर आयोग का विश्लेषण	**110**
	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	**112**
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण तथा आयोग का विश्लेषण	*112*
	पूंजी पर प्रतिलाभ	**113**
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण	113
	आयोग द्वारा पूंजी पर प्रतिलाभ का विश्लेषण	**117**
	डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण	**118**
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण	118
	डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के संबंध में आयोग का विश्लेषण	**118**
	अन्य विविध व्यय	**119**
	अन्य आय	**119**
	अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण	**119**
	अनुमोदित संपूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण	**121**
	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु आयोग द्वारा स्वीकार की गई संपूर्ण राजस्व आवश्यकता	**122**
	पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व	**123**
	नवीन विद्युत–दरों (टैरिफ) पर अंतर/आधिक्य	**124**
ए4 :	**चक्रण प्रभार तथा प्रति राज्यानुदान अधिभार**	**125**
	चक्रण लागत का अवधारण	**125**
	प्रति–राज्यानुदान प्रभार का अवधारण	**129**
ए5 :	**ईधन लागत समयोजन**	**133**
ए6 :	**सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियां**	**138**
ए7 :	**खुदरा विद्युत–दर रूपांकन**	**174**
	कानूनी स्थिति	**174**
	विद्युत–दर अवधारण हेतु आयोग की कार्यपद्धति	**174**
	एक समान बनाम विभेदित खुदरा टैरिफ दरें	174
	विद्युत प्रदाय की औसत लागत से संबद्धता	175
ए8 :	**वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश का परिपालन**	**179**
	परिशिष्ट 1: आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	**205**
	परिशिष्ट 2: निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (अनुसूचियां)	**211**
	परिशिष्ट 3: उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर अनुसूचियां	**236**

तालिका–सूची

संख्या क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
तालिका 1:	विनियमों के अनुसार प्रस्तुत की गई याचिकाओं का परिदृश्य	9
तालिका 2:	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार प्रस्तुत की गई याचिकाओं का परिदृश्य	10
तालिका 3:	प्रस्तावित विद्युत–दर (टैरिफ) के कारण राजस्व में वृद्धि	11
तालिका 4:	विनियमों के अनुसार राजस्व अन्तर की प्रस्तावित वसूली	11
तालिका 5:	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार राजस्व अन्तर की प्रस्तावित वसूली	11
तालिका 6:	जन–सुनवाई	12
तालिका 7:	विनियमों के अनुसार हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण	13
तालिका 8:	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दायर किये गये हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण	13
तालिका 9:	नियतकालिक (Periodic) प्रतिवेदनों के अनुसार मीटरीकरण की प्रगति	14
तालिका 10:	अमीटरीकृत/त्रुटिपूर्ण मीटरों का प्रतिशत	16
तालिका 11:	आयोग द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सारांश	17
तालिका 12:	नवीन विद्युत–दरों पर अंतर/आधिक्य	18
तालिका 13:	विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा किये गये विक्रय प्रक्षेपण	21
तालिका 14:	विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित किये गये श्रेणीवार विक्रय प्रक्षेपण	22
तालिका 15:	घरेलू तथा कृषि विद्युत विक्रय, जैसा कि इन्हें दाखिल किया गया तथा स्वीकार किया गया है	32
तालिका 16:	घरेलू तथा कृषि विद्युत विक्रय, जैसा कि इन्हें दाखिल किया गया तथा स्वीकार किया गया है	33
तालिका 17:	स्वीकार की गई विद्युत विक्रय की मात्रा	34
तालिका 18:	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन	36
तालिका 19:	दाखिल किये गये मासिक हानि प्रतिशत	36
तालिका 20:	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा एक्सबस दाखिल की गई स्थाई ऊर्जा उपलब्धता	38
तालिका 21:	एमपी ट्रेडको को आवंटित विद्युत उत्पादक स्टेशन	39
तालिका 22:	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु राज्य के लिये दाखिल की गई स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत	42
तालिका 23:	भविष्यगामी क्षमताओं हेतु लागत	43
तालिका 24:	दाखिल किये गये अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	44
तालिका 25:	मप्र ट्रेडको द्वारा भुगतानयोग्य पीजीसीआईएल प्रभार	45
तालिका 26:	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु दाखिल किये गये राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार	45
तालिका 27:	दाखिल की गई कुल विद्युत प्रदाय लागत	45
तालिका 28:	विनियमों के अनुसार हानि के लक्ष्य (प्रतिशत में)	46
तालिका 29:	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु ऊर्जा आवश्यकता की गणना	48
तालिका 30:	विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)	49
तालिका 31:	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु नवीन उत्पादन क्षमताएं	50
तालिका 32:	वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान माहवार मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्धता के प्रक्षेपण	52
तालिका 33:	विद्युत की उपलब्धता तथा आवश्यकता	54
तालिका 34:	विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (मिलियन यूनिट में)	56
तालिका 35:	विद्युत वितरण कम्पनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (मिलियन यूनिट में)	57
तालिका 36:	विद्युत वितरण कंपनियों की माहवार आवश्यकता तथा उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)	58
तालिका 37:	सुयोग्यता क्रम (Merit Order)	59

तालिका 38:	सुयोग्यता क्रम प्रेषण पर विचारोपरांत स्टेशनवार उपलब्धता	60
तालिका 39:	विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य स्थाई परस्पर व्यापार	61
तालिका 40:	आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमी	62
तालिका 41:	विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर व्यापार हेतु मासिक संकोषीय लागत	63
तालिका 42:	न्यूनतम क्रय आबन्ध	66
तालिका 43:	ट्रेडको संयंत्रों हेतु प्रभारों का आधार	67
तालिका 44:	विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य स्थाई लागत का आवंटन	68
तालिका 45:	स्टेशनवार स्वीकृत की गई परिवर्तनीय लागत	69
तालिका 46:	विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुज्ञेय किये गये पीजीसीआईएल प्रभार	72
तालिका 47:	आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु स्वीकृत किये गये एमपीपीटीसीएल प्रभार	72
तालिका 48:	स्वीकृत की गई कुल विद्युत क्रय लागत	73
तालिका 49:	पूंजी निवेश योजना	75
तालिका 50:	विद्युत वितरण कम्पनीवार वर्षवार पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति का द्विभाजन	76
तालिका 51:	वित्तीय वर्ष 2009–2011 के दौरान परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण	77
तालिका 52:	वित्तीय वर्ष 2011–2013 के दौरान परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण	77
तालिका 53:	वित्तीय वर्ष 2012–2013 हेतु संचालन तथा संधारण व्यय	80
तालिका 54:	दाखिल की गई कर्मचारी लागत तथा अन्य प्रावधान	81
तालिका 55:	सेवान्त प्रसुविधा दायित्व	82
तालिका 56:	वित्तीय वर्ष 2012–2013 हेतु संचालन तथा संधारण व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन	84
तालिका 57:	दाखिल किया गया पूर्ण सेवा दायित्व	85
तालिका 58:	भविष्यगामी अंशदान	85
तालिका 59:	सेवान्त प्रसुविधा दायित्व	86
तालिका 60:	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	89
तालिका 61:	विनियमों के अनुसार कर्मचारी व्यय	89
तालिका 62:	विनियमों के अनुसार प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	90
तालिका 63:	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुज्ञेय किये गये संचालन एवं संधारण व्यय	90
तालिका 64:	विनियमों के अनुसार अवमूल्यन/अवक्षयण	90
तालिका 65:	अवमूल्यन/अवक्षयण	91
तालिका 66:	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अवमूल्यन	92
तालिका 67:	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अवमूल्यन का तुलनात्मक अध्ययन	92
तालिका 68:	अवमूल्यन	94
तालिका 69:	विनियमों के अनुसार ब्याज लागत	95
तालिका 70:	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार ब्याज लागत	96
तालिका 71:	विनियमों के अनुसार पूंजी ऋणों पर ब्याज	97
तालिका 72:	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार पूंजीगत ऋणों पर ब्याज	99
तालिका 73:	विनियमों के अनुसार पूंजी ऋणों पर ब्याज	102
तालिका 74:	वित्तीय वर्ष 2012 हेतु सावधि ऋण का तुलनात्मक विवरण	103
तालिका 75:	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुज्ञेय किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	105
तालिका 76:	विनियमों के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	106
तालिका 77:	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	107
तालिका 78:	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	108
तालिका 79:	किये गये प्रक्षेपण के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	109
तालिका 80:	विनियमों के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	109
तालिका 81:	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज, प्रक्षेपण के अनुसार	110
तालिका 82:	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज का तुलणात्मक विवरण	110
तालिका 83:	आयोग द्वारा स्वीकार किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	112

तालिका 84:	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	113
तालिका 85:	पूंजी पर प्रतिलाभ	113
तालिका 86:	पूंजी पर प्रतिलाभ	114
तालिका 87:	विनियमों के अनुसार पूंजी पर प्रतिलाभ	115
तालिका 88:	विनियमों के अनुसार पूंजी पर प्रतिलाभ	116
तालिका 89:	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ का तुलणात्मक विवरण	116
तालिका 90:	पूंजी पर प्रतिलाभ	117
तालिका 91:	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु डूबन्त ऋण तथा संदिग्ध ऋणों का तुलनात्मक विवरण	118
तालिका 92:	अन्य आय	120
तालिका 93:	स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	121
तालिका 94:	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु स्वीकृत की गई संपूर्ण राजस्व आवश्यकता (चक्रण तथा खुदरा हेतु)	122
तालिका 95:	वित्तीय वर्ष 2012–13 में पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति	123
तालिका 96:	अंतिम सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत–दर (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति	124
तालिका 97:	परिसम्पत्ति मूल्य का चिन्हांकन	126
तालिका 98:	ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्तर की कुल लागत	126
तालिका 99:	प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर नेटवर्क के मूल्यांकन का चिन्हांकन	127
तालिका 100:	विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर नेटवर्क के व्ययों (चक्रण लागतों) की कुल लागत का चिन्हींकरण	127
तालिका 101:	वितरण प्रणाली के प्रयोक्ताओं हेतु चक्रण लागत का आवंटन	128
तालिका 102:	चक्रण प्रभार	128
तालिका 103:	शीर्ष पांच प्रतिशत उपान्त विद्युत क्रय की लागत	130
तालिका 104:	वोल्टेजवार हानिस्तर	131
तालिका 105:	पारेषण प्रभार	131
तालिका 106:	परिदृश्यवार लागत	132
तालिका 107:	श्रेणीवार औसत विद्युत–दर	132
तालिका 108:	ईंधन लागत समायोजन प्रभार हेतु प्रपत्र	135
तालिका 109:	पीजीसीआईएल, एमपीटीसीएल तथा वितरण हानियां	137
तालिका 110:	प्राप्त की गई आपत्तियों की संख्या	138
तालिका 111:	आयोजित की गई जन–सुनवाईयां	138
तालिका 112:	विद्युत–दर (टैरिफ) बनाम विद्युत प्रदाय की औसत लागत का तुलात्मक अध्ययन	175

ए 1: आदेश

(आज दिनांक 31 मार्च, 2012 को पारित किया गया)

1.1 यह आदेश मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर, मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इन्दौर तथा मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल (जिन्हें एतद् पश्चात वैयक्तिक रूप से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी एवं सामूहिक रूप से ''विद्युत वितरण कंपनियां'' अथवा ''अनुज्ञप्तिधारी'' संबोधित किया गया है) द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे एतद् पश्चात मप्रविनिआ या आयोग संबोधित किया गया है) के समक्ष दायर की गई याचिकाओं क्रमशः क्रमांक 72/2011, 73/2011 तथा 74/2011 से संबंधित हैं। ये याचिकाएं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्ते एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 (जिन्हें एतद् पश्चात् विनियम संदर्भित किया गया है), की अर्हताओं के अनुसार दाखिल की गई हैं।

1.2 इन विनियमों के अनुसार, राज्य के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु उनसे संबंधित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) एवं टैरिफ प्रस्ताव दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 तक दायर किये जाने की अपेक्षा की गई थी। विद्युत विवरण कंपनियों के अध्यक्ष सह प्रबन्ध संचालकों के साथ माह अगस्त, 2011 में आयोजित बैठक के दौरान आयोग द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा समुचित याचिकाएं दिनांक 15 नवम्बर, 2011 तक दाखिल करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा तत्पश्चात् दिनांक 30 नवम्बर, 2011 तक समयावृद्धि चाही गई, जिसके लिए आयोग द्वारा अनुमति प्रदान की गई। इस प्रकार, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपनी याचिका (क्रमांक 72/2011), पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपनी याचिका (क्रमांक 73/2011) तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपनी याचिका (क्रमांक 74/2011) दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को दायर की गई।

1.3 याचिकाओं पर समावेदन सुनवाई (Motion Hearing) दिनांक 19.12.2011 को आयोजित की गई। सुनवाई के दौरान, विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा कम्पनियों की ओर से याचिकाओं की मुख्य विशिष्टताएं प्रस्तुत की गईं। आयोग द्वारा याचिकाओं को आदेश दिनांक 22.12.2011 द्वारा स्वीकार कर लिया गया जिसके अन्तर्गत निर्देश दिये गये कि निम्न दिशा–निर्देशों का परिपालन दिनांक 31.12.2011 तक सुनिश्चित कर लिया जाए :–

i. हितधारकों की टिप्पणियां प्राप्त किये जाने के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने वाली सार्वजनिक सूचना का प्रारूप हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किया जाए, तथा

ii. याचिका का हिन्दी संस्करण प्रस्तुत किया जाए।

1.4 सार्वजनिक सूचनाएं, जिनके अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) तथा विद्युत–दर प्रस्तावों के संक्षेप सम्मिलित थे, मध्य क्षेत्र विद्युत कम्पनी द्वारा समाचार पत्रों में दिनांक 8 तथा 9 जनवरी 2012 को, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 10 जनवरी, 2012 को तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा 9 जनवरी, 2012 को प्रकाशित किये गये। हितधारकों को उनकी टिप्पणी/सुझाव/आपत्तियां दिनांक 31 जनवरी, 2012 तक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश भी दिये गये।

1.5 चूंकि पूर्व में दिनांक 23 मई, 2011 को जारी किया गया टैरिफ आदेश दिनांक 31.03.12 तक ही वैध था, अतः आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि खुदरा विद्युत–दरें तथा प्रभार जिनकी याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उनके अनुज्ञप्ति–प्राप्त क्षेत्र में आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 23 मई, 2011 द्वारा अनुज्ञेय की गई थीं, को तब तक जारी रखा जाएगा, जब तक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु टैरिफ प्रभावशाली नहीं हो जाता है। इस संबंध में, आयोग द्वारा दिनांक 27 मार्च, 2012 को तत्संबंधी आदेश जारी किया गया।

1.6 वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, इस आदेश के माध्यम से अवधारित नवीन विद्युत–दर (टैरिफ) दिनांक 10 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक लागू रहेगी। आयोग द्वारा वर्तमान आदेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता अवधारित की गई है। चूंकि यह आदेश 10 अप्रैल, 2012 से लागू होगा, अतएव राजस्व में किसी प्रकार की अन्तर राशि पर इस आदेश के सत्यापन के समय विचार किया जाएगा।

1.7 याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई याचिकाओं का सार निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 1 : विनियमों के अनुसार प्रस्तुत की गई याचिकाओं का परिदृश्य (करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
विद्युत के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति	4446.36	6298.55	4822.39
गैर–टैरिफ राजस्व की प्राप्ति	115.83	127.37	73.97
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	6742.38	10263.8	7244.82
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आय तथा व्यय में राजस्व अन्तर	**2180.19**	**3837.88**	**2348.46**

तालिका 2 : अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार प्रस्तुत की गई याचिकाओं का परिदृश्य(करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
विद्युत के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति	4446.36	6298.55	4822.39
गैर–टैरिफ राजस्व की प्राप्ति	115.83	127.37	73.97
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	7605.72	10798.45	7919.22
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आय तथा व्यय में राजस्व अन्तर (करोड़ रूपये में)	**3043.53**	**4372.53**	**3022.86**

1.8 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की गई याचिकाओं में यह पाया गया कि विक्रय (Sales), विद्युत क्रय (Power purchase), अवक्षयण/अवमूल्यन (Depreciation), ऋण पर ब्याज (Interest on loan), पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on equity) के बारे में कतिपय जानकारी को प्रमाणित किये जाने की आवश्यकता है। अतएव, विद्युत वितरण कम्पनियों को सुसंबद्ध आंकड़े तथा जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। तथापि, आयोग द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत–दर अवधारणा की प्रक्रिया को जारी रखा गया। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा तदोपरांत आंकड़े प्रस्तुत किये गये, जिनमें विस्तृत जानकारी का अभाव था तथा कतिपय विषयों के संबंध में या तो जानकारी प्रस्तुत ही नहीं की गई थी या फिर प्रस्तुत जानकारी अपूर्ण थी। आयोग के अधिकारियों द्वारा तत्पश्चात् अनुज्ञप्तिधारियों तथा मध्य प्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी (जिसे एतद् उपरान्त ट्रेडको कहा गया है) के साथ प्रस्तुत की गई जानकारी के बारे में कुछ अन्तर/कमियों के निराकरण किये जाने के बारे में चर्चा की गई। अनुज्ञप्तिधारियों, तथा ट्रेडको द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के साथ–साथ वह जानकारी, जिसे आयोग द्वारा अन्य स्त्रोतों से प्राप्त किया जाना संभव था, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR)/विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण संबंधी कार्यवाही हेतु आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई।

1.9 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दायर की गई अपनी याचिकाओं में शीर्ष ''विनियमों के अनुसार (As per Regulations)'' के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अपनी याचिकाओं में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रु. 2180.19 करोड़, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रु. 3837.88 करोड़ तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रु. 2348.46 करोड़ के कुल राजस्व अन्तर का पूर्वानुमान लगाया गया है जबकि शीर्ष ''वास्तविक आधार पर अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत (As per Actual under Additional Submissions)'' में क्रमशः रू. 3043.53 करोड़, रू. 4372.53 करोड़ तथा रू. 3022.86 करोड़ का पूर्वानुमान लगाया गया है। विद्युत वितरण कम्पनियों ने राजस्व अन्तर के कुछ भाग को प्रस्तावित विद्युत–दर में अभिवृद्धि द्वारा तथा अवशेष राशि को विनियामक

परिसम्पत्ति (Regulatory Asset) के रूप में आने वाले तीन वर्षों के दौरान प्रत्युत्सर्जन किये जाने हेतु (to be amortized), प्रतिधारित रखा जाना प्रस्तावित किया है। ''विनियमों के अनुसार'' के साथ–साथ ''अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण'' शीर्ष के अन्तर्गत प्रस्तावित विद्युत–दर में अभिवृद्धि के कारण राजस्व में प्रक्षेपित वृद्धि के विवरण तथा विनियामक परिसम्पत्ति के रूप में प्रतिधारित रखे जाने वाली राशि निम्न तालिका में दर्शाई गई है:–

तालिका 3 : प्रस्तावित विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार राजस्व में वृद्धि (करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
विद्यमान विद्युत–दर के अनुसार कुल राजस्व की प्राप्ति	4446.36	6298.55	4822.39
प्रस्तावित विद्युत–दर के अनुसार कुल राजस्व की प्राप्ति	5361.55	8021.26	5891.97
प्रस्तावित विद्युत–दर के अनुसार कुल राजस्व में अभिवृद्धि	915.19	1722.71	1069.58

तालिका 4 : विनियमों के अनुसार राजस्व अन्तर की प्रस्तावित वसूली (करोड़ रूपये में)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	कुल राजस्व अन्तर	अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित टैरिफ पुनरीक्षण के कारण राजस्व में वृद्धि	विनियामक परिसम्पत्ति (रेग्यूलेटरी असेट)
पूर्व	2180.19	915.19	**1265.00**
पश्चिम	3837.88	1722.71	**2115.17**
मध्य	2348.46	1069.58	**1278.88**
संपूर्ण राज्य	**8366.53**	**3707.48**	**4659.05**

तालिका 5 : अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार राजस्व अन्तर की प्रस्तावित वसूली (करोड़ रूपये में)

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	कुल राजस्व अन्तर	अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित टैरिफ पुनरीक्षण के कारण राजस्व वृद्धि	विनियामक परिसम्पत्ति (रेग्यूलेटरी असेट)
पूर्व	3043.53	915.19	**2128.34**
पश्चिम	4372.53	1722.71	**2649.82**
मध्य	3022.86	1069.58	**1953.28**
संपूर्ण राज्य	**10438.92**	**3707.48**	**6731.44**

विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु एक समान खुदरा विद्युत–दरें (uniform Retail Tariffs across Discoms)

1.10 मध्य प्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान सूचित किया गया था कि निकट भविष्य में भी सम्पूर्ण राज्य में प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी हेतु विद्युत–दरें (टैरिफ) एक समान ही रखी जानी चाहिए। अतएव आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 26 मार्च, 2012 में तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों तथा मप्र ट्रेडको के मध्य विद्यमान तथा नवीन उत्पादन क्षमताओं के पुनर्आवंटन के बारे में मप्र शासन का दृष्टिकोण चाहा गया ताकि मप्र शासन के उपरोक्त कथित आशय को प्रभावी बनाया जा सके। सचिव, ऊर्जा विभाग, द्वारा अपने पत्र क्रमांक 2682/13/2012/02 दिनांक 29 मार्च 2012 द्वारा सूचित किया गया कि शासन का अभी भी यही दृष्टिकोण कायम है कि सम्पूर्ण राज्य में विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों के लिये विद्युत–दरें एक समान रखी जाएं। तद्नुसार, मप्र शासन द्वारा

अपनी अधिसूचना क्रमांक 2660/एफ–3–24/ 2009/तेरह दिनांक 29 मार्च, 2012 द्वारा उत्पादन क्षमताओं को पुनर्आवंटित कर दिया गया है।

राज्य सलाहकार समिति (State Advisory Committee)

1.11 आयोग द्वारा दिनांक 3 फरवरी, 2012 को राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ इन याचिकाओं के बारे में परामर्श प्राप्त किये जाने के बारे में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस संबंध में, सदस्यों द्वारा कई बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किये गये हैं जिन पर आयोग द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत–दर के अवधारण करते समय विचार किया गया है।

जन–सुनवाई (Public Hearing)

1.12 आयोग द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा दायर की गई टैरिफ याचिकाओं पर जन–सुनवाईयों का आयोजन इन्दौर, जबलपुर तथा भोपाल में किया गया। इन सुनवाईयों का आयोजन निम्न तिथियों को किया गया :

तालिका 6 : जन–सुनवाई

स. क्र	विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	जन सुनवाई की तिथि
1.	मप्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, इन्दौर	22 फरवरी, 2012
2.	मप्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर	25 फरवरी, 2012
3	मप्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल	28 तथा 29 फरवरी, 2012

1.13 इस आदेश को अंतिम रूप देते समय हितधारकों से प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों के अलावा उपरोक्त जनसुनवाईयों के दौरान प्राप्त सुझावों पर भी यथोचित विचार किया गया है।

वितरण हानियां (Distribution Losses)

1.14 आयोग द्वारा हितधारकों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के साथ यथोचित परामर्श उपरांत वित्तीय वर्ष 10–11 से वित्तीय वर्ष 12–13 हेतु वितरण विद्युत–दर हेतु बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों को अधिसूचित करते समय उपभोक्ताओं के साथ–साथ विद्युत वितरण कम्पनियों के हितसंवर्धन को दृष्टिगत रखते हुए, पुनरीक्षित हानि प्रक्षेपण (Loss Trajectory) किया गया है। विनियमों में निर्दिष्ट किये गये हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 7 : विनियमों के अनुसार हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण

विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	2010–11	2011–12	2012–13
पूर्व क्षेविवि कम्पनी	30%	27%	**24%**
पश्चिम क्षेविवि कम्पनी	26%	24%	**22%**
मध्य क्षेविवि कम्पनी	33%	29%	**26%**

1.15 उपरोक्त निर्दिष्ट किये गये हानि प्रक्षेपणों के विरूद्ध, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता निम्न हानि स्तरों के आधार पर दायर की गई है :–

तालिका 8 : अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दायर किये गये हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी
26.35%	22%	26%

1.16 जबकि याचिकाएं प्रस्तुत करते समय, तीन विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा हानि स्तर विनियमों के उपबन्धों के शीर्ष ''विनियमों के अनुसार'' प्रस्तुत किये गये हैं, यह पाया गया है कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण सोसायटियों के संविलियन के कारण वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु, अपने अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण में हानियों के उच्चतर स्तर को अनुज्ञेय किये जाने बाबत अनुरोध किया गया है।

1.17 आयोग ने पूर्व क्षेविवि कंपनी के उनके क्षेत्र के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण सोसायटियों के संविलियन के कारण हानि स्तरों से आधिक्य मानदण्डीय हानियों संबंधी प्रस्तुतिकरण पर विचार किया है तथा इसे न्यायोचित या फिर स्वीकारयोग्य नहीं पाया है। तद्नुसार, उनके प्रकरणों में विद्युत क्रय लागत को केवल तत्संबंधी मानदण्डीय हानि स्तर के अनुसार ही स्वीकार किया जा रहा है।

1.18 आयोग इस तथ्य से भलीभांति अवगत है कि विद्युंत वितरण कम्पनियों की वास्तविक हानियां मानदण्डीय हानि स्तरों से कहीं अधिक हैं तथा विनियमों को निर्दिष्ट करते समय नियन्त्रण अवधि हेतु शिथिल हानि स्तरों पर पूर्व में ही विचार कर लिया गया है। तथापि, आयोग के सुविचारित मत के अनुसार, आधिक्य हानियों के भार को उपभोक्ताओं को विद्युत–दर (टैरिफ) के माध्यम से अन्तरित नहीं किया जा सकता है तथा विद्युत वितरण कम्पनियों को हानि स्तरों में सुस्पष्ट तौर पर कमी प्रदर्शित किये जाने की आवश्यकता है। यह अत्यावश्यक हो गया है तथा क्षेत्र की भलाई के लिये भी निर्णायक हो गया है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा हानियां कम किये जाने के संबंध में, जो कई अन्य राज्यों की तुलना में उच्च स्तर पर बनी हुई हैं, एक समयबद्ध

सुसंगठित अभियान चलाया जाए। आयोग अपेक्षा करता है कि वितरण कम्पनियां आने वाले समय में सकारात्मक रूप से सुधार सुनिश्चित करेंगी।

ऊर्जा लेखांकन एवं मीटरीकरण (Energy Accounting & Meterisation)

1.19 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश में ऊर्जा लेखांकन तथा मीटरीकरण के महत्व पर जोर दिया गया था। विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि उपकेन्द्रों, वितरण संभरकों, वितरण ट्रांसफार्मरों तथा उपभोक्ता छोर पर उचित ऊर्जा लेखांकन तथा ऊर्जा वितरण हानियों, यथा तकनीकी एवं अन्य हानियों के वास्तविक स्तर के संबंध में आवश्यकता प्रतिपादित की गई थी। इसके महत्व के बारे में विद्युत वितरण कम्पनियों के समक्ष स्पष्ट किया गया था ताकि समुचित हानि कम किये जाने संबंधी रणनीतियां तथा योजनाएं तैयार की जा सके। तथापि, आयोग द्वारा गहरी चिन्ता के साथ संज्ञान में लिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान भी इस दिशा में विशेष प्रगति नहीं हो पाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अभी तक इस ओर वांछित ध्यान नहीं दिया गया है जो उनके जीवित रहने के लिये इतना महत्वपूर्ण है। ग्रामीण क्षेत्र में मीटरीकरण की प्रगति, विशेष कर घरेलू उपभोक्ताओं के साथ–साथ कृषि भार से युक्त वितरण ट्रांसफार्मरों के प्रकरण में उल्लेखनीय गति से नहीं हो पाई है। वास्तव में, ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों को मीटरीकृत किये जाने संबंधी प्रगति अभी तक निराशाजनक रही है। इसके अलावा भी, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की भावना के विपरीत बिना मीटर स्थापना के नवीन संयोजनों की स्वीकृति जारी रखी गई है, इसका परिणाम यह निकला है कि बड़ी संख्या में ग्रामीण घरेलू संयोजनों का अमीटरीकृत रहना अभी भी जारी है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की वितरण ट्रांसफार्मरों पर मीटरीकरण की प्रगति अत्यधिक असन्तोषजनक है। ऐसे संयोजनों की काफी बड़ी संख्या का अमीटरीकृत रहना अभी भी जारी है। माह दिसम्बर 2011 तक प्रस्तुत प्रतिवेदनों के अनुसार अमीटरीकृत संयोजनों तथा कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफर्मरों की मीटरीकरण की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :

तालिका 9 : नियतकालिक (Periodic) प्रतिवेदनों के अनुसार मीटरीकरण की प्रगति

विद्युत क्षेत्र वितरण कंपनी	घरेलू (ग्रामीण)			कृषि वितरण ट्रांसफार्मर		
	संयोजनों की कुल संख्या	अमीटरीकृत संयोजनों की संख्या	अमीटरीकृत संयोजनों का प्रतिशत	कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या	वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या जिन पर मीटर स्थापित किये गये	वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रतिशत जिन पर मीटर स्थापित किये गये हैं
पूर्व	1,677,301	966,790	58%	39,200	387	**1%**
पश्चिम	1,451,226	308,128	21%	66,107	13,143	**20%**
मध्य	1,030,973	339,080	33%	64,655	10,270	**16%**
राज्य का योग	**4,159,500**	**1,613,998**	**39%**	**169,962**	**23,800**	**14%**

1.20 आयोग यह स्वीकार करता है कि शत–प्रतिशत मीटरीकरण को लेकर, विशेषकर कृषि उपभोक्ताओं की वृहद संख्या को दृष्टिगत रखते हुए, वैयक्तिक मीटरीकरण के क्षेत्र में व्यावहारिक समस्याएं विद्यमान हैं। अतएव, आयोग बारम्बार समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों को कृषि भार वितरण ट्रांसफार्मरों के मीटरीकरण के कार्य में प्रगति में वृद्धि किये जाने संबंधी निर्देश देता चला आ रहा है। आयोग द्वारा आदेश प्रसारित किये गये थे कि कृषि भार से संव्यवहार करने वाले समस्त वितरण ट्रांसफार्मरों को एक अंतरिम व्यवस्था के बतौर, जब तक समस्त वैयक्तिक कृषि संयोजनों पर मीटर स्थापित नहीं कर दिये जाते, माह मार्च 2012 तक मीटरीकृत कर दिया जाए। यह प्रगति भी निर्दिष्ट किये गये लक्ष्यों से काफी कम है। आयोग का यह दृढ़ मत है कि समस्त उपभोक्ताओं का वैयक्तिक तौर पर मीटरीकरण या फिर कृषि उपभोक्ताओं का मीटरीकरण समूह आधार पर पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं के बारे में बिलिंग की वर्तमान मानदण्डीय खपत कार्य प्रणाली उपभोक्ताओं के लिये ऊर्जा बचत के बारे में कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती है तथा इसे शीघ्र समाप्त किये जाने की नितान्त आवश्यकता है। आयोग इसके बाद वैयक्तिक मीटर या फिर वितरण ट्रांसफार्मर मीटरिंग के माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग करने का इच्छुक है। इसी प्रकार, आयोग निकट भविष्य में ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं हेतु भी मानदण्ड खपत प्रणाली को समाप्त किये जाने की इच्छा रखता है। आयोग ने मीटरीकरण संबंधी विषय पर विद्युत वितरण कम्पनियों की निराशाजनक प्रगति को गंभीरता से संज्ञान में लिया है तथा वितरण कम्पनियों द्वारा कुछ प्रकरणों में इस गतिविधि को वित्तीय वर्ष 2015–16 तक जारी रखे जाने संबंधी लक्ष्यों को स्वीकार नहीं करता है। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को एक ठोस व्यावहारिक योजना तैयार करने तथा इसे एक माह के भीतर प्रस्तुत करने के निर्देश देता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्त घरेलू अमीटरीकृत संयोजन, भले ही वे शहरी क्षेत्र में हों या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, को वित्तीय वर्ष 2012–13 के अंत तक पूर्ण तौर पर मीटरीकृत कर दिया जाए तथा भविष्य में कोई भी नवीन संयोजन, बिना मीटर के स्वीकृत न किये जाएं।

1.21 यह भी संज्ञान में लिया गया है कि 33 केवी तथा 11 केवी संभरको के मीटरीकरण के बारे में प्रगति में किसी प्रकार का सुधार परिलक्षित नहीं हो रहा है। वास्तविक तौर पर, आयोग द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, अमीटरीकृत संभरकों तथा ऐसे संभरक जिनमें त्रुटिपूर्ण मीटर स्थापित किये गये हैं, में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

दिनांक 31.12.2011 की स्थिति में अमीटरीकृत/त्रुटिपूर्ण मीटर संभरकों से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं :

तालिका 10 : अमीटरीकृत/त्रुटिपूर्ण मीटरों का प्रतिशत

संभरक	कुल मीटरिंग बिन्दुओं की संख्या	अमीटरीकृत/त्रुटिपूर्ण मीटरीकृत संभरकों की संख्या	प्रतिशत अमीटरीकृत/ त्रुटिपूर्ण मीटर संभरक
33 केवी	4854	1230	25%
11 केवी	9808	3770	38%

1.22 आयोग का यह दृष्टिकोण है कि आहरण बिन्दुओं (input points) पर मीटरीकरण के अभाव के साथ–साथ, बड़ी संख्या में अमीटरीकृत उपभोक्ता संख्या से अव्यवस्थाएं फैलेंगी। विद्युत वितरण कम्पनियों के अध्यक्ष सह प्रबन्ध संचालकों के साथ माह अगस्त, 2011 में आयोजित बैठक में, अध्यक्ष सह प्रबन्ध संचालकों द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि शतप्रतिशत संभरक मीटरीकरण माह मार्च, 2012 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आयोग द्वारा अब निर्देश दिये जाते हैं कि शतप्रतिशत संभरक मीटरीकरण माह जून, 2012 तक पूर्ण कर लिया जाए जिसके लिये असफल/त्रुटिपूर्ण मीटरों/ मीटरीकरण उपकरणों को तत्परता बदलने हेतु आवश्यक सामग्री (inventory) का भण्डारण किया जाए तथा किसी भी नवीन संभरक को मीटरों की संस्थापना के बिना ऊर्जाकृत न किया जाए।

1.23 आयोग ने अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा शीर्ष ''विनियमों के अनुसार (As per Regulatoins)'' तथा ''अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार (As per additional submissions)'' उनकी याचिकाओं में किये गये प्रस्तुतिकरणों का अवलोकन किया है तथा किये गये प्रस्तुतिकरणों को संज्ञान में लिया है। तथापि, आयोग ने केवल ''विनियमों के अनुसार'' की गई प्रस्तुतियों पर ही विचार किया है जिस हेतु संबंधित लागतों को युक्तियुक्त जांच के उपरान्त ही अनुज्ञेय किया गया है। आयोग का यह मत है कि चूंकि यह वर्ष नियंत्रण कालावधि का अन्तिम वर्ष है, अतएव अनुज्ञप्तिधारियों के अतिरिक्त प्रस्तुतिकरणों के कारण अतिरिक्त लागतों पर विचार किया जाना उपयुक्त न होगा।

विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement of Discoms)

1.24 आयोग ने समग्र सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का आकलन किया गया है, तथा विभिन्न श्रेणियों हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय की विद्युत–दरों का पुनरीक्षण राजस्व अन्तर को पाटने के प्रयोजन से किया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु तीन विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत–दरों के निर्धारण (Tariffs) से प्राप्त होने वाले राजस्व को विस्तृत आदेश के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

1.25 वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु, आयोग द्वारा वर्तमान आदेश में अवधारित राज्य के तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सार (Gist) निम्नानुसार दर्शाया गया है:

तालिका 11: आयोग द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का सारांश (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	योग
विद्युत क्रय	2945.73	4708.36	3398.16	11052.25
पीजीसीआईएल प्रभार	189.34	249.06	161.60	600.00
ट्रांसको (म.प्र. ट्रांसको) प्रभार	444.16	501.78	484.24	1430.18
राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार	2.80	2.86	2.95	8.61
संचालन तथा संधारण लागत	641.72	603.07	579.29	1824.08
अवक्षयण या अवमूल्यन	50.74	76.27	56.23	183.23
परियोजना ऋणों पर ब्याज	78.91	74.26	63.82	216.99
पूंजी पर प्रतिलाभ	120.74	137.58	102.03	360.35
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	0.00	0.32	0.00	0.32
डूबन्त ऋण	1.00	1.00	1.00	3.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	36.76	56.42	43.29	136.47
मप्रविनिआ शुल्क	0.40	0.57	0.44	1.41
घटायें : अन्य आय –खुदरा तथा चक्रण	128.01	177.78	144.21	450.00
वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**4384.29**	**6233.77**	**4748.83**	**15366.89**
जोड़ें : एमपी ट्रांसको सत्यापन (वित्तीय वर्ष 2008–09)	50.12	59.47	53.35	162.94
जोड़ें : एमपी ट्रेडको प्रभार	8.58	12.19	9.29	30.06
जोड़ें : एमपी जनको सत्यापन (वित्तीय वर्ष 2008–09) हेतु	24.08	43.40	39.29	106.77
वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**4467.06**	**6348.84**	**4850.75**	**15666.66**
वर्तमान विद्युत–दर के अनुसार राजस्व की प्राप्ति	4163.90	5934.64	4519.72	14618.26
राजस्व अन्तर	**303.16**	**414.20**	**331.04**	**1048.40**

1.26 आयोग द्वारा राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वित्तीय वर्ष 2012–13 की संपूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दरों का अवधारण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हानि प्रक्षेपण (loss trajectory) के आधार पर किया गया है।

1.27 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु एमपीजनको तथा एमपी ट्रांसको की सत्यापन लागत क्रमशः रू. 106.77 करोड़ तथा 162.94 करोड़ की पारित राशि की वसूली अनुज्ञेय की है। इन कम्पनियों को इन सत्यापन राशियों की वसूली विद्युत वितरण कम्पनियों से वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान किया जाना अनुज्ञेय किया गया है।

तद्नुसार, इस मद पर सत्यापन लागतों की वसूली को वित्तीय वर्ष 2012–13 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित कर लिया गया है।

1.28 निम्न तालिका अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता, चालू विद्युत–दर के अनुसार राजस्व तथा राजस्व अन्तर तथा इस आदेश के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की जा रही नवीन विद्युत–दरों (इस आदेश के अन्तर्गत परिशिष्ट 2 तथा 3 के अनुसार) से राजस्व की प्राप्ति दर्शाती है :

तालिका 12: नवीन विद्युत–दरों पर अंतर/आधिक्य (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	सम्पूर्ण राज्य
वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुमोदित कुल संपूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए)	4,384.29	6,233.77	4,748.83	15,366.89
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु एमपी ट्रांस्को सत्यापन राशि (बी)	50.12	59.47	53.35	162.94
जोड़ें : एमपी ट्रेडको प्रभार (सी)	8.58	12.19	9.29	30.06
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु एमपी जनको सत्यापन राशि (डी)	24.08	43.40	39.29	106.77
वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए+बी+सी+डी =ई)	4,467.06	6,348.84	4,850.75	15,666.66
चालू विद्युत–दरों पर राजस्व की प्राप्ति (एफ)	4,163.90	5,934.64	4,519.72	14,618.26
चालू विद्युत–दरों पर अन्तर (ई–एफ)	303.16	414.20	331.04	1,048.40
नवीन विद्युत–दरों पर राजस्व की प्राप्ति (जी)	4,467.31	6,348.32	4,851.40	15,667.03
अप्रावधानित अंतर/आधिक्य (जी–ई)	-0.25	0.51	-0.64	-0.37

1.29 आयोग द्वारा त्रैमासिक आधार पर ईंधन प्रभार समायोजन (Fuel charge Adjustment - FCA) की वसूली के बारे में क्रियाविधि भी निर्दिष्ट कर दी गई है ताकि परिवतर्नीय प्रभारों में परिवर्तन के कारण अनियंत्रित लागतों (uncontrollable costs) को समयबद्ध तौर पर टैरिफ नीति की भावना के अनुरूप तथा माननीय एप्टेल (APTEL) द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अनुसार भविष्य में वसूल/समायोजित किया जा सके।

1.30 आयोग आगे विद्युत वितरण कम्पनियों को निम्नानुसार न्यूनतम विद्युत प्रदाय घंटे बनाये रखे जाने संबंधी निर्देश भी प्रसारित करता है :

(अ) संभागायुक्त मुख्यालय – 22 घंटे
(ब) जिला मुख्यालय – 19 घंटे
(स) तहसील मुख्यालय – 14 घंटे
(द) ग्रामीण क्षेत्र – 12 घंटे (जिसमें से न्यूनतम 06 (छः) घंटों की अवधि हेतु तीन फेज का विद्युत प्रदाय सुनिश्चित करना होगा)।

आदेश का कार्यान्वयन (Implementation of the order)

1.31 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 की कण्डिका 1.30 के अनुसार समाचार पत्रों में सात (7) दिवस का नोटिस देकर आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में तत्काल कदम उठाने चाहिए। इस आदेश द्वारा अवधारित विद्युत–दरें (टैरिफ) दिनांक 10 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक प्रभावशील रहेंगी, जब तक कि आयोग द्वारा इनमें किसी आदेश के माध्यम से इनमें संशोधन अथवा सुधार न कर दिया जाए। दिनांक 23 मई, 2011 को जारी पूर्व टैरिफ आदेश, इस आदेश के जारी होने तक वैध रहेगा।

1.32 अतएव, आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाएं, सुधारों के साथ तथा सशर्त स्वीकार कर ली गई हैं तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान विद्युत प्रदाय के अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र में खुदरा विद्युत–दरों तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य प्रभारों का अवधारण कर दिया गया है। आयोग निर्देश देता है कि यह आदेश दिये गये निर्देशों तथा दी गई शर्तो के साथ–साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार क्रियान्वित किया जाए। अनुज्ञप्तिधारियों को आगे उपभोक्ताओं को केवल इस टैरिफ आदेश तथा प्रयोज्य विनियमों के उपबंधों के अनुसार ही देयक जारी किये जाने के आदेश भी दिये जाते हैं।

हस्ता/–

(सी.एस.शर्मा)
सदस्य (इकॉनामिक्स)

हस्ता/–

(राकेश साहनी)
अध्यक्ष

ए 2: याचिका क्र. 72/2011, 74/2011 तथा 73/2011 के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2012 को जारी खुदरा विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश के साथ संलग्न विस्तृत कारण तथा आधार (DETAILED REASONS AND GROUNDS ATTACHED WITH RETAIL SUPPLY TARIFF ORDER ISSUED BY MPERC ON 31st MARCH, 2012 IN RESPECT OF PETITION NUMBER 72/2011. 74/2011 AND 73/2011)

श्री पी.के.सिंह (मुख्य अभियंता, वाणिज्यिक) द्वारा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया।

श्री ए.आर. वर्मा, महाप्रबंधक तथा अधीक्षण यंत्री (वाणिज्यिक) द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया।

श्री एस.के. मोहासे (मुख्य अभियंता, वाणिज्यिक), द्वारा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया।

तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान टैरिफ के अवधारण तथा वसूली योग्य प्रभार के विस्तृत आदेश, कारण तथा आधार दर्शाते हुए, निम्नानुसार दिये गये हैं। विस्तृत आदेश में तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यात्मक तथा वित्तीय निष्पादन की चर्चा की गई है तथा आयोग के दिशा–निर्देशों पर अनुपालन की अद्यतन स्थिति तथा अनुज्ञप्तिधारियों की प्रतिक्रिया पर एक भाग तथा टैरिफ के प्रस्तावों पर हितधारकों से संपूर्ण राजस्व आवश्यकता पर प्राप्त किये गये सुझावों तथा टीपों पर आयोग की अभ्युक्ति संबंधी प्रतिवेदन भी सम्मिलित किये गये हैं।

ए.3 वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु मध्यप्रदेश पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों (ईस्ट, वेस्ट तथा सेंट्रल डिस्काम) की संपूर्ण राजस्व आवश्यकता (AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR FY 2012-13 OF MADHYA PRADESH POORVA, PASCHIM & MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN COMPANIES LIMITED (EAST, WEST & CENTRAL DISCOMS)

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका (Summary of Sales Forecast as proposed by the Licensees)

3.1 वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, विद्युत वितरण कंपनियों के कुल विक्रय 35487.80 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किये गये हैं, अर्थात् पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का विक्रय 9872.40 मिलियन यूनिट, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का विक्रय 14680.05 मिलियन यूनिट तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी का विक्रय 10935.35 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किया गया है।

3.2 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा पिछले तीन तथा चार वर्षों की श्रेणीवार संयोजित वार्षिक विकास दर (Compounded Annual Growth Rate-CGAR) के विक्रय, संयोजित भार तथा उपभोक्ताओं की संख्या की गणना की गई तथा तथ्यात्मक रूझानों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों हेतु विक्रयों का पूर्वानुमान किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, संभरक पृथक्करण योजना (Feeder Separation Scheme), पुनरीक्षित – एपीडीआरपी योजनाएं तथा सामान्य विकास कार्यों, आदि के अंतर्गत उपभोक्ताओं, हेतु संख्या में प्रक्षेपित अभिवृद्धि के कारण उपभोक्ताओं/विक्रय में वृद्धि, के कारण अतिरिक्त विक्रयों के बारे में भी विचार किया गया है। विद्युत प्रदाय के घंटों में प्रस्तावित वृद्धि पर भी विचार किया गया है। निम्न दाब संयोजनों की अमीटरीकृत श्रेणी की बिलिंग हेतु पुनरीक्षित मानदण्ड प्रस्तावित किये गये हैं तथा निम्न दाब के पूर्वानुमान के संबंध में इन पर विचार किया गया है तथा निम्न दाब तथा उच्च दाब विक्रय जैसा कि इसका श्रेणीवार पूर्वानुमान किया गया है, को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 13 : विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित किये गये विक्रय प्रक्षेपण

विवरण	पूर्व क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं	सम्पूर्ण राज्य हेतु
निम्न दाब विक्रय	6651.44	10407.14	8198.25	25256.83
उच्च दाब विक्रय	3220.96	4272.91	2737.13	10231.00
कुल विक्रय	**9872.40**	**1480.05**	**10935.35**	**35487.80**

3.3 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये श्रेणीवार विद्युत विक्रय निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 14 : विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित किये गये श्रेणीवार विक्रय प्रक्षेपण (मिलियन यूनिट में)

उपभोक्ता श्रेणियों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रक्षेपण (मिलियन यूनिट में)			
	पूर्व क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं	सम्पूर्ण राज्य हेतु
निम्न दाब (LT)				
एलवी–1 : घरेलू	3308.8	3691.0	3262.4	10262.3
एलवी–2 : गैर–घरेलू	594.8	782.8	679.6	2057.2
एल वी–3 : सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	292.0	264.4	321.0	877.4
एलवी–4 : निम्न दाब औद्योगिक	319.8	506.2	241.6	1067.6
एलवी–5.1 : कृषि हेतु सिंचाई पम्प	2134.8	5154.4	3691.7	10980.9
एलवी–5 .2 : कृषि संबंधी उपयोग	1.2	8.4	2.0	11.6
निम्न दाब विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**6651.4**	**10407.1**	**8198.3**	**25256.8**
उच्च दाब (HT)				
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	591.5	396.1	744.3	1731.9
एचवी–2 : कोयला खदानें (कोल माईन्स)	497.0	0.0	34.0	531.1
एचवी–3.1 : औद्योगिक	1425.5	3248.5	1429.9	6599.6
एचवी 3.2 : गैर–औद्योगिक	230.6		265.0	
एचवी–4 : मौसमी (सीजनल)	5.8	10.0	1.0	16.8
एचवी–5 : सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा अन्य	77.3	441.0	78.0	596.3
एचवी–6 थोक आवासीय प्रयोक्ता	393.2	6.7	184.9	584.9
एचवी–7 छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	0.0	170.5	0.0	170.5
उच्च दाब विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**3221.0**	**4272.9**	**2737.1**	**10231.0**
कुल निम्न दाब + उच्च दाब विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**9872.4**	**14680.1**	**10935.4**	**35487.9**

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनीवार प्रस्तुतिकरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :

मध्य मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी (East Discom) :

3.4 आयोग ने दिनांक 23 मई, 2011 को जारी वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश के अनुसार पूर्व क्षेत्र विविकं द्वारा दाखिल किये गये 8385 मिलियन यूनिट के विरूद्ध 8053 मिलियन यूनिट विद्युत प्रदाय स्वीकार किया था। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 12–13 हेतु विद्युत–दर अवधारण संबंधी याचिका में अब विद्युत विक्रय की मात्रा को वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु 8226.94 मिलियन यूनिट पुनरीक्षित किया है तथा वित्तीय वर्ष 12–13 हेतु विद्युत का विक्रय 9872.40 मिलियन यूनिट प्रस्तावित किया है। विद्युत वितरण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु 1819.4 यूनिट

अधिक विद्युत विक्रय का पूर्वानुमान लगाया है जो वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विक्रय से 1645.46 मिलियन यूनिट है और वित्तीय वर्ष 11–12 के पुनरीक्षित विक्रय से 20 प्रतिशत अधिक तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुमोदित विक्रय से 23 प्रतिशत अधिक है। विद्युत वितरण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिये स्वीकृत किये गये विक्रय की तुलना में विक्रय पूर्वानुमानों में मामूली रूप से वृद्धि (अर्थात्, लगभग 2 प्रतिशत) की है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विक्रय के पूर्वानुमान समस्त श्रेणियों हेतु संयोजित वार्षिक विकास दर (CAGR) के आधार पर प्रक्षेपित किये गये हैं। विक्रय के प्रक्षेपण हेतु राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY), घरेलू उपभोक्ताओं की मीटरीकरण योजना, कृषि तथा अन्य उपभोक्ता श्रेणियों के संभरकों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय के घंटों में वृद्धि के आगे कारकों के प्रभाव को विक्रय के प्रक्षेपण की गणना हेतु जोड़ा गया है।

3.5 वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु याचिका में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु विद्युत की खपत आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु टैरिफ आदेश में स्वीकृत विक्रय से 763 मिलियन यूनिट अधिक होगी तथा पुनरीक्षित अनुमानों में आकलित विक्रय से 862 मिलियन यूनिट अधिक होगी। याचिका में अनुरोध किया गया है कि उचित होगा कि तत्संबंधी शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों से औसत मासिक बिलिंग की मात्रा को भी मीटरीकृत श्रेणियों की औसत मासिक खपत के आधार पर पुनरीक्षित किया जाए। यह निवेदन भी किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान पूर्वानुमानित विद्युत प्रदाय के घंटों में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप विद्युत की आकलित खपत में वृद्धि होने की संभावना है। तदनुसार, आकलित खपत में भी वृद्धि होगी तथा इस प्रकार अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों हेतु खपत के प्रक्षेपण शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 77 यूनिट तथा 30 यूनिट प्रति माह प्रति संयोजन के स्थान पर 111 यूनिट तथा 61 यूनिट प्रति माह प्रति संयोजन माने गये हैं।

3.6 विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY) के क्रियान्वयन के प्रभाव को भविष्यगामी उपभोक्ता/भार (Load)/खपत पूर्वानुमानों के लिये भी माना गया है। यह उल्लेख किया गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत जोड़े गये संयोजित भार को प्रति उपभोक्ता 300 वॉट प्रति उपभोक्ता माना गया है जबकि ग्रामीण उपभोक्ताओं हेतु, उपभोक्ताओं की खपत को मीटरीकृत खपत के बराबर माना गया है। कम्पनी द्वारा

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में 1.80 लाख उपभोक्ताओं की तुलना में वित्तीय वर्ष 2012–13 में 3.68 लाख उपभोक्ता जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। यह निवेदन भी किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान वह कृषि उपभोक्ताओं हेतु तीन–फेज विद्युत प्रदाय की औसत अवधि 8 घंटे संधारित किये जाने का इच्छुक है तथा इस प्रकार विद्युत प्रदाय के घंटों में वृद्धि होने के कारण, वास्तविक विद्युत खपत में भी वृद्धि होने की भी संभावना है। याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं की वार्षिक खपत के पूर्वानुमानों की समीक्षा तथा पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है तथा उनके द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 1760 तथा 1420 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति वर्ष प्रस्तावित किया गया है। यह उल्लेख भी किया गया है कि उपरोक्त पूर्वानुमान उपभोक्ता के स्वीकृत भार के सही होने की आदर्श परिस्थितियों पर आधारित हैं।

म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (West Discom)

3.7 आयोग द्वारा दिनांक 23 मई, 2011 को जारी वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु पश्चिम क्षेत्र विविकं द्वारा दाखिल किये गये 11481 मिलियन यूनिट विद्युत विक्रय के विरूद्ध 11270 मिलियन यूनिट विद्युत विक्रय स्वीकार किया गया था। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत–दर अवधारण संबंधी याचिका में अब वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विद्युत विक्रय की मात्रा को 11807 मिलियन यूनिट पुनरीक्षित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत का विक्रय 14680 मिलियन यूनिट प्रस्तावित किया गया है। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु स्वीकृत किये गये विक्रय पूर्वानुमानों में लगभग 4.8 प्रतिशत तक की वृद्धि की गई है। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्राक्कलित किया गया विद्युत विक्रय वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु स्वीकृत विक्रय से 3410 मिलियन यूनिट अधिक तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु पुनरीक्षित प्राक्कलन से 2872 मिलियन यूनिट अधिक है। निम्न दाब विद्युत विक्रय कुल विद्युत विक्रय का 71 प्रतिशत तथा उच्च दाब विद्युंत विक्रय का 29 प्रतिशत प्रक्षेपित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु निम्न दाब श्रेणियों हेतु कुल प्रक्षेपित विक्रय वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु स्वीकृत किये गये विक्रय से 42 प्रतिशत अधिक है। उच्च दाब श्रेणियों हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कुल प्रक्षेपित विक्रय वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अनुज्ञेय किये गये विद्युत विक्रय से 8 प्रतिशत तक अधिक है।

3.8 याचिका में यह निवेदन भी किया गया है कि घरेलू श्रेणी के संबंध में, सामान्य वृद्धि के अतिरिक्त भी, विद्युत वितरण कम्पनी के प्रचालन क्षेत्र के अन्तर्गत क्रियान्वित की जा रही आर–एपीडीआरपी (R-APDRP) तथा संभरक पृथक्करण (Feeder Segregation) जैसी योजनाएं भी विक्रय में वृद्धि हेतु अपना योगदान प्रदान करेंगी। इस पहलू को तथ्यात्मक रूझान की प्रवृत्ति में पर्याप्त रूप से शामिल नहीं किया गया है। अतएव तथ्यात्मक रूझान के अलावा भी, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अनुमान लगाया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या में और अधिक वृद्धि दर्ज की जाएगी। अनुमान लगाया गया है कि विभिन्न योजनाओं के प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान नवीन घरेलू उपभोक्ताओं की जो संख्या विद्यमान उपभोक्ताओं में भी जुड़ जाएगी, लगभग 2.79 लाख होगी जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान लगभग 321.71 मिलियन यूनिट विद्युत की संभावित खपत की जाएगी। इसके अलावा भी, सामान्य प्रगति के अतिरिक्त राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान 75,000 नवीन उपभोक्ता भी जुड़ जाऐंगे जिनकी मासिक विद्युत खपत 59 यूनिट प्रति माह/प्रति उपभोक्ता होगी, द्वारा सामान्य प्रगति के अलावा भी 123.90 मिलियन यूनिटों की अतिरिक्त खपत के रूप में वृद्धि की जाएगी।

3.9 याचिका में यह निवेदन भी किया गया है कि उचित होगा यदि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों की बिलिंग मीटरीकृत श्रेणियों को औसत मासिक खपत के आधार पर पुनरीक्षित कर दिया जाए। आगे यह निवेदन भी किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान पूर्वानुमानित विद्युत प्रदाय के घंटों में होने वाली वृद्धि के फलस्वरूप विद्युत की आकलित खपत में वृद्धि होने की संभावना की है, तदनुसार आकलित खपत में भी वृद्धि होगी तथा इस प्रकार अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों हेतु खपत के प्रक्षेपण शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 77 यूनिट तथा 30 यूनिट प्रति माह प्रति संयोजन के स्थान पर 145 यूनिट तथा 59 यूनिट प्रति माह प्रति संयोजन माने गये हैं। याचिकाकर्ता द्वारा यह निवेदन भी किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 की तुलना में वह कृषि उपभोक्ताओं हेतु तीन–फेज विद्युत प्रदाय की अवधि 8 घंटे संधारित किये जाने का इच्छुक है तथा इस प्रकार विद्युत प्रदाय के घंटों में वृद्धि होने के कारण, वास्तविक विद्युत खपत में भी वृद्धि होने की संभावना है। याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया है कि अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं की वार्षिक खपत के पूर्वानुमानों की समीक्षा तथा इन्हें पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है। तद्नुसार, उनके द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसे क्रमशः 1760 तथा 1420 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रस्तावित

किया गया है। उपरोक्त पूर्वानुमान उपभोक्ता के स्वीकृत भार के सही होने की आदर्श परिस्थितियों पर आधारित हैं।

म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (Central Discom)

3.10 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, दिनांक 23 मई, 2011 को जारी वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश के अनुसार मध्य क्षेत्र विविकं द्वारा दाखिल किये गये 8983 मिलियन यूनिट विद्युत विक्रय के विरूद्ध 8416 मिलियन यूनिट स्वीकार किया था। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत–दर अवधारण संबंधी याचिका में अब विद्युत विक्रय की मात्रा को वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु 8805.96 मिलियन यूनिट पुनरीक्षित किया गया है तथा तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत का विक्रय 10935.39 मिलियन यूनिट प्रस्तावित किया गया है। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु स्वीकृत किये गये विक्रय पूर्वानुमानों में लगभग 5 प्रतिशत तक की वृद्धि वित्तीय वर्ष 2011–12 के विक्रयों के पुनरीक्षित आंकड़ों की प्राप्ति हेतु की गई है। याचिका में निवेदन किया गया है कि समस्त श्रेणियों हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 के विक्रय पूर्वानुमान संयोजित वार्षिक विकास दर (CGAR) के आधार पर तैयार किये गये हैं। घरेलू तथा कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के विक्रयों को प्रक्षेपित किये जाने हेतु, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, आर–एपीडीआरपी तथा संभरक पृथक्करण योजनाओं के प्रभावों को भी जोड़ा गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु आयोग द्वारा कुल निम्न दाब विक्रय 5890 मिलियन यूनिट स्वीकार किया गया था। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा इन पूर्वानुमानों को उक्त वर्ष हेतु 6192.41 मिलियन यूनिट पुनरीक्षित कर दिया गया है तथा तत्पश्चात् वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु इन्हें 8198.26 मिलियन यूनिट प्रक्षेपित किया गया है, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश से 2308.26 मिलियन यूनिट (39 प्रतिशत) अधिक। उच्च दाब हेतु, वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश में 2523 मिलियन यूनिट के विरूद्ध विक्रय को 2737.14 मिलियन यूनिट (8 प्रतिशत) प्रक्षेपित किया गया है।

3.11 याचिका में निवेदन किया गया है कि निम्न दाब श्रेणियों के संबंध में, वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु वृद्धि दर, पूर्व की विकास दरों (संयोजित वार्षिक विकास दर के संदर्भ में) की तुलना में कतिपय कारणों से, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण योजनाओं पर मुख्य जोर दिये जाने तथा विद्युत प्रदाय घंटों में की जाने वाली वृद्धि के फलस्वरूप, जिसके अनुसार दिनांक 1.1.2013 से संभागीय, जिला, तहसील मुख्यालयों तथा ग्रामीण बत्ती तथा पंखे हेतु विद्युत प्रदाय 24 घंटे किया जाना प्रस्तावित किया गया है, अधिक

रहेगी। याचिका के अंतर्गत यह निवेदन किया गया है कि उचित होगा यदि अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों हेतु की जाने वाली बिलिंग को क्रमशः शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मीटरीकृत श्रेणियों की औसत मासिक खपत के आधार पर पुनरीक्षित कर दिया जाए। वर्ष 2010–11 के दौरान, एक मीटरीकृत उपभोक्ता द्वारा प्रति माह खपत की गई यूनिट संख्या शहरी क्षेत्र में 96 यूनिट तथा ग्रामीण क्षेत्र में 34 यूनिट थी जबकि वर्ष 2011–12 में (माह अगस्त 2011 तक) यह खपत बढ़कर क्रमशः 142 तथा 52 यूनिट हो गई है। यह भी निवेदन किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान विद्युत प्रदाय की अवधि में संभावित वृद्धि के कारण, आकलित खपत में और भी अधिक वृद्धि होगी। अतएव, अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों हेतु खपत के पूर्वानुमान शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 77 यूनिट तथा 30 यूनिट/माह/संयोजन के स्थान पर 145 यूनिट तथा 60 यूनिट/माह/संयोजन माने गये हैं। वर्ष 2012–13 के दौरान, याचिकाकर्ता कृषि उपभोक्ताओं हेतु 8 घंटे का औसत विद्युत प्रदाय संधारित किये जाने का इच्छुक है। अतः, वित्तीय वर्ष 2012–13 में विद्युत प्रदाय की अवधि के दौरान संभावित वृद्धि के कारण, कृषि उपभोक्ताओं हेतु भी आकलित खपत में वृद्धि होगी। अतएव, अमीटरीकृत कृषि संयोजनों हेतु वार्षिक विद्युत खपत के पूर्वानुमानों को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है तथा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इन्हें क्रमशः 1760 तथा 1420 यूनिट प्रति अश्वशक्ति रखे जाने पर विचार किया जाए। याचिका में यह भी निवेदन किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्र में कृषि गतिविधियां माह मार्च में ही समाप्त नहीं होती वरन् माह मई तक जारी रहती हैं। अतएव, अप्रैल तथा मई के महीनों को ऐसे माह माना जाए जब विद्युत की खपत वर्षा ऋतु से भी अधिक होती है। अमीटरीकृत कृषि संयोजनों के बारे में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित यूनिटों का माहवार पृथक्करण (segregation) पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रस्तुत किये गये के अनुरूप है।

विक्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Sales)

3.12 पूर्व के वर्षों के दौरान, आयोग द्वारा सामान्यतः वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये प्रस्तावित विक्रय के आंकड़े स्वीकार किये जाते रहे हैं, केवल वर्ष 2011–12 को छोड़कर जहां अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की घरेलू तथा निम्न दाब कृषि श्रेणियों के बारे में प्रक्षेपित विक्रय को बिलिंग मानदण्डों के आधार पर संशोधित किया गया था। वर्तमान याचिका के प्रस्तुतिकरण में विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की घरेलू तथा कृषि श्रेणियों हेतु ऊर्जा के विक्रय के प्रक्षेपण हेतु पुनरीक्षित मानदण्डों पर विचार किये जाने का अनुरोध किया गया है तथा निम्न दाब के उपभोक्ताओं हेतु

अत्यधिक वृद्धि होना प्रक्षेपित किया गया है जो तथ्यात्मक रूझानों से असंगत है। विद्युत वितरण कम्पनियों ने उल्लेख किया है कि वर्ष के दौरान निम्न दाब विद्युत विक्रय में वृद्धि विकास योजनाओं जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, संभरक पृथक्करण योजना तथा आर–एपीडीआरपी योजना के क्रियान्वयन तथा विद्युत प्रदाय में प्रस्तावित की गई वृद्धि के कारण होगी।

3.13 घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत विक्रय (Sale to Domestic Consumers) : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उपभोक्ता श्रेणी 'एलवी–1' हेतु याचिकाओं के अन्तर्गत प्रस्तुत आंकड़ों तथा विक्रय प्रतिदर्शों (Sales Models) के सूक्ष्म परीक्षण से प्रकट होता है कि :

अ. **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** द्वारा अमीटरीकृत **शहरी** घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत खपत हेतु बिलिंग मानदण्डों को 111 यूनिट प्रति संयोजन प्रति माह तथा **ग्रामीण** उपभोक्ताओं हेतु इन्हें 61 यूनिट/संयोजन/माह की दर से पुनरीक्षित किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसी प्रकार **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** द्वारा बिलिंग मानदण्डों को अमीटरीकृत **शहरी** घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत खपत 145 यूनिट/संयोजन/माह तथा **ग्रामीण** उपभोक्ताओं हेतु इन्हें 59 यूनिट/संयोजन/माह की दर से पुनरीक्षित किये जाने का अनुरोध किया गया है। **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** द्वारा बिलिंग मानदण्डों को अमीटरीकृत **शहरी** घरेलू उपभोक्ता की विद्युत खपत हेतु 145 यूनिट/संयोजन/माह की दर से तथा **ग्रामीण** उपभोक्ताओं हेतु इन्हें 60 यूनिट/संयोजन/माह की दर से पुनरीक्षित किये जाने का अनुरोध किया गया है। राज्य में अमीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु बिलिंग के विद्यमान मानदण्ड शहरी क्षेत्र में 77 यूनिट/संयोजन/माह तथा ग्रामीण क्षेत्र में 30 यूनिट/संयोजन/माह हैं। तथापि, विद्युत वितरण कम्पनियों ने निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के अन्त तक समस्त शहरी अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को मीटरीकृत कर दिया जाएगा।

ब. वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु मीटरीकृत शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की औसत अनुमानित खपत पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 110.90 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 140.47 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 144.03 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह की दर से प्रक्षेपित की गई है। सम्पूर्ण राज्य हेतु की यह दर खपत 132.71 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह आती है।

स. ग्रामीण अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं हेतु ये प्रक्षेपण, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा 60.52 यूनिट प्रति माह प्रति उपभोक्ता माने गये हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपने पूर्वानुमान 59 यूनिट प्रति माह प्रति उपभोक्ता प्रक्षेपित किये गये हैं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपने विक्रय 42.06 प्रति यूनिट प्रति माह मानकर प्रक्षेपित किये गये हैं तथा बिलिंग मापदण्डों को 60 यूनिट/उपभोक्ता/प्रति माह की दर से पुनरीक्षित किये जाने का अनुरोध भी किया गया है।

3.14 यह पाया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरणों में वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु संयोजनों की मीटरीकृत तथा अमीटरीकृत श्रेणियों हेतु महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण किये गये हैं। विक्रयों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 की टैरिफ याचिकाओं में दायर किये गये विक्रय आंकड़ों की तुलना में, विक्रयों में समग्र वृद्धि पूर्व क्षेविविकं हेतु 23 प्रतिशत तक, पश्चिम क्षेविविकं हेतु 30 प्रतिशत तक तथा मध्य क्षेविविकं हेतु 30 प्रतिशत तक प्रक्षेपित की गई है। आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा याचिकाओं में दायर किये गये विक्रय के प्रक्षेपणों पर विचार किया है। तथापि, यह पाया गया है कि घरेलू तथा कृषि संयोजनों के संबंध में दाखिल किये गये विक्रय संबंधी आंकड़े विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार नहीं पाये गये हैं। आयोग ने उपभोक्ताओं की प्रक्षेपित संख्या तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उपभोक्ताओं की इन दो श्रेणियों के अमीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु दाखिल किये गये भार पर विचार किया है। तथापि, इन दो श्रेणियों हेतु प्रक्षेपित विद्युत खपत को, विद्यमान मापदण्डों के अनुसार, ग्रामीण अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को छोड़कर, संशोधित किया गया है। ग्रामीण अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं के प्रकरण में, खपत का वास्तविक स्तर प्रति संयोजन, वित्तीय 2010–11 के दौरान 44 यूनिट/संयोजन पाया गया है। अतः इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि बड़ी संख्या में अमीटरीकृत संयोजन निम्न छोर के उपभोक्ता हैं, आयोग द्वारा ग्रामीण अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं हेतु 42 यूनिट प्रति संयोजन बिलिंग अनुज्ञेय किये जाने को युक्तियुक्त माना गया है। इसके अलावा, आयोग द्वारा शहरी अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों में किसी पुनरीक्षण पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि ऐसे संयोजनों की संख्या कम है जबकि इन्हें अब तक शून्य स्तर पर ला देना चाहिए था। अमीटरीकृत कृषि संयोजनों हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित मानदण्डों के पुनरीक्षण को विस्तृत, संसक्त तथा गुणवत्तायुक्त आंकड़ों के अभाव में आयोग द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है। आयोग द्वारा इस प्रकरण में अनुज्ञप्तिधारियों को बारंबार प्रसारित इन निर्देशों के बावजूद कि वितरण ट्रांसफार्मर

मीटरीकरण (DTR Meterisation) का पर्याप्त विनिर्दिष्ट स्तर सुनिश्चित किया जाए तथा आंकड़ों का संकलन वांछित विधि के अनुसार किया जाए, वे वांछित स्तर तक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने में असफल रहे हैं। यह भी पाया गया है कि विद्युत विक्रय के मीटरीकृत शहरी तथा ग्रामीण शहरी संयोजनों के प्रकरणों में प्रक्षेपण पूर्व के रूझान की अवहेलना करते हुए प्रस्तुत किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु संयोजनों की संख्या में वृद्धि का एक असामान्य प्रक्षेपण प्रस्तुत किया गया है जो यथार्थपूर्ण प्रतीत नहीं होता। अतएव, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 के वास्तविक पूर्व रूझानों पर आधारित मीटरीकृत शहरी तथा ग्रामीण घरेलू संयोजनों के विक्रय पूर्वानुमानों को संतुलित स्तर (moderated) पर लाया गया है। आयोग द्वारा घरेलू तथा कृषि उपभोक्ताओं की निम्न उपश्रेणियों के विद्युत विक्रय की समीक्षा इस प्रकार की गई है :

(i) घरेलू मीटरीकृत शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ता
(ii) घरेलू अमीटरीकृत शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ता
(iii) कृषि अमीटरीकृत स्थाई उपभोक्ता
(iv) कृषि अमीटरीकृत अस्थाई उपभोक्ता

3.15 **घरेलू मीटरीकृत शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ता (Domestic metered urban and rural consumers)** : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु माहवार तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु अवधि अप्रैल से दिसम्बर, 2011 तक की रूपरेखा जैसी कि यह विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत आर–15 प्रपत्र में दर्शाई गई है, के अन्तर्गत माहवार मीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या में वृद्धि की समीक्षा की गई है। इस रूपरेखा का विस्तार माह मार्च, 2012 की स्थिति में विद्युत वितरण कम्पनियों में उपभोक्ताओं की संख्या के पूर्वानुमान हेतु किया गया है तथा इसी वृद्धि को आगे वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु उपभोक्ताओं की संख्या के पूर्वानुमान हेतु माना गया है। आयोग द्वारा यह पाया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये प्रक्षेपण अत्यधिक हैं। अतः, सामान्य वृद्धि के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2012–13 की खपत के पूर्वानुमान हेतु माहवार उपभोक्ता संख्या को प्राप्त किया गया है। औसत खपत प्रति माह प्रति उपभोक्ता, जैसा कि इसे तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दायर किया गया है, जिसके अन्तर्गत विद्युत प्रदाय घंटों में प्रस्तावित वृद्धि के प्रभाव को भी ध्यान में रखा गया है, को मीटरीकृत ग्रामीण तथा मीटरीकृत शहरी घरेलू उपभोक्ताओं हेतु विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान हेतु माना गया है।

3.16 **घरेलू अमीटरीकृत शहरी तथा ग्रामीण उपभोक्ता (Domestic unmetred urban and rural consumers)** : घरेलू अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान के संबंध में, आयोग द्वारा शहरी क्षेत्र हेतु इसे बिना किसी परिवर्तन के 77 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इसे 30 यूनिट से बढ़ाकर 42 यूनिट प्रति उपभोक्ता प्रति माह रखे जाने का निर्णय लिया गया है। उपभोक्ताओं की इस उपश्रेणी के सन्तुलित (moderate) विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु दाखिल की गई उपभोक्ता संख्या को माना गया है।

3.17 **कृषि अमीटरीकृत स्थाई उपभोक्ता (Agricultural unmetred permanent consumers)** : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं में यह पाया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा इस उपश्रेणी के विद्युत विक्रय को शहरी क्षेत्र हेतु 1760 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति वर्ष तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 1420 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति वर्ष के प्रस्तावित मानदण्डों के आधार पर प्राक्कलित किया गया है। इस हेतु संतुलित (moderate) विद्युत विक्रय की गणना शहरी उपभोक्ताओं हेतु 1560 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति वर्ष तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं हेतु 1200 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति वर्ष के वर्तमान मानदण्डों के अनुसार की गई है।

3.18 **कृषि अमीटरीकृत अस्थाई उपभोक्ता (Agricultural unmetred temporary consumers)** : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल की गई याचिका में यह पाया गया है कि उनके द्वारा अमीटरीकृत अस्थाई कृषि उपभोक्ताओं हेतु मानदण्डों का पुनरीक्षण चाहा गया है। शहरी क्षेत्र हेतु विद्यमान मानदण्ड 175 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह है जबकि ग्रामीण क्षेत्र हेतु ये मानदण्ड 155 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह हैं। विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा ये मानदण्ड शहरी क्षेत्र हेतु 190 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह तथा ग्रामीण क्षेत्र हेतु 175 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह प्रस्तावित किये गये हैं। इस विशिष्ट श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु दाखिल किये गये आंकड़ों के सूक्ष्म परीक्षण से प्रकट हुआ है कि यद्यपि पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अपनी याचिकाओं में उपरोक्तानुसार मानदण्डों में वृद्धि किये जाने बाबत अनुरोध किया गया है, दाखिल की गई याचिका में विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान हेतु विद्यमान मानदण्डों को ही अपनाया गया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के प्रकरण में यह पाया गया है कि विद्युत विक्रय के पूर्वानुमान में दाखिल किये गये आंकड़ों में विद्यमान मानदण्डों तथा प्रस्तावित में से किसी को भी आधार नहीं माना गया है। अतएव, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु इस विशिष्ट उपश्रेणी के उपभोक्ताओं

हेतु विद्युत के विक्रय को वर्तमान मानदण्डों के आधार पर संतुलित (moderate) किया गया है तथा पूर्व एवं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु विद्युत विक्रय को दाखिल किये गये अनुसार स्वीकार कर लिया गया है।

3.19 विद्युत विक्रय के विवरण जैसा कि इन्हें दाखिल किया गया है तथा स्वीकार किया गया है निम्न तालिका में (मिलियन यूनिट में विक्रय के रूप में) प्रदर्शित किया गया है :

तालिका 15 : घरेलू तथा कृषि विद्युत विक्रय, जैसा कि इन्हें दाखिल किया गया तथा स्वीकार किया गया है (मिलियन यूनिट में)

सरल क्रमांक	श्रेणी	क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	विक्रय प्रक्षेपण दाखिल किये गये अनुसार	आयोग द्वारा स्वीकृत विद्युत विक्रय	अन्तर
1	घरेलू मीटरीकृत–शहरी	मध्य	2,266.65	1,789.41	-477.24
		पश्चिम	2,311.73	2,073.68	-238.05
		पूर्व	1,518.33	1,360.48	-157.85
		सम्पूर्ण राज्य	**6,096.71**	**5,223.57**	**-873.14**
2	घरेलू मीटरीकृत–ग्रामीण	मध्य	568.520	153.10	-415.42
		पश्चिम	1,062.02	701.10	-360.92
		पूर्व	1,030.61	566.21	-464.40
		सम्पूर्ण राज्य	**2,661.15**	**1,420.41**	**-1,240.74**
3	घरेलू मीटरीकृत–शहरी	मध्य	16.76	23.37	6.61
		पश्चिम	2.70	1.43	-1.27
		पूर्व	26.01	18.05	-7.96
		सम्पूर्ण राज्य	**45.47**	**42.85**	**-2.62**
4	घरेलू मीटरीकृत–ग्रामीण	मध्य	205.19	224.81	19.62
		पश्चिम	161.03	114.63	-46.40
		पूर्व	718.25	498.47	-219.78
		सम्पूर्ण राज्य	**1,084.47**	**837.91**	**-246.56**
5	**घरेलू योग**	**मध्य**	**3,247.19**	**2,380.77**	**-866.43**
		पश्चिम	**3,646.21**	**2,999.57**	**-646.64**
		पूर्व	**3,293.20**	**2,443.21**	**-849.99**
		सम्पूर्ण राज्य	**10,186.60**	**7,823.55**	**-2,363.06**
6	कृषि अमीटरीकृत स्थाई – शहरी	मध्य	137.36	121.75	-15.61
		पश्चिम	150.30	133.22	-17.08
		पूर्व	75.43	66.88	-8.55
		सम्पूर्ण राज्य	**363.09**	**321.85**	**-41.24**
7	कृषि अमीटरीकृत स्थाई – ग्रामीण	मध्य	1,868.00	1,578.60	-289.40
		पश्चिम	3,582.94	3,027.84	-555.10

		पूर्व	728.87	615.94	-112.93
		सम्पूर्ण राज्य	**6,179.81**	**5,222.38**	**-957.43**
8	कृषि अमीटरीकृत अस्थाई – शहरी	मध्य	30.50	30.50	0.00
		पश्चिम	42.35	37.05	-5.30
		पूर्व	26.84	26.84	0.00
		सम्पूर्ण राज्य	**99.69**	**94.39**	**-5.30**
9	कृषि अमीटरीकृत अस्थाई – ग्रामीण	मध्य	969.37	969.37	0.00
		पश्चिम	1,249.39	1,106.60	-142.79
		पूर्व	584.30	584.30	0.00
		सम्पूर्ण राज्य	**2,803.06**	**2,660.27**	**-142.79**
10	**कृषि योग**	**मध्य**	**3005.23**	**2700.22**	**-305.01**
		पश्चिम	**5024.98**	**4304.71**	**-720.27**
		पूर्व	**1415.44**	**1293.96**	**-121.48**
		सम्पूर्ण राज्य	**9,445.65**	**8,298.89**	**-1,146.76**
11	**महायोग**	**मध्य**	**6,252.42**	**5,080.99**	**-1,171.44**
		पश्चिम	**8,671.19**	**7,304.28**	**-1,366.91**
		पूर्व	**4,708.64**	**3,737.17**	**-971.47**
		सम्पूर्ण राज्य	**19,632.25**	**16,122.44**	**-3,509.85**

3.20 तद्नुसार, उपभोक्ताओं की घरेलू तथा कृषि श्रेणियों हेतु संतुलित विद्युत विक्रय की मात्राएं निम्न तालिका में दर्शाई गई हैं।

तालिका 16 : घरेलू तथा कृषि संबंधी विद्युत विक्रय, जैसा कि इसे दाखिल किया गया तथा स्वीकार किया गया (मिलियन यूनिट में)

विद्युत वितरण कम्पनियों के नाम	घरेलू		कृषि	
	दाखिल किया गया	स्वीकार किया गया	दाखिल किया गया	स्वीकार किया गया
पूर्व क्षेविविकं	3,293.20	2,443.21	1415.44	1293.96
पश्चिम क्षेविविकं	3,646.21	2,999.57	5024.98	4304.71
मध्य क्षेविविकं	3,247.19	2,380.77	3005.23	2700.22
राज्य हेतु योग	**10,186.60**	**7,823.55**	**9445.65**	**8298.89**

3.21 आयोग द्वारा घरेलू तथा कृषि श्रेणियों हेतु विद्युत विक्रय की स्वीकृति पूर्व के परिच्छेदों में दर्शाये गये कारणों के अनुसार आंकड़ों को संतुलित (moderation) करते हुए की गई है। आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अन्य श्रेणियों द्वारा दाखिल किये गये अनुसार ही विद्युत विक्रय को स्वीकृति प्रदान की गई है। तद्नुसार, आयोग द्वारा प्रक्षेपित विद्युत विक्रय पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु 8900.92 मिलियन यूनिट, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु 13313.12 मिलियन यूनिट तथा मध्य क्षेत्र विद्युत

वितरण कम्पनी हेतु 9763.94 मिलियन यूनिट स्वीकृत किये गये हैं। आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कुल विद्युत विक्रय दाखिल किये गये 35487.83 मिलियन यूनिट के विरूद्ध 31977.98 मिलियन यूनिट ही स्वीकार किया गया है। श्रेणीवार स्वीकृत किया गया विद्युत विक्रय निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 17 : स्वीकार की गई विद्युत विक्रय की मात्रा (मिलियन यूनिट में)

उपभोक्ता श्रेणियां	2012–13			
निम्न दाब	**पूर्व क्षेत्र विविकं.**	**पश्चिम क्षेत्र विविकं.**	**मध्य क्षेत्र विविकं.**	**कुल**
एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता	2458.8	3044.4	2396.0	7899.2
एलवी–2 : गैर–घरेलू उपभोक्ता	594.8	782.8	679.6	2057.2
एलवी–3 : सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	292.0	264.4	321.0	877.4
एलवी–4 : औद्योगिक	319.8	506.2	241.6	1067.6
एलवी–5.1 : कृषि हेतु सिंचाई पम्प	2013.3	4434.1	3386.7	9834.1
एलवी–5.2 : ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी उपयोग	1.2	8.4	2.0	11.6
निम्न दाब के विक्रित यूनिट (मिलियन यूनिट में)	**5680.0**	**9040.2**	**7026.8**	**21747.0**
उच्च दाब				
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	591.5	396.1	744.3	1731.9
एचवी–2 : कोयला खदानें (कोल माईन्स)	497.0	0.0	34.0	531.1
एचवी–3.1 : औद्योगिक	1425.5	3248.5	1429.9	6599.6
एचवी 3.2 : गैर–औद्योगिक	230.6		265.0	
एचवी–4 : मौसमी (सीजनल)	5.8	10.0	1.0	16.8
एचवी–5 : सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय तथा अन्य कार्य	77.3	441.0	78.0	596.3
एचवी–6 : थोक आवासीय प्रयोक्ता	393.2	6.7	184.9	584.9
एचवी–7 : छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	0.0	170.5	0.0	170.5
उच्च दाब के विक्रित यूनिट (मिलियन यूनिट में)	**3221.0**	**4272.9**	**2737.1**	**10231.0**
कुल निम्न दाब + उच्च दाब (मिलियन यूनिट में)	**8900.9**	**13313.1**	**9764.0**	**31978.0**

3.22 आयोग द्वारा विद्युत विक्रय के प्रक्षेपणों पर उपरोक्त परिच्छेदों में की गई व्याख्या के अनुसार विचार किया है। आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित बढ़ी हुई विद्युत प्रदाय अवधि में बढ़ोत्तरी के कारण प्रति व्यक्ति विद्युत विक्रय में प्रक्षेपित वृद्धि पर विचार किया गया है। आयोग विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश देता है कि वे टैरिफ अवधि के दौरान उपभोक्ताओं की किसी भी श्रेणी हेतु विद्युत प्रदाय को अनुचित तौर पर प्रतिबंधित न करें। अतएव, ऐसी दशा में जब विद्युत प्रदाय की वास्तविक आवश्यकता आयोग द्वारा स्वीकृत की गई मात्रा इस टैरिफ आदेश के अन्तर्गत विद्युत के विक्रय या विद्युत अधिप्राप्ति के प्रेक्षपणों से अधिक हो तो अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा

वांछित विद्युत प्रदाय की व्यवस्था हेतु त्वरित कदम उठाये जाएं जिनमें मध्यम या लघु–अवधि क्रय भी शामिल है। अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य की समस्त श्रेणियों के उपभोक्ताओं हेतु पर्याप्त विद्युत प्रदाय हेतु सदैव सभी संभव प्रयास भी करने होंगे। तथापि, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस प्रकार की विद्युत अधिप्राप्ति हेतु सुसंबद्ध विनियमों/ दिशा–निर्देशों की अर्हताओं का परिपालन भी सुनिश्चित करना होगा।

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित किया गया ऊर्जा संतुलन एवं विद्युत विक्रय (Energy Balance and Power Purchase as Proposed by the Licensees)

3.23 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यह दावा किया गया है कि उनके द्वारा प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिभागियों से उपलब्ध जानकारी का प्रयोग विद्युत क्रय की लागत की गणना हेतु, उनकी राजस्व आवश्यकता की गणना हेतु किया गया है। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने आयोग को उन्हें अनुज्ञेय की जाने वाली विद्युत क्रय लागत की गणना करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाये जाने का भी अनुरोध किया है। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आयोग को अद्यतन जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया गया है यदि एमपी जनको, एमपी ट्रांसको तथा एमपी ट्रेडको द्वारा उन्हें अनुवर्ती तौर ऐसी जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है।

3.24 अनुज्ञप्तिधारियों ने क्षमता का प्रतिशत आवंटन (अर्थात् भारित औसत पूर्व क्षेत्र विवि कं हेतु 30.51% पश्चिम क्षेत्र विवि कं हेतु 37.33% तथा मध्य क्षेत्र विविकं हेतु 32.15% के आधार पर) शासन के पत्र दिनांक 16 मई, 2011 के अनुसार वर्ष 2012–13 के लिए क्षमता आवंटन, पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी को उन्हें आवंटित केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशनों से बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु 200 मेगावाट ऊर्जा अंशदान को शामिल करते हुए माना है। पूर्व, पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र वितरण कंपनियों ने उपरोक्त दर्शाये गये आवंटन के अनुसार निम्न मदों की गणना के विवरण प्रस्तुत किये हैं :

- समस्त स्त्रोतों से मासिक उपलब्ध विद्युत ऊर्जा
- विद्युत उत्पादकों को देय वार्षिक स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार
- विद्युत उत्पादकों को प्रोत्साहनों, आयकर, शुल्कों आदि के कारण किये जाने वाले अनुमानित भुगतान; तथा
- भुगतान किये जाने वाले अनुमानित अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार

3.25 तीन विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा 35,488 मिलियन यूनिट विद्युत विक्रय हेतु कुल 49358 मिलियन यूनिट विद्युत की आवश्यकता दाखिल की गई है। विद्युत वितरण कंपनीवार विभाजन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 18 : वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
निम्न दाब श्रेणी को विक्रित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	6,651	10,407	8,198
उच्च दाब श्रेणी को विक्रित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	3,221	4,273	2,737
विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विक्रित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	9,872	14,680	10,935
वितरण हानि (प्रतिशत में)	24.00%	22.00%	26.00%
वितरण अन्तर्मुख पर आहरित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	12,990	19,042	14,801
पारेषण हानि (प्रतिशत में)	3.74%	3.74%	3.74%
उत्पादन–पारेषण अन्तर्मुख पर आहरण (मिलियन यूनिट में)	13,495	19,782	15,377
बाह्य हानि (मिलियन यूनिट में)	252	234	217
कुल क्रय किये गये यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	13,747	20,016	15,594

3.26 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अपनी आवश्यकता का प्रक्षेपण, माहवार प्रक्षेपित की गई वितरण हानियों को संकलित करते हुए किया गया है, जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई वित्तीय वर्ष 2012–13 के वार्षिक हानि प्रक्षेप वक्र (annual loss trajectory) के अनुरूप नहीं हैं। इस संबंध में दाखिल किये गये विवरण निम्नानुसार हैं :

तालिका 19 : दाखिल किये गये मासिक हानि प्रतिशत

सरल क्रमांक	माह	वित्तीय वर्ष 2012–13		
		पूर्व क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं.
1	अप्रैल	24.44%	25.23%	25.92%
2	मई	23.83%	25.85%	25.13%
3	जून	19.81%	19.40%	24.54%
4	जुलाई	21.76%	11.20%	24.38%
5	अगस्त	24.39%	9.44%	25.98%
6	सितम्बर	24.32%	13.54%	25.93%
7	अक्टूबर	25.79%	29.60%	27.19%
8	नवम्बर	25.26%	31.42%	27.42%
9	दिसम्बर	25.87%	25.67%	26.98%
10	जनवरी	25.33%	27.48%	27.63%
11	फरवरी	21.78%	23.89%	26.06%
12	मार्च	25.43%	21.38%	24.83%
13	**वर्ष हेतु दाखिल की गई औसत हानियां (अंकगणितीय औसत)**	**24.00%**	**22.00%**	**26.00%**
14	**वर्ष हेतु कुल हानियां जिनकी गणना माहवार दाखिल की गई प्रतिशत हानियों के आधार पर की गई है**	**24.14%**	**22.91%**	**26.12%**
15	**विनियमों में विनिर्दिष्ट किये गये अनुसार**	**24.00%**	**22.00%**	**26.00%**

3.27 प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा माहवार आधारित दाखिल की गई कुल हानियों तथा अंकगणितीय औसत को आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये गये मानदण्डों के अनुसार बिठला (fit) दिया गया है। यह क्रियाविधि युक्तिसंगत नहीं है जैसा कि यह उपरोक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है।

3.28 वर्तमान विनियमों के अनुसार पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की मानदण्डीय हानि 24% है। तथापि, पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी ने निवेदन किया है कि विनियमों की अधिसूचना के पश्चात् एक महत्वपूर्ण वस्तुपरक परिवर्तन हुआ है जिसके अनुसार चार ग्रामीण विद्युत सहकारी सोसायटियों (Rural Electricity Cooperative Societies-RECS) के विद्युत व्यापार का अधिग्रहण अनुज्ञप्तिधारी कम्पनी द्वारा कर लिया गया है तथा इन सोसायटियों के उपभोक्ता अब अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता बन चुके हैं। चूंकि इन सोसायटियों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र उच्च हानियों से ग्रस्त थे, विद्युत वितरण कम्पनी की वितरण हानियां 2.35% बढ़ चुकी हैं। अतएव, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु मानदण्डीय हानि स्तर को पुनरीक्षित किया जाए तथा इसे 24% के स्थान पर 26.35% माना जाए। वित्तीय वर्ष 2011–12 की याचिका के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसी के अनुरूप एक दावा प्रस्तुत किया गया था जिसे आयोग द्वारा विचारोपरांत निरस्त कर दिया गया था। आयोग ऐसी स्थिति में इस दावे को औचित्यपूर्ण नहीं मानता।

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन (Assessment of Energy Availability by Discoms)

3.29 अनुज्ञप्तिधारियों ने विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता के आकलन का दावा ट्रेडको (मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी) के साथ उनके द्वारा की गई चर्चा के आधार पर किया है तथा भविष्यगामी प्रक्षेपण पिछले तीन वर्षों की औसत उपलब्धता के आधार पर किये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारियों ने यह भी दावा किया है कि भविष्यगामी वर्षों के लिये ऊर्जा की उपलब्धता के प्रक्षेपण वित्तीय वर्ष 2012–13 में क्रियाशील होने वाले नवीन स्टेशनों से उपलब्धता के आधार पर किये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भविष्य की क्षमताओं से उपलब्धता के पूर्वानुमानों के संबंध में उपयोग की गई अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :

(ए) कोयला आधारित स्टेशनों हेतु संयंत्र भार कारक (Plant Load Factor-PLF) 85% माना गया है

(बी) गैस आधारित स्टेशनों हेतु संयंत्र भार कारक (Plant Load Factor-PLF) 68% माना गया है (क्योंकि वर्तमान में गैस की उपलब्धता काफी असन्तोषजनक है)

(सी) कोयला आधारित स्टेशनों हेतु सहायक खपत (auxiliary consumption) 8.5% मानी गई है

(डी) गैस आधारित स्टेशनों हेतु सहायक खपत 3% मानी गई है

(ई) उपलब्धता के संबंध में पूर्वानुमान, किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान प्रचालन के महीनों की संख्या के आधार के पूर्व रूझान के आधार पर, संयंत्रों से ऊर्जा की उपलब्धता के आधार पर किया गया है

3.30 प्रत्येक ऊर्जा स्त्रोत से दाखिल की गई वार्षिक ऊर्जा की उपलब्धता, निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 20 : वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एक्स–बस दाखिल की गई स्थाई ऊर्जा उपलब्धता (Firm energy availability)

सरल क्रमांक	विद्युत उत्पादन स्टेशन	स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	राज्य को कुल आवंटन (मेगावाट में)	राज्य को कुल आवंटन (%में)	एसबस मासिक उपलब्धता (मिलियन यूनिट में) कुल वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु
	केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन				
1	पश्चिमी क्षेत्र–केएसटीपीएस	2100.00	484.45	23.07%	3,646.2
2	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–I	1260.00	441.10	35.01%	3,203.7
3	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–II	1000.00	317.72	31.77%	2,387.9
4	पश्चिमी क्षेत्र–कवास जीपीपी	656.20	140.00	21.33%	721.4
5	पश्चिमी क्षेत्र–गंधार जीपीपी	657.39	117.00	17.80%	640.6
6	पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	440.00	110.34	25.08%	323.0
7	पश्चिमी क्षेत्र–तारापुर एपीएस	1080.00	229.87	21.28%	1,120.0
8	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस III	1000.00	246.19	24.62%	1,907.8
9	पश्चिमी क्षेत्र–सीपत–II	1000.00	189.19	18.92%	1,374.7
10	पूर्वी क्षेत्र–फरक्का एसटीपीएस	1600.00	0.00	0.00%	-
11	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस	840.00	0.00	0.00%	-
12	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपी एस–II	1500.00	74.98	5.00%	328.9
13	पूर्वी क्षेत्र–तालचेर एसटीपीएस	1000.00	0.00	0.00%	-
14	दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस)	500.00	200.00	40.00%	559.7
	उप–योग	**14633.59**	**2550.83**	**17.43%**	**16214.0**
	राज्य विद्युत उत्पादक स्टेशन				
	ताप विद्युत				
1	अमरकंटक काम्पलेक्स	240.00	240.00	100.00%	501.6
2	अमरकंटक विस्तार	210.00	210.00	100.00%	1,128.2
3	सतपुड़ा टीपीएस I, II, III	1142.50	1017.51	89.06%	4,985.1

4	एसजीटीपीएस विस्तार	500.00	500.00	100.00%	3,324.5
5	एसजीटीपीएस	840.00	840.00	100.00%	3,790.8
	उप–योग	**2932.50**	**2807.51**	**95.74%**	**13730.2**
	जल विद्युत				
	अन्तर्राज्यीय				
1	गांधी सागर	115.00	57.50	50.00%	50.1
2	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	271.00	135.50	50.00%	151.8
3	पेंच	160.00	106.67	66.67%	223.8
4	राजघाट	45.00	22.50	50.00%	40.6
	उप–योग	**591.00**	**322.17**	54.51%	**466.3**
	पूर्ण मप्र आवंटन				
1	बरगी	100.00	100.00	100.00%	322.0
2	बिरसिंहपुर	20.00	20.00	100.00%	29.6
3	बाण सागर–I	315.00	315.00	100.00%	820.8
4	बाण सागर–II	30.00	30.00	100.00%	-
5	बाण सागर–III	60.00	60.00	100.00%	-
6	बाण सागर–IV	20.00	20.00	100.00%	14.1
7	मढ़ीखेड़ा	60.00	60.00	100.00%	37.6
	उप–योग	**605.00**	**605.00**	100.00%	**1224.1**
	द्विपक्षीय तथा अन्य				
1	इन्दिरा सागर	1000.00	1000.00	100.00%	2,193.2
2	**अपारंपरिक–पवन विद्युत उत्पादन**	**0.00**	**0.00**		156.7
3	**कैप्टिव**	**0.00**	**0.00**		-
4	सरदार सरोवर	1450.00	826.50	57.00%	1,743.8
5	ओंकारेश्वर	520.00	520.00	100.00%	1,028.4
6	राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (चम्बल, सतपुड़ा)	**0.00**	**0.00**		517.9
7	रिहंद, माताटीला, यूपीपीसीएल	**0.00**	**0.00**		125.5
	उप–योग	**2970.00**	**2346.50**	79.01%	**5765.6**
	महायोग	**21732.09**	**8632.01**	39.72%	**37400.0**

3.31 वर्तमान में एमपी पावर जनरेटिंग कम्पनी को आवंटित किये गये विद्युत उत्पादक स्टेशनों से 6883 मिलियन यूनिट अस्थाई ऊर्जा (Infirm Energy) उपलब्ध कराई जाएगी। प्रक्षेपित उपलब्धता संबंधी विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 21 : एमपी ट्रेडको को आवंटित विद्युत उत्पादक स्टेशन

विद्युत उत्पादक स्टेशन	उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)
सीपत चरण–प्रथम, बिलासपुर	1422
दामोदर वैली कार्पोरेशन विस्तार (चन्द्रपुर, बोकारो, झारखण्ड)	1056
दामोदर वैली कार्पोरेशन दुर्गापुर स्टील टीपीएस, पश्चिम बंगाल	341

बीना पॉवर, सागर*	1257
बीएलए पावर, नरसिंहपुर	139
एनटीपीसी कोरबा III	557
आईपीपी टोरंट	652
सिंगाजी टीपीपी चरण–I, खण्डवा (अंशदान–100%)	275
नवकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy)	292
सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र विस्तार, बैतूल (अंशदान=100%)	891
योग	**6883**

**अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण (additional submission) के माध्यम से पूर्व में दाखिल किये गये 1257 मिलियनयूनिट को 800 मिलियन यूनिट पुनरीक्षित कर दिया गया है।*

3.32 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निवेदन किया गया है कि उपरोक्त दर्शाई गई ऊर्जा की उपलब्धता निम्न कारकों पर आधारित है :

- पश्चिमी क्षेत्र पावर समिति (Western Region Power Comitteee-WRPC) के पत्र क्रमांक WRPC/Comm/1/6/Alloc/2011 दिनांक 17 अक्टूबर, 2011 के अनुसार केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से मध्यप्रदेश राज्य को क्षमता का आवंटन।
- प्रस्तावित आने वाली भविष्यगामी क्षमता को ट्रेडको को आवंटित कर दिया गया है तथा विद्युत वितरण कम्पनीवार उपलब्धता की गणना चालू विद्यमान क्षमताओं हेतु की गई है।
- वैयक्तिक स्टेशनों के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य की तीन विद्युत वितरण कम्पनियों की क्षमता का आवंटन मप्र शासन राजपत्र की सूचना पर आधारित है।

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत क्रय लागत (स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत) का आकलन {Assesment of power Purchase Cost (Fixed and Variable Cost) by the Discom}

विद्यमान स्टेशनों हेतु (For Existing Stations)

3.33 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निवेदन किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु मप्र विद्युत उत्पादन कम्पनियों के स्टेशनों हेतु स्थाई लागतें (Fixed Costs) मप्रविनिआ द्वारा समय–समय पर जारी टैरिफ आदेश के अनुसार रखी गई हैं। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपनी याचिकाओं में यह भी निवेदन किया गया है कि केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों तथा एनएचडीसी के इन्दिरा सागर तथा ओंकारेश्वर जल विद्युत स्टेशनों की स्थाई लागतों को केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के नवीनतम उपलब्ध आदेशों से लिया गया है।

3.34 एमपी जनको तथा केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों हेतु {ईंधन लागत समायोजन (FPA) को सम्मिलित करते हुए} को वित्तीय वर्ष 11 तथा वित्तीय वर्ष 12 (माह जुलाई 11 के बिल के अनुसार) के बिलों के आधार पर माना गया है। इन लागतों में तत्पश्चात् केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31

मार्च, 2011 के अनुसार निर्दिष्ट की गई वार्षिक दरों के अनुसार बढ़ोत्तरी की गई है। ईंधन लागत समायोजन (FPA) तथा अन्य परिवर्तनीय प्रभारों को वित्तीय वर्ष–11 के बिलों से लिया गया है तथा इनमें परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट के अनुसार इसी विधि द्वारा बढ़ोत्तरी की गई है। वित्तीय वर्ष 2011 हेतु, इन लागतों को आधार मूल्य (base value) माना गया है क्योंकि इन लागतों का भुगतान विशिष्ट रूप से वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। चूंकि वित्तीय वर्ष 2012 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतएव वित्तीय वर्ष 2011 के आंकड़ों को आधार मान लिया गया है। कैप्टिव पावर संयंत्र/पवन विद्युत उत्पादकों के परिवर्तनीय प्रभारों को वित्तीय वर्ष 2011 के वास्तविक बिलों के आधार पर लिया गया है।

3.35 केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र के नवीन स्टेशन, जो चालू वर्ष के दौरान राज्य को उपलब्ध हो जाएंगे, हेतु निम्न कार्यविधि अपनाई गई है :

अ) सीपत I हेतु, स्थाई लागत (Fixed Cost) केविनिआ के अनन्तिम आदेश (provisional order) दिनांक 3.11.2011 के अनुसार अपनायी गयी है तथा परिवर्तनीय लागत को माह अप्रैल से नवम्बर 2011 के औसत बिलों से लिया गया है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तनीय लागत में 6.66% की दर से वृदि की गई है।

ब) दामोदर वैली कार्पोशन (डीवीसी) चन्द्रपुर तथा दुर्गापुर हेतु, डीवीसी मेजीया की एकल भाग विद्युत–दर (टैरिफ) (Single part tariff) अपनायी गयी है क्योंकि इस विशिष्ट स्टेशन हेतु लागत की अवधारणा हेतु कोई विकल्प विद्यमान नहीं थे।

स) सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र (TPP) चरण–एक खण्डवा तथा सतपुड़ा विस्तार हेतु, इन स्टेशनो की विद्युत–दरों को अभी तक अवधारित नहीं किया गया है तथा वर्तमान में इन्हें एमपीजीसीएल की व्यावसायिक योजना (business plan) के प्रक्षेपणों के आधार पर एकल भाग टैरिफ के अनुसार माना गया है।

द) बीना पावर तथा बीएलए पावर हेतु, चूंकि इन संयंत्रों के लिये विद्युत–दरों को अधिसूचित नहीं किया है, अतएव इसे एकल भाग विद्युत–दर रू. 3.50 प्रति यूनिट लिया गया है ; इसके अलावा, अतिरिक्त उपकर (additional cees) दर 8 पैसे/यूनिट भी मानी गई है।

ई) टोरेंट (गैस) हेतु, स्थाई लागतें, केविनिआ के आदेश दिनांक 11.1.2010 तथा परिवर्तनीय लागत माह अप्रैल से नवम्बर 2011 के औसत देयकों के आधार पर ली गई है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तनीय लागत में 6.66% की दर से वृद्धि की गई है।

3.36 विद्युत क्रय लागत के अवधारण के संबंध में, प्रत्येक स्टेशन हेतु स्थाई एवं परिवर्तनीय लागतों के अवधारण के संबंध में निम्नानुसार विचार किया गया है :

अ) संपूर्ण राजस्व आवश्यकता के प्रयोजन हेतु, पूर्व, पश्चिम, मध्य क्षेत्र वितरण कंपनियों की स्थाई लागत के अंशदान को माना गया है।

ब) ईंधन लागत समायोजन (Fuel price Adjustment) का प्रक्षेपण उसी प्रकार किया गया है जैसा कि यह परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट हेतु है तथा इसे उत्पादन लागत के परिवर्तनीय घटक में सम्मिलित किया गया है।

स) नवीन स्टेशनों को स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों का समुच्चय (Pooled) एक साथ किया गया है ताकि औसत थोक विद्युत प्रदाय दर प्राप्त की जा सके जिसके अनुसार एमपीट्रेडको प्रत्येक वैयक्तिक वितरण कंपनी को विद्युत प्रदाय की व्यवस्था करेगी।

3.37 निम्न तालिका समस्त विद्यमान संयंत्रों की लागतों के विवरण, अर्थात् स्थाई लागतें तथा परिवर्तनीय लागतें दर्शाती है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कवास तथा गन्धार स्टेशनों की परिवर्तनीय लागतों के संबंध में भिन्न–भिन्न दरें दाखिल की गई हैं।

तालिका 22 : वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु राज्य के लिये दाखिल की गई स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत

पावर स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु सम्पूर्ण राज्य के लिये	
	कुल स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	परिवर्तनीय लागत (पैसे/किलोवाट ऑवर में)
पश्चिमी क्षेत्र–केएसटीपीएस	215.53	101.41
पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–I	210.03	205.50
पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–II	197.24	182.33
पश्चिमी क्षेत्र– कवास जीपीपी	78.17	266.07
पश्चिमी क्षेत्र– गंधार जीपीपी	84.76	254.06
पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एटोमिक पावर स्टेशन (एपीएस)	0.00	242.41
पश्चिमी क्षेत्र–तारापुर एटोमिक पावर स्टेशन (एपीएस)	0.00	309.17
पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस –III	227.24	188.19
पश्चिमी क्षेत्र– सीपत–II	171.20	103.71
पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस –II	35.50	277.37
दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस)	122.00	294.00
राज्य विद्युत उत्पादक स्टेशन		
ताप विद्युत		
अमरकंटक काम्प्लेक्स	34.66	149.20
अमरकंटक विस्तार	171.61	123.00
सतपुड़ा टीपीएस चरण–I, II, तथा III	281.73	179.40
एसजीटीपीएस विस्तार	407.95	250.90
एसजीटीपीएस	293.43	273.80
जल विद्युत		
अन्तर्राज्यीय		
गांधी सागर	1.38	127.39
राणा प्रताप सागर तथा जवाहर सागर	0.00	161.06

पेंच	5.92	31.54
राजघाट	3.08	137.84
सम्पूर्ण मप्र राज्य आवंटन		
बरगी	7.46	44.58
बिरसिंहपुर	1.48	145.55
बाण सागर–I	57.39	101.07
बाण सागर–II	0.00	0.00
बाण सागर–III	0.00	0.00
बाण सागर–IV	0.00	292.80
मढ़ीखेड़ा	4.29	265.58
द्विपक्षीय तथा अन्य		
इन्दिरा सागर	545.32	54.34
अपारंपरिक पवन विद्युत उत्पादन	0.00	435.00
कैप्टिव	0.00	245.00
सरदार सरोवर	159.71	96.37
ओंकारेश्वर	286.22	52.73
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (चम्बल, सतपुड़ा)	0	443.00

भविष्यगामी क्षमताओं हेतु लागत संबंधी विवरण (Details of costs for future capacities)

3.38 ऐसी समस्त भविष्यगामी क्षमताओं के संबंध में, जिन्हें भविष्य में क्रियाशील किया जाना प्रस्तावित किया गया है, हेतु दरें निम्न तालिका में दर्शाये गये अनुसार मानी गई हैं। निम्न तालिका विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उनके अनुवर्ती प्रस्तुतिकरण में दायर की गई दरें तथा अन्य विवरण प्रदर्शित करती हैं :

तालिका 23 : भविष्यगामी क्षमताओं हेतु लागत

विवरण	स्थाई लागतें (करोड़ रूपये में)	ऊर्जा प्रभार (रू. किलोवाट ऑवर में) (आगामी वर्षों हेतु बढ़ाये गयेअनुसार)	आधार
एनटीपीसी सीपत–चरण एक	179.19	0.96	केविनिआ के अनन्तिम आदेश दिनांक 3.11.11 के अनुसार तथा परिवर्तनीय लागत, देयकों के अनुसार (माह अप्रैल से नवम्बर, 2011 हेतु औसत किये गये अनुसार)
डीवीसी (चन्द्रपुर टीपीएस विस्तार)	232.15	2.94	परिवर्तनीय प्रभारों में स्थाई प्रभार भी शामिल है तथा इन्हें वास्तविक देयकों से प्राप्त किया गया है

पीटीसी–टोरेंट सूरत (गैस)	68.68	2.63	केविनिआ के आदेश के अनुरूप
डीवीसी दुर्गापुर स्टील टीपीएस पश्चिम	75.22	2.94	परिवर्तनीय प्रभारों में स्थाई प्रभार भी शामिल है तथा इन्हें वास्तविक देयकों से प्राप्त किया गया है
बीना पावर, सागर	0.00	3.58	ये दरें एकल भाग टैरिफ के रूप में एमपीपीजीसीएल की व्यावसायिक योजना में किये गये पूर्वानुभानों के अनुसार मानी गई हैं

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत क्रय लागत के अन्य घटकों का आकलन (Assessment of Other Elements of Power Purchase Cost by the Discoms)

विद्यमान क्षमताओं से संबद्ध अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार (Inter-State Transmission Charges associated with existing capacities) :

3.39 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतानयोग्य अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों (पीजीसीआईएल लागत) में पश्चिमी क्षेत्र (Western Region) तथा पूर्वी क्षेत्र (Eastern Region) के पारेषण प्रणाली हेतु भुगतान किये जाने वाले प्रभार शामिल हैं। ट्रेडको द्वारा वित्तीय वर्ष 13 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत रू. 625 करोड़ उपलब्ध कराई गई है। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कुल पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) लागत को पारेषण प्रभारों का आवंटन प्रतिशत आधार पर किया गया है जिसे पूर्व क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र स्टेशनों तथा सरदार सरोवर परियोजना (जो पीजीसीआईएल नेटवर्क से संयोजित है) से प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, भारित औसत क्षमता तथा आवंटन प्रतिशत से प्राप्त किया गया है। अनुज्ञप्तिधारियों ने वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु निम्नलिखित प्रक्षेपित लागतों का दावा किया है :

तालिका 24 : दाखिल किये गये अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)

विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2012–13 (विनियमों के अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2012–13 (अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार)
मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	188.41	188.41
मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	223.34	223.34
मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	213.25	213.25
योग	**625.00**	**625.00**

नवीन एवं उदीयमान क्षमताओं से संबद्ध अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार (Inter State Transmission Charges associated with new and upcoming capacities) :

3.40 नवीन एवं उदीयमान (upcoming) क्षमताओं हेतु पारेषण प्रभारों का प्रक्षेपण प्राक्कलन आधार पर किया गया है। इनका भुगतान ट्रेडको द्वारा किया जाएगा। केन्द्रीय क्षेत्र में क्षमता परिवर्धनों के आधार पर, मप्र ट्रेडको द्वारा देय पीजीसीआईएल प्रभार निम्नानुसार

हैं जिन्हें थोक विद्युत प्रदाय दर, जिसके अनुसार मप्रट्रेडको विद्युत वितरण कंपनियों हेतु उनकी आवश्यकतानुसार विद्युत का विक्रय करेगी, को भी सम्मिलित किया गया है :

तालिका 25 : मप्र ट्रेडको द्वारा भुगतानयोग्य पीजीसीआईएल प्रभार (करोड़ रूपये में)

एमपी ट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य पीजीसीआईएल प्रभार	वित्तीय वर्ष 2012–13
नवीन एवं उदीयमान केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों हेतु पीजीसीआईएल प्रभार	47.73

राज्यांतरिक पारेषण प्रभार (Intra- State Transmission Charges)

3.41 वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु मप्र पारेषण कम्पनी लागत (MP Transco Cost) हेतु कोई टैरिफ आदेश प्रचलन में नहीं है। अतएव राज्यान्तरिक पारेषण लागत, अर्थात् (MP Transco Cost) खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुरूप ही माना गयी है। दाखिल किये गये विवरण निम्नानुसार हैं :

तालिका 26 : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु दाखिल किये गये राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा भुगतान योग्य वार्षिक मप्र ट्रासमिशन कं लि प्रभार	वित्तीय वर्ष 2012–13 (विनियमों के अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2012–13 (अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार)
मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	371	702
मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	400	765
मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	448	792
योग	**1219**	**2259**

3.42 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दाखिल की गई कुल विद्युत क्रय की लागत निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 27 : दाखिल की गई कुल विद्युत प्रदाय लागत (राशि करोड़ रूपये में)

विद्युत प्रदाय लागत का तुलनात्मक अध्ययन (लागत करोड़ रूपये में)							
विद्युत क्रय लागत के विवरण		पूर्व क्षेविविकं		पश्चिम क्षेविविकं		मध्य क्षेविविकं	
		विनियमों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार	विनियमों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार	विनियमों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार
ए	एक्सबस क्रय किये गये यूनिट (एमयू)	13,772	14,202	20,016.05	20,016.05	15,594	15,594
बी	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	1,079	1,079	1,286.28	1,286.28	1115.08	1115.08
सी	परिवर्तनीय लागत (करोड़ रूपये में)	2,953	3,174	5,948.34	5,903.39	3,655	3,635
डी	एमपी ट्रेडको ट्रेडिंग मार्जिन (4 पैसे यूनिट की दर से, अतिरिक्त)	30	57	36.87	80.06	31.75	62.38
ई=बी+सी+डी	'एक्स–बस' कुल विद्युत क्रय लागत	4,062	4,310	7,271	7,270	4,802	4,812

	(करोड़ रूपये में)						
इ/ए	विद्युत क्रय की दर (रूपये /किलोवाट)	2.95	3.03	3.63	3.63	3.08	3.09
एच	बाह्य हानियां (एमयू)	252	252	234.49	234.49	217.48	217.48
आई	अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत (करोड़ रूपये में)	213	213	223.34	223.34	188.41	188.41
जे=(ए–एच)	राज्य सीमा पर क्रय किये गये यूनिट (मिलियन यूनिट)	13,519	13,952	19,781.56	19,781.56	15,377	15,377
के=(आई–ई)	राज्य सीमा पर कुल क्रय लागत (करोड़ रूपये में)	4,275	4,523	7,494,83	7,493.07	4,990	5,001
के/जे	राज्य सीमा पर विद्युत क्रय की लागत (रूपये/किलोवाट)	3.16	3.24	3.79	3.79	3.25	3.25

3.43 उपरोक्त विद्युत क्रय की लागत के अतिरिक्त अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ट्रेडको प्रभारों का दावा भी किया गया है, जिनमें शामिल है, साख–पत्र प्रभार (LC charges), वार्षिक शुल्क (Annual Fees), खुली पहुंच (Open access), ब्याज तथा बैंक प्रभार, वेतन प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय, विद्युत के विक्रय पर छूट (rebate) तथा बैकिंग पर व्यापार मार्जिन (trading margin) जिसकी लागत रू. 98.75 करोड़ है।

ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Energy Balance and Power Purchase)

वितरण हानियां (Distribution Losses)

3.44 आयोग द्वारा टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत प्रदाय चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत संबंधी विनियम माह दिसम्बर 2009 में अधिसूचित किये गये हैं। विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया वितरण हानि स्तर प्रक्षेप–वक्र (Trajectory) निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 28 : विनियमों के अनुसार हानि के लक्ष्य (प्रतिशत में)

सरल क्रमांक	वितरण अनुज्ञप्तिधारी	वित्तीय वर्ष 2010–11	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13
1.	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	30%	27%	**24%**
2.	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	26%	24%	**22%**
3.	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	33%	29%	**26%**

3.45 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु वितरण हानियों को उपरोक्त तालिका में दर्शायेनुसार ध्यान में रखा गया है। आयोग द्वारा यह संज्ञान में लिया गया है कि अनुज्ञप्तिधारियों के प्रस्तुतिकरण, केवल पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को छोड़कर,

विनियमों के उपबंधों के अनुरूप प्रतुत किये गये हैं। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु शीर्ष ''अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण'' के अन्तर्गत प्रक्षेपित वितरण हानियों को दायर करते समय सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता विनियमों के उपबन्धों के अनुसार दायर नहीं की गई है तथा 24% प्रतिशत मानदण्डीय स्तर के विरूद्ध 26.35 प्रतिशत हानि स्तर का दावा किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता संबंधी याचिका में भी आयोग द्वारा अधिसूचित मानदण्डीय वितरण हानि स्तर को 29.35 प्रतिशत तक वृद्धि किये जाने हेतु पुनर्विचार किये जाने का निवेदन किया गया था। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु दिनांक 23 मई, 2011 को जारी विद्युत–दर आदेश में उल्लेख किया गया था कि आयोग प्रस्तावित की गई वृद्धि को युक्तिसंगत नहीं मानता। आयोग यहां पर स्पष्ट कर देना चाहता है कि हानि वक्र (loss trajectory) में नियन्त्रण अवधि के लिये आयोग द्वारा निर्दिष्ट किये गये हानि प्रक्षेप वक्र में किसी प्रकार का परिवर्तन स्वीकार्य नही हैं। विद्युत वितरण कम्पनियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन, जो अन्ततः हानियों को प्रभावित करते हैं, की क्षतिपूर्ति विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उनके प्रचालन में अधिक दक्ष उपायों को लाकर की जा सकती है ताकि विद्युत वितरण कम्पनी के किसी अन्य क्षेत्र के उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ में वृद्धि न हो।

बाह्य (पीजीसीआईएल) हानियां [External (PGCIL) Losses]

3.46 पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र स्टेशनों हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों की गणना पृथक–पृथक की गई है। पश्चिमी क्षेत्र हेतु, पिछले आंकड़े (22 जनवरी 2012 को समाप्त वाले सप्ताह तक 52 सप्ताह हेतु) जैसा कि वह पीजीसीआईएल की वैबसाईट पर उपलब्ध है, को माना गया है तथा इस हेतु 3.61% के औसत हानि स्तर का उपयोग किया गया है। इसी प्रकार, पूर्वी क्षेत्र हेतु पारेषण लाईन हानियों का औसत हानि स्तर (वित्तीय वर्ष 2011–12 के 14 सप्ताह हेतु) 2.69% माना गया है।

3.47 आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु दाखिल किये गये अनुसार अनन्तिम राज्यान्तरिक पारेषण हानियां 3.74 प्रतिशत मानी गई हैं। वित्तीय वर्ष 2012– 13 हेतु, तीनों विद्युत वितरण कंपनियों के संतुलित विक्रय (moderate sale) पर आधारित ऊर्जा का संतुलन/विद्युत क्रय की आवश्यकता निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 29 : वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु ऊर्जा आवश्यकता की गणना

विवरण	सम्पूर्ण राज्य हेतु	मध्य क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	पूर्व क्षेविविकं
विक्रित किये गये कुल यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	31,978	9,764	13,313	8,901
वितरण हानि (प्रतिशत में)	**23.82%**	**26.00%**	**22.00%**	**24.00%**
वितरण हानि (मिलियन यूनिट में)	9,996	3,431	3,755	2,811
पारेषण–वितरण अन्तर्मुख पर आहरण (मिलियन यूनिट में)	41,974	13,195	17,068	11,712
पारेषण हानि (प्रतिशत में)	**3.74%**	**3.74%**	**3.74%**	**3.74%**
पारेषण हानि (मिलियन यूनिट में)	1,631	513	663	455
उत्पादन–पारेषण अन्तर्मुख पर आहरण (मिलियन यूनिट में)	43,605	13,707	17,731	12,167
पीजीसीआईएल हानियां (प्रतिशत में)				
पश्चिमी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां (प्रतिशत में)	3.61%	3.61%	3.61%	3.61%
पूर्वी क्षेत्र–पीजीसीआईएल हानियां (प्रतिशत में)	2.69%	2.69%	2.69%	2.69%
पीजीसीआईएल हानियां (मिलियन यूनिट में)	985	296	362	327
विद्युत क्रय (Power Purchase) की कुल आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)	**44,590**	**14,003**	**18,093**	**12,494**

3.48 मध्यप्रदेश शासन ने ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्र 2660/एफ–3–24/2009–तेरह दिनांक 29 मार्च, 2012 द्वारा तीनों विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की विद्यमान उत्पादन क्षमता आवंटन को पुनरीक्षित कर दिया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान संस्थापित की जाने वाली प्रत्याशित क्षमता की एमपी ट्रेडको को आवंटन किये जाने संबंधी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

3.49 निम्न तालिका में मप्र शासन की अधिसूचना 2660/एफ–3–24/2009–तेरह दिनांक 29 मार्च, 2012 के अनुसार पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों की उत्पादन क्षमताओं का आवंटन प्रस्तुत किया गया है, जिसमें बुन्देलखण्ड तथा अन्य क्षेत्रो हेतु 200 मेगावाट विशिष्ट आवंटन को भी शामिल किया गया है :

तालिका 30 : विद्युत वितरण कम्पनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)

विद्युत उत्पादक स्टेशन का नाम		स्थापित क्षमता (मेगावाट में)	राज्य को आवंटित (मेगावाट में)	बुन्देलखंड क्षेत्र को विशिष्ट (मेगावाट में)	राज्य को आवंटित (विशेष आवंटन घटाकर) (मेगावाट में)	विद्युत वितरण कंपनीवार आवंटन (प्रतिशत में) (विशिष्ट आवंटन को घटाकर)		
केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन						मध्य क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	पूर्व क्षेविविकं
1	पश्चिमी क्षेत्र–केएसटीपीएस	2100	484.45	52.63	431.82	28%	33%	39%
2	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–I	1260	441.10	32.26	408.84	34%	30%	36%
3	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–II	1000	317.72	25.47	292.25	32%	32%	36%
4	पश्चिमी क्षेत्र–कवास जीपीपी	656	140.00	0.00	140.00	25%	40%	35%
5	पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	657	117.00	0.00	117.00	30%	38%	32%
6	पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	440	110.34	11.21	99.13	31%	36%	33%
7	पश्चिमी क्षेत्र–तारापुर एपीएस	1080	229.87	27.50	202.37	31%	35%	34%
8	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	1000	246.19	25.47	220.72	31%	36%	33%
9	पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	1000	189.19	25.47	163.72	26%	35%	39%
10	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपी एस–II	1500	74.98	0.00	74.98	20%	53%	27%
11	दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटी पीएस)	500	200.00	0.00	200.00	14%	53%	33%
	उप–योग	**11193.59**	**2550.83**	**200.01**	**2350.82**			
	राज्य ताप विद्युत स्टेशन							
	ताप विद्युत							
1	अमरकंटक काम्प्लेक्स	240	240.00	0.00	240.00	40%	33%	27%
2	अमरकंटक विस्तार	210	210.00	0.00	210.00	40%	33%	27%
3	सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II, III	1143	1017.51	0.00	1017.51	39%	32%	29%
4	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	500	500.00	0.00	500.00	40%	32%	28%
5	संजय गांधी टीपीएस	840	840.00	0.00	840.00	40%	32%	28%
	उप–योग	**2933**	**2807.51**	**0.00**	**2807.51**			
	जल विद्युत स्टेशन							
	अन्तर्राज्यीय							
1	गांधी सागर	115	57.50	0.00	57.50	50%	27%	23%
2	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	271	135.50	0.00	135.50	50%	30%	20%
3	पेंच	160	106.67	0.00	106.67	40%	40%	20%
4	राजघाट	45	22.50	0.00	22.50	40%	40%	20%
	उप–योग	**591**	**322.17**	**0.00**	**322.17**			
	सम्पूर्ण मप्र राज्य को आवंटन							
1	बरगी	100	100.00	0.00	100.00	25%	50%	25%
2	विरसिंहपुर	20	20.00	0.00	20.00	20%	50%	30%
3	बाण सागर– I	315	315.00	0.00	315.00	30%	40%	30%
4	बाण सागर– II	30	30.00	0.00	30.00	30%	40%	30%
5	बाण सागर– IIi	60	60.00	0.00	60.00	30%	40%	30%
6	बाण सागर– Iv	20	20.00	0.00	20.00	30%	40%	30%
7	मढ़ीखेड़ा	60	60.00	0.00	60.00	20%	50%	30%
	उप–योग	**605**	**605.00**	**0.00**	**605.00**			
	द्विपक्षीय एवं अन्य							

1	इंदिरा सागर	1000	1000.00	0.00	1000.00	25%	53%	22%
2	अपारंपरिक–पवन विद्युत उत्पादन	0	0.00	0.00	0.00	30%	40%	30%
3	कैप्टिव	0	0.00	0.00	0.00	30%	40%	30%
4	सरदार सरोवर	1450	826.50	0.00	826.50	25%	43%	32%
5	ओंकारेश्वर	520	520.00	0.00	520.00	25%	45%	30%
6	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चम्बल, सतपुड़ा)	-	-	-	-	-	-	-
7	रिहंद, माताटीला (यूपीपीसी एल)	-	-	-	-	-	-	-
उप–योग		**2970**	**2346.50**	**0.00**	**2346.50**			
महायोग		**18292.09**	**8632.01**	**200.01**	**8432.00**	**31-84%**	**38.27%**	**29.89%**

3.50 ऐसी उत्पादन क्षमताएं, जिन्हें क्रियाशील होने के उपरान्त ट्रेडको को आवंटित किया गया है तथा ऐसी क्षमताएं जो वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान क्रियाशील होंगी, में निम्न संयंत्र शामिल हैं :

तालिका 31 : वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु नवीन उत्पादन क्षमताएं

विवरण	ट्रेडको को आवंटित (मेगावाट में)
एनटीपीसी–सीपत चरण प्रथम	188
दामोदर वैली कार्पोरेशन –(चन्द्रपुर टीपीएस विस्तार)	200
दामोदर वैली कार्पोरेशन –(दुर्गापुर)	100
कोरबा–चरण–तृतीय	75
पीटीसी–टोरेट	100
सिंगाजी टीपीपी–चरण प्रथम, खण्डवा (अंशदान–शत प्रतिशत)	600
सतपुड़ा टीपीपी विस्तार, बैतूल (अंशदान–शत प्रतिशत)	500
बीना पावर, सागर	350
बीएलए पावर, नरसिंहपुर	32
कुल क्षमता (मेगावाट में)	**2145**

3.51 प्रत्येक स्टेशन से वैयक्तिक रूप से ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से, ऊर्जा की उपलब्धता, जैसा कि यह विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी के परामर्श द्वारा दाखिल की गई है, की तुलना उपलब्धता के साथ इसकी गणना विद्युत उत्पादन कम्पनियों के पूर्व के तीन वर्षों के निष्पादन के आधार पर करते हुए, की गई है।

3.52 दिनांक 25.1.2012 को आयोग के अधिकारियों द्वारा एक बैठक विद्युत वितरण कम्पनी तथा एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी के अधिकारियों के साथ, वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रत्येक विद्युत उत्पादक स्टेशन से विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आयोजित की गई थी। विद्युत की उपलब्धता, जैसा कि इसकी गणना आयोग के पदाधिकारियों द्वारा की गई है, के संबंध में चर्चा विद्युत वितरण कम्पनियों तथा एमपी

पावर ट्रेडिंग कम्पनी लि. के साथ उनकी प्रतिक्रिया ज्ञात किये जाने बाबत की गई। प्रत्युत्तर में एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा पत्र दिनांक 4.2.2012 द्वारा यह पुष्टि की गई है कि उपलब्धता, जैसा कि इसकी गणना आयोग के अधिकारियों द्वारा की गई है, उसे वे स्वीकार करते हैं, केवल इन्दिरा सागर तथा ओंकारेश्वर जल विद्युत पावर स्टेशनों को छोड़कर, जहां वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत उत्पादन लक्ष्यों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के पत्र दिनांक 28.10.2011 के अनुसार पुनरीक्षित कर दिया गया था। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि क्रियाशील तिथि (CoD) में विलंब होने के कारण, बीना पावर की निर्धारित तिथि को बढ़ा दिया गया है, अतएव इस स्टेशन से विद्युत की उपलब्धता 1257 मिलियन यूनिट से घटकर 800 मिलियन यूनिट रह जाएगी। इसी प्रकार, एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा कैप्टिव पावर संयंत्रों तथा पवन विद्युत संयंत्रों से विद्युत की उपलब्धता को भी पुनरीक्षित किया गया है। जहां तक सौर ऊर्जा संयंत्रों का संबंध है, इनसे प्राप्त की जाने वाली विद्युत वास्तविक तौर पर तो उपलब्ध न हो पायेगी परन्तु नवकरणीय क्रय आबन्धों (Renewal Purchase Obligations) के कारण विद्युत की उल्लेखित मात्रा को एमपी ट्रेडको को क्रय करना ही होगा। दिनांक 25.1.2012 को आयोजित बैठक में एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए तथा उनके पत्र दिनांक 4.2.2012 के अनुसार भी, समस्त विद्युत स्टेशनों से ऊर्जा की उपलब्धता की गणना इनके पिछले तीन वर्षों के माहवार निष्पादन के आधार पर तथा एमपी ट्रेडको द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार भी की गई है।

3.53 इसके अतिरिक्त, विद्युत उपलब्धता के स्टेशनवार प्रक्षेपणों के अवलोकन के दौरान, आयोग द्वारा यह पाया गया है कि अमरकंटक काम्पलेक्स (2x120 मेगावाट) तथा अमरकंटक विस्तार (1x210 मेगावाट) से वार्षिक विद्युत उपलब्धता की मात्रा काफी न्यून है। इस संबंध में, एमपी पावर जनरेटिंग कम्पनी से स्पष्टीकरण चाहा गया था। तद्नुसार, अमरकंटक काम्पलेक्स तथा अमरकंटक विस्तार से विद्युत की उपलब्धता होने वाली मात्रा को एमपी जनको द्वारा फैक्स दिनांक 7 मार्च, 2012 के माध्यम से पुनरीक्षित किया गया है।

3.54 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अन्य राज्यों से साझेदारी वाले स्टेशनों से विद्युत की उपलब्धता को भी प्रक्षेपित किया गया है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत, उनके द्वारा उनके अंशदान तथा अन्य राज्यों के अंशदान की स्थाई उपलब्धता (Firm availability) को भी प्रक्षेपित

किया गया है। आयोग द्वारा मप्र राज्य के अंशदान के विरूद्ध केवल स्थाई उपलब्धता पर ही विचार किया गया है।

3.55 माहवार विद्युत उपलब्धता के विवरण निम्न तालिका में प्रस्तुत किये गये हैं :

तालिका 32 : वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान माहवार मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्धता के प्रक्षेपण

स.क्रं.	विद्युत उत्पादन स्टेशन	अप्रैल	मई	जून	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवम्बर	दिसम्बर	जनवरी	फरवरी	मार्च	योग
केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन														
1	पश्चिमी क्षेत्र –केएस टीपीएस	290	284	282	311	311	243	298	300	289	316	287	319	3,529
2	पश्चिमी क्षेत्र–वीएस टीपीएस–I	247	253	268	292	262	205	247	260	286	296	260	295	3,170
3	पश्चिमी क्षेत्र–वी एसटीपीएस–II	205	223	211	190	144	143	202	208	217	214	194	214	2,365
4	पश्चिमी क्षेत्र–कवास जीपीपी	59	68	52	60	57	37	73	46	70	61	45	64	691
5	पश्चिमी क्षेत्र–गंधार जीपीपी	53	65	52	59	54	27	55	52	61	47	42	51	618
6	पश्चिमी क्षेत्र–काकरा पार एपीएस	36	35	35	37	32	30	35	30	18	33	32	42	396
7	पश्चिमी क्षेत्र – तारापुर एपीएस	94	95	74	83	108	110	107	91	95	102	96	112	1,165
8	पश्चिमी क्षेत्र–वी एसटीपीएस–III	165	167	125	136	165	148	162	158	167	171	155	176	1,896
9	पश्चिमी क्षेत्र – सीपत–II	94	116	116	126	125	126	121	108	118	126	114	131	1,421
10	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	31	31	24	13	18	17	25	29	32	32	31	39	322
11	दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस)	57	49	28	47	54	34	45	54	39	63	58	62	590
	उप–योग	**1,330**	**1385**	**1,267**	**1,354**	**1,331**	**1,119**	**1,370**	**1,337**	**1,391**	**1,461**	**1,316**	**1,503**	**16,164**
	राज्य ताप विद्युत स्टेशन													
	ताप विद्युत													
1	अमरकंटक काम्प्लेक्स	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	1,140
2	अमरकंटक विस्तार	122	133	127	116	117	66	128	121	135	137	121	99	1,422
3	सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II, III	429	385	289	317	372	321	420	437	493	494	411	424	4,791
4	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	251	271	277	256	191	213	315	315	330	326	291	330	3,363
5	संजय गांधी टीपीएस	378	321	302	246	259	165	206	338	398	411	357	395	3,777
	उप–योग	**1,274**	**1,205**	**1,090**	**1,030**	**1,034**	**859**	**1,164**	**1,306**	**1,451**	**1,462**	**1,275**	**1,343**	**14,493**
	जल विद्युत													

	स्टेशन													
	अन्तर्राज्यीय													
1	गांधी सागर	2	2	2	0	2	2	7	19	13	9	2	2	63
2	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	1	1	2	2	5	5	11	42	42	46	6	0	162
3	पेंच	15	11	14	12	18	39	40	22	9	22	16	14	231
4	राजघाट	0	0	0	3	4	5	4	5	8	9	5	2	44
	उप–योग	**18**	**14**	**18**	**17**	**29**	**50**	**62**	**88**	**71**	**86**	**30**	**19**	**500**
	सम्पूर्ण मप्र आवंटन													
1	बरगी	39	28	21	24	31	43	36	31	29	26	31	25	366
2	विरसिंहपुर	0	0	1	8	11	11	2	0	0	0	0	0	33
3	बाण सागर–I	78	76	73	74	79	112	116	80	54	49	31	46	867
4	बाण सागर–II	8	7	7	7	4	1	6	5	6	5	4	5	67
5	बाण सागर–III	0	0	2	0	5	8	23	0	0	15	6	0	67
6	बाण सागर–Iv	0	0	0	0	1	4	7	6	3	2	1	0	24
7	मढ़ीखेड़ा	0	0	3	11	16	9	3	7	2	2	2	2	57
	उप–योग	**126**	**111**	**107**	**124**	**147**	**189**	**193**	**129**	**94**	**100**	**74**	**78**	**1,471**
	द्विपक्षीय एवं अन्य													
1	इंदिरा सागर	110	94	115	100	195	270	220	220	224	205	172	215	2,140
2	अपारंपरिक–पवन विद्युत उत्पादन	22	30	34	25	15	12	8	5	10	13	14	18	206
3	कैप्टिव	3	1	2	2	4	10	4	5	8	7	7	4	56
4	सरदार सरोवर	118	96	124	138	246	451	178	95	116	164	100	126	1,951
5	ओंकारेश्वर	**50**	**45**	**78**	**70**	**113**	**154**	**126**	**114**	**116**	**107**	**91**	**120**	**1,184**
	उप–योग	**302**	**267**	**352**	**335**	**572**	**898**	**536**	**439**	**474**	**495**	**384**	**483**	**5,537**
6	राजस्थान राज्य विद्युत मंडल(चम्बल सतपुड़ा)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	रिहंद माताटीला (यूपीपीसीए)	6	7	2	2	8	10	18	18	20	18	14	12	135
	उप–योग	**6**	**7**	**2**	**2**	**8**	**10**	**18**	**18**	**20**	**18**	**14**	**12**	**135**
	महायोग	**3,099**	**3,030**	**2,863**	**2,892**	**3,160**	**3,166**	**3,386**	**3,361**	**3,557**	**3,638**	**3,142**	**3,484**	**38,300**
	ट्रेडको से संलग्न किये गये नवीन स्टेशन													
1	सीपत चरण–I, बिलासपुर	91	94	91	94	134	130	134	130	134	134	121	134	1,422
2	दामोदर वैली कापोर्रशन विस्तार चन्द्रपुर, बोकारो, झारखंड	48	93	90	93	93	90	93	90	93	93	84	93	1,056
3	दामोदर वैली कार्पोरशन दुर्गापुर स्टील टीपीएस, पश्चिम बंगाल	-	22	21	22	22	21	22	42	44	44	39	44	341
4	बीना पावर, सागर	-				80	80	80	80	80	80	160	160	800
5	बीएलए पावर, नरसिंहपुर	8	9	8	9	9	8	9	16	16	16	15	16	139
6	एनटीपीसी, कोरबा–III	47	46	46	46	46	4	6	46	46	46	46	46	557
7	आईपीपी टोरेंट	72	74	23	27	17	65	62	62	62	62	62	63	652

8	नवकरणीय ऊर्जा (सौर)													
9	सिंगाजी टीपीपी चरण –प्रथम खण्डवा (शत प्रतिशत अंशदान)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	275	275
10	सतपुड़ा टीपीपी विस्तार, बैतूल (शत प्रतिशत अंशदान)	-	-	-	-	-	-	115	111	115	115	207	229	891
	उप–योग	**266**	**238**	**280**	**291**	**402**	**441**	**561**	**578**	**591**	**591**	**735**	**1,061**	**6,134**
	महायोग	**3,365**	**3,367**	**3,143**	**3,183**	**3,562**	**3,607**	**3,947**	**3,938**	**4,147**	**4,228**	**3,877**	**4,545**	**44,434**

3.56 दीर्घकालीन स्त्रोतों (Long term sources) से स्थाई उपलब्धता (firm availability) की गणना 38300 मिलियन यूनिट की गई है तथा ट्रेडको को आवंटित किये गये स्त्रोतों से, अर्थात् अस्थाई उपलब्धता (Infirm availability) की गणना 6134 यूनिट की गई है। स्थाई उपलब्धता को विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य मध्यप्रदेश शासन के वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु क्षमता आवंटन अधिसूचना 29 मार्च, 2012 के अनुसार वितरित की गई है। तत्पश्चात्, अस्थाई उपलब्धता (infirm availability) पर विद्युत वितरण कम्पनियों की अवशेष आवश्यकता के अनुपात के आधार पर विचार किया गया है। इसके उपरान्त, अवशेष आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाया गया है जिसकी पूर्ति मध्यमकालीन स्त्रोतों (medium term sources) से की जाएगी जैसा कि इसे माह अक्टूबर 2012 से प्रस्तावित किया गया है तथा उसके बाद की पूर्ति सम्पूर्ण वर्ष हेतु लघुकालीन स्त्रोतों (short term sources) से की जाएगी। तद्नुसार, माहवार विद्युत वितरण कम्पनी आवश्यकता तथा प्राक्कलित उपलब्धता निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

तालिका : 33 विद्युत की उपलब्धता तथा आवश्यकता

वित्तीय वर्ष 2012–13 (प्रक्षेपण)													
विद्युत क्रय आवश्यकता – एक्स विद्युत उत्पादन बस (मिलियन यूनिट में)													
विवरण	**अप्रैल**	**मई**	**जून**	**जुलाई**	**अगस्त**	**सितम्बर**	**अक्टूबर**	**नवम्बर**	**दिसम्बर**	**जनवरी**	**फरवरी**	**मार्च**	**योग**
मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी	**1108**	**108**	**1064**	**1028**	**1030**	**1062**	**1174**	**1370**	**1399**	**1346**	**1197**	**1124**	**13991**
पश्चिम क्षेत्र विवि कंपनी	1458	153	1493	1473	1465	1458	1461	1654	1729	1585	1449	1354	18108
पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी	985	995	956	933	930	960	1015	1204	1206	1152	1061	1095	12492
राज्य हेतु योग	**3551**	**361**	**3513**	**3434**	**3424**	**3481**	**3650**	**4228**	**4334**	**4082**	**3707**	**3573**	**44590**
समस्त स्त्रोतों से उपलब्धता–एक विद्युत उत्पादक बस (मिलियन यूनिट में)													
दीर्घकालीन स्त्रोतों से आवश्यकता की पूर्ति	3,055	2,98	2,835	2,862	3,122	3,126	3,342	3,316	3,501	3,622	3,092	3,437	**38300**

दीर्घ कालीन स्त्रोतों से पूर्ति के उपरांत अवशेष आवश्यकता	495	624	678	571	302	355	308	912	832	460	615	136	6,290
ट्रेडको स्त्रोत, जैसा कि वे उपलब्ध है	266	338	280	291	402	441	561	578	591	591	735	1,061	6,134
आवश्यकता जिसकी पूर्ति ट्रेडको स्त्रोतों से की जाएगी	266	338	280	291	302	355	308	578	591	460	615	136	4,519
दीर्घकालीन तथा ट्रेडको से पूर्ति के बाद अवशेष आवश्यकता	230	287	398	280	-	-	-	335	242	(0)	-	(0)	1,771
मध्यम कालीन स्त्रोतों से विद्युत की उपलब्धता (माह अक्टूबर, 2012 से चौबीसों घंटे 500 मेगावाट की उपलब्धता	-	-	-	-	-	-	372	360	372	372	336	372	2,184
मध्यम क्रय (Medium Purchase) से आवश्यकता की वास्तविक पूर्ति	-	-	-	-	-	-	-	335	242	-	-	-	577
शेष आवश्यकता की लघु अवधि क्रय से प्रस्तावित पूर्ति	230	287	398	280	-	-							1,195
कुल उपलब्धता	**3551**	**3,61**	**3,513**	**3,434**	**3,424**	**3,481**	**3650**	**4,228**	**4334**	**4082**	**3,707**	**3,573**	**44590**

3.57 राज्य की तीन विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार विद्युत आवंटन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 34 : विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (मिलियन यूनिट में)

सरल क्रमाक	विद्युत उत्पादन स्टेशन	स्थापित क्षमता	योग	राज्य को आवंटन	विद्युत वितरण कंपनीवार आवंटन (मिलियन यूनिट मे)		
		(मेगावाट में)	(मेगावाटमें)	(प्रतिशत में)	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं
	केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन						
1	पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	2100.00	484.45	23.07%	190.81	159.77	133.86
2	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–I	1260.00	441.10	35.01%	159.00	130.83	151.27
3	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस– II	1000.00	317.72	31.77%	113.14	102.29	102.29
4	पश्चिमी क्षेत्र–कवास जीपीपी	656.20	140.00	21.33%	49.00	56.00	35.00
5	पश्चिमी क्षेत्र–गंधार जीपीपी	657.39	117.00	17.80%	37.44	44.46	35.10
6	पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	440.00	110.34	25.08%	35.99	39.65	34.69
7	पश्चिमी क्षेत्र–तारापुर एपीएस	1080.00	229.87	21.28%	78.09	80.95	70.83
8	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	1000.00	246.19	24.62%	80.65	88.29	77.25
9	पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	1000.00	189.19	18.92%	74.59	65.49	49.12
10	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	1500.00	74.98	5.00%	20.24	39.74	15.00
11	दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस)	500.00	200.00	40.00%	66.00	106.00	28.00
	उप–योग	**11193**	**2550.83**	**17.43%**	**904.96**	**913.46**	**732.41**
	राज्य विद्युत उत्पादक स्टेशन						
	ताप विद्युत						
1	अमरकंटक काम्प्लेक्स	240.00	240.00	100.00%	64.80	79.20	96.00
2	अमरकंटक विस्तार	210.00	210.00	100.00%	56.70	69.30	84.00
3	सतपुड़ा टीपीएस–पीएच I,II, III	1142.50	1017.51	89.06%	295.08	325.60	396.83
4	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	500.00	500.00	100.00%	140.00	160.00	200.00
5	संजय गांधी टीपीएस	840.00	840.00	100.00%	235.20	268.80	336.00
	उप–योग	**2932.50**	**2807.51**	**95.74%**	**791.78**	**902.90**	**1112.83**
	जल–विद्युत						
	अन्तर्राज्यीय						
1	गांधी सागर	115.00	57.50	50.00%	13.23	15.53	28.75
2	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	271.00	135.50	50.00%	27.10	40.65	67.75
3	पेंच	160.00	106.67	66.67%	21.33	42.67	42.67
4	राजघाट	45.00	22.50	50.00%	4.50	9.00	9.00
	उप–योग	**591.00**	**322.17**	54.51%	66.16	107.84	148.17
	सम्पूर्ण मप्र राज्य को आवंटन						
1	बरगी	100.00	100.00	100.00%	25.00	50.00	25.00
2	बिरसिंहपुर	20.00	20.00	100.00%	6.00	10.00	4.00

3	बाण सागर–I	315.00	315.00	100.00%	94.50	126.00	94.50
4	बाण सागर–II	30.00	30.00	100.00%	9.00	12.00	9.00
5	बाण सागर–III	60.00	60.00	100.00%	18.00	24.00	18.00
6	बाण सागर–IV	20.00	20.00	100.00%	6.00	8.00	6.00
7	मढ़ीखेड़ा	60.00	60.00	100.00%	18.00	30.00	12.00
	उप–योग	**605.00**	**605.00**	100.00%	176.50	260.00	168.50
	द्विपक्षीय एवं अन्य						
1	इंदिरा सागर	1000.00	1000.00	100.00%	220.00	530.00	250.00
2	अपारंपरिक –पवन ऊर्जा	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
3	कैप्टिव	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4	सरदार सरोवर	1450.00	826.50	57.00%	264.48	355.40	206.63
5	ओंकारेश्वर	520.00	520.00	100.00%	156.00	234.00	130.00
6	आरएसइबी (चम्बल, सतपुड़ा)						
7	रिहंद, माताटीला (यूपीपीसीएल)						
	उप–योग	**2970.00**	**2346.50**		**640.48**	**1119.40**	**586.63**
	महायोग	**18292.09**	**8632.01**		**2579.88**	**3303.60**	**2748.53**

3.58 वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु स्टेशनवार एक्स–बस उपलब्धता तथा राज्य सीमा पर विद्युत की उपलब्धता पश्चिमी क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्र स्टेशनों हेतु, पीजीसीआईएल प्रणाली हानियों पर विचारोपरांत, निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 35 : विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (मिलियन यूनिट में)

	उपलब्धता (एक्स बस)			उपलब्धता (राज्य सीमा पर)		
स्टेशन का नाम	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन						
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	1,390	1,164	975	1,340	1,122	940
पश्चिमी क्षेत्र– वीएसटीपीएस– I	1,143	940	1,087	1,101	906	1,048
पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–II	842	762	762	812	734	734
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	242	277	173	233	267	167
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	198	235	185	190	226	179
पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	129	142	125	125	137	120
पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस	396	410	359	382	396	346
पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	621	680	595	599	655	573
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	560	492	369	540	474	356
पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस –II	87	171	64	81	160	60
दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस)	195	313	83	183	293	77
राज्य विद्युत उत्पादक स्टेशन						
अमरकंटक काम्प्लेक्स	308	376	456	308	376	456
अमरकंटक विस्तार	384	469	569	384	469	569
सतपुड़ा टीपीएस–पीएच I, II, III	1,390	1,533	1,869	1,390	1,533	1,869
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	942	1,076	1,345	942	1,076	1,345

संजय गांधी टीपीएस	1,057	1,208	1,511	1,057	1,208	1,511
जल विद्युत						
अन्तर्राज्यीय						
गांधी सागर	14	17	31	14	17	31
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	32	48	81	32	48	81
पेंच	46	93	93	46	93	93
राजघाट	9	18	18	9	18	18
उप–योग						
सम्पूर्ण म प्र राज्य को आवंटन						
बरगी	91	183	91	91	183	91
बिरसिंहपुर	10	16	7	10	16	7
बाण सागर– I	260	347	260	260	347	260
बाण सागर– II	20	27	20	20	27	20
बाण सागर–III	17	23	17	17	23	17
बाण सागर– IV	7	10	7	7	10	7
मढ़ीखेड़ा	17	28	11	17	28	11
द्विपक्षीय एवं अन्य						
इंदिरा सागर	471	1,134	535	454	1,093	516
अपारंपरिक –पवन ऊर्जा	62	82	62	62	82	62
कैप्टिव	17	22	17	17	22	17
सरदार सरोवर	624	839	488	602	809	470
ओंकारेश्वर	355	533	296	342	514	285
आरएसईबी (चम्बल, सतपुड़ा)	0	0	0	0	0	0
रिहंद, माताटीला (यूपीपीसीएल)	39	51	44	39	51	44
योग	**11,976**	**13,720**	**12,604**	**11,706**	**13,415**	**12,380**

3.59 वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों की माहवार विद्युत आवश्यकता तथा माहवार एक्स बस ऊर्जा उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गयी है :

तालिका 36 : विद्युत वितरण कंपनियों की माहवार आवश्यकता तथा उपलब्धता (मिलियन यूनिट मे)

माह	एक्स–बस पर विद्युत वितरण कंपनियों की आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)			एक्स–बस ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)		
	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
अप्रैल–2012	985	1,458	1,108	960	1,077	1,019
मई–2012	995	1,531	1,087	946	1,048	996
जून–2012	956	1,493	1,064	896	999	940
जुलाई–2012	933	1,473	1,028	914	1,011	938
अगस्त–2012	930	1,465	1,030	982	1,140	1,000
सितंबर–2012	960	1,458	1,062	970	1,182	974
अक्टूबर–2012	1,015	1,461	1,174	1,040	1,214	1,088
नवंबर–2012	1,204	1,654	1,370	1,024	1,186	1,106
दिसंबर–2012	1,206	1,729	1,399	1,081	1,245	1,175
जनवरी–2013	1,152	1,585	1,346	1,123	1,290	1,209
फरवरी–2013	1,061	1,449	1,197	965	1,099	1,028
मार्च–2013	1,095	1,354	1,124	1,076	1,230	1,130
योग	**12,492**	**18,108**	**13,991**	**11,976**	**13,720**	**12,604**

3.60 आयोग ने माहवार सुयोग्यता क्रम प्रेषण सिद्धांत को विद्युत उत्पादक स्टेशनों की परिवर्तनीय लागत के आधार पर अनुप्रयोग किया है। निम्न तालिका स्टेशनों के मध्य सुयोग्यता क्रम तथा उनकी परिवर्तनीय ऊर्जा दरें प्रदर्शित करती हैः–

तालिका 37 : सुयोग्यता क्रम (Merit Order)

विद्युत उत्पादक स्टेशन	प्रकार (प्राथमिकता युक्त =1, अन्य=0)	परिवर्तनीय प्रभार (पैसे/किलोवाट ऑवर)
कैप्टिव	1	245.00
पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन (केएपीएस)	1	227.50
पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस	1	279.53
अपारंपरिक ऊर्जा–पवन ऊर्जा	1	435.00
बाण सागर– II	0	0.00
बाण सागर– III	0	0.00
बाण सागर– IV	0	0.00
बाण सागर– I	0	0.00
बरगी	0	0.00
विरसिंहपुर	0	0.00
गांधी सागर	0	0.00
इन्दिरा सागर	0	0.00
मढ़ीखेड़ा	0	0.00
ओंकारेश्वर	0	0.00
पेंच	0	0.00
राजघाट	0	0.00
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	0	0.00
सरदार सरोवर	0	0.00
यूपीपीसीएल (रिहंद, माताटीला	0	80.00
पश्चिमी क्षेत्र–केएसटीपीएस	0	95.07
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	0	97.23
अमरकंटक विस्तार	0	111.40
अमरकंटक काम्प्लेक्स	0	125.16
सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II एवं III	0	170.23
पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस– II	0	170.95
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	0	176.06
पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस– III	0	176.44
पश्चिमी क्षेत्र वीएसटीपीएस– I	0	192.67
संजय गांधी टीपीएस	0	195.09
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	0	238.19
पश्चिमी क्षेत्र –कवास जीपीपी	0	249.46
पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	0	260.05
दामोदर वैली कारपोर्रशन (एमपीटीसी)	0	379.15

3.61 मासिक उपलब्धता पर सुयोग्यता क्रम प्रेषण सिद्धांत के अनुप्रयोग के आधार पर, कुल स्टेशनवार उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 38 : सुयोग्यता क्रम प्रेषण पर विचारोपरांत स्टेशनवार उपलब्धता (मिलियन यूनिट मे)

स्टेशन का नाम	उपलब्धता (एक्स–बस सुयोग्यता क्रम प्रेषण के अनुसार			
	राज्य	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन				
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	3,529	1,390	1,164	975
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– I	3,170	1,143	940	1,087
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– II	2,365	842	762	762
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	691	219	297	176
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	618	188	243	186
पश्चिमी क्षेत्र –काकरापार एपीएस	396	129	142	125
पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस	1,165	396	410	359
पश्चिमी क्षेत्र –वीएसटीपीएस –III	1,896	621	680	595
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	1,421	560	492	369
पूर्वी क्षेत्र –कहलगांव एसटीपीएस–II	322	75	180	67
दामोदर वैली, कार्पोरेशन (एमटीपीएस)	590	154	353	84
राज्य विद्युत उत्पादक स्टेशन				
अमरकंटक काम्प्लेक्स	1,140	308	376	456
अमरकंटक विस्तार	1,422	384	469	569
सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II, III	4,791	1,390	1,533	1,869
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	3,363	942	1,076	1,345
संजय गांधी टीपीएस	3,777	1,057	1,208	1,511
जल विद्युत				
अन्तर्राज्यीय				
गांधी सागर	63	14	17	31
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	162	32	48	81
पेंच	231	46	93	93
राजघाट	44	9	18	18
सम्पूर्ण मप्र राज्य आवंटन				
बरगी	366	91	183	91
बिरसिंहपुर	33	10	16	7
बाणसागर–I,	867	260	347	260
बाणसागर–II	67	20	27	20
बाणसागर–III	58	17	23	17
बाणसागर–IV	24	7	10	7

मढ़ीखेढ़ा	57	17	28	11
द्विपक्षीय एवं अन्य				
इंदिरा सागर	2,140	471	1,134	535
अपारम्परिक–ऊर्जा पवन ऊर्जा उत्पादन	206	62	82	62
कैप्टिव	56	17	22	17
सरदार सरोवर	1,951	624	839	488
ओंकारेश्वर	1,184	355	533	296
रिहंद, माताटीला (यूपीपीसीएल)	135	39	51	44
योग	**38,300**	**11,890**	**13,798**	**12,611**

3.62 उपरोक्त उपलब्धता के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर विक्रय एवं क्रय शामिल किये गये हैं, जैसा कि इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका 39 : विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर व्यापार (मिलियन यूनिट में)

माह	विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विद्युत का परस्पर क्रय (मिलियन यूनिट में)			विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विद्युत का परस्पर विक्रय (मिलियन यूनिट में)		
क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि	पूर्व	पश्चिम	मध्य	पूर्व	पश्चिम	मध्य
अप्रैल–2012	-	-	-	-	-	-
मई–2012	-	-	-	-	-	-
जून–2012	-	-	-	-	-	-
जुलाई–2012	-	-	-	-	-	-
अगस्त–2012	-	47.2	5.1	52.3	-	-
सितंबर–2012	-	7.1	2.3	9.4	-	-
अक्टूबर–2012	-	18.4	6.4	24.8	-	-
नवंबर–2012	-	-	-	-	-	-
दिसंबर–2012	-	-	-	-	-	-
जनवरी–2013	-	-	-	-	-	-
फरवरी–2013	-	-	-	-	-	-
मार्च–2013	0.9	5.7	-	-	-	6.6
योग	**0.9**	**78.4**	**13.8**	**86.5**	**-**	**6.6**

3.63 जैसा कि सुयोग्यता क्रम अनुप्रयोग (Merit order Application) के परिणामों से स्पष्ट है तथा जैसा कि उपरोक्त दर्शाई गई तालिकाओं से भी प्रकट होता है, मानदण्डीय हानि स्तरों के आधार पर विद्युत वितरण कम्पनियों की ऊर्जा की उपलब्धता तथा आवश्यकता में अन्तर रहेगा। विद्युत वितरण कंपनियों की माहवार आवश्यकताओं की आपूर्ति उन्हें उनके अंशदान के प्रत्यक्ष आवंटन के माध्यम से तथा विक्रेता वितरण कंपनी की विद्युत आपूर्ति के उपरांत ऊर्जा की शेष बचत से वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर व्यापार द्वारा भी की जाएगी। चूंकि अनुज्ञप्तिधारियों की माहवार आवश्यकता उपलब्धता से

अधिक है, अतएव इसकी भविष्यगामी आपूर्ति ट्रेडको को आवंटित स्टेशनों से की जाएगी। अतिशेष आवश्यकता की पूर्ति प्राक्कलित की गई मध्यमकालीन विद्युत अधिप्राप्ति तथा लघुकालीन विद्युत अधिप्राप्ति से की जाएगी।

3.64 जैसा कि उपरोक्त पैरा में उल्लेख किया गया है, विद्युत वितरण कम्पनीवार, वांछित एक्स–बस विद्युत क्रय की मात्रा, सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण (MOD) अनुसार उपलब्धता,, ट्रेडको तथा लघुकालीन स्त्रोत से क्रय निम्नानुसार दर्शाये गये हैं :

तालिका 40 : आवश्यकता, उपलब्धता तथा कमी (मिलियन यूनिट में)

विवरण	राज्य	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
एक्स–बस पर कुल आवश्यकता	12,492	18,108	13,991	44,590
सुयोग्यता क्रम के विचारोपरांत कुल एक्स–बस उपलब्धता	11,890	13,798	12,611	38,300
अन्तर	**602**	**4,309**	**1,380**	**6,290**
ट्रेडको से क्रय	420	3,082	1,017	4,519
वांछित शेष	**181**	**1,227**	**363**	**1,771**
मध्यमकालीन विद्युत क्रय	102	312	162	577
लघुकालीन विद्युत क्रय से अवशेष की पूर्ति	79	915	201	1195

3.65 यहां यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु आवंटित की गई 200 मेगावाट विद्युत की मात्रा केवल बुन्देलखण्ड क्षेत्र की आपूर्ति के उद्देश्य से पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की अर्हता बाबत ही प्रदान की गई है। वह विद्युत की मात्रा जो पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी को आवंटित की गई है, जिसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र हेतु विशेष आवंटन को सम्मिलित नहीं किया गया है तथा जो उनकी कुल आवश्यकताओं से अधिक है, को ही परस्पर विद्युत वितरण कम्पनीवार विक्रय (Intra Discom Sale) में शामिल किया गया है।

3.66 कुछ ऐसे माह भी होंगे जब विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपलब्धता का आंशिक तौर पर उपयोग नहीं किया जा सकेगा। आयोग का सुझाव है कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपयोग अन्य राज्यों से अधिकोषण (banking) द्वारा किया जाए ताकि किसी कमी होने की दशा में, रबी मौसम में विद्युत आवश्यकता की पूर्ति इस अधिकोष में जमा की गई विद्युत से ही की जा सके, अर्थात् बिना किसी अतिरिक्त लागत के। आयोग अपेक्षा करता है कि विद्युत वितरण कंपनियां बचत की गई विद्युत के अंतर्राज्यीय व्यापार में

इस अवसर का उपयोग उनके उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ण आपूर्ति के पश्चात ही करेंगी।

3.67 मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये पत्र क्रमांक 2682/13/201202 दिनांक 29 मार्च, 2012 के अनुसार आयोग ने वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान राज्य में एक समान विद्युत–दर का अनुसरण किये जाने बाबत् निर्णय लिया है जिसके अनुसार किसी अनुज्ञप्तिधारी के पास माह के दौरान आधिक्य ऊर्जा, प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य के उन अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदान की जाएगी जिनके पास उक्त माह में विद्युत की कमी रहेगी। आयोग निर्देश देता है कि राज्य की अन्य वितरण कंपनियों को बचत ऊर्जा की विक्रय दर विद्युत की मासिक संकोषीय लागत के अनुसार निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार रखी जाए::

तालिका 41 : विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर व्यापार हेतु मासिक संकोषीय लागत (Monthly Pooled Cost)

सरल क्र	माह	रूपये प्रति किलोवाट ऑवर
1	अप्रैल	2.36
2	मई	2.38
3	जून	2.37
4	जुलाई	2.35
5	अगस्त	2.32
6	सितंबर	2.24
7	अक्टूबर	2.31
8	नवंबर	2.34
9	दिसंबर	2.37
10	जनवरी	2.35
11	फरवरी	2.38
12	मार्च	2.41

विद्युत क्रय लागतें (Power Purchase Costs)

3.68 विद्युत क्रय लागत के दो घटक हैं, यथा स्थाई लागत तथा परिवर्तनीय लागत। इन लागतों की पृथक–पृथक गणना की चर्चा निम्न परिच्छेदों में की गई है।

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन (ताप विद्युत) [Central Generating Stations (Thermal)]

3.69 पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र में एनटीपीसी के स्टेशनों के बारे में वैयक्तिक स्टेशन के स्थाई लागत अवधारण के प्रयोजन हेतु, आयोग द्वारा वैयक्तिक स्टेशन हेतु केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा जारी किये गये अन्तिम टैरिफ आदेश को माना गया है जिन्हें निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

सरल क्रमांक	स्टेशन का नाम	स्थाई लागत आदेश का संदर्भ
1	पश्चिमी क्षेत्र–केएसटीपीएस	केविनिआ (अनन्तिम टैरिफ) आदेश दिनांक 6.7.2011 याचिका क्रमांक 246/2009 दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2014
2	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–I	केविनिआ (अनन्तिम टैरिफ) आदेश दिनांक 6.7.2011 याचिका क्रमांक 227/2009 दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2014
3	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–II	केविनिआ आदेश दिनांक 26.12.2011, याचिका क्रमांक 258/2009 दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2014
4	पश्चिमी क्षेत्र–कवास जीपीपी	केविनिआ आदेश दिनांक 30.12.2011, याचिका क्रमांक 285/2009 दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2014
5	पश्चिमी क्षेत्र–गंधार जीपीपी	केविनिआ आदेश दिनांक 30.12.2011, याचिका क्रमांक 226/2009 दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2014
6	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपी–III	केविनिआ (अनन्तिम टैरिफ) आदेश दिनांक 6.7.2011 याचिका क्रमांक 260/2009 अवधि 2012–13 हेतु
7	पश्चिमी क्षेत्र–सीपत–II	केविनिआ आदेश दिनांक 20.12.2012, याचिका क्रमांक 316/2009 दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2014
8	पूर्वी क्षेत्र–फरक्का एसटीपीएस	केविनिआ आदेश दिनांक 23.12.2009, याचिका क्रमांक 32/2007 अवधि 2004–09 तक स्थाई प्रभारों का पुनरीक्षण
9	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस	केविनिआ आदेश दिनांक 22.2.2011, याचिका क्रमांक 204/2010 दिनांक 1.4.2004 से 31.3.2009
10	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	केविनिआ आदेश दिनांक 12.8.2011, याचिका क्रमांक 282/2009 दिनांक 1.4.2004 से 31.3.2014 तक अनन्तिम टैरिफ आदेश का अनुमोदन
11	पूर्वी क्षेत्र–तालचेर एसटीपीएस	केविनिआ (अनन्तिम टैरिफ) आदेश दिनांक 6.7.2011 याचिका क्रमांक 228/2009 दिनांक 1.4.2009 से 31.3.2014
12	डीवीसी (एमटीपीएस)	परिवर्तनीय प्रभार, स्थाई प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, माह नवम्बर, 2011 तक के बिलों से प्राप्त किये गये हैं।

3.70 ताप विद्युत स्टेशनों के संबंध में स्थाई लागत की गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations 2009 के स्थाई लागत की वसूली संबंधी विनियम अर्थात् 'Recovery of Fixed Cost Regulations' के अनुसार की गई है।

3.71 तथापि वित्तीय वर्ष 2012–13 में प्रत्येक स्टेशन की ऊर्जा लागत के अवधारण हेतु, आयोग द्वारा परिवर्तनीय लागत पर विचार किया गया है, जैसा कि इन्हें एनटीपीसी द्वारा माह नवम्बर/दिसम्बर 2011 तक एमपी ट्रेडको को प्रस्तुत किये गये वास्तविक देयकों में, केवल संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन को छोड़कर, वैयक्तिक स्टेशनों हेतु अधिरोपित किया गया है तथा जैसा कि इसकी व्याख्या आगे दी गई कण्डिका में की गई है।

3.72 अन्य प्रभारों को आयोग के पास माह नवम्बर, 2011 तक उपलब्ध अन्तिम देयकों के अनुसार माना गया हैं। इन्हीं को वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये भी माना गया है।

केन्द्रीय तथा राज्य के विद्युत उत्पादक स्टेशन (जल विद्युत) [Central & State Generating Stations (Hydel]

3.73 जल–विद्युत स्टेशनों के स्थाई प्रभारों की गणना हेतु, आयोग द्वारा केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा वैयक्तिक स्टेशनों हेतु जारी अंतिम टैरिफ आदेश को माना गया है। इसके अतिरिक्त, स्थाई लागतों की गणना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulations 2009 के स्थाई प्रभारों की वसूली से संबंधित विनियम 'Recovery of Fixed Charges Regulations' तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण हेतु निबन्धन तथा शर्ते) (पुनरीक्षण–प्रथम) विनियम, 2009 के अनुसार की गई है। जल विद्युत स्टेशनों के प्रकरण में, संयंत्र उपलब्धता कारक (Plant Availability Factor) की गणना तीन वर्षों (09–10, 10–11 तथा माह जनवरी 2012 तक) की औसत घोषित क्षमता पर आधारित संचयी (cumulative) संयंत्र उपलब्धता कारक के आधार पर की गई है।

इन्दिरा सागर (एनएचडीसी) :

3.74 वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु, इन्दिरा सागर जल विद्युत संयंत्र के प्रभार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 के अनुसार स्वीकृत किये गये हैं तथा आयकर को माह नवम्बर, 2011 तक के वास्तविक देयकों के आधार पर स्वीकृत किया गया है जैसा कि इसका दावा CERC (Terms and Conditions of Tariff) Regulation की कण्डिका 15 के अनुसार कर पूर्व पूंजी पर प्रतिलाभ (ROE) तथा संकलित पूंजी पर प्रतिलाभ (grossed up ROE) के अन्तर के रूप में बिलों में किया गया है।

सरदार सरोवरः

3.75 आयोग द्वारा वार्षिक स्थाई प्रभार 7 फरवरी, 2011 को पारित अनन्तिम (Provisional) आदेश के अनुसार स्वीकार किये गये हैं।

ओंकारेश्वरः

3.76 आयोग द्वारा ओंकारेश्वर हेतु, वार्षिक स्थाई प्रभार केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित अनन्तिम टैरिफ आदेश दिनांक 30 अक्टूबर, 2007 के अनुसार अनुज्ञेय किये गये हैं तथा आयकर को माह नवम्बर, 2011 तक के वास्तविक देयकों के आधार पर स्वीकृत किया गया है जैसा कि इसका दावा CERC (Terms and Conditions of Tariff)

Regulation की कण्डिका 15 के अनुसार कर पूर्व पूंजी पर प्रतिलाभ (ROE) तथा संकलित पूंजी पर प्रतिलाभ (grossed up ROE) के अन्तर के रूप में बिलों में किया गया है।

ऊर्जा के नवकरणीय स्त्रोत (Renewable Sources) :

3.77 वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु, सुसंबद्ध विनियमों के अनुसार, विद्युत वितरण कंपनियों हेतु विभिन्न स्त्रोतों से सौर तथा गैर–सौर ऊर्जा हेतु न्यूनतम क्रय आबन्ध (Minimum Purchase Obligation) को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 42 : न्यूनतम क्रय आबन्ध

नवकरणीय स्त्रोत	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु न्यूनतम क्रय आबन्ध
सौर (Solar)	0.60%
गैर–सौर (Non-Solar)	3.40%
योग	4%

3.78 **कैप्टिव विद्युत उत्पादन तथा अन्य स्त्रोत (Captive Generation and other Sources)** : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों तथा पवन विद्युत उत्पादन से वर्ष 2012–13 के दौरान 262 मिलियन यूनिट की कुल उपलब्धता दाखिल की गई है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु लागतों की गणना के संबंध में पवन विद्युत उत्पादन की दर रू. 4.35 प्रति किलोवाट ऑवर तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों हेतु रू. 2.45 प्रति किलोवाट की दर का उपयोग किया गया है। इस आदेश के अन्तर्गत कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से विद्युत के क्रय हेतु प्रदत्त दर, सामान्य समय के दौरान स्थाई ऊर्जा (Firm Power) हेतु अधिकतम दर है। कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से विद्युत का क्रय दिनांक 31 जनवरी, 2009 को अधिसूचित मप्रविनिआ (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार किया जाना चाहिए।

3.79 **ट्रेडको के माध्यम से विद्युत उत्पादक स्टेशन से पूर्ति (Generating Station through Tradeco) :–** ऐसे नवीन स्टेशनों हेतु, जिनसे चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र से राज्य को विद्युत की पूर्ति होने लगेगी, निम्न कार्यविधि (methodology) अपनाई गई है :

तालिका 43 : ट्रेडको संयंत्रों हेतु प्रभारों का आधार

स्टेशन	स्थाई लागत (करोड़ रूपये)	ऊर्जा प्रभार रूपये प्रति किलोवाट ऑवर, भविष्यगामी वर्षों हेतु की गई वृद्धि अनुसार	आधार
एनटीपीसी सीपत–चरण प्रथम	180.07	0.95	केविनिआ अनन्तिम टैरिफ आदेश दिनांक 3.11.11 तथा परिवर्तनीय लागत अप्रैल से नवम्बर 2011 के देयकों के औसत के अनुसार
डीवीसी (चन्द्रपुर टीपीएस विस्तार)		4.04	परिवर्तनीय प्रभार, स्थाई प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, डीवीसी मेजिआ के देयकों से प्राप्त किये गये हैं
पीटीसी–टोरेंट सूरत (गैस)	68.64	2.63	केविनिआ के आदेशानुसार
डीवीसी (दुर्गापुर स्टील टीपीएस)		4.04	परिवर्तनीय प्रभार, स्थाई प्रभारों को सम्मिलित करते हुए, डीवीसी मेजिआ के देयकों से प्राप्त किये गये हैं
बीना पावर, सागर	0.00	3.58	विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये अनुसार
बीएलए पावर, नरसिंहपुर	0.00	3.58	
सिंगाजी टीपीपी–चरण–I खण्डवा (अंशदान=100%)		2.15	विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये अनुसार
सतपुड़ा टीपीपी, विस्तार बैतूल (अंशदान=100%)		1.88	विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये अनुसार
कोरबा पश्चिम– III	77.18	0.89	केविनिआ के आदेशानुसार

मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादक स्टेशन (M.P. power Generating Stations)

स्थाई लागतें (Fixed Costs) :

3.80 मप्र जनको स्टेशनों हेतु स्थाई लागत वित्तीय वर्ष 2011–12 के बहुवर्षीय टैरिफ आदेश से विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दाखिल किये गये अनुसार प्राप्त की गई है। इन स्थाई लागतों को इस आदेश के अन्तर्गत उत्पादक स्टेशनों से उपलब्धता तथा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण हेतु निबन्धन तथा शर्तें) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम 2009 में प्रदत्त वार्षिक क्षमता (स्थाई) प्रभारों की वसूली [Recovery of Annual Capacity (fixed) charges] के आधार पर समायोजित किया गया है।

3.81 तीन विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य स्थाई लागत का आवंटन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 44 : विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य स्थाई लागत का आवंटन (करोड़ रूपये में)

स्टेशन का नाम	स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)			
	राज्य	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन				
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	191.04	75.25	63.01	52.79
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– I	175.04	63.10	51.92	60.03
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– II	166.27	59.21	53.53	53.53
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	60.12	21.04	24.05	15.03
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	66.01	21.12	25.08	19.80
पश्चिमी क्षेत्र –काकरापार एपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिमी क्षेत्र –वीएसटीपीएस –III	192.44	63.04	69.01	60.39
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	165.64	65.30	57.33	43.00
पूर्वी क्षेत्र –कहलगांव एसटीपीएस–II	38.73	10.46	20.53	7.75
दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस)	0.00	0.00	0.00	0.00
राज्य विद्युत उत्पादक स्टेशन				
अमरकंटक काम्प्लेक्स	66.65	18.00	21.99	26.66
अमरकंटक विस्तार	159.73	43.13	52.71	63.89
सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II, III	242.77	70.40	77.69	94.68
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	333.98	93.52	106.88	133.59
संजय गांधी टीपीएस	242.91	68.01	77.73	97.16
जल विद्युत				
अन्तर्राज्यीय				
गांधी सागर	4.80	1.10	1.30	2.40
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	8.42	1.68	2.52	4.21
पेंच	19.10	3.82	7.64	7.64
राजघाट	7.00	1.40	2.80	2.80
सम्पूर्ण मप्र आवंटन				
बरगी	8.47	2.12	4.24	2.12
बिरसिंहपुर	4.32	1.30	2.16	0.86
बाणसागर–I,	109.98	32.99	43.99	32.99
बाणसागर–II	5.37	1.61	2.15	1.61
बाणसागर–III	6.59	1.98	2.63	1.98
बाणसागर–IV	3.87	1.16	1.55	1.16
मढ़ीखेढ़ा	15.82	4.75	7.91	3.16
द्विपक्षीय एवं अन्य				
इंदिरा सागर	574.15	126.31	304.30	143.54
अपारम्परिक–ऊर्जा पवन ऊर्जा उत्पादन	0.00	0.00	0.00	0.00
कैप्टिव	0.00	0.00	0.00	0.00
सरदार सरोवर	309.23	98.95	132.97	77.31
ओंकारेश्वर	388.59	116.58	174.87	97.15

राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चम्बल सतपुड़ा)	0.00	0.00	0.00	0.00
रिहंद, माताटीला (यूपीपीसीएल)	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**3567.04**	**1067.33**	**1392.48**	**1107.23**

परिवर्तनीय लागत (Variable Cost)

3.82 उपरोक्त की गई चर्चा के आधार पर, परिवर्तनीय ऊर्जा प्रभार की गणना एक्स बस पर सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण सिद्धांत का अनुप्रयोग करते हुए, क्रय हेतु मानी गई उपलब्धता के आधार पर की गई है जैसा कि इन्हें नीचे दर्शाई गई तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 45 : स्टेशनवार स्वीकृत की गई परिवर्तनीय लागत (करोड़ रूपये में)

स्टेशन का नाम				
	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	योग
केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन				
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	132.16	110.66	92.71	335.53
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– I	220.15	181.14	209.45	610.74
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– II	144.00	130.18	130.18	404.37
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	54.55	74.09	43.83	172.47
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	44.81	57.88	44.41	147.10
पश्चिमी क्षेत्र –काकरापार एपीएस	29.39	32.38	28.33	90.10
पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस	110.67	114.72	100.38	325.77
पश्चिमी क्षेत्र –वीएसटीपीएस –III	109.56	119.94	104.95	334.45
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	54.48	47.84	35.88	138.19
पूर्वी क्षेत्र –कहलगांव एसटीपीएस–II	19.60	46.79	17.31	83.69
दामोदर वैली कार्पोरेशन (एमटीपीएस)	58.21	133.88	31.70	223.79
राज्य विद्युत उत्पादन स्टेशन				
अमरकंटक काम्प्लेक्स	38.52	47.08	57.07	142.68
अमरकंटक विस्तार	42.77	52.28	63.36	158.41
सतपुड़ा टीपीएस पीएच I, II, III	236.53	261.00	318.10	815.63
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	165.80	189.48	236.85	592.14
संजय गांधी टीपीएस	206.29	235.76	294.70	736.74
जल विद्युत				
गांधी सागर	0.00	0.00	0.00	0.00
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	0.00	0.00	0.00	0.00
पेंच	0.00	0.00	0.00	0.00

राजघाट	0.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण मप्र आवंटन				
बरगी	0.00	0.00	0.00	0.00
बिरसिंहपुर	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–I,	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–II	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–III	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–IV	0.00	0.00	0.00	0.00
मढ़ीखेढ़ा	0.00	0.00	0.00	0.00
द्विपक्षीय एवं अन्य				
इंदिरा सागर	0.00	0.00	0.00	0.00
अपारम्परिक–ऊर्जा पवन ऊर्जा उत्पादन	26.87	35.83	26.87	89.57
कैप्टिव	4.11	5.48	4.11	13.71
सरदार सरोवर	0.00	0.00	0.00	0.00
ओंकारेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00
राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चम्बल, सतपुड़ा)	0.00	0.00	0.00	0.00
रिहंद, माताटीला (यूपीपीसीएल)	3.11	4.12	3.54	10.77
योग	**1,702**	**1,881**	**1,844**	**5,426**

3.83 आयोग द्वारा परिवर्तनीय लागतों के परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन तथा संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन विस्तार के प्रकरण में प्रस्तुत किये गये बिल परिवर्तनीय प्रभार में असामान्य वृद्धि किया जाना प्रदर्शित करते हैं। एकत्रित की गई जानकारी के अनुसार यह वृद्धि कोयला कम्पनियों से उच्च प्रतिशत वाले 'ए' तथा 'बी' श्रेणी के कोयले की प्राप्ति के कारण हुई। ऐसे प्रयास किये जा रहे हैं कि कोयला कम्पनियां 'ए' तथा 'बी' ग्रेड कोयले का प्रदाय या तो सीमित कर दें या बन्द कर दें जिस हेतु प्रकरण पर मप्र जनको द्वारा समुचित प्राधिकारियों के साथ कार्यवाही प्रारंभ की जा चुकी है। आयोग अपेक्षा करता है कि आवश्यक कार्यवाही उपरान्त वित्तीय वर्ष 2011–12 में पाई गई उच्च दरों में कमी की जा सकेगी। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि उपभोक्ताओं पर अनुचित वित्तीय बोझ अन्तरित न किया जाए, आयोग द्वारा वर्तमान आदेश में वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 के वास्तविक देयकों के आधार पर औसत परिवर्तनीय प्रभार पर विचार किया गया है। आयोग द्वारा इस तथ्य पर भी विचार किया गया है कि यदि वास्तविक दरों में वृद्धि पर रोक लगाई जाती है तो इस संबंध में व्ययों

की आपूर्ति अनुज्ञप्तिधारी इसकी वसूली ईंधन लागत समायोजन (Fuel Cost Adjustment-FCA) के माध्यम से कर सकते हैं।

3.84 सुयोग्यता क्रम के प्रेषण के अनुसार दीर्घकालीन क्रयों (Long-Term purchases) को अनुज्ञेय करने के उपरान्त, वित्तीय वर्ष 2012–13 के विभिन्न माहों के दौरान 6290 मिलियन यूनिट विद्युत की व्यवस्था की जानी होगी। इस शेष आवश्यकता में से, 4519 मिलियन यूनिट की पूर्ति 285.7 पैसे प्रति यूनिट की भारित औसत दर पर ट्रेडको आवंटित स्टेशनों से की जाएगी। इसके बाद, 1771 मिलियन यूनिट की शेष आवश्यकता बचती है जिसमें से 577 मिलियन यूनिट की आपूर्ति मध्यमकालीन स्त्रोतों से रू. 4.00 प्रति किलोवाट ऑवर की दर से की जाएगी, जो माह अक्टूबर 2012 से मार्च 2013 तक उपलब्ध रहेगी तथा अवशेष बची 1195 मिलियन यूनिट की पूर्ति लघुकालीन स्त्रोत के माध्यम से रू. 4.50/किलोवाट ऑवर की दर से की जाएगी।

3.85 **व्यापारिक लाभ (Trading Margin)** : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एमपी ट्रेडको हेतु 4 पैसे प्रति यूनिट की दर से व्यापारिक लाभ (trading margin) का दावा किया गया है। आयोग द्वारा व्यापारिक लाभ का अवधारण अभी किया जाना शेष है। अतएव, आयोग द्वारा इस आदेश के अंतर्गत इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है।

अन्तर्राज्यीय तथा अंतर्क्षेत्रीय पारेषण प्रभार (Inter-State and Inter-Regional Transmission charges)

3.86 मध्यप्रदेश राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) प्रभारों में पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली हेतु देय प्रभार शामिल हैं।

3.87 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2012–13 की टैरिफ अवधि हेतु, अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों का प्रक्षेपण वित्तीय वर्ष 2010–11 के वास्तविक देयकों के आधार पर किया है। तत्पश्चात्, इन प्रभारों को मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इनकी स्थाई क्षमता (Firm Capacity) के आधार पर तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किया गया है जिसमें बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विशिष्ट आवंटन को भी शामिल किया गया है। आयोग द्वारा राज्य को ट्रेडको के माध्यम से उपलब्ध विद्युत उत्पादक स्टेशनों की क्षमताओं पर विचार किया गया है, जिन्हें राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों को पीजीसीआईएल प्रभारों का आवंटन करते समय राज्य (एमपी ट्रेडको) को आवंटित किया गया है। निम्न

तालिका पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किये गये प्रभारों के विवरण प्रदर्शित करती है :

तालिका 46 : विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुज्ञेय किये गये पीजीसीआईएल प्रभार (करोड़ रूपये में)

कम्पनी का नाम	अंशदान मेगावाट में	पीजीसीआईएल प्रभार
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1319	189.34
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	2033	249.06
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1545	161.60
योग	**4897**	**600.00**

राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (Intra-state Transmission Charges)

3.88 आयोग द्वारा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा एमपी पावर ट्रांसमिशन कं. लिमिटेड को देय वार्षिक पारेषण प्रभारों का अवधारण वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 के पारेषण आदेश में किया गया था। चूंकि वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु आयोग द्वारा एमपी ट्रांसको हेतु कोई पृथक, आदेश जारी नहीं किया गया है, अतएव वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विद्युत–दरों (Tariffs) को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु भी माना गया है। तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों को निम्न दर्शाई गई तालिका के अनुसार स्वीकार किया गया है :

तालिका 47 : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु स्वीकृत किये गये एमपीपीटीसीएल प्रभार (करोड़ रूपये में)

वार्षिक एमपीटीसीएल प्रभार	वित्तीय वर्ष 2012–13
मप्र पूर्व क्षेविवि कम्पनी	446.96
मप्र मध्य क्षेविवि कम्पनी	504.64
मप्र पश्चिम क्षेविवि कम्पनी	487.18
योग	**1438.79**

3.89 मप्रराविमं (MPSEB)/उत्तराधिकारी इकाईयों हेतु सेवान्त प्रसुविधाओं (Terminal Benefits) के विरूद्ध व्ययों के विषय में, वे कर्मचारी जो वित्तीय वर्ष 2012–13 में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, के साथ–साथ पेंशनभोगियों को पेंशन भुगतान के संबंध में भी, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु सेवान्त प्रसुविधाएं तथा पेंशन व्यय, अनुसार अनन्तिम आधार पर देयता के अनुसार आवंटन अर्थात् ''pay as you go'' सिद्धांत के अनुसार रू. 621.29 करोड़ की सीमा के अन्तर्गत एमपी ट्रांसको को उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कुल पारेषण प्रभारों के अवधारण संबंधी उनकी याचिका में दायर की गई दावा राशि के आधार पर स्वीकार किये गये हैं। इन्हें कुल पारेषण की राशि रू.

1438.79 करोड़ में शामिल किया गया है। सेवान्त प्रसुविधाओं के साथ–साथ पेंशन का भुगतान तथा सेवान्त सुविधा न्यास के निधीयन संबंधी प्रावधानों को अन्तिम किये जाने संबंधी प्रकरण आयोग के विचाराधीन है। आयोग द्वारा हाल ही में इस विषय पर पृथक विनियमों को विनिर्दिष्ट किये जाने संबंधी प्रारूप प्रकाशित किया गया है जिस पर टिप्पणियां आमंत्रित करने तथा जनसुनवाईयों संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है। अतएव इस आदेश के अंतर्गत प्रावधान यह सुनिश्चित किये जाने हेतु किया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी, जो वर्तमान में पेंशनधारी हैं तथा जो वित्तीय वर्ष 2012–13 में सेवा निवृत्त होंगे, वांछित प्रसुविधाएं प्राप्त करने में समर्थ रहें।

3.90 चूंकि वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु सेवान्त प्रसुविधा तथा पेंशन व्यय के भुगतान हेतु पूर्ण प्रक्षेपित प्रावधान एमपी ट्रांसमिशन कम्पनी प्रभारों में पृथक रूप से किये गये हैं जैसा कि इसका उल्लेख ऊपर किया गया है, अतएव वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू. 41.63 करोड़ के प्रावधान को ट्रांसमिशन कम्पनी के विद्यमान कर्मचारियों के भविष्यगामी अंशदान हेतु ट्रांसको प्रभारों में (वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु जैसा कि इसे वर्ष 2012–13 हेतु माना गया है) हेतु नहीं माना गया है।

राज्य प्रभार प्रेषण केन्द्र प्रभार (SLDC charges)

3.91 आयोग द्वारा आयोग के आदेश दिनांक 16 मार्च, 2012 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु रूपये 8.61 करोड़ की राशि राज्य भार प्रेषण प्रभारों के रूप में मानी गयी है। इसे उपरोक्त दर्शाये गये पारेषण प्रभारों (Transmission Charges) में शामिल कर लिया गया है।

3.92 कुल ऊर्जा क्रय लागत, जैसा कि इसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया है, की संक्षेपिका निम्न तालिका में दर्शाई गई है :–

तालिका 48 : स्वीकृत की गई कुल विद्युत क्रय लागत (करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			सम्पूर्ण राज्य का योग
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	
स्थाई उपलब्धता हेतु				
स्थाई प्रभार (Fixed charges)	1067.33	1392.48	1107.23	3567.04
परिवर्तनीय प्रभार (Variable charges)	1701.58	1880.54	1843.74	5425.86
विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य परस्पर व्यापार	-19.76	18.17	1.59	0.00
ट्रेडको से उत्पलब्धता	**120.088**	**880.547**	**290.531**	**1291.17**

मध्यमकालीन क्रय से उपलब्धता	**40.878**	**124.938**	**64.785**	**230.60**
लघुकालीन क्रय से उपलब्धता	**35.616**	**411.684**	**90.278**	**537.58**
पीजीसीआईएल प्रभार	189.34	249.06	161.60	600.00
एमपीपीटीएल प्रभार (सेवान्त प्रसुविधाओं तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभारो को सम्मिलित करतु हुए)	446.96	504.64	487.18	1438.79
महायोग	**3582.04**	**5462.06**	**4046.94**	**13091.04**

3.93 उपरोक्त दर्शाई गई विद्युत क्रय लागत के अलावा आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु रू. 98.75 करोड़ दावा किये गये ट्रेडको व्ययों की राशि के विरूद्ध रू. 30.06 करोड़ की राशि स्वीकार की गई है। इन व्ययों को स्वीकार करते समय, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ट्रेडको तुलन–पत्र (Tradeco Balance Sheet) में दर्शाये गये व्ययों की समीक्षा भी कर ली गई है।

नेटवर्क की लागतें (Net Work Costs)

पूंजीगत व्यय योजनाएं/परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण (Capital Expenditure Plans/Capitalization of Assets)

अनुज्ञप्तिधारियों के प्रस्तुतिकरण (Licensees' Submissions)

पूंजी निवेश (Investments)

3.94 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उनकी याचिका में दावा किया गया है कि उनके द्वारा विभिन्न योजनाएं, जैसे कि संभरक पृथक्करण (Feeder Segregation), एशिया विकास बैंक (ADB), आर–एपीडीआरपी (R-APDRP), सब ट्रांसमिशन (नार्मल) अथवा ST(N), टीएसपी (TSP), एससीएसपी (SCSP), पीएफसी (PFC), राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (RGGVY), किसान महापंचायत (Kisan Mahapanchayat) (नवीन कृषि पंप सेट), सिंहस्थ हेतु अनुदान (पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अंतर्गत) तथा ईआरपी–डीएफआईडी (ERP-DFID) तथा हडको (HUDCO), प्रणाली एकीकरण (System integration)/ऊर्जा बचत (Energy Savings)/मापन (Measurement)/अंकेक्षण (Auditing)/लेखांकन (Accounting) आदि (मध्य क्षेत्र विद्युत प्रकरण कम्पनी के अंतर्गत) विस्तृत पूंजी निवेश योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा हैं। पूंजीगत निवेश योजना के अन्तर्गत निम्न मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है :

- हानि में कमी की जाना (Loss Reduction), प्रणाली सुदृढ़ीकरण (System Strengthening), संभरक पृथक्करण के माध्यम से ग्रामीण आवासों में नियमित विद्युत प्रदाय (Regular Supply to Rural households through Feeder Segregation), सेवाओं की विश्वसनीयता (Reliability of Services)
- ग्रामीण विद्युतीकरण (Rural Electrification), क्षमता निर्माण (Capacity Building)
- वोल्टेज सुधार (Voltage improvement), उपभोक्ता सेवा (Consumer Service) तथा
- अमीटरीकृत संयोजनो का मीटरीकरण (Meterisation of unmetered connections)

3.95 वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 हेतु दाखिल की गई विद्युत वितरण कम्पनीवार पूंजी निवेश योजनाएं निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

तालिका 49 : पूंजी निवेश योजना **(राशि करोड़ रुपये में)**

कम्पनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1063.01	2,207.88
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,468.03	1,473.60
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	1,324.54	1,724.45
कुल राज्य	**3,855.58**	**5,405.93**

पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति पर (Capitalization and CWIP)

3.96 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 हेतु विद्युत वितरण कम्पनीवार पूंजीकरण योजना तथा निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार तालिकाबद्ध की गई है :

तालिका 50 : विद्युत वितरण कम्पनीवार वर्षवार पूंजीकरण तथा निर्माण कार्य प्रगति पर का द्विभाजन

(राशि करोड़ रुपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी		
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का प्रारंभिक शेष	745.6	1471.04
वर्ष के दौरान नवीन पूंजी निवेश की राशि	1,063.01	2,207.88
वर्ष के दौरान किया गया कुल पूंजीकरण	**386.82**	**1585.7**
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का अंतिम शेष	**1,421.79**	**2,093.22**
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी		
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का प्रारंभिक शेष	863.87	1,525.16
वर्ष के दौरान पूंजी निवेश की राशि	1,258.55	1,369.48
वर्ष के दौरान किया गया कुल पूंजीकरण (Capitalization)	**597.26**	**1,374.57**
प्रारंभिक निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) में से पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	345.55	1,100.68
नवीन पूंजी निवेश राशि में से पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	251.71	273.90
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का अंतिम शेष	**1,525.16**	**1,520.07**
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी		
निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) का प्रारंभिक शेष	890.31	501.82
वर्ष के दौरान नवीन पूंजी निवेश की राशि	1,171.47	1,729.41
वर्ष के दौरान किया गया कुल पूंजीकरण (Capitalization)	**1559.95**	**1674.65**
प्रारंभिक निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) में से पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	1559.95	1674.65
नवीन पूंजी निवेश राशि में से पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	0.00	0.00
वर्ष के दौरान किया गया पूंजी निवेश	**501.82**	**556.58**

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

3.97 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 में अनुज्ञप्तिधारियों हेतु व्यवसाय योजना, पूंजीनिवेश योजना, वित्तीय प्रबंधन योजना तथा पूंजीकरण हेतु मानदण्ड विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

3.98 विनियमों के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रतिवर्ष माह जुलाई में एक व्यवसाय योजना प्रस्तुत करेगा जो आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप इस बावत् विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्तीय प्रबंधन योजना तथा भौतिक लक्ष्यों तक ही सीमित न होते हुए विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि हेतु भार में अभिवृद्धि, वितरण हानियों में कमी, विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरीकरण आदि की आपूर्ति हेतु भी होगा।

3.99 पूंजीगत योजना में पृथक से निर्माणाधीन परियोजनाएं, जिनका कार्य विचाराधीन आगामी वर्ष के दौरान भी जारी रहेगा तथा इसके साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) जो टैरिफ अवधि में प्रारंभ की जाएंगी तथा जो टैरिफ अवधि के अंतर्गत अथवा उसके उपरांत पूर्ण की जा सकेंगी, दर्शाई जाएंगी। आयोग अनुज्ञप्तिधारी की पूंजी निवेश योजना पर विचार करेगा तथा उसे अनुमोदन प्रदान करेगा जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी को सुसंगत तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरण प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

3.100 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु, इस याचिका के अन्तर्गत पूंजीगत निवेश योजना प्रस्तुत की गई है। वित्तीय वर्ष 2008–09, वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुज्ञप्तिधारियों की परिसम्पत्तियों में वृद्धि की प्रगति दर्शाती है कि सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (Gross Fixed Assets-GFA) में वृद्धि निम्नानुसार रही है :

तालिका 51 : वित्तीय वर्ष 2009–2011 के दौरान परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण (राशि करोड़ रूपये में)

वित्तीय वर्ष के दौरान वृद्धि	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविक	मध्य क्षेविविकं
वित्तीय वर्ष 2008–09	305.21	180.69	356.76
वित्तीय वर्ष 2009–10	252.38	75.40	173.24
वित्तीय वर्ष 2010–11	405.58	661.40	99.40

3.101 उपरोक्त तालिका में दर्शायी गयी परिसम्पत्तियों में वृद्धि की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित की गई परिसम्पत्ति में की गई वृद्धियां निम्नानुसार हैं :

तालिका 52 : वित्तीय वर्ष 2011–2013 के दौरान परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण

(राशि करोड़ रूपये में)

वित्तीय वर्ष	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविक	मध्य क्षेविविकं
वित्तीय वर्ष 2011–12	386.82	597.26	1559.95
वित्तीय वर्ष 2012–13	1585.70	1,374.57	1674.65

3.102 उपरोक्त तालिकाओं के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों का पूर्व में किया गया प्रदर्शन किये गये प्रक्षेपणों की तुलना में काफी कम है। अतएव, आयोग वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु किये गये प्रक्षेपणों को स्वीकार नहीं कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2012–13 की विद्युत–दर के अवधारण (Tariff formulation) हेतु, आयोग ने पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई वास्तविक परिसम्पत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु परिसम्पत्तियों में की गई वृद्धियों की गणना की है।

संचालन एवं संधारण लागतें (Operation and Maintenance Costs)

अनुज्ञप्तिधारियों के प्रस्तुतिकरण (Licensees Submissions)

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.103 अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा संचालन एवं संधारण लागतों की गणना वित्तीय वर्ष 2011–12 के प्रक्षेपित अन्तिम शेष के आधार पर की गई है। उनके द्वारा दाखिल की गई याचिका के समर्थन में विनियमों के सुसंबद्ध उपबन्धों को उल्लिखित भी किया गया है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालन तथा संधारण व्ययों को वास्तविक संचालन एवं संधारण व्ययों के आधार पर शीर्ष ''वास्तविक–अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के आधार पर (as per actual additional submission)'' के अंतर्गत किया गया है। आधार का विवरण उनकी याचिका में ही प्रस्तुत किया गया है।

3.104 विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा संचालन एवं संधारण के विभिन्न भागों हेतु किये गये व्यय के समर्थन में निम्न कारण उद्धरित किये गये हैं :

(i) म.प्र. शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान कर्मचारियों को देय सामान्य वार्षिक वृद्धि के अलावा भी कर्मचारियों, पेंशन भोगियों की मंहगाई भत्तों में 6 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा बढ़ी हुई दरों पर मंहगाई भत्ते का भुगतान प्रारंभ किया जा चुका है।

(ii) आयोग के विनियम वर्ष 2009 से लागू किये गये हैं। तथापि, छटे वेतन आयोग तथा तत्पश्चात् मंहगाई भत्ते में वृद्धि के प्रभाव को संभवतः पूर्ण तौर पर लागू नहीं किया जा सकेगा। अतएव, उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आयोग वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कर्मचारी लागत को पूर्ण रूप से यथोचित मान्य करे।

(iii) सेवान्त प्रसुविधाओं को कर्मचारी लागत के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

(iv) मप्रविनिआ शुल्क (MPERC Fees) को प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों (A&G Expenses) के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

(v) मंहगाई दर में वृद्धि वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान 10 प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान 13 प्रतिशत थी, जबकि वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु, यह दर 16 प्रतिशत है। ये दरें भी विनियमों में निर्दिष्ट किये गये वृद्धि कारक (escalation factor) 6.14 प्रतिशत से अधिक हैं। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मंहगाई भत्ते का भुगतान बढ़ी हुई दरों पर प्रारंभ किया जा चुका है।

(vi) मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों (Repair and Maintenance Expenses) के संबंध में नियंत्रण अवधि हेतु इन्हें अनुज्ञेय किये जाने वाले व्ययों के अवधारण हेतु मरम्मत तथा अनुरक्षण रूझान, वित्तीय वर्ष 2006–07, 2007–08 तथा 2008–09 के प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (Gross Fixed Assets-GFA) के अंकेक्षित आंकड़े माने गये थे। प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2008–09 के अंकेक्षित आंकड़े आधार के रूप में माने गये थे तथा इनमें वर्षवार 6.14% की मुद्रा स्फीति दर से वृद्धि की गई जिसके अनुसार नियन्त्रण अवधि हेतु अनुज्ञेय की गई राशियों की गणना की गई।

(vii) याचिकाकर्ता द्वारा प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय प्रशासन, कर दायित्व (tax liability) तथा कार्यालयों के संचालन में उपगत (incur) किये जाते हैं। ये समस्त व्यय प्रत्यक्ष रूप से ईंधन की लागत में वृद्धि, उपभोक्ता के भार, विक्रय, उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली पहल, संचार व्यवस्था की लागतों (communication costs) के साथ–साथ भारत सरकार तथा मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों में परिवर्तन {जैसे कि विक्रय कर (Sales Tax}, सेवा कर (Service Tax) आदि} तथा मुद्रास्फीति द्वारा प्रभावित होते हैं। याचिकाकर्ता द्वारा उपभोक्ता के देखभाल (Customer Care) में वृद्धि करने, एमपी ऑनलाईन/बिल डेस्क के माध्यम से ऑनलाईन भुगतान करने, ऑनलाईन शिकायत निवारण (Online Complaint Management), एटीपी मशीनों, के माध्यम से बिलों का भुगतान, प्रणाली सुदृढ़ीकरण (System Strengthening) तथा बेहतर प्रक्रिया नियंत्रण हेतु कम्प्यूटरीकरण किये जाने का भी दावा किया गया है। उसके द्वारा विद्युत व्यवस्था की पुनर्स्थापना हेतु लगने वाले समय में कमी लाये जाने के बारे में मैदान में पदस्थ पदाधिकारियों के साथ संचार नेटवर्क में वृद्धि हेतु भी कदम उठाये गये हैं। इन समस्त पहलों के माध्यम से प्राप्त किये गये लाभों के वृहत्तर आर्थिक/सामाजिक मूल्य हैं तथा हानि में कमी के कारण उच्चतर मात्रा में राजस्व की उत्पत्ति आदि के अलावा भी इन गतिविधियों से जुड़ी हुई लागतों से अधिक महत्व रखते हैं। की गई इन पहलों के द्वारा याचिकाकर्ता को अपनी प्रतिबद्धताओं के निर्वहन में बेहतर ढंग से सहायता प्राप्त हुई है। उठाये गये इन कदमों के बारे में हितधारकों का रूख सकारात्मक रहा है तथा सर्वोत्तम जनोपयोगी सेवा संबंधी संव्यवहारों से संरेखित हैं।

(viii) प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों के प्रकरण में भाड़ा, दरों तथा करों का पूर्वानुमान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (GFA) के आधार पर लगाया गया है। आधार आंकड़ों (Base Figures) की गणना औसत भाड़ा तथा बीमा व्ययों के सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के एक निश्चित अनुपात के रूप में मानकर की गई है। कार्यालयों के विद्युत व्ययों का पूर्वानुमान भवन की सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 के वास्तविक व्ययों के आधार पर लगाया गया है तथा इन्हें 9.80 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर से संबद्ध किया गया है। बीमा (Insurance), राजस्व मुद्रांक व्यय (Revenue Stamp Expenses), दूरभाष प्रभार, विधिक व्यय (legal expenses), परामर्श सेवा प्रभार (Consultancy Charges), तकनीकी शुल्क (Technical Fees), अन्य व्यावसायिक शुल्क (other professional fees), परिवहन/ आवागमन तथा यात्रा व्यय (conveyance and Travelling Expenses), मुद्रण तथा स्टेशनरी, पुस्तकें तथा पत्रिकाएं (Books and periodicals) तथा अन्य समस्त व्ययों को प्रत्यक्ष रूप से 9.80 प्रतिशत प्रति वर्ष मुद्रास्फीति दर से संयोजित किया गया है। आधार आंकड़ों की गणना हेतु पिछले तीन वर्षों के व्ययों के औसत को आधार माना गया है तथा भविष्यगामी व्ययों के पूर्वानुमान की गणना हेतु उचित

मुद्रास्फीति दर का अनुप्रयोग किया गया है। मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल के सामान्य व्यय का आवंटन पिछले तीन वर्षों की औसत दर पर आधारित है तथा इसे 9.80 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर से संबद्ध किया गया है।

(ix) **अन्य व्यय (Other Expenses)** : आधार आंकड़ों की गणना पिछले तीन वर्षों के व्ययों के औसत के आधार पर की गई है तथा भविष्यगामी व्ययों का पूर्वानुमान 9.80 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर के अनुप्रयोग द्वारा किया गया है।

(x) उपरोक्त उल्लेखित व्ययों के अलावा, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विनियम की कण्डिका 32.7 के अनुसार, संचालन तथा संधारण व्ययों के अन्तर्गत विचारार्थ विद्यमान कर्मचारियों की सेवान्त प्रसुविधाओं (पेंशन, ग्रेच्युटी तथा अन्य व्यय) हेतु चालू दायित्वों (अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु) के लिये रू. 162.10 करोड़ की राशि का दावा भी किया गया है।

(xi) मप्रराविमं के सामान्य व्यय का आवंटन (Allocation of Common Expenditure of MPSEB): यह पूर्वानुमान पिछले तीन वर्षों के औसत पर आधारित है तथा इसे 9.80 प्रतिशत मुद्रास्फीति दर (Inflation Rate) से संबद्ध किया गया है।

3.105 तदनुसार, उपरोक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के संचालन तथा संधारण व्यय निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं।

तालिका 53 : वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु संचालन तथा संधारण व्यय (करोड़ रूपये में)

विवरण	मानदण्डों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुततिकरण के अनुसार
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses)	59.74	60.27
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)	663.06	882.32
कर्मचारी लागत (Employee cost)	77.07	115.79
योग	**799.87**	**1058.38**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी (West Discom)

3.106 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा संचालन तथा संधारण व्ययों को विनियमों में प्रावधानित मानदण्डों के साथ–साथ प्रक्षेपित वास्तविक प्रचालन तथा संधारण व्ययों के आधार पर भी दाखिल किया गया है। निवेदन किया गया है कि याचिका को प्रस्तुत करते समय वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के अंकेक्षित लेखे उपलब्ध थे तथा अन्य मदों के अलावा इसमें मुद्रास्फीति का सम्पूर्ण प्रभाव, वेतन पुनरीक्षण तथा छठे वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार बकाया राशि का भुगतान भी शामिल है। अतएव, यद्यपि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा टैरिफ याचिका में संचालन तथा संधारण लागत तथा अन्य मदों की गणना आयोग के विनियम दिनांक 22 जनवरी, 2010 के अनुसार की गई है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुरोध किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दिनांक 27 अक्टूबर, 2011 को दायर की गई याचिका में परिवर्तनों/परिवर्धनों (changes/additions) के प्रभाव के बारे में सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) में भी विचार किया जाए।

3.107 कर्मचारी व्ययों से संबंधित आंकड़े छटे वेतन आयोग के मानदण्डों, मुद्रा स्फीति दर (Inflation Rate), वास्तविक आंकड़ों (Historical Figures) के आधार पर प्रक्षेपित किये गये हैं तथा कर्मचारियों की संख्या से संबंधित की गई अवधारणाएं विद्युत वितरण कम्पनी के पूर्व वर्षों के लेखों की अंकेक्षित पुस्तकों से प्राप्त की गई हैं।

तालिका 54 : दाखिल की गई कर्मचारी लागत तथा अन्य प्रावधान (करोड़ रूपये में)

विवरण			वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13
A		**विनियम के अनुसार कर्मचारी लागत**	**413.28**	**438.65**
B		**कर्मचारी भविष्य निधि (PF) कर्मचारी पेंशन, उपदान (gratuity) हेतु भुगतान/अंशदान**		
	1	सेवान्त प्रसुविधाएं (Terminal Benefits)		
		अ) भविष्य निधि अंशदान (PF contribution)	0.78	0.86
		ब) नवीन पेंशन योजना में नियोक्ता का अंशदान **(वास्तविक भुगतान)**	0.94	1.73
		स) पेंशन हेतु प्रावधान	85.24	92.80
		द) उपदान हेतु प्रावधान	20.07	22.17
		ई) अर्जित अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान	2.53	2.80
	2	अन्य कोई मद, वार्षिकी भुगतान (Anunity Payment), सेवानिवृत कर्मचारियों, आदि को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (वास्तविक भुगतान का प्रावधान नहीं किया गया है)	7.15	7.72
	3	**अर्जित अवकाश नगदीकरण (वास्तविक भुगतान का प्रावधान नहीं किया गया है)**	7.14	9.53
		'B' dk ;kx	**123.84**	**137.61**
C		**बकाया राशि (Arrears)**	**31.31**	**31.31**
D		**कर्मचारी व्ययों का योग**	**568.43**	**607.57**

3.108 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आगे यह भी निवेदन किया गया है कि कम्पनी में समग्र रूप से समस्त वर्गों में पदाधिकारियों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कर्मचारी संवर्गों में, जैसे कि सहायक यन्त्री, कनिष्ठ यन्त्री, लाईन कर्मचारी (Line Staff), आदि में भरती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस प्रकार, नये भरती किये गये पदाधिकारयों के वेतन पर अतिरिक्त व्यय किया जाना होगा। इस हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा रू. 690.22 करोड़ की राशि का दावा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार किया गया है।

सेवांत प्रसुविधाएं (Terminal Benefits) :

3.109 विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया है कि चालू वर्ष के व्यय में की गई वृद्धि टर्मिनल प्रसुविधाओं के पुनरीक्षित प्रावधान पर आधारित हैं जो वित्तीय वर्ष 2006 से वित्तीय वर्ष 2012 तक की अवधि हेतु कर्मचारियों के पूर्व दायित्वों से संबंधित

जीवनांकिक प्रतिवेदन (Arctuial Report) के अनुसार रू. 750.24 करोड़ हैं। इसे निम्न दर्शाई गई तालिका के अनुसार दाखिल किया गया है :

तालिका 55 : सेवान्त प्रसुविधा दायित्व **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	ग्रेच्युटी	अवकाश नगदीकरण	पेंशन	कुल दायित्व
जीवनांकिक (actuary) आधार पर पश्चिम क्षेत्र विवि कंपनी से संबंधित निर्धारित किये गये पूर्व सेवा दायित्व (दिनांक 1.6.2005 से 31 मार्च 2009 तक)	52.41	19.95	348.76	421.12
वर्ष 2009–10	23.4	2.96	101.6	127.96
वर्ष 2010–11	17.48	2.2	73.64	93.32
वर्ष 2011–12	20.07	2.53	85.24	107.84
वर्ष 2011–12 तक का योग	**113.36**	**27.64**	**609.24**	**750.24**
वित्तीय वर्ष 2012–13 (वित्तीय वर्ष 2012–13 की कर्मचारी लागत में पूर्व में ही शामिल कर ली गई है)	22.17	2.8	92.8	117.77
योग	**135.53**	**30.44**	**702.04**	**868.01**

3.110 विद्युत वितरण कम्पनी ने जीवनांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (Acturial Valuation Report) के आधार पर वित्तीय वर्ष 2012–13 की संपूर्ण राजस्व आवश्यकता में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के पूर्व सेवा दायित्वों की पूर्ति हेतु रू. 868.01 करोड़ की लागत विनियामक परिसम्पत्तियों (Regulatory Assets) के रूप में अनुज्ञेय किये जाने हेतु अनुरोध किया है।

3.111 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु रू. 92.56 करोड़ तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु रू. 101.54 करोड़ के प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (Administrative and General Expenditure) दाखिल किया गया है।

आर–एपीडीआरपी (भाग–ए) परियोजना के कारण अतिरिक्त व्ययों के संबंध में प्रस्तुतिकरण (submission Regarding additional expenses on account of R-APDRP t-A) Project)

3.112 विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया है कि पश्चिम क्षेत्र वितरण कम्पनी के क्षेत्र में आर–एपीडीआरपी (भाग–ए) परियोजना का क्रियान्वयन पावर फायनेंस कार्पोरेशन से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से किया जा रहा है जिसके लिये विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर हेतु नेटवर्किंग (networking), जीपीआरएस प्रभार (GPRS charges) तथा सुविधा प्रबन्धन प्रणाली (Facility

Managment System-FMS) प्रभार व्यय करने होते हैं। अतएव, इस मद के अन्तर्गत रू. 5.59 करोड़ के अतिरिक्त प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों की स्वीकृति प्रदान की जाए।

3.113 दरों तथा करों पर व्ययों, कर्मचारियों को प्रोत्साहन तथा पुरस्कार की राशि, मप्रविनिआ शुल्क तथा मप्रराविमं के सामान्य व्ययों को वास्तविक प्रक्षेपण आधार के अनुसार माना जाए।

3.114 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों (A&G Expenses) हेतु 'विनियमों' तथा 'अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण' के अनुसार क्रमशः रू. 101. 54 करोड़ तथा रू. 118.27 करोड़ की राशि का दावा प्रस्तुत किया है।

मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (Repairs and Maintenance Expenditure) :

3.115 मध्य क्षेत्र विवि कंपनी हेतु मरम्मत तथा संधारण व्यय सकल स्थाई परिसम्पतियों (GFA) का 2.3 प्रतिशत निर्दिष्ट किये गये हैं जबकि पश्चिम तथा पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी हेतु ये सकल स्थाई परिसम्पत्ति का केवल 2 प्रतिशत निर्दिष्ट किये गये हैं जहां तक तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के नेटवर्क तथा नेटवर्क संधारण लागतों की स्थिति का संबंध है, इनमें कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है तथा इस प्रकार तीन विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों हेतु भिन्न–भिन्न मानदण्डों को निर्धारित किये जाने का कोई औचित्य (rationale) नहीं है। कई अन्य नियामक आयोगों द्वारा मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय, उपरोक्त दर्शाये गये प्रतिशत से कहीं अधिक अनुज्ञेय किये गये हैं। यह प्रावधान दिल्ली विद्युत नियामक आयोग द्वारा 2.81 प्रतिशत तथा महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग द्वारा 4 प्रतिशत अनुज्ञेय किया गया है।

3.116 यहां यह उल्लेख किया जाना प्रासांगिक होगा कि संभरक पृथक्करण परियोजना (Feeder Separation Programme), राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत वृहद स्तर पर संचालित किये जा रहे ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम तथा वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही अन्य क्षमता विस्तार परियोजनाओं के पूर्ण किये जाने पर, विद्युत वितरण कम्पनियों के मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों में वृद्धि होना अवश्यंभावी है। वास्तव में, वित्तीय वर्ष 2010–11 में पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के वास्तविक मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय रू. 47.88 करोड़ हैं जबकि टैरिफ विनियम के अनुसार मानदण्डीय मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय की गणना केवल रू. 39.41 करोड़ की गई थी।

3.117 उपरोक्त की गई चर्चा के परिप्रेक्ष्य में, निवेदन किया गया है मरम्मत तथा अनुरक्षण व्ययों को अनुज्ञेय किये जाने हेतु इन्हें सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (GFA) का न्यूनतम 4 प्रतिशत निर्धारित किया जाए। अतएव वर्तमान में सकल स्थाई सम्पत्ति के 2 प्रतिशत अर्थात् रू. 66.40 करोड़ के स्थान पर इसे सकल स्थाई सम्पत्ति का 4 प्रतिशत, अर्थात् रू. 132.80 करोड़ अनुज्ञेय किया जाए।

3.118 विनियमों के अनुसार तथा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार संचालन तथा संधारण व्ययों की तुलना निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 56 : वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु संचालन तथा संधारण व्ययों का तुलनात्मक अध्ययन

(करोड़ रूपये में)

विवरण	मानदण्डों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार
मरम्मत तथा अनुरक्षण (Repairs & Maintenance) व्यय	66.4	132.8
कर्मचारी लागत (Employee cost)	607.57	690.22
प्रशासनिक तथा सामान्य (Administrative and General) व्यय	101.54	118.27

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.119 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने संचालन तथा संधारण व्ययों के दावे वास्तविक संचालन तथा संधारण व्ययों पर विनियम के अनुसार किये गये तथा प्रक्षेपित किये गये अनुसार निम्नानुसार प्रस्तुत किये हैं :

कर्मचारी लागत (Employee Espenses)

3.120 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु कर्मचारी लागत की राशि रू. 389.69 करोड़ तथा बकाया राशि रू. 29.52 करोड़ अनुमोदित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु, कर्मचारी लागत को पूर्व वर्ष की लागत पर 6.14 प्रतिशत की मुद्रास्फीति दर को जोड़कर सुनिश्चित किया गया है। इस राशि की गणना रू. 413.61 करोड़ तथा बकाया के रूप में रू. 29.52 करोड़ की गई है।

3.121 **बकाया राशि (Arrears)** : छटे वित्त आयोग के मानदण्डों का प्रयोग करते हुए, कुल बकाया राशि की गणना की गई है। इसके अतिरिक्त, विनियमों में किये गये प्रावधान के अनुसार मानदण्डीय बकाया राशि ली गई है जो रू. 29.52 करोड़ है। बकाया राशि को

विनियमों के अनुसार ही लिया गया है तथा इसकी गणना में मुद्रास्फीति दर के प्रभाव को नहीं जोड़ा गया है।

3.122 **पेंशन तथा उपदान (Pension and Gratuity)** : वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु पेंशन को मूल वेतन का 20.15 प्रतिशत माना गया है जबकि मंहगाई भत्ते की गणना मेसर्स के.ए. पण्डित के जीवनांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (Acturial Valuation Report) में किये गये प्रावधान के अनुसार की गई है। वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु उपदान राशि मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते का 4.56 प्रतिशत ली गई है जैसा कि इसका प्रावधान मेसर्स के.ए. पण्डित के जीवनांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में किया गया है।

3.123 याचिका में प्रस्तुत किये गये अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु मुद्रस्फीति दर 6.14 प्रतिशत के स्थान पर 9.86 प्रतिशत रखे जाने का सुझाव दिया गया है।

3.124 इसके अतिरिक्त, दिनांक 1.06.2005 की अवधि तक तथा तत्पश्चात् की अवधि के दायित्वों का विभाजन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 57 : दाखिल किया गया पूर्ण सेवा दायित्व **(करोड़ रूपये में)**

वितवरण	ग्रेच्युटी	नगदीकरण	पेंशन		कुल दायित्व
			कर्मचारियों संबंधी	पेंशनभोगी / परिवार पेंशनभोगियों संबंधी	
31.3.2009 तक की स्थिति में पूर्व सेवाकाल के दायित्व	337.17	127.31	1471.68	619.99	2556.15
मप्रराविमं से संबंधित दायित्व (दिनांक 1.06.2005 तक के)	284.63	106.29	1242.75	523.38	2157.05
अन्तर	52.54	21.02	228.93	96.61	399.10

तालिका 58 : भविष्यगामी अंशदान **(करोड़ रूपये में)**

वित्तीय वर्ष	उपदान	पेंशन	अवकाश नगदीकरण	योग
2009–10		152.15		152.15
2010–11		99.26		99.26
2011–12	15.03	58.61	1.78	75.43
2012–13	14.98	56.37	1.77	73.12
योग				**399.96**

3.125 उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अन्तर्गत मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के संबंध में पूर्व सेवा दायित्वों के निर्वहन हेतु जीवनांकिक मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर रू. 799.06 करोड़ की लागत स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है :

तालिका 59 : सेवान्त प्रसुविधा दायित्व (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	उपदान	पेंशन	अवकाश नगदीकरण	कुल दायित्व
जीवनांकिक प्रतिवेदन (Actuary) (दिनांक 1.6.2005 से 31. मार्च, 2009 की अवधि हेतु) के अनुसार मप्रम.क्षेविविकं के संबंध में अवधारित किये गये पूर्व सेवा दायित्व	52.54	325.54	21.02	399.10
वर्ष 2009–10 हेतु		152.15		152.15
वर्ष 2010–11 हेतु		99.26		99.26
वर्ष 2011–12 हेतु	15.03	58.61	1.78	75.43
वर्ष 2012–13 हेतु	14.98	56.37	1.77	73.12
योग				**799.06**

प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (Administrative and General Expenses) :

3.126 मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी द्वारा प्रशासनिक तथा सामान्य व्ययों की गणना पूर्व वर्ष की लागत पर केवल 6.14 प्रतिशत के अनुप्रयोग के आधार पर की गई है। यह गणना मानदण्डों के आधार पर की गई है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु लागत की गणना पूर्व वर्ष की लागत में 6.14 प्रतिशत जोड़कर की गई है, जो 78.37 करोड़ आती है।

अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार (As per Additional submission) :

3.127 अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय रू. 116.66 करोड़ दाखिल किये गये हैं, जो निम्न मदों पर आधारित हैं :

क. **भाड़ा (Rent)** : भाड़े को सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (GFA) के अनुपात में पिछले 3 वर्षों की औसत के आधार पर लिया गया है।

ख. **दरें तथा कर (Rates and Taxes)** : इसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति के अनुपात में तथा पिछले तीन वर्षों के अंकेक्षित आकड़ों के औसत के आधार पर लिया गया है।

ग. **बीमा निधि प्रभार (Insurance Fund Charges)** : बीमा प्रभारों को राजस्व राशि के अनुपात में माना गया है, जिसके अनुसार इन्हें पिछले तीन वर्षों के अंकेक्षित आंकड़ों के औसत के आधार पर लिया गया है।

घ. **अन्य प्रभार (Other Expenses)** : अन्य समस्त व्यय सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा राजस्व के अनुपात में लिये गये हैं तथा इन्हें क्रमशः वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रक्षेपणों की गणना हेतु तत्पश्चात् पिछले तीन वर्षों के वित्तीय वर्ष के आंकड़ों के औसत के रूप में लिया गया है।

ङ. **मप्रराविमं के सामान्य व्ययों का आवंटन (Allocation of common expenses of MPSEB)** : ये व्यय पिछले तीन वर्षों के अंकेक्षित आंकड़ों के औसत के आधार पर लिये गये हैं तथा तत्पश्चात् 9.68 प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर मानकर क्रमशः वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रक्षेपित किये गये हैं।

च. **आर–एपीडीआरपी भाग 'ए' के बैंडविड्थ प्रभार (Bandwidth Charges R-APPDRP Part A)** : कम्पनी ने आर–एपीडीआरपी भाग 'ए' परियोजना को पावर फायनेंस कार्पोरेशन की वित्तीय सहायता से क्रियान्वित किया है। इस निधीयन

(funding) में हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर हेतु नेटवर्किंग, जीपीआरएस प्रभार (GPRS Charges) एफएमएस प्रभार (FMS Charges), में शामिल नहीं किये गये हैं तथा इनका वित्तीय प्रबन्धन कम्पनी की स्वयं की निधि से प्रचालन व्ययों (Operational expenses) के रूप में किया जाना होगा। इस लागत को कम्पनी की वित्तीय वर्ष 2012–13 की पूंजी निवेश तथा वित्तीय योजना में शामिल नहीं किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रू. 7.38 करोड़ की आवश्यकता होगी।

मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत (Repair and Maintenance Cost) :

3.128 सामान्यतः मरम्मत एवं अनुरक्षण लागत को सकल स्थाई परिसम्पत्तियों पर निर्भर होना माना जाता है। अतएव मरम्मत तथा अनुरक्षण लागत का पूर्वानुमान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों का 2.3 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया है जिसे वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु टैरिफ आदेश संबंधी विनियम में यथोचित अनुमोदन प्रदान किया गया है।

3.129 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विनियमानुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु रू. 89.18 करोड़ का मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय दाखिल किया गया है।

3.130 मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कुल रू. 685.79 करोड़ तथा रू. 756.54 करोड़ की राशि का दावा क्रमशः विनियम तथा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार किया गया है।

संचालन तथा संधारण व्ययों के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on O&M Expenses)

3.331 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 में प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी हेतु संचालन एवं संधारण व्यय के मानदण्ड परिभाषित किये गये हैं।

3.132 संचालन एवं संधारण व्ययों में कर्मचारी (Employee) लागत, मरम्मत तथा अनुरक्षण (R&M) लागत तथा प्रशासनिक एवं सामान्य (A&G) लागत शामिल होते हैं। विनियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कर्मचारी व्ययों, बकाया राशि भुगतान तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय की राशि का प्रावधान किया गया है। विनियमों में मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में 2% की दर से पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु तथा 2.3% की दर से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु अनुज्ञेय किये गये हैं। इन मानदंडों में कर्मचारियों को भुगतान

किये जाने वाली पेंशन, टर्मिनल प्रसुविधाएं, शासन को देय कर, मप्रराविमं व्यय तथा मप्रविनिआ को भुगतान योग्य शुल्क शामिल नहीं है। व्ययों की राशि की गणना के आधार संबंधी विवरण, बकाया राशि के भुगतान संबंधी व्ययों को सम्मिलित कर, विनियमों में प्रदान किये गये हैं।

3.133 छठे वेतन आयोग के कारण दिनांक 31.8.08 तक की अवधि हेतु बकाया राशि के भुगतान का सत्यापन करते समय, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा संचालन एवं संधारण व्ययों में इस हेतु सम्मिलित की गई राशि की तुलना वास्तविक रूप से किये गये भुगतान से की जाएगी तथा इनमें पाये गये किसी अन्तर को समायोजित किया जाएगा।

3.134 मप्रराविमं (MPSEB)/उत्तराधिकारी इकाईयों हेतु सेवान्त प्रसुविधाओं (Terminal Benefits) के विरूद्ध व्ययों के संबंध में, वे कर्मचारी जो वित्तीय वर्ष 2012–13 में सेवा निवृत्त होने वाले हैं, के साथ–साथ पेंशन भोगियों को पेंशन भुगतान के संबंध में भी, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु सेवांत प्रसुविधाएं तथा पेंशन व्यय अनन्तिम आधार पर ''देयता अनुसार भुगतान (pay as you go)'' सिद्धांत के आधार पर रू. 621.29 करोड़ की सीमा के अन्तर्गत एमपी ट्रांसको को उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु बहुवर्षीय टैरिफ संबंधी उनकी याचिका में दायर की गई दावा राशि के आधार पर अनुज्ञेय किये गये हैं। इन्हें कुल पारेषण की राशि रू. 1438.79 करोड़ में शामिल किया गया है। सेवान्त प्रसुविधाओं के साथ–साथ पेंशन का भुगतान तथा सेवान्त सुविधा न्यास के निधीयन संबंधी प्रावधानों को अन्तिम किये जाने संबंधी प्रकरण आयोग के विचाराधीन हैं। आयोग द्वारा हाल ही में इस विषय पर पृथक विनियमों को विनिर्दिष्ट किये जाने संबंधी प्रारूप प्रकाशित किया गया है जिस पर टिप्पणियां आमंत्रित करने तथा जनसुनवाईयों संबंधी कार्यवाही प्रगति पर है। अतएव, इस आदेश के अंतर्गत प्रावधान यह सुनिश्चित किये जाने हेतु किया गया है कि ऐसे सभी कर्मचारी, जो वर्तमान में पेंशनधारी हैं तथा जो वित्तीय वर्ष 2012–13 में सेवा निवृत्त होंगे, वांछित प्रसुविधाएं प्राप्त करने में समर्थ रहें।

3.135 विनियमों की कंडिका 32.11 के अन्तर्गत मीटरीकृत विक्रय में वृद्धि/कमी होने पर प्रोत्साहन/अप्रोत्साहन के संबंध में मानदण्ड विनिर्दिष्ट किये गये हैं। आयोग वास्तविक आंकड़ों के आधार पर इस मद के संबंध में समुचित रूप से प्रावधान सत्यापन के समय करेगा।

3.136 आयोग शासन को देय करों तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क के संबंध में, वास्तविक राशि के आधार पर, पृथक से अनुज्ञेय करेगा।

3.137 संचालन एवं संधारण व्ययों हेतु मानदण्ड निम्न अनुच्छेदों में दर्शाये गये हैं।

3.138 **मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय** : वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों पर पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी हेतु 2% की दर से, पश्चिम क्षेत्र विवि कम्पनी हेतु 2% की दर से तथा मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी हेतु 2.3% की दर से अनुज्ञेय किये जाएंगे।

तालिका 60 : मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	क्षेत्र विवि कम्पनी.		
	पूर्व	पश्चिम	मध्य
दिनांक 1 अप्रैल 2011 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	2600.22	2722.70	2317.26
वित्तीय वर्ष 2012* के दौरान मानी वृद्धि	304.86	305.74	194.52
दिनांक 1 अप्रैल 2012 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	2905.09	3028.44	2511.78
मरम्मत तथा संधारण व्यय हेतु अनुज्ञेय प्रतिशत	2.00%	2.00%	2.30%
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय का योग	**58.10**	**60.57**	**57.77**

** अंकेक्षित तुलन–पत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 12 के दौरान की गई वृद्धि, को पूर्व के तीन वर्षों की सकल स्थाई परिसम्पत्ति में हुई वृद्धि का औसत लिया गया है।*

3.139 **कर्मचारी व्यय** विनियमों में किये गये प्रावधानों के अनुसार लिये गये हैं। नियन्त्रण अवधि के प्रथम वर्ष हेतु, छटे वेतन आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन द्वारा कर्मचारी लागत पर पड़ने वाले प्रभाव पर विचार किया गया है जिसमें अनुवर्ती वर्षों के दौरान 6.14 प्रतिशत की दर से वृद्धि की गई है। इसके अतिरिक्त, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 से 2012–13 की अवधि हेतु दिनांक 31.8.2008 तक देय बकाया राशि (एरियर्स) के भुगतान हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रू. 33.37 करोड़, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रू. 31.31 करोड़ तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रू. 29.52 करोड़ के प्रत्याशित व्यय अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु प्रत्येक वर्ष में एक–तिहाई माना गया है।

तालिका 61 : विनियमों के अनुसार कर्मचारी व्यय **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	क्षेत्र विवि कंपनी		
	पूर्व	पश्चिम	मध्य
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु टैरिफ विनियम के अनुसार कर्मचारी व्यय, बकाया राशि को छोड़कर	440.54	413.28	389.69
जोड़ें : वृद्धि दर @ 6.14%	6.14%	6.14%	6.14%
वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कर्मचारी व्यय, बकाया राशि को छोड़कर	467.59	438.65	413.62
बकाया राशि	33.37	31.31	29.52
योग	**500.96**	**469.96**	**443.14**

3.140 विनियमों के अनुसार **प्रशासनिक एवं सामान्य व्ययों** का प्रावधान निम्नानुसार किया गया है :

तालिका 62 : विनियमों के अनुसार प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विवि कंपनी		
	पूर्व	पश्चिम	मध्य
वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु टैरिफ विनियमों के अनुसार प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	77.87	68.34	73.84
जोड़ें : वृद्धि दर @ 6.14%	6.14%	6.14%	6.14%
विनियमों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	**82.66**	**72.54**	**78.38**

3.141 **कुल संचालन एवं संधारण व्यय** : आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कुल संचालन एवं संधारण व्यय निम्नानुसार अनुज्ञेय किये गये हैं :

तालिका 63 : वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुज्ञेय किये गये संचालन एवं संधारण व्यय

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विवि कंपनी		
	पूर्व	पश्चिम	मध्य
मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय	58.10	60.57	57.77
कर्मचारी व्यय	500.96	469.96	443.14
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	82.66	72.54	78.38
कुल अनुज्ञेय किये गये संचालन एवं संधारण व्यय	**641.72**	**603.07**	**579.29**

अवमूल्यन या अवक्षयण (Depreciation)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

3.142 अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि उनके द्वारा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट कथित विनियमों के परिशिष्ट–III की दरों पर आधारित अवक्षयण मॉडल (Deperclation Model) विकसित किया गया है। तथापि, दिनांक 1.4.2010 से पूर्व की परिसम्पत्तियों हेतु अवक्षयण की गणना ''विद्युत वितरण तथा खुदरा व्यापार के टैरिफ अवधारण संबंधी विनियम, 2005'' में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की गई है। वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु इस प्रकार अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना निम्न तालिका में दर्शायी गई है :

तालिका 64 : विनियमों के अनुसार अवमूल्यन/अवक्षयण (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13
भवन	0.81	1.41
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0.09	0.09
अन्य सिविल कार्य	0.05	0.04

संयंत्र तथा मशीनरी	22.53	39.57
लाईन तथा केबल नेटवर्क,	52.68	62.73
वाहन	0.02	0.02
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0	0
कार्यालय उपकरण	0.45	0.52
योग	**76.63**	**104.38**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

3.143 अनुज्ञप्तिधारी ने निवेदन किया है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 के अंकेक्षित तुलन–पत्र के अनुसार उनकी प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति की राशि रू. 2722.70 करोड़ है। निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) के पूंजीकरण को वर्ष हेतु नवीन परिसम्पत्ति वृद्धि के रूप में अन्तरित कर दिया गया है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2012 से वित्तीय वर्ष 2013 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वर्षवार वृद्धि क्रमशः रू. 597.26 करोड़, तथा रू. 1374.57 करोड़ होगी। वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान, अवमूल्यन क्रमशः रू. 111.88 करोड़ तथा रू. 161.67 करोड़ होगा। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु की गई अवमूल्यन/अवक्षयण की गणना निम्नानुसार दर्शाई गई है :

तालिका 65 : अवमूल्यन/अवक्षयण **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13
भूमि तथा भूमि के अधिकार	0.02	0.02
भवन	2.98	4.81
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0.30	0.34
अन्य सिविल कार्य	0.11	0.11
संयंत्र तथा मशीनरी	51.34	81.15
लाईन तथा केबल नेटवर्क	56.58	74.58
वाहन	0.02	0.02
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.08	0.11
कार्यालय उपकरण	0.47	0.53
योग	**111.88**	**161.67**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.144 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 के अंकेक्षित तुलन–पत्र के अनुसार उनके द्वारा प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति की राशि रू. 2317.26 करोड़ उत्तराधिकार में प्राप्त की है। निर्माण कार्य प्रगति पर (CWIP) के पूंजीकरण को वर्ष हेतु नवीन परिसम्पत्ति वृद्धि के रूप में अन्तरित कर दिया गया है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वर्षवार वृद्धि क्रमशः रू. 1559.95 करोड़, तथा रू.

1671.08 करोड़ होगी। वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान संचित अवमूल्यन क्रमशः रू. 1449.68 करोड़ तथा रू. 1625.55 करोड़ होगा।

3.145 अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों (वे परिसम्पत्तियां, जो 90% तक अवमूल्यित नहीं की गई हैं) से प्रारंभिक शेष की अवधि, प्रक्षेपण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु ऐसे प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 से वर्ष 2004–05 तक मप्र राज्य विद्युत मंडल के वर्षवार परिसम्पत्ति वृद्धि आंकड़े के आधार पर प्राक्कलित की गई है। वे परिसम्पत्तियों जिनका संचित अवमूल्यन परिसम्पत्ति के परिसम्पत्ति मूल्य (वास्तविक मूल्य) का 90 प्रतिशत हो चुका है, उन पर किसी प्रकार का अवमूल्यन भारित नहीं किया गया है।

3.146 वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु ऐसी परिसम्पत्तियों पर अवमूल्यन राशि को प्रभारित नहीं किया गया है जिनका सृजन उपभोक्ता के अंशदान से किया गया है।

3.147 अवमूल्यन की गणना हेतु अपनाई गई अवमूल्यन दरें, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना के अनुसार हैं। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की दरों का उपयोग वार्षिक लेखों को तैयार किये जाने में किया जा रहा है। विद्युत वितरण कम्पनी ने आयोग को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु प्रयोज्य अवमूल्यन दरों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु भी लागू किये जाने पर विचार करने का अनुरोध किया है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु की गई अवमूल्यन की गणना निम्नानुसार दर्शाई गई है :

तालिका 66 : वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अवमूल्यन **(राशि करोड़ रूपये में)**

अवमूल्यन	मानदण्डों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार
योग	175.87	204.94

3.148 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विनियमों तथा दायर किये गये अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार अवमूल्यन/अवक्षयण के तुलनात्मक अध्ययन को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है:

तालिका 67 : वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अवमूल्यन का तुलनात्मक अध्ययन (करोड़ रूपये में)

कम्पनी का नाम	मानदण्डों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार
पूर्व क्षेविवि कम्पनी	104.10	104.10
पश्चिम क्षेविवि कम्पनी	161.67	161.67
मध्य क्षेविवि कम्पनी	175.87	204.94

अवमूल्यन के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on Depreciation)

3.149 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 के अनुसार अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष, ''सरल रेखा विधि (Straight Line Method)'' के आधार पर तथा वितरण प्रणाली की परिसम्पत्तियों हेतु, जो दिनांक 31.03.2010 के उपरान्त वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित की जाती हैं, परिशिष्ट–3 (Appendix-III) में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी बशर्ते वर्ष की 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन–योग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवनकाल के अन्तर्गत विस्तारित कर दिया जाए।

3.150 विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरणों में, दिनांक 1.4.2010 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2010 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्तियों के सकल अवमूल्यन योग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर, में से संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन दर को परिशिष्ट–2 में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70% तक पहुंच नहीं जाता। तत्पश्चात्, अवशेष अवमूल्यन योग्य मूल्य के परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के अंतर्गत इस प्रकार विभाजित कर दिया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की बढ़ोत्तरी 90% से अधिक न हो।

3.151 यह पाया गया है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दाखिल की गई याचिकाएं विनियमों में प्रावधानित मानदण्डों के अनुरूप नहीं हैं। परिसम्पत्तिवार विवरण, परिशिष्ट में निर्दिष्ट किये गये अनुसार अवमूल्यन, परिसम्पत्तियों के मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक मूल्य की परिसम्पत्तियों का अवमूल्यन किये जाने, परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवनकाल तथा अन्तिम अवमूल्यन मॉडल, जिनमें समस्त जानकारियां शामिल हों, को विनियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रस्तुत न किये जाने के कारण आयोग द्वारा अवमूल्यन संबंधी जानकारी की गणना निम्न विधि द्वारा की गई है :

3.152 परिसम्पत्ति आधार के मूल्य के संबंध में, आयोग ने विस्तृत रुप से वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसम्पत्ति वृद्धि के संबंध में पूर्वानुमान पर विचार न किये जाने पर विस्तृत सोच–विचार किया है क्योंकि ये पूर्व की प्रवृत्ति के प्रतिकूल बनाये गये प्रतीत होते हैं। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु, आयोग ने दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में परिसम्पत्तियों के अन्तिम रोकड़ में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अंकेक्षित तुलन–पत्र में सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि व अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अंकेक्षित

तुलन–पत्र के अन्तिम तीन वर्षों की औसत अभिवृद्धि के अनुसार जोड़ कर तथा इस मूल्य में वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु सकल स्थाई परिसम्पत्तियों में औसत वृद्धि की आधी राशि जोड़कर अवमूल्यन की गणना की है। जब वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अंकेक्षित तुलन–पत्र के आधार पर सत्यापन बाबत दावे दाखिल किये जाएंगे तभी आयोग द्वारा अब स्वीकार किये गये अवमूल्यन दावों का सत्यापन किया जायेगा।

3.153 दिनांक 31 मार्च, 2010 तक पूंजीगत परिसम्पत्तियों का संचित उपभोक्ता अंशदान, अनुदानों तथा सहायता अनुदान को सकल स्थाई परिसम्पत्ति में से घटा दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, उपभोक्ता का अंशदान अंकेक्षित तुलन–पत्रों के पिछले तीन वर्षों में हुई वृद्धि का औसत माना गया है तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु इसे तीन वर्षों में उपभोक्ता अंशदान में औसत वृद्धि का आधा माना गया है।

3.154 दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में, अंकेक्षित तुलन–पत्र की अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पत्ति, अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल, 2010 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति की गणना भूमि की लागत को घटाकर की गई है।

3.155 वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु स्वीकृत अवमूल्यन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 68 : अवमूल्यन **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	पूर्व क्षेत्र विवि कं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.
दिनांक 1 अप्रैल, 2010 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	2144.63	2056.43	2172.01
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2011 के दौरान की गई वृद्धि	403.58	661.40	99.40
घटाये : पूंजीगत परिसम्पत्तियों की लागत हेतु उपभोक्ता अंशदान, अनुदान तथा सहायतानुदान	623.61	320.09	159.13
दिनांक 1 अप्रैल, 2011 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	**1924.61**	**2397.74**	**2112.28**
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान की गई वृद्धि	304.86	305.74	194.52
घटाये : पूंजीगत परिसम्पत्तियों की लागत हेतु उपभोक्ता अंशदान, अनुदान तथा सहायतानुदान में की गई वृद्धि	201.71	94.84	66.47
दिनांक 1 अप्रैल, 2012 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	**2027.76**	**2608.63**	**2240.32**
वृद्धि के औसत में से वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान उपभोक्ता अंशदान को घटाकर	51.58	105.45	64.02
वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अवमूल्यन के लिये सकल स्थाई परिसम्पत्ति	**2079.34**	**2714.08**	**2304.35**
अवमूल्यन दर (%में)*	2.44%	2.81%	2.44%
वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुज्ञेय किया गया अवमूल्यन	**50.74**	**76.27**	**56.23**

**उपरोक्त तालिका में लिये गये अवमूल्यन दरों के प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश के अनुसार माने गये हैं क्योंकि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा गणनाएं न तो विनियमों के अनुसार प्रस्तुत की गई है तथा न ही मदवार वितरणों के साथ–साथ वास्तविक संचित अवमूल्यन के अनुसार वांछित विवरण के अनुसार प्रस्तुत की गई हैं।*

ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest and Finance Charges)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.156 अनुज्ञप्तिधारियों का कथन है कि दाखिल की गई ब्याज लागतें, ब्याज तथा वित्त प्रभारों की गणना के अनुसार निम्न विधि पर आधारित हैं :

1. दिनांक 31.5.2005 की स्थिति में अनन्तिम तुलन–पत्र के माध्यम से अन्तरित किये गये मप्रराविमं सामान्य ऋणों का द्विभाजन (bifurcate) उनके तत्संबंधी शीर्षों के अन्तर्गत कर दिया गया है तथा इन्हें भिन्न–भिन्न खातों के अन्तर्गत पुनः ढाल दिया गया है।
2. ब्याज तथा ऋणों की अदायगी तत्संबंधी ऋणों की तथा ब्याज अदायगी अनुसूची (Repayment Schedule) पर आधारित है।
3. परियोजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में रोकड़ आहरण को प्रतिबिंबित किये जाने की दृष्टि से, नवीन ऋणों में वृद्धियों को पूंजी निवेश योजना के आगे–पीछे (in tandem) माना गया है।

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.157 पूर्व क्षेविवि कम्पनी द्वारा पूंजीगत ऋणों पर ब्याज की गणना के संबंध में निम्नांकित विवरण दाखिल किये गये हैं :

तालिका 69 : विनियमों के अनुसार ब्याज लागत **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि (1)	386.82	1585.70
वर्ष के दौरान उपभोक्ता अंशदान (2)	5.00	5.00
वर्ष के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि (1–2)	381.82	1580.70
सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शुद्ध वृद्धि जिसे पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है, का 30 प्रतिशत	114.55	474.21
वर्ष के दौरान शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में शेष वृद्धि, जिसका ऋणों के माध्यम से निधीयन किया गया है	267.27	1106.49
वर्ष के दौरान देय ऋण की अदायगी (अवमूल्यन दावे के बराबर)	76.63	104.10
वित्तीय वर्ष 2010–11 के टैरिफ आदेश के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध ऋण (दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में रू. 398.76 करोड़ + सकल स्थाई सम्पत्ति में वृद्धि जिसे ऋण के माध्यम से निधिबद्व किया गया है– ऋण की अदायगी) तथा अनुवर्ती वर्षो हेतु जैसा कि इसे वित्तीय वर्ष 2010–11 के टैरिफ आदेश में अपनाई गई वृद्धि के अनुसार प्रक्षेपित किया गया है	775.65	1778.04
समस्त ऋणों पर भारित औसत प्रतिशत ब्याज की दर	8.53%	8.66%
परियोजना ऋणों पर कुल ब्याज	66.19	153.98
वित्त प्रभार (Finance Charges)	3.00	4.00
परियोजना ऋणों तथा वित्त प्रभारों पर कुल ब्याज	**69.19**	**157.98**

अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण (Additional Submission)

(अ) ऋणों पर ब्याज तथा ऋण अदायगी तत्संबंधी ऋण अदायगी अनुसूची (Repayment Schedule) तथा ब्याज पर आधारित है।

(ब) परियोजनाओं के वास्तविक रोकड़ प्रवाह को प्रतिबिंबित किये जाने बाबत नवीन ऋणों हेतु वृद्धियां पूंजी निवेश योजना के आगे–पीछे (in tandem) मानी गई हैं।

(स) परियोजना ऋण पर ब्याज का प्रक्षेपण करते समय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा पत्र क्रमांक 6054/13/2011 दिनांक 13–7–2011 द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय पुर्नसंरचना योजना (Financial Restructuring Plan-FRP) के प्रभाव को समाविष्ट किया गया है। वित्तीय पुर्नसंरचना योजना की मुख्य विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं :

i. मध्य प्रदेश सरकार के पूंजीगत तथा कार्यकारी पूंजी ऋणों (Capital and Working Capital Loans) का चिरस्थायी ऋण (Prepetual loan) में परिवर्तन, मय त्रिवर्षीय ऋण स्थगन विधान (moratarium) के।

ii. वित्तीय वर्ष 12, 13 तथा 14 हेतु उपभोक्ताओं से वसूली योग्य विद्युत अभिकर (Electrical Duty) तथा उपकर (cess) जो मध्य प्रदेश सरकार को देय है, को विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा धारित रखे जाने की अनुमति प्रदान की जाएगी तथा इन्हें मासिक आधार पर चिरस्थाई ऋण (Perpetual Loan) में परिवर्तित किया जाएगा।

iii. सरदार सरोवर परियोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 12, 13 तथा 14 हेतु देय विद्युत क्रय देयक को भी चिरस्थाई ऋण में परिवर्तित कर दिया जाएगा जिस हेतु ऋण स्थगन अवधि तीन वर्ष की रखी गई है।

(द) वित्तीय वर्ष 2015 के उपरान्त भारतीय स्टेट बैंक की अग्रिम ऋण प्रदाय दर इन चिरस्थाई ऋणों पर लागू होगी।

3.158 उपरोक्त की गई अवधारणाओं के आधार पर, परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार के विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 70 : अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार ब्याज लागत (करोड़ रूपये में)

क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13
I	राज्य शासन ऋणों, बन्ध पत्रों तथा अग्रिमों पर ब्याज प्रभार		
	ऋण पत्रों पर ब्याज प्रभार	0.39	0.00
	विदेशी मुद्रा ऋणों/उधार पर ब्याज प्रभार		
	ऋण पत्रों पर ब्याज प्रभार		
	उपरोक्त का योग (I)	**0.39**	**0.00**
II	**दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज/शासन द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं बैंकों/संगठनों से ऋणों की प्राप्ति**		
	एपीडीआरपी (APDRP)		
	प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (PMGY)		
	न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (MNP)		
	नाबार्ड (NABARD)	2.93	2.93
	एशिया विकास बैंक (ADB)		
	बाजार ऋण (Market Loan)	1.82	1.44

	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (मप्रराविमं) [REC-(MPSEB)]	20.64	18.34
	हडको (HUDCO)	17.25	16.13
	भारतीय स्टेट बैंक – सह प्रत्याभूति ऋण (SBI-Counter Guarantee Loan)	4.07	7.06
	आरईसी–जेबीआईसी	10.06	10.74
	पीएफसी–आरएपीडीआरपी	19.25	27.61
	एडीबी (2324)	2.92	3.62
	एडीबी (2347)	0.84	1.44
	एडीबी (2520)	1.85	3.90
	एडीबी (2732)		0.12
	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)/राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना		
	आईईसी– संभरक पृथक्करण	32.49	72.12
	एईसी– संभरक पृथक्करण	0.34	3.57
	संभरक पृथक्करण –मप्र शासन से सह निधीयन		
	एसटीएन (STN)	1.02	4.67
	टीएसपी (STP)	0.93	4.03
	एससीएसपी (SCSP)	1.47	5.65
	आरईसी–आरएपीडीआरपी	9.53	30.37
	विद्युत उपकर (ED) जिसे चिरस्थाई ऋण में परिवर्तित किया गया है		
	सरदार सरोवर		
	उपरोक्त का योग (II)	**127.41**	**213.74**
ए	**योग I+II**	**127.80**	**213.74**
बी	परियोजना ऋणों पर वित्तीय प्रबंधन तथा बैंक प्रभारों की लागत	3.00	4.00
सी	घटायें : पूंजीकृत की गई राशि (capitalized)	24.47	43.55
	योग (ए+बी–सी)	**106.33**	**174.19**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.159 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विनियमों तथा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार निम्न विवरण दाखिल किये गये हैं :

तालिका 71 : विनियमों के अनुसार पूंजी ऋणों पर ब्याज **(करोड़ रूपये में)**

	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2011–12**	**वित्तीय वर्ष 2012–13**
	वित्तीय वर्ष 2006		
	दिनांक 1 जून 2005 की स्थिति में ऋण जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित किया गया है (वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेश के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्ति को ऋण तथा पूंजी का आवंटन)	**129.91**	**129.91**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	35.31	35.31
	ऋण अदायगी	4.41	4.41
	दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) से संबद्ध कुल ऋण	**160.81**	**160.81**

	वित्तीय वर्ष 2007		
	दिनांक 31 मार्च 2006 की स्थिति में ऋण जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित किया गया है। (वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेश के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्ति को ऋण तथा पूंजी का आवंटन)	**160.81**	**160.81**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	73.78	73.78
	ऋण अदायगी	18.48	18.48
	दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध कुल ऋण	**216.11**	**216.11**
	वित्तीय वर्ष 2008		
	दिनांक 31 मार्च 2007 की स्थिति में ऋण जिसे वित्तीय वर्ष 2006–07 के सत्यापन आदेश के अनुसार चिन्हित किया गया है	**216.11**	**216.11**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	78.44	78.44
	ऋण अदायगी	93.61	93.61
	दिनांक 31 मार्च, 2008 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध कुल ऋण	**200.94**	**200.94**
	वित्तीय वर्ष 2009		
	दिनांक 31 मार्च 2008 की स्थिति में ऋण जिसे वित्तीय वर्ष 2007–08 के सत्यापन आदेश के अनुसार चिन्हित किया गया है	**200.94**	**200.94**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	65.77	65.77
	ऋण अदायगी	74.15	74.15
	दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध कुल ऋण	**192.56**	**192.56**
	वित्तीय वर्ष 2010		
	दिनांक 31 मार्च 2009 की स्थिति में सकल स्थाई संपत्ति के साथ चिन्हित ऋण	**192.56**	**192.56**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	39.50	39.50
	ऋण अदायगी	86.05	86.05
	दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध कुल ऋण	**146.01**	**146.01**
	वित्तीय वर्ष 2011		
	दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति में सकल स्थाई संपत्ति के साथ चिन्हित ऋण	**146.01**	**146.01**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	439.93	439.93

	ऋण अदायगी (अवमूल्यन के बराबर जिसे वित्तीय वर्ष 2010–11 के सत्यापन आदेश में अनुज्ञेय किया गया है)	54.98	54.98
	दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित कुल ऋण	**530.96**	**530.96**
	वित्तीय वर्ष 2012		
	दिनांक 1 अप्रैल 2011 की स्थिति में सकल स्थाई संपत्ति के साथ चिन्हित ऋण	**530.96**	**530.96**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	418.08	418.08
	ऋण अदायगी (अवमूल्यन के बराबर जिसे वित्तीय वर्ष 2011–12 के सत्यापन आदेश में अनुज्ञेय किया गया है)	61.08	61.08
	दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध कुल ऋण	**887.96**	**887.96**
	वित्तीय वर्ष 2013		
	दिनांक 1 अप्रैल 2012 की स्थिति में सकल स्थाई संपत्ति के साथ चिन्हित ऋण		**887.96**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत		962.20
	ऋण अदायगी (अवमूल्यन के बराबर जिसे वित्तीय वर्ष 2012–13 के सत्यापन आदेश में अनुज्ञेय किया गया है)		161.67
	दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध कुल ऋण		1688.49
	ऋण शेष का औसत	**709.46**	**1288.22**
	भारित की गई ब्याज की औसत दर (% में) (परियोजना ऋणों पर ब्याज के अनुसार)	10.88%	10.43%
ए	परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	77.19	134.35
बी	वित्त प्रबन्धन की लागत (Cost of Raising Finance)	4.08	4.48
	समयबद्ध अदायगी किये जाने पर उपभोक्ता को छूट	0.72	1.04
सी	कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	0.00	0.00
डी	**उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज**	32.16	34.68
ई	**राजस्व लेखा को प्रभारणीय कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार (ए+बी+सी+डी)**	114.15	174.55

तालिका 72 : अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार पूंजी ऋणों पर ब्याज (राशि करोड़ रूपये में)

	विवरण	**वित्तीय वर्ष 2011–12**	**वित्तीय वर्ष 2012–13**
	वित्तीय वर्ष 2006		
	दिनांक 1 जून 2005 की स्थिति में ऋण जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित किया गया है। (वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेश के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्ति को ऋण तथा पूंजी का आवंटन)	**129.91**	**129.91**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	35.31	35.31

	ऋण अदायगी	4.41	4.41
	दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध कुल ऋण	**160.81**	**160.81**
	वित्तीय वर्ष 2007		
	दिनांक 31 मार्च 2006 की स्थिति में ऋण जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित किया गया है (वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेश के अनुसार सकल स्थाई परिसम्पत्ति को ऋण तथा पूंजी का आवंटन)	**160.81**	**160.81**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	73.78	73.78
	ऋण अदायगी (अवमूल्यन के बराबर जिसे वित्तीय वर्ष 2006–07 के सत्यापन आदेश में अनुज्ञेय किया गया है)	33.87	33.87
	दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध कुल ऋण	**200.72**	**200.72**
	वित्तीय वर्ष 2008		
	दिनांक 31 मार्च 2007 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध ऋण जिसे वित्तीय वर्ष 2006–07 के सत्यापन आदेश अनुसार चिन्हित किया गया है	**200.72**	**200.72**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	78.44	78.44
	ऋण अदायगी (अवमूल्यन के बराबर जिसे वित्तीय वर्ष 2007–08 के सत्यापन आदेश में अनुज्ञेय किया गया है)	39.02	39.02
	दिनांक 31 मार्च, 2008 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध कुल ऋण	**240.14**	**240.14**
	वित्तीय वर्ष 2009		
	दिनांक 31 मार्च 2008 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध ऋण जिसे वित्तीय वर्ष 2007–08 के सत्यापन आदेश अनुसार चिन्हित किया गया है	**240.14**	**240.14**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	65.77	65.77
	ऋण अदायगी (अवमूल्यन के बराबर जिसे वित्तीय वर्ष 2008–09 के सत्यापन आदेश में अनुज्ञेय किया गया है)	36.11	36.11
	दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध कुल ऋण	**269.80**	**269.80**
	वित्तीय वर्ष 2010		
	दिनांक 31 मार्च 2009 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित ऋण	**269.80**	**269.80**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	39.50	39.50
	ऋण अदायगी (अवमूल्यन के बराबर जिसे वित्तीय वर्ष 2009–10 के सत्यापन आदेश में अनुज्ञेय किया गया है)	52.09	52.09
	दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबद्ध कुल ऋण	**257.21**	**257.21**

	वित्तीय वर्ष 2011		
	दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित ऋण	**257.21**	**257.21**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	439.93	439.93
	ऋण अदायगी (अवमूल्यन के बराबर जिसे वित्तीय वर्ष 2010–11 के सत्यापन आदेश में अनुज्ञेय किया गया है)	54.98	54.98
	दिनांक 31 मार्च 2011 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित ऋण	**642.16**	**642.16**
	वित्तीय वर्ष 2012		
	दिनांक 1 अप्रैल 2011 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित ऋण	**642.16**	**642.16**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	418.08	418.08
	ऋण अदायगी (अवमूल्यन के बराबर जिसे वित्तीय वर्ष 2011–12 के सत्यापन आदेश में अनुज्ञेय किया गया है)	61.08	61.08
	दिनांक 31 मार्च 2012 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबंद्ध ऋण	**999.16**	**999.16**
	वित्तीय वर्ष 2013		
	दिनांक 1 अप्रैल 2012 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित ऋण		**999.16**
	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत		962.20
	ऋण अदायगी (अवमूल्यन के बराबर जिसे वित्तीय वर्ष 2012–13 के सत्यापन आदेश में अनुज्ञेय किया गया है)		161.67
	दिनांक 31 मार्च 2013 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ संबंद्ध ऋण		1799.69
	ऋण शेष का औसत	**820.66**	**1399.42**
	भारित की गई ब्याज की औसत दर (% में) (परियोजना ऋणों पर ब्याज के अनुसार)	10.88%	10.43%
ए	परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	89.29	145.94
बी	वित्त प्रबन्धन की लागत (Cost of Raising Finance)	4.08	4.48
	समयबद्ध अदायगी किये जाने पर उपभोक्ता को छूट	0.72	1.04
सी	कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	16.47	14.25
डी	**उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज**	32.16	34.68
ई	**राजस्व लेखा को प्रभारणीय कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार (ए+बी+सी+डी)**	142.72	200.40

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.160 मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विनियमों तथा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार निम्न तालिका के अनुसार जानकारी प्रस्तुत की गई है :

तालिका 73 : विनियमों के अनुसार पूंजीगत ऋणों पर ब्याज (करोड़ रूपये में)

	विवरण	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13
(I)	**राज्य शासन ऋणों, बन्धपत्रों तथा अग्रिमों पर ब्याज प्रभार**	0.00	0.00
	राज्य शासन से ऋणों पर ब्याज प्रभार	3.42	0.00
	बन्ध पत्रों पर ब्याज		
	विदेशी मुद्रा ऋणों/क्रेडिट पर ब्याज प्रभार		
	ऋण पत्रों पर ब्याज प्रभार		
उपरोक्त का योग (1)		**3.42**	**0.00**
(II)	**दीर्घकालीन ऋणों पर ब्याज/शासन द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं बैंकों/ संगठनों से ऋणों की प्राप्ति**	33.11	1.84
	पीएफसी (पीएफसी–एसटीएल के सम्मिलित करते हुए)	13.11	11.69
	आरईसी	5.37	5.60
	जेबीआईसी	6.39	9.11
	एडीबी–II	14.14	15.92
	आरएपीडीआरपी (ए)	51.02	95.02
	आरएपीडीआरपी (बी)	6.81	5.71
	हडको	2.25	3.19
	एसएसटीडी/टीएसपी/एससीएसपी	34.87	83.24
	संभरक पृथक्करण		
	प्रतिभूति रहित (unsecured)	0.00	0.00
	उपरोक्त का योग (2)	**167.08**	**231.32**
ए	**(1) + (2) का योग**	**170.51**	**231.32**
बी	**परियोजना ऋणों पर वित्त प्रबंधन की लागत तथा बैंक प्रभार की लागत**		
सी	**ब्याज तथा वित्त प्रभारों का महायोग (ए+बी)**	**170.51**	**231.32**
डी	**घटायें : पूंजीगत लेखा को प्रभारणीय ब्याज तथा वित्त प्रभार,**	**59.99**	**81.39**
	परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभारों का शुद्ध योग (सी–डी)	**110.51**	**149.93**

3.161 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विनियमों तथा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार, सावधि ऋण (Term Loan) पर ब्याज का तुलनात्मक विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 74 : वित्तीय वर्ष 2012 हेतु सावधि ऋण का तुलनात्मक विवरण (करोड़ रूपये में)

कम्पनी का नाम	मानदण्डों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार	अन्तर
पूर्व क्षेविवि कम्पनी	157.98	174.19	–16.21
पश्चिम क्षेविवि कम्पनी	139.87	151.47	–11.60
मध्य क्षेविवि कम्पनी	149.93	149.93	0.00

ब्याज तथा वित्त प्रभारों पर आयोग का विश्लेषण (*Commission's Analysis of Interest and Finance Charges*)

3.162 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम 2009 केवल उन्हीं ऋणों के ब्याज प्रभारों को अनुज्ञेय करते हैं जिन्हें सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से लिया गया है तथा जिनसे संबद्ध पूंजीगत कार्यों को पूर्ण कर इनका उपयोग प्रारंभ किया जा चुका है।

3.163 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आयोग को उपलब्ध कराये गये अन्तिम लेखे वित्तीय वर्ष 2010–11 से संबंधित हैं। समस्त निर्माणाधीन ऐसे कार्यों हेतु, ऋण के वित्त प्रबंधन से संबंधित ब्याज लागत को निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) माना जाता है जिसे पूंजीकृत किया जाएगा तथा परिसम्पत्ति पूंजीकरण के समय इसे परियोजना लागत में जोड़ा जाएगा। ऐसी ब्याज लागत को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से (Pass through) अन्तरित किये जाने पर विचार नहीं किया जाता है। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि उपभोक्ता से केवल उन्हीं संपत्तियों की लागत से संबंधित ब्याज को वहन करने की अपेक्षा की जा सकती है जिनका उपभोक्ता उपयोग कर रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा निर्माणाधीन परिसम्पत्तियों का उपयोग नहीं किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्माण के अन्तर्गत वहन की गई ब्याज लागत, प्रगति पर निर्माण कार्यों (CWIP) का एक भाग बन जाती है, अतएव इसे विद्युत–दरों के माध्यम से वसूली हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जाता है।

3.164 आयोग के संज्ञान में है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कुछ पूंजीगत कार्य वित्तीय वर्ष 2011–12 में पूर्ण कर लिये होंगे तथा कुछ पूंजीगत कार्य वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान पूर्ण कर लिये जाएंगे जिन्हें पूंजीकृत कर परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जाएगा। परन्तु, जैसा कि पूंजीकरण संबंधी भाग में स्पष्ट किया गया है, अनुज्ञप्तिधारियों का परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में पूर्व निष्पादन उसके द्वारा परिसम्पत्ति

अभिवृद्धि हेतु किये गये प्रक्षेपणों से काफी कम है। अतः, आयोग वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु संभावित पूंजीकरण पर विचार किया जाना उचित नहीं मानता। परंतु, वह केवल उसी दशा में ऐसी परिसम्पत्तियों को आरोपणीय ब्याज व्ययों पर विचार करेगा जब ऐसी परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जाएगा। यह अनुज्ञप्तिधारियों को, इस प्रकार से, कार्यों को पूर्ण किये जाने में गति लाये जाने तथा परिसम्पत्तियों को प्रगति पर निर्माण कार्यों से सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के त्वरित तथा दक्ष अन्तरण को सुनिश्चित किये जाने बाबत उनकी लेखांकन प्रक्रियाओं में सुधार लाये जाने हेतु भी प्रोत्साहित करेगा।

3.165 अतएव, आयोग ने वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु, उसी मार्ग के अनुसरण करने का निर्णय लिया है जो उसके द्वारा उसके पूर्व के टैरिफ आदेश (वित्तीय वर्ष 2011–12) में अपनाया गया था जिससे राजस्व लेखे को प्रभारणीय ब्याज के लागत की गणना की जा सके। इसका निष्पादन निम्न विधि द्वारा किया गया है :

(अ) वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा 2010–11 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल योग की गणना वर्ष के दौरान तुलन–पत्र में उपलब्ध वर्ष के दौरान कुल स्थाई परिसम्पत्तियों के योग में से उपभोक्ता अंशदान राशि को घटा कर किया गया है।

(ब) वित्तीय वर्ष 2008–09, वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, सकल स्थाई परिसम्पत्ति के 30 प्रतिशत का पोषण वित्तीय व्यवस्था पूंजी के माध्यम से, सकल स्थाई परिसम्पत्ति हेतु शुद्ध वृद्धि के शेष को ऋण के माध्यम से पोषित किया गया माना गया है तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के अन्त में वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ सत्यापन आदेश अनुसार इसे सकल स्थाई परिसम्पत्तियों को कुल ऋण में जोड़ कर विचार किया गया है।

(स) वित्तीय वर्ष 2007–08, के अन्त में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) में कुल ऋण की राशि को वित्तीय वर्ष 2007–08 के सत्यापन आदेश के अनुसार पूंजीगत परिसम्पत्तियों की लागत हेतु आनुपातिक उपभोक्ता अंशदान (Proportionate Consumer Contribution), अनुदान (Grant) तथा सहायतानुदान (Subsidy) को घटा कर लिया गया है।

(द) तत्पश्चात्, ऋणों की अदायगी को उपरोक्तानुसार की गई गणना के अनुसार पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित कुल ऋण में से घटाया गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान अदायगी उक्त वर्ष के दौरान अनुज्ञेय किये गये अवमूल्यन/अवक्षयण के बराबर होगी।

(ई) वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान, परिसम्पत्ति में वृद्धि तथा ऋण अदायगी की गणना अंकेक्षित तुलन पत्रों से पिछले तीन वर्षों में की गई वृद्धि तथा ऋण अदायगी के औसत से की गई है। ऐसा माना गया है कि की गई वृद्धियों का वित्तीय प्रबन्धन 70% ऋण तथा 30% पूंजी के माध्यम से किया गया है। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों के संबंध में भारित औसत दर (Weighted average rate) उनके द्वारा दाखिल किये गये अनुसार 8.66%, 10.43% तथा 10.50% मानी गई है।

3.166 वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु, वित्तीय प्रबंधन की लागत तथा बैंक प्रभार, जैसा कि इन्हें तीन विद्युत वितरण कंपनियों के तुलन–पत्रों में दर्शाया गया है, पूर्व क्षेविविकं हेतु रू. 12.58 करोड़, पश्चिम क्षेविविकं हेतु रू. 3.72 करोड़ तथा मध्य क्षेविविकं हेतु रू. 12.44 करोड़ हैं। अतएव वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुज्ञेय किये गये कुल ब्याज तथा वित्त प्रभार की राशि निम्नानुसार हैं :

तालिका 75 : वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुज्ञेय किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र विविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.
वित्तीय वर्ष 2009			
दिनांक 31 मार्च, 2008 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित किये गये ऋण आनुपातिक उपभोक्ता पूंजीगत परिसम्पत्तियों हेतु अंशदान, अनुदान तथा सहायतानुदान वर्ष 2007–08 के सत्यापन आदेश के अनुसार	149.19	193.08	253.68
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	161.53	65.77	163.61
ऋण की अदायगी	56.17	74.15	54.78
दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध कुल ऋण	254.55	184.70	362.51
वित्तीय वर्ष 2010			
दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	254.55	184.70	362.51
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	148.05	39.50	102.57
ऋण की अदायगी	64.22	86.05	64.58
दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से संबद्ध कुल ऋण	338.38	138.15	400.50
वित्तीय वर्ष 2011			
दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	338.38	138.15	400.50
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	261.77	439.93	58.49
ऋण की अदायगी	49.48	73.30	54.66
दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	550.68	504.77	404.33
वित्तीय वर्ष 2012			
दिनांक 01 अप्रैल, 2011 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	550.68	504.77	404.33
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	190.45	181.73	108.22
ऋण की अदायगी	46.96	67.38	51.54

दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध कुल ऋण	694.17	619.13	461.02
वित्तीय वर्ष 2013 हेतु ब्याज लागत			
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति, जिसे उपभोक्ता अंशदान के शुद्ध ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है, में वृद्धि का 70 प्रतिशत	190.45	181.73	108.22
ऋण की अदायगी	46.96	67.38	51.54
दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध कुल ऋण	837.66	733.49	517.70
वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु ऋण शेष का औसत	765.91	676.31	489.36
ऋण की भारित औसत (%में) (परियोजना ऋणों में ब्याज के अनुसार)	8.66%	10.43%	10.50%
ब्याज प्रभार	66.33	70.54	51.38
अन्य प्रभार (वित्तीय वर्ष 2011 के तुलन पत्र के अनुसार)	12.58	3.72	12.44
परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार	**78.91**	**74.26**	**63.82**

कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.167 अनुज्ञप्तिधारियों का कथन है कि उनके द्वारा कार्यकारी पूंजी का अनुमान विनियमों के अनुसार मानदण्डों के आधार पर किया गया है। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना हेतु पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु ब्याज दर 13.00% तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु ब्याज दर 14.75% मानी गई है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 76 : विनियमों के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	24.01
बी)	संचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses)	
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses)	59.74
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)	77.07
	कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)	663.06
बी i)	संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	799.88
बी ii)	योग का बारहवां (1/12) भाग	66.66
सी	**प्राप्तियां**	
सी i)	चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	
सी ii)	चक्रण प्रभारों के दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	

डी)	कुल कार्यकारी पूंजी ए+बी (ii) + सी (ii)	90.66
इ)	ब्याज दर	13.00%
एफ)	**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज**	**13.37**
	अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक व्यय	**NA**
	खुदरा गतिविधि हेतु (For Retail Activity)	**वित्तीय वर्ष 13**
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	0.00
बी)	प्राप्तियां	0.00
बी i)	टैरिफ तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	4446.36
बी ii)	दो माह की औसत बिलिंग के बरावर प्राप्तियां	741.06
सी	विद्युत क्रय संबंधी व्यय	4646.63
सी i)	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग	387.22
डी)	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	820.94
ई)	**कुल कार्यकारी पूंजी (ए+बी (ii) – सी (i)–डी)**	-467.10
एफ)	ब्याज दर	13.00%
जी)	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	-60.72
	चक्रण गतिविधियों से कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज	13.37
	खुदरा गतिविधियों से कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज	-60.72
	कार्यकारी पूंजी पर शुद्ध ब्याज	-

अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार

तालिका 77 : अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2013
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	
बी)	संचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses)	
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses)	59.74
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)	113.34
बी i)	कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)	859.56
बी ii)	संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	1032.64
सी	योग का बारहवां (1/12) भाग	86.05
सी i)	प्राप्तियां	
सी ii)	चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	
डी)	चक्रण प्रभारों के दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	
ई)	कुल कार्यकारी पूंजी	110.06
एफ)	ब्याज दर	13.00%

	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	
	अंकेक्षित लेखों के अनुसार वास्तविक व्यय	
	खुदरा गतिविधि हेतु	
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	
बी)	प्राप्तियां	
बी i)	टैरिफ तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	4446.36
बी ii)	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्तियां	471.06
सी	विद्युत क्रय संबंधी व्यय	5224.75
सी i)	विद्युत क्रय संबंधी व्ययों का बारहवां भाग	435.40
डी)	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	136.82
ई)	**कुल कार्यकारी पूंजी (ए+बी (ii) – सी (ii)–डी)**	**168.84**
एफ)	ब्याज दर	13.00%
जी)	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	21.95
	चक्रण गतिवधियों से कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज	14.31
	खुदरा गतिविधियों से कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज	21.95
	कार्यकारी पूंजी पर शुद्ध ब्याज	**36.26**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 78 : कार्यकारी पूंजी पर ब्याज **(करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 12–13
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग (1/6)	4.43
बी)	प्रचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses)	
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses)	66.40
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)	101.54
	कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)	607.57
बी i)	प्रचालन एवं संधारण व्ययों का योग	775.51
बी ii)	योग का बारहवां (1/12) भाग	64.63
सी)	प्राप्तियां	
सी i)	चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	4.72
सी ii)	चक्रण प्रभारों के दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	0.79
डी)	कुल कार्यकारी पूंजी	69.84
	ए+बी (ii) + सी (ii)	
ई)	ब्याज दर	14.75%
एफ)	**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज**	10.30

	खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु	
सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–13
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग (1/6)	1.11
बी)	प्राप्तियां	
बी i)	टैरिफ तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	6,298.55
बी ii)	दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्तियां	1,049.76
सी)	विद्युत क्रय व्यय	7,942.42
सीi)	विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां भाग	661.87
डी)	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	598.91
ई)	कुल कार्यकारी पूंजी (ए+बी) (ii) – सी (i)–डी)	(209.91)
एफ)	ब्याज दर	14.75%
जी)	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	-30.96

<u>अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार</u>

तालिका 79 : किये गये प्रक्षेपण के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–13
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	14-25

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 80 : विनियमों के अनुसार कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण चक्रण गतिविधि हेतु	वहुवर्षीय टैरिफ वर्ष 2010–11 से 2012–13		
		वित्तीय वर्ष 2011	वित्तीय वर्ष 2012	वित्तीय वर्ष 2013
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	20.75	31.43	38.15
बी)	संचालन एवं संधारण व्यय (O&M Expenses)			
	मरम्मत तथा अनुरक्षण व्यय (R&M Expenses)	23.39	57.67	89.18
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय (A&G Expenses)	77.96	73.84	78.37
	कर्मचारी व्यय (Employee Expenses)	510.29	494.99	518.24
बी i)	संचालन एवं संधारण व्ययों का योग	611.65	626.50	685.79
बी ii)	योग का बारहवां (1/12) भाग	50.97	52.21	57.15
सी)	प्राप्तियां			
सी i)	चक्रण प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति			
सी ii)	चक्रण प्रभारों के दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां			
डी)	कुल कार्यकारी पूंजी ए+बी (ii) + सी (ii)	71.73	83.64	95.30

ई)	ब्याज दर	12.75%	13.00%	13.00%
एफ)	**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज**	**9.15**	**10.87**	**12.39**
	खुदरा गतिविधि हेतु	**वित्तीय वर्ष 11**	**वित्तीय वर्ष 12**	**वित्तीय वर्ष 13**
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)			
बी)	प्राप्तियां			
बी i)	टैरिफ तथा प्रभारों से वार्षिक राजस्व की प्राप्ति	3102.13	3964.07	4822.38
बी ii)	दो माह की औसत बिक्री के बरावर	517.02	660.68	803.73
सी)	विद्युत क्रय संबंधी व्यय	3063.90	3754.46	5201.62
सीi)	विद्युत क्रय संबंधी व्ययों का बारहवां भाग	255.33	312.87	433.47
डी)	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप	570.98	585.58	630.67
ई)	**कुल कार्यकारी पूंजी(ए+बी (ii) – सी (i)–डी)**	-309-28	-237-77	-260-41
एफ)	ब्याज दर	12.75%	13.00%	13.00%
जी)	**कार्यकारी पूंजी पर ब्याज**	-39.43	-30.91	-33.85

<u>अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार</u>

तालिका 81 : कार्यकारी पूंजी पर ब्याज प्रक्षेपण के अनुसार (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2012–13
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	55.32

3.168 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विनियमों तथा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के आधार पर कार्यकारी पूंजी पर ब्याज का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार है :

तालिका 82 : वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज का तुलनात्मक विवरण (करोड़ रूपये में)

कम्पनी का नाम	विनियमों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	0	36.26
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	0	14.25
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	0	55.32

कार्यकारी पूंजी के ब्याज पर आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Interest on Working Capital)

3.169 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009

तथा इसके प्रथम संशोधन {AG-35(i), वर्ष 2010} में प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी पूंजी में वे ही व्यय सम्मिलित होंगे जिनकी विद्युत प्रदाय गतिविधि तथा चक्रण गतिविधि हेतु आवश्यकता होती है। इन दोनों गतिविधियों के लिये मानदण्ड पृथक–पृथक विनिर्दिष्ट किये गये हैं। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर सुसंबद्ध वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर (Base Rate) + 4% रखी गई है।

3.170 अंकेक्षित तुलन–पत्र के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2010–11 के अन्त की स्थिति में सकल खण्ड (ग्रास ब्लाक) की राशि रू. 2600 करोड़ (पूर्व क्षेविविकं हेतु), रू. 2723 करोड़ (पश्चिम क्षेविविकं हेतु) तथा रू. 2317 करोड़ (मध्य क्षेविविकं हेतु) थी। इस राशि के एक प्रतिशत की गणना, दो माह हेतु आनुपातिक किये गये अनुसार पूर्व क्षेविविकं हेतु रू. 4.33 करोड़, पश्चिम क्षेविविकं हेतु, रू. 4.54 करोड़ तथा मध्य क्षेविविकं हेतु रू. 3.86 करोड़ होगी। इसे चक्रण गतिविधि तथा विद्युत प्रदाय गतिविधि हेतु, सामग्री आवश्यकता (Inventory Requirement) माना गया है। इसे, तत्पश्चात्, चक्रण तथा प्रदाय सामग्री हेतु, क्रमशः 80 : 20 के अनुपात में विभाजित किया गया है जैसा कि इसे पूर्व विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में अपनाया गया था। उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज को 'उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज' संबंधी भाग में की गई चर्चानुसार माना गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि हेतु, कार्यकारी पूंजी के अन्य घटकों के मूल्यों की पुनर्गणना इस आदेश के सुसंगत भागों के अंतर्गत की गई है।

3.171 आयोग अपने पूर्व के टैरिफ आदेशों के अंतर्गत चक्रण तथा खुदरा गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज पृथक–पृथक अनुज्ञेय करता आ रहा है। तथापि, वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 के सत्यापन अभ्यास के अन्तर्गत यह पाया गया कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा चक्रण तथा खुदरा गतिविधि के विवरणों का पृथक्करण नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त, चूंकि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दोनों गतिविधियां साथ–साथ निष्पादित की जाती हैं, अतएव उपलब्ध संसाधन दोनों हेतु सांझे होते हैं। अतएव, आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा गतिविधियों हेतु कार्यकारी पूंजी आवश्यकता संयोजित मानी गई है।

3.172 आयोग के विनियम अनुज्ञप्तिधारी को कार्यकारी पूंजी पर ब्याज को सुसंगत वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर + 4% के बराबर दर को अनुज्ञेय करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की आधार दर वर्तमान में 10.00% है। अतः, आयोग के मानदण्डों का अनुसरण करते हुए, अनुज्ञप्तिधारियों हेतु कार्यकारी पूंजी पर

ब्याज दर 14.00% तक ही सीमित रखी जाएगी। आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा विक्रय की संयोजित की गई गतिविधि हेतु अनुज्ञेय किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 83 : आयोग द्वारा स्वीकार किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (करोड़ रूपये में)

विवरण	माह संख्या	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
चक्रण				
सामग्री (इन्वेंटरी)	2	3.47	3.63	3.09
अनुमोदित संचालन तथा संधारण व्यय	1	53.48	50.26	48.27
कुल कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता (करोड़ रूपये में)–चक्रण गतिविधि हेतु		56.94	53.89	51.36
ब्याज दर (%में)		14.00%	14.00%	14.00%
कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज (करोड़ रूपये में)		7.97	7.54	7.19
खुदरा				
सामग्री (इन्वेंटरी)	2	0.87	0.91	0.77
अनुमोदित संचालन तथा संधारण व्यय	1	0.00	0.00	0.00
राजस्व की प्राप्ति	2	693.98	989.11	753.29
घटायें : विद्युत क्रय लागत	1	298.50	455.17	337.25
घटायें : उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप		549.60	571.38	695.32
कुल कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता (करोड़ रूपये में) – खुदरा		-153.25	-36.54	-278.50
ब्याज दर (प्रतिशत में)		14.00%	14.00%	14.00%
कार्यकारी पूंजी पर कुल ब्याज–(करोड़ रूपये में)		-20.04	-7.23	-38.30
कुल कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता पर ब्याज–चक्रण (करोड़ रूपये में)		7.97	7.54	7.19
कुल कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता पर ब्याज–खुदरा (करोड़ रूपये में)		-20.04	-7.23	-38.30
कार्यकारी पूंजी पर शुद्ध ब्याज		**-12.07**	**0.32**	**-31.10**
कार्यकारी पूंजी पर स्वीकृत कुल ब्याज (करोड़ रूपये में)		**0.00**	**0.32**	**0.00**

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest on Consumer Security Deposits)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण तथा आयोग का विश्लेषण

3.173 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर दावे प्रस्तुत किये गये हैं। आयोग द्वारा अंकेक्षित तुलन पत्रों के विवरणों के अवलोकन से यह पाया गया है कि उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर वार्षिक ब्याज का निर्गमन धारित की गई प्रतिभूति निक्षेप की मात्रा तथा पूर्व में अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत के अनुरूप नहीं है। पूर्व के विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों के अन्तर्गत अपनाई गई कार्य पद्धति के

अनुसार, चालू विद्युत–दर के अनुसार प्रक्षेपित मासिक राजस्व पर प्रतिभूति निक्षेप की मानी गई मात्रा की गणना करना तथा तत्पश्चात इसके अनुरूप ब्याज राशि को अनुज्ञेय करना रहा है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुज्ञेय किये गये ब्याज से कम राशि का भुगतान किया जा रहा है तथा संभावित कारण यह भी हो सकता है कि धारित प्रतिभूति निक्षेप की राशि स्थाई रूप से संयोजनों के विच्छेद उपरान्त अथवा भुगतान मे चूक किये जाने के कारण न तो इसका समायोजन किया जाता है तथा न ही ऐसे प्रकरणों में ब्याज का भुगतान किया जाता है। उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज की गणना कृषि राजस्व को छोड़कर डेढ़ माह के निम्न दाब तथा तीन माह के निम्न दाब कृषि राजस्व तथा डेढ़ माह के उच्च दाब श्रेणी राजस्व पर 6% की दर से की गई है।

तलिका 84 : उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज **(राशि करोड़ रूपये में)**

कम्पनी का नाम	वित्तीय वर्ष –13
पूर्व क्षेत्र विद्युत विवरण कम्पनी	36.76
पश्चिम क्षेत्र विद्युत विवरण कम्पनी	56.42
मध्य क्षेत्र विद्युत विवरण कम्पनी	43.29
योग	**136.47**

पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.174 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निवेदन किया गया है कि पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना विनियमों के अनुसार की गई है। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत किये दावे निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 85 : पूंजी पर प्रतिलाभ **(करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13
A	वर्ष के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, (उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)	2509.96	2891.78
A1	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया है	752.99	867.54
A2	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया है	1756.97	2024.25
B	पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि)	381.82	1580.7
B1	पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	132	132
B2	परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अवशेष भाग (B–B1)	249.82	1448.7

C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	114.55	474.21
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (B का 70%)	267.27	1106.49
D1	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य/कमी (B1-C1)	17.45	-342.21
D2	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य/कमी (B2-C2)	-17.45	342.21
E	प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी {A1+(C1/2)] अथवा [A1+(B1/2)], इनसे जो भी कम हो	**810.26**	**933.54**
	पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 16%)	**129.64**	**149.37**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 86 : पूंजी पर प्रतिलाभ (करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13
वित्तीय वर्ष 2006		
पूंजी जिसे दिनांक 1 जून, 2005 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित किया गया है (ऋण तथा पूंजी का आवंटन वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ आदेश के अनुसार)	449.83	449.83
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30%	15.13	15.13
दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में कुल पूंजी जो सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध है	464.96	464.96
वित्तीय वर्ष 2007		
पूंजी जिसे दिनांक 31 मार्च, 2006 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) चिन्हित किया गया है	464.96	464.96
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30%	31.62	31.62
दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में कुल पूंजी जो सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध है	496.58	496.58
वित्तीय वर्ष 2008		
पूंजी जिसे दिनांक 31 मार्च, 2007 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित किया गया है	496.58	496.58
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30%	33.62	33.62
दिनांक 31 मार्च, 2008 की स्थिति में कुल पूंजी जो सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध है	530.20	530.20
वित्तीय वर्ष 2009		
पूंजी जिसे दिनांक 31 मार्च, 2008 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित किया गया है	530.20	530.20
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30%	28.19	28.19
दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति में कुल पूंजी जो सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध है	558.39	558.39
वित्तीय वर्ष 2010		
पूंजी जिसे दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित किया गया है	558.39	558.39
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30%	16.93	16.93

दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में कुल पूंजी जो सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध है	575.32	575.32
वित्तीय वर्ष 2011		
पूंजी जिसे दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित किया गया है	575.32	575.32
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30%	188.54	188.54
दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति में कुल पूंजी जो सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध है	763.86	763.86
वित्तीय वर्ष 2012		
पूंजी जिसे दिनांक 31 मार्च, 2011 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित किया गया है	763.86	763.86
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30%	89.59	179.18
दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति में कुल पूंजी जो सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध है	853.44	943.03
वित्तीय वर्ष 2013		
पूंजी जिसे दिनांक 31 मार्च, 2012 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA) के साथ चिन्हित किया गया है		943.03
शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30%		206.19
दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति में कुल पूंजी जो सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध है		1149.22
प्रतिलाभ दर	16%	16%
पूंजी पर प्रतिलाभ	136.55	183.88

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 87 : विनियमों के अनुसार पूंजी पर प्रतिलाभ (करोड़ रूपये में)

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2012	वित्तीय वर्ष 2013
A	**वर्ष के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, (उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)**	**2317.26**	**3877.22**
A1	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, जिन्हें पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया है, का प्रारंभिक शेष	**695.18**	**1163.16**
A2	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया है, का प्रारंभिक शेष	**1622.08**	**2714.05**
B	**पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि)**	1559.95	1673.76
B1	पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	467.99	502.13
B2	परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अवशेष भाग ($B-B_1$)	1091.97	1171.63

C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	467.99	502.13
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (B का 70%)	1091.97	1171.63
D1	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य/कमी (B1-C1)	0	0.00
D2	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य/कमी (B2-C2)	0	0.00
E	**प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी [A+(C1/2)] अथवा[A1+(B1/2)], इनसे जो भी कम हो**	929.17	1414.23
	पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 16%)	**148.67**	**226.28**

तालिका 88 : विनियमों के अनुसार पूंजी पर प्रतिलाभ **(करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 2012	वित्तीय वर्ष 2013
A	**वर्ष के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, (उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)**	**2317.26**	**3877.22**
A1	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, जिन्हें पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया है, का प्रारंभिक शेष	**695.18**	**1163.16**
A2	चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया है, का प्रारंभिक शेष	**1622.08**	**2714.05**
B	**पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि)**	1559.95	1766.54
B1	पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	467.99	529.96
B2	परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अवशेष भाग ($B-B_1$)	1091.97	1236.58
C1	मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (B का 30%)	467.99	529.96
C2	मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (B का 70%)	1091.97	1236.58
D1	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य/कमी (B1-C1)	0.00	0.00
D2	मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य/कमी (B2-C2)	0.00	0.00
E	**प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी [A+(C1/2)] अथवा [A1+(B1/2)], इनसे जो भी कम हो**	929.17	1428.15
	पूंजी पर प्रतिलाभ (E का 16%)	**148.67**	**228.50**

3.175 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विनियमों तथा अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार पूंजी पर प्रतिलाभ का तुलनात्मक विवरण निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 89 : वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु पूंजी पर प्रतिलाभ का तुलनात्मक विवरण (राशि करोड़ रूपये में)

कम्पनी का नाम	विनियमों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	149.37	149.37
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	183.88	183.88
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	226.28	228.50

आयोग द्वारा पूंजी पर प्रतिलाभ का विश्लेषण (Commission's Analysis of Return on Equity)

3.176 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 में प्रावधान किया गया है कि पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना कर पूर्व (Pre Tax) आधार पर 16% की दर से की जाएगी। इस आदेश का ब्याज तथा वित्त प्रभारों संबंधी भाग स्पष्ट रूप से ऋण तथा पूंजी को पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2012–13 के अन्त की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित की गई कुल पूंजी में परिणत होती है। इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु, पूंजी पर प्रतिलाभ जैसा कि इसे वित्तीय वर्ष 2012–13 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय किया गया है, का अवधारण कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई की सम्पत्ति को आवंटित किया गया चिन्हित किया गया है, पर 16 प्रतिशत की निर्दिष्ट दर पर लागू कर किया गया है।

तालिका 90 : पूंजी पर प्रतिलाभ **(राशि करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
वित्तीय वर्ष 09				
1	वित्तीय वर्ष 2007–2008 के सत्यापन आदेश में सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हित पूंजी (दिनांक 31.3.2008 की स्थिति में) घटायें : पूंजीगत परिसम्पत्तियों की लागत के माध्यम से आनुपातिक उपभोक्ता अंशदान, अनुदान तथा सहायतानुदान	387.30	509.41	428.98
2	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30%	69.23	28.19	70.12
3	दिनांक 31 मार्च 2009 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है	456.53	537.60	499.10
वित्तीय वर्ष 10				
1	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है,, का 30%	63.45	16.93	43.96
2	दिनांक 31 मार्च 2010 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है	519.98	554.53	543.06
वित्तीय वर्ष 11				
1	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है, का 30:	112.19	188.54	25.07
2	दिनांक 31 मार्च 2011 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है	632.17	743.07	568.13
वित्तीय वर्ष 12				
1	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है का 30:	81.62	77.89	46.38
2	दिनांक 31 मार्च 2012 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है	713.79	820.95	614.51

वित्तीय वर्ष 13				
1	शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि, जिसे उपभोक्ता अंशदान की शुद्व पूंजी के माध्यम से निधीयन किया गया माना गया है का 30% (आधे वर्ष के लिये)	40.81	38.94	23.19
2	दिनांक 31 मार्च, 2013 की स्थिति में कुल पूंजी जिसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित किया गया है तथा जो प्रतिलाभ की पात्रता रखती है	754.60	859.89	637.70
3	**वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु पूंजी पर 16% प्रतिशत की दर से**	**120.74**	**137.58**	**102.03**

सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकताओं (एआरआर) की अन्य मदें

3.177 उपरोक्त चर्चित व्ययों के घटकों के अतिरिक्त, कुछ अन्य मदें भी हैं जो सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का भाग बनती हैं। इनमें शामिल हैं, डूबन्त ऋण, अन्य विविध व्यय, कोई पूर्व अवधि व्यय/आकलन (क्रेडिट्स) तथा अन्य (गैर–टैरिफ) आय। इनका विश्लेषण निम्न अनुच्छेदों में किया गया है:

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.178 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा डूबन्त ऋणों के संबंध में दावा कुल विक्रय राजस्व के 1% की दर से निम्नानुसार किया गया है :

तालिका 91 : वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु डूबन्त ऋण तथा संदिग्ध ऋणों का तुलनात्मक विवरण

(राशि करोड़ रूपये में)

कंपनी का नाम	मानदण्डों के अनुसार	अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के अनुसार
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	44.46	44.46
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	65.58	65.58
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	41.56	173.52

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis on Bad and Doubtful debts)

3.179 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण उक्त सीमा तक अनुज्ञेय किये जा सकेंगे जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वास्तविक रूप से इनका अपलेखन किया गया है जो कि वार्षिक राजस्व राशि की 1% उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा।

3.180 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 का सत्यापन करते समय यह पाया गया कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा **डूबन्त ऋणों का वास्तविक अपलेखन** मात्र रू. 1.26 करोड़ की राशि हेतु ही किया गया है। विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है कि वास्तविक रूप से अपलेखित डूबन्त ऋणों की राशि वार्षिक राजस्व के अधिकतम 1% के अध्यधीन होगी।

अनुज्ञप्तिधारियों का डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के संबंध में किया गया दावा काफी अधिक राशि का है यदि इस राशि की तुलना पूर्व में अपलेखित की गई अल्प राशि से की जाए। अतएव आयोग उचित समझता है कि इस संबंध में कोई भी प्रावधान न किया जाए। अतएव आयोग अनन्तिम तौर पर प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रूपये एक करोड़ का अपलेखन किया जाना स्वीकृत करता है।

अन्य विविध व्यय

3.181 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस मद में किसी व्यय का पूर्वानुमान प्रस्तुत नहीं किया गया है। अन्य विविध व्ययों का प्रक्षेपण मात्र ही किया गया है जिसका उचित तौर पर औचित्य नहीं दर्शाया गया है। आयोग में इस संबंध में किसी प्रकार का प्रावधान किया जाना उचित नहीं समझता। तद्नुसार, इस व्यय पर विचार, आवश्यकतानुसार, सत्यापन के समय ही किया जाएगा।

अन्य आय

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.182 मप्रविविनिआ (टैरिफ अवधारण के लिये उत्पादन कम्पनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004, जैसा कि इन्हें समय–समय पर संशोधित किया गया है, में विविध प्रभारों तथा सामान्य प्रभारों की अनुसची में अन्य आय की अनुसूची दर्शाई गई है जिसे ''अन्य आय'' के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

3.183 अन्य आय के अन्तर्गत, पूर्व क्षेविवि कम्पनी द्वारा रू. 115.83 करोड़, पश्चिम क्षेविवि कम्पनी द्वारा रू. 127.37 करोड़ तथा मध्य क्षेविवि कम्पनी द्वारा रू. 73.97 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु दाखिल की गई है। इस राशि में अन्य मदों के साथ–साथ (Interalia), मापयन्त्र किराया (Meter Rent), विद्युत की चोरी से वसूली, उपभोक्ताओं से प्राप्त होने वाले विविध प्रभार शामिल किये गये हैं। आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों के वर्ष 2010–11 के अंकेक्षित आंकड़ों से पाया गया है कि इन विद्युत वितरण कम्पनियों की अन्य आय के अन्तर्गत, जिनमें मीटर किराये के विरूद्ध प्राप्तियां, विद्युत चोरी के प्रकरणों में बिलिंग द्वारा वसूली, विविध प्राप्तियां शामिल हैं, पूर्व क्षेविवि कम्पनी हेतु रू. 119.91 करोड़, पश्चिम क्षेविवि कम्पनी हेतु रू. 166.53 करोड़, तथा मध्य क्षेविवि कम्पनी हेतु रू. 135.09 करोड़, इस प्रकार कुल मिलाकर रू. 421.53 करोड़ है जिन्हें विनियमों के अन्तर्गत अन्य आय में माना गया है। वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा

2012–13 में इस मद पर प्रत्याशित वृद्धि पर विचार करते हुए, यह राशि रू. 450 करोड़ के लगभग बढ़ जाने की संभावना है। तदनुसार, आयोग ने अन्य आय को रू. 450 करोड़ होना माना है तथा इसका विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य वर्ष 2010–11 की प्राप्तियों के अनुपात में विभाजित किया है।

3.184 निम्न तालिका अन्य आय के संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दाखिल की गई राशि तथा आयोग द्वारा स्वीकार की गई राशि प्रदर्शित करती है :

तालिका 92 : अन्य आय **(राशि करोड़ रूपये में)**

विद्युत वितरण कंपनी का नाम	दाखिल की गई राशि	आयोग द्वारा स्वीकार की गई राशि
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	115.83	128.01
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	127.37	177.78
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	73.97	144.21
योग	**317.17**	**450.00**

3.185 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु, विद्युत क्रय लागत के विरूद्ध रू. 201.45 करोड़ की अतिरिक्त राशि का दावा प्रस्तुत किया गया है जिस पर सत्यापन आदेश में विचार नहीं किया गया था। माननीय एप्टेल (APTEL) के वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु सत्यापन आदेश की समीक्षा कर लिये गये निर्णय के अनुसार, आयोग द्वारा दिनांक 19 जनवरी 2012 को जारी आदेश के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों को कतिपय विवरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। यह मामला अभी प्रक्रियाधीन है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के रू. 201.45 करोड़ के विद्युत क्रय बिलों के दावों पर वित्तीय वर्ष 2007–08 के सत्यापन की समीक्षा के साथ–साथ किया जाएगा।

3.186 आयोग द्वारा एमपी जनको तथा एमपी ट्रांसको के वित्तीय वर्ष 2008–09 के सत्यापन आदेश पारित किये जा चुके हैं जिसके अन्तर्गत इन कम्पनियों को क्रमशः रू. 106.77 करोड़ तथा रू. 162.92 करोड़ की सत्यापन लागतों से संबंधित वसूली किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इन कम्पनियों को ये राशियां वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान वसूली किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गई है। इस मद के अन्तर्गत सत्यापन लागतों की वसूली वित्तीय वर्ष 2012–13 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में सम्मिलित कर ली गई है।

3.187 वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु स्वीकार की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 93 : स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.	योग
विद्युत क्रय (Power Purchase)	2945.73	4708.36	3398.16	11052.2
पीजीसीआईएल प्रभार (PGCIL Charges)	189.34	249.06	161.60	600.00
एमपी ट्रांस्कों प्रभार (MP Transco Charges)	444.16	501.78	484.24	1430.18
राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रभार (SLDC Charges)	2.80	2.86	2.95	8.61
संचालन एवं संधारण लागत (O&M Cost)	641.72	603.07	579.29	1824.08
अवमूल्यन (Depreciations)	50.74	76.27	56.23	183.23
परियोजना ऋणों पर ब्याज (Interest on Project Loans)	78.91	74.26	63.82	216.99
पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	120.74	137.58	102.03	360.35
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (Interest on Working Capital)	0.00	0.32	0.00	0.32
डूबन्त ऋण (Bad Debts)	1.00	1.00	1.00	3.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest on CSD)	36.76	56.42	43.29	136.47
मप्रविनिआ शुल्क (MPERC Fees)	0.40	0.57	0.44	1.41
घटायें : अन्य आय–खुदरा तथा चक्रण (Less other Income -Retail & Wheeling)	128.01	177.78	144.21	450.00
वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**4384.29**	**6233.77**	**4748.83**	**15366.89**
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु एमपी ट्रांसको की सत्यापन राशि	50.12	59.47	53.35	162.94
जोड़ें : ट्रेडको प्रभार	8.58	12.19	9.29	30.06
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु एमपी जनको की सत्यापन राशि	24.08	43.40	39.29	106.77
वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कुल राजस्व आवश्यकता	**4467.06**	**6348.84**	**4850.75**	**15666.66**

अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण (Segregation of approved ARR, between Wheeling and Retail Sale activities)

3.188 विनियमों में प्रावधान किया गया है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तीन भागों में दायर की जाएगी, यथा, विद्युत क्रय गतिविधि, चक्रण (वितरण) गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु। विनियमों में स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) की मदें पृथक से सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल विद्युत वितरण व्ययों को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण का उद्देश्य चक्रण प्रभारों को संस्थापित करना है जिनकी वसूली खुली पहुंच उपभोक्ताओं से की जाएगी।

3.189 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आयोग के विनियमों का पालन उक्त सीमा तक किया गया है कि यह उनके द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के पृथक्कृत किये गये विद्युत क्रय, चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के व्ययों हेतु दायर किये गये अनुसार है। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा केवल कार्यकारी पूंजी पर मानदण्डीय ब्याज, डूबन्त ऋणों हेतु प्रावधान तथा उपभोक्ता

प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज को खुदरा विक्रय गतिविधि के अंतर्गत माना है। अन्य समस्त मदें पूर्णरूपेण चक्रण गतिविधि का भाग मानी गई हैं।

3.190 अतएव, इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन हेतु, आयोग स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) का आवंटन निम्न विधि अनुसार करता है :

चक्रण गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) संचालन तथा संधारण व्यय
(बी) अवमूल्यन
(सी) परियोजना ऋणों पर ब्याज
(डी) कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, चक्रण गतिविधि के लिये
(ई) पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)
(एफ) अन्य विविध व्यय
(जी) घटायें : आय, जिसकी गणना पूर्व भाग में की गई है।

खुदरा विक्रय गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, खुदरा विक्रय गतिविधि के लिये
(बी) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज
(सी) डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण
(डी) घटायें : आय, जिसकी गणना पूर्व भाग में की गई है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु आयोग द्वारा स्वीकार की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता [Aggregate Revenue Requirement (ARR) admitted by the Commission for FY 2012-13]

3.191 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु, समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार अनुमोदित की जाती है :

तालिका 94 : वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु स्वीकृत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (चक्रण तथा खुदरा हेतु) **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.	योग
विद्युत क्रय लागत (Power Purchase Cost) पीजीसीआईएल प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	2945.73	4708.36	3398.16	11052.25
पीजीसीआईएल प्रभार (PGCIL Charges)	189.34	249.06	161.60	600.00
एमपी ट्रांस्को प्रभार (MPTransco Charges)	444.16	501.78	484.24	1430.18
राभाप्रेके प्रभार (SLDC Charges)	2.80	2.86	2.95	8.61
(ए) उप–योग –विद्युत क्रय लागत (Power Purchase Cost)	3582.04	5462.06	4046.94	13091.04
चक्रण गतिविधि (Wheeling Activity)				
संचालन एवं संधारण लागत (O&M Cost)	641.72	603.07	579.29	1824.08
अवमूल्यन (Depreciation)	50.74	76.27	56.23	183.23

परियोजना ऋणों पर ब्याज (Interest on Project Loans)	78.91	74.26	63.82	216.99
पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)	120.74	137.58	102.03	360.35
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण (Interest on Working Capital - Wheeling)	0.00	0.32	0.00	0.32
मप्रविनिआ शुल्क (MPERC Fees)	0.40	0.57	0.44	1.41
***(बी) वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुमोदित चक्रण सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का उप–योग* ((B) Sub-Total Wheeling ARR for FY 2012-13 as approved)**	892.50	892.07	801.81	2586.38
खुदरा विक्रय गतिविधि (Retail Sale Activity)				
डूबन्त ऋण (Bad Debts)	1.0	1.0	1.0	3.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest on CSD)	36.76	56.42	43.29	136.47
अन्य आय–खुदरा (Other Income- Retail)	128.01	177.78	144.21	450.00
(सी) वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुमोदित खुदरा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का उप–योग ((C) Sub-Total Retail ARR for FY 2012-13 as approved)	-90.3	-120.4	-99.9	-310.5
योग–वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए+बी+सी) (Total ARR FY 2012-13 (A+B+C)	**4384.29**	**6233.77**	**4748.83**	**15366.89**

पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व (Revenue from Revised Tariffs)

3.192 वित्तीय वर्ष 2012–13 की अनुमोदित विद्युत–दरों (टैरिफ) के अनुसार उपभोक्ता श्रेणीवार राजस्व निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 95 : वित्तीय वर्ष 2012–13 में पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति

उपभोक्ता श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2012–13							
	पूर्व क्षेविविकं		पश्चिम क्षेविविकं		मध्य क्षेविविकं		सम्पूर्ण राज्य	
	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये)
निम्न दाब								
एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता	2,458.81	1,144.755	3,044.38	1,389.48	2,396.00	1,207.53	7,899.20	3,741.76
एलवी–2 : गैर–घरेलू	594.81	386.79	782.75	529.35	679.61	455.05	2,057.17	11,371.19
एलवी–3 : सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	292.01	119.93	264.39	110.90	320.97	129.39	877.37	360.23
एलवी–4 : औद्योगिक	319.84	185.96	506.17	298.67	241.57	157.75	1,067.57	642.39
एलवी–5.1 : कृषि हेतु सिंचाई पम्प	2,013.37	717.89	4,434.13	1,665.36	3,386.68	1,280.04	9,834.18	3,663.28
एलवी–5.2 : ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी उपयोग	1.12	**0.51**	8.39	3.34	1.98	0.83	11.49	4.68
विक्रित निम्न दाब यूनिट (मिलियन यूनिट)	**5,679.96**	**2,555.83**	**9,040.21**	**3,997.10**	**7,026.81**	**3,230.59**	**21,746.98**	**9,783.52**
उच्च दाब							-	-
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	591.47	347.96	396.07	243.04	744.33	462.88	1,731.86	1,053.88

एचवी–2: कोयला खदानें (कोल माईन्स)	497.03	316.66	-	-	34.03	23.97	531.06	340.63
एचवी–3.1 : औद्योगिक	1,389.86	837.10	2,196.55	1,292.96	1,429.91	833.18	5,01632	2,963.24
एचवी–3.2 : गैर–औद्योगिक	266.32	184.27	1,051.95	563.72	264.98	173.68	1,583.25	921.67
एचवी–4: मौसमी (सीजनल)	5.80	3.92	1003	7.18	0.99	0.75	16.81	11.85
एचवी–5.1 : सिचाई	65.25	29.43	436.38	176.04	77.10	33.97	578.72	239.45
एचवी–5.2 : कृषि संबंधी अन्य उपयोग	12.03	5.33	4.65	2.24	0.86	0.54	17.55	8.11
एचवी–6 : थोक आवासीय प्रयोक्ता	393.21	186.79	6.74	3.78	184.94	91.85	584.88	282.42
एचवी–7: छूट प्राप्त प्रदायकर्ताओं को विद्युत प्रदाय	-	-	170.54	62.26	-	-	170.54	62.26
विक्रित उच्च दाब यूनिट (मिलियन यूनिट)	**3,220.96**	**1,911.48**	**4,272.91**	**2,351.22**	**2,737.14**	**1,620.81**	**10,231.00**	**5,883.51**
महायोग–विक्रित यूनिट (निम्न दाब+ उच्च दाब) (मिलियन यूनिट में)	**8,900.92**	**4,467.31**	**13,313.12**	**6,348.32**	**9,763.94**	**4,851.40**	**31,977.98**	**15,667.03**

नवीन विद्युत–दरों (टैरिफ) पर अन्तर/आधिक्य

3.193 आयोग द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार राजस्व की प्राप्ति निम्न तालिका में दर्शायी गयी है।

तालिका 96 : अन्तिम सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत–दर (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए)	4,384.29	6,233.77	4,748.83	15,366.89
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु एमपी ट्रांसको का सत्यापन (बी)	50.12	59.47	53.35	162.94
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु एमपी ट्रेडको प्रभार (सी)	8.58	12.19	9.29	30.06
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु एमपी जनको का सत्यापन (डी)	24.08	43.40	39.29	106.77
वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए+बी+सी+डी=ई))	4,467.06	6,348.84	4,850.75	15,666.66
चालू विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति (एफ	4,163.90	5,934.64	4,519.72	14,618.26
चालू विद्युत–दरों (टैरिफ) पर अन्तर (ई–एफ)	303.16	414.20	331.04	1,048.40
नवीन विद्युत–दरों से राजस्व की प्राप्ति (जी)	4,467.31	6,348.32	4,851.40	15,667.03
अनापूर्तित (uncovered) अन्तर/आधिक्य (जी–ईं)	**-0.25**	**0.51**	**-0.64**	**-0.37**

ए–4 : चक्रण प्रभार तथा प्रतिराज्यानुदान अधिभार (Wheeling Charges and Cross Subsidy Surcharge)

''चक्रण लागत'' का अवधारण (Determination of "Wheeling Cost")

4.1 चक्रण लागत के अवधारण के प्रयोजन हेतु, आयोग द्वारा चक्रण गतिविधि हेतु वितरण की स्थाई लागतों (Fixed cost) (अर्थात् विद्युत क्रय को छोड़कर) को निम्नानुसार आवंटित किया जाता है :

चक्रण गतिविधि में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाएगा :

(ए) प्रचालन एवं संधारण व्यय (O & M Expenses)

(बी) अवमूल्यन (Depreciation)

(सी) परियोजना ऋणों पर ब्याज (Interest on Project Loans)

(डी) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज – चक्रण गतिविधि हेतु मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी पर (interest on Working Capital Loans-on normative working capital for wheeling activity)

(ई) पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)

(एफ) अन्य विविध व्यय (Other Miscellaneous expenses)

(जी) घटायें : अन्य आय, जैसी कि वह चक्रण गतिविधि हेतु आरोपणीय है।

4.2 वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु, सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के आधार पर समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की चक्रण गतिविधि हेतु व्यय की गणना रू. 2586.38 करोड़ आंकी गई है।

वोल्टेज स्तरों पर लागतों का पृथक्करण (Segregation of Cost among Voltage Levels)

4.3 विद्युत वितरण गतिविधि से संबंधित लागतों को, जिन्हें चक्रण गतिविधि से चिन्हांकित किया गया है, को आगे विद्युत वितरण के दो वोल्टेज स्तरों में प्रसारित किया जाना चाहिए, अर्थात् 33 केवी तथा 33 केवी से निचले स्तर पर। यद्यपि अति उच्च दाब उपभोक्ता (अर्थात्, जो 33 केवी से अधिक वोल्टेज से संबद्ध हैं) भी विद्युत वितरण कम्पनियों के उपभोक्ता होते हैं, परन्तु वे वितरण प्रणाली से संयोजित नहीं होते। इनमें से कुछ लागतों को अति उच्च दाब उपभोक्ताओं से संबद्ध किया जाता है (मुख्यतः वे लागतें जो मीटरीकरण, बिलिंग तथा संग्रहण से संबद्ध होती हैं)। तथापि, आयोग इस अवसर पर, प्राथमिक रूप से आंकड़ों की उपलब्धता के अभाव में इन विवरणों के विस्तार में जाने का इच्छुक नहीं है।

4.4 मध्य प्रदेश राज्य के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी वर्तमान में अपनी लागतों से संबंधित लेखे वोल्टेज आधार पर संधारित नहीं करते। भारत के अन्य राज्यों की अधिकतर शासन के स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों की भी लगभग यही स्थिति है।

4.5 मप्र राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों की वर्तमान लेखांकन पद्धतियां प्रत्यक्ष रूप से पर सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (GFA) के वोल्टेज स्तरों पर पृथक्करण किये जाने को अनुज्ञेय नहीं करती। अतएव, आयोग 33/11 केवी तथा 11/0.4 केवी के अन्तर्मुखों (interfaces) पर रूपान्तरण क्षमता (transformation capacity) एमवीए में अपनाए जाने की पद्धति को यहां पर उचित मानता है।

4.6 इस अभ्यास के अन्तर्गत परिसम्पत्ति आधार के मूल्यांकन हेतु उपयोग किये गये आंकड़े निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

तालिका 97 : परिसम्पत्ति मूल्य का चिन्हांकन (Identification of Asset Value)

लाईनों का वोल्टेज स्तर	लाईनों की संचयी लम्बाई (सर्किट किलामीटर में)	प्रति यूनिट लागत (लाख रूपये/ सर्किट किलोमीटर में)	लाईनों की कुल लम्बाई (करोड़ रूपये में)
33 केवी (रेल पोल पर)	42973	9.67	4155.49
33 केवी से कम			
(अ) 11 केवी (रेल पोल पर)	312230	8.46	26414.66
(ब) निम्न दाब (पीसीसी पोल पर)	402217	3.74	15042.92
(सी) उप–योग			41457.57
योग			**45613.06**

तालिका 98 : ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्तर की कुल लागत

ट्रांसफार्मर वोल्टेज स्तर	संचयी क्षमता (एमवीए में)	प्रति यूनिट लागत (लाख रूपये/एमवीए में)	कुल लागत (करोड़ रूपये में)
33/11 केवी ट्रांसफार्मर	19998	21.00	4199.58
11/0.4 केवी ट्रांसफार्मर	28815	2.28 प्रति 100 केवीए	6569.82
योग			**10769.40**

4.7 उपरोक्त के प्रयोजन हेतु, परिपथों (Lines) की लम्बाई तथा ट्रांसफार्मेशन क्षमता संबंधी आंकड़े, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 में दाखिल की गई याचिका में प्रदाय किये गये अनुसार अपनाए गये हैं।

4.8 भिन्न–भिन्न वोल्टेज स्तरों पर परिसम्पत्ति मूल्यों को चिन्हांकित किये जाने के उद्देश्य से, द्वि–वोल्टेज स्तरों पर अन्तर्मुख ट्रांसफार्मरों को ''निर्दिष्ट (assign)'' किया जाना आवश्यक है। इस अभ्यास के लिये, आयोग वितरण ट्रांसफार्मरों (11/0.4 केवी) को 11 केवी नेटवर्क के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया जाना उचित मानता है, जबकि

33/11 केवी पावर ट्रांसफार्मरों की 33 केवी नेटवर्क के एक भाग के रूप में इस दृष्टिकोण के आधार पर, विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर परिसम्पत्ति मूल्यों की गणना निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 99 : प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर नेटवर्क के मूल्यांकन का चिन्हांकन (Identification of value of network at each voltage level)

वोल्टेज स्तर	परिपथों (लाईनों) की लागत (करोड़ रूपये में)	ट्रांसफार्मेशन की लागत (करोड़ रूपये में)	कुल लागत (करोड़ रूपये में)
33/11 केवी	4155.49	4199.58	8355.07
33 केवी से कम	41457.57	6569.82	48027.39
योग	**45613.06**	**10769.40**	**56382.46**

4.9 चक्रण गतिविधि संबंधी व्यय, जिन्हें वितरण के उपरोक्त स्तरों के संबंध में उपगत (incurred) किये गये माना गया है, की गणना परिसम्पत्ति मूल्य अनुपातों (asset value rates) का उपयोग कर की जाएगी, जैसा कि इसे उपरोक्त तालिका से प्राप्त किया गया है तथा निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 100: विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर नेटवर्क के व्ययों (चक्रण लागतों) की कुल लागत का चिन्हींकरण

वोल्टेज स्तर	परिसम्पत्ति मूल्य (करोड़ रूपये में)	परिसम्पत्ति मूल्य अनुपात (प्रतिशत)	कुल चक्रण लागत (करोड़ रूपये में)	चक्रण लागत (करोड़ रूपये में)
33 केवी	8355.07	14.82		383.26
33 केवी से कम स्तर पर	48027.39	85.18		2203.12
योग	**56382.46**	**100.00**	2586.38	**2586.38**

चक्रण लागतों का परस्पर बटवारा (Sharing of Wheeling Costs)

4.10 उपरोक्त वोल्टेज स्तरों के लिये चिन्हांकित की गई चक्रण लागत को पुनः प्रयोक्ताओं को, उक्त वोल्टेज स्तरों पर आवंटित किया जाना आवश्यक है। ऐसा किया जाना इसलिये भी आवश्यक है क्योंकि 33 केवी नेटवर्क को 33 केवी पर तथा 33 केवी से कम स्तर वाले उपभोक्ताओं द्वारा भी उपयोग किया जाता है, जबकि 33 केवी से कम स्तर के नेटवर्क को 11 केवी तथा निम्न दाब के उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग में लाया जाता है।

4.11 विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर चक्रण लागत का आवंटन उपभोक्ताओं द्वारा विभिन्न वोल्टेज स्तरों पर नेटवर्क के उपयोग के आधार पर किया जाता है। आयोग द्वारा भिन्न–भिन्न वोल्टेज स्तरों पर 'विक्रित किये गये यूनिटों (units sold)'' को नेटवर्क उपयोग के

उपाय के रूप में, लागतों के आवंटन हेतु अपनाए जाने हेतु चयन किया गया है, जैसा कि इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 101 : वितरण प्रणाली के प्रयोक्ताओं हेतु चक्रण लागत का आवंटन (Allocation of wheeling cost over distribution system users)

	विवरण	
अ	33 केवी पर चक्रण लागत (करोड़ रूपये में)	383.26
ब	33 केवी पर विक्रय (मिलियन यूनिट में)	5597
स	कुल विक्रित यूनिट (मिलियन यूनिट में) {132 केवी पर विक्रय को छोड़कर}	26381
द	33 केवी पर विक्रित यूनिटों तथा कुल विक्रत यूनिटों का अनुपात	0.21
	लागत का आवंटन	
इ	33 केवी की चक्रण लागत, जिसे केवल 33 केवी प्रयोक्ताओं को ही आवंटित किया गया है (अ*द) (करोड़ रूपये में)	81.31

4.12 इस प्रकार, 33 केवी प्रयोक्ताओं की चक्रण लागत की गणना रू. 81.31 करोड़ की गई है। इस आवंटन के आधार पर तथा 33 केवी पर की गई खपत पर विचार करते हुए रूपये प्रति यूनिट चक्रण प्रभारों का अवधारण निम्नानुसार किया गया है :

तालिका 102 : चक्रण प्रभार (Wheeling Charges)

वोल्टेज	आवंटित की गई चक्रण लागत (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियिन यूनिटों में)	चक्रण प्रभार (रूपये/यूनिट में)
अति उच्च दाब (EHT)	-	-	-
33 केवी	81.31	5597	0.15

विभिन्न परिदृश्यों के अन्तर्गत चक्रण प्रभारों की प्रयोज्यता (Applicability of wheeling charges under different scenarios)

4.13 खुली पहुंच उपभोक्ताओं तथा उनके उपभोक्ताओं की स्थिति के विभिन्न परिदृश्यों तथा पारेषण एवं चक्रण प्रभारों की अनुवर्ती प्रयोज्यता की व्याख्या निम्नानुसार की जा सकती है :

(अ) **परिदृश्य एक : विद्युत उत्पादक पारेषण (नेटवर्क) (अति उच्च दाब वोल्टेजों पर) से संयोजित हो, जबकि उपभोक्ता वितरण अनुज्ञप्तिधारी 33 केवी पर वितरण प्रणाली (नेटवर्क) से संयोजित हो** : इस परिदृश्य के अन्तर्गत दोनों पारेषण तथा चक्रण प्रभार लागू होंगे, क्योंकि खुली पहुंच उपभोक्ता द्वारा वांछित विद्युत ऊर्जा पारेषण नेटवर्क से नीचे की दिशा में वितरण नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ता के संयोजन तक प्रवाहित होगी।

(ब) **<u>परिदृश्य दो : विद्युत उत्पादक वितरण अनुज्ञप्तिधारी के 33 केवी के वितरण नेटवर्क से संयोजित हो, जबकि उपभोक्ता पारेषण नेटवर्क से (132 केवी या इससे अधिक पर) संयोजित हो</u>** : इस परिदृश्य के अन्तर्गत, उपभोक्ता की आवश्यकता की पूर्ति केवल पारेषण नेटवर्क पर विद्युत ऊर्जा के प्रवाह के रूप में की जाएगी। खुली पहुंच विद्युत उत्पादक द्वारा उत्पादित की गई विद्युत ऊर्जा की खपत स्थानीय रूप से वितरण कम्पनी की परिसीमाओं के अन्तर्गत ही की जाएगी तथा यह ऊपर की दिशा में खुली पहुंच उपभोक्ता की ओर प्रवाहित नहीं होगी। अतएव, इस प्रकार के संव्यवहारों पर केवल पारेषण प्रभार ही लागू होंगे।

(स) **<u>परिदृश्य तीन : जब दोनों विद्युत उत्पादक तथा उपभोक्ता पारेषण नेटवर्क से (132 केवी या इससे अधिक पर) संयोजित हो</u>** : इस परिदृश्य के अन्तर्गत केवल पारेषण प्रभार ही लागू होंगे क्योंकि यहां पर वितरण नेटवर्क प्रणाली का उपयोग नहीं किया जा रहा है।

(द) **<u>परिदृश्य चार : जब दोनों विद्युत उत्पादक तथा उपभोक्ता किसी भी वितरण अनुज्ञप्तिधारी की वितरण प्रणाली से 33 केवी पर संयोजित हो</u>** : खुली पहुंच विद्युत उत्पादक द्वारा उत्पादित विद्युत की खपत सम्पूर्ण म.प्र. राज्य में विद्युत वितरण कम्पनियों के अन्तर्गत एक समान खुदरा विद्युत–दर की शर्तों के अन्तर्गत खपत की जाएगी, अतएव, यह खुली पहुंच उपभोक्ता की मांग की आपूर्ति में अपना योगदान प्रदान करेगी। अतएव, इस संव्यवहार में पारेषण नेटवर्क का अतिरिक्त उपयोग सन्निहित नहीं है। अतएव, इस प्रकार के संव्यवहारों में केवल चक्रण प्रभार ही लागू होंगे।

4.14 खुली पहुंच प्रणाली को प्रोत्साहित किये जाने की दृष्टि से, आयोग द्वारा प्रभारों की उपरोक्त प्रयोज्यता का अवधारण किया गया है। उपरोक्त व्यवस्थापन (formulations) इस सिद्धान्त के अनुरूप हैं कि नेटवर्क के अन्तर्गत विद्युत विस्थापन विधि (displacement method) द्वारा प्रवाहित होती है।

प्रति–राज्यानुदान का अवधारण (Determination of cross subsidy Surcharges)

4.15 टैरिफ नीति के अन्तर्गत, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु प्रति–राज्यानुदान अधिभार के अवधारण हेतु निम्न सूत्र विनिर्दिष्ट किया गया है :

''8.5 खुली पहुंच हेतु प्रति राज्यानुदान अधिभार तथा अतिरिक्त अधिभार (Cross Subsidy Surcharge and additional Surchage for Open acess)

अधिभार सूत्र (Surcharge formula) :

S =T-[C(1+L/100+D]

जहां

S = अधिभार है

T= उपभोक्ताओं की सुसंगत श्रेणी द्वारा भुगतान योग्य विद्युत–दर (Tariff) है

C=उपान्त (margin) पर शीर्ष पांच प्रतिशत की भारित औसत लागत है जिसमें तरल ईंधन (liquid fuel) तथा नवकरणीय ऊर्जा (renewable power) आधारित विद्युत उत्पादन सम्मिलित नहीं है

D = चक्रण प्रभार है

L = प्रयोज्य वोल्टेज स्तर पर प्रणाली हानियां हैं, जिन्हें प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है।

''8.5.5. चक्रण प्रभारों को उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर अवधारित किया जाना चाहिए जैसा कि वे राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों (Intra-state transmission charges) हेतु निर्धारित किये गये हैं तथा अतिरिक्त तौर पर इसमें सुसंबद्ध वोल्टेज स्तर पर औसत हानि की क्षतिपूर्ति सम्मिलित की जाएगी।

4.16 प्रति–राज्यानुदान अधिभार के संबंध में प्रथम चरण शीर्ष पांच प्रतिशत उपान्त विद्युत क्रय की लागत की गणना किया जाना होगा। इसकी गणना निम्नानुसार की जाती है :

वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु ऊर्जा की आवश्यकता=44590 मिलियन यूनिट

तालिका 103: शीर्ष पांच प्रतिशत उपान्त विद्युत क्रय की लागत (Cost of marginal power of top 5%)

स्टेशन	यूनिट (मिलियन यूनिट में)	लागत (रूपये / यूनिट)	कुल लागत (करोड़ रूपये में)	5 प्रतिशत उपान्त विद्युत
लद्युकालीन विद्युत क्रय	1195	4.50	537.75	2230
मध्यमकालीन विद्युत क्रय	577	4.00	230.80	
पुर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	322	3.80	122.36	
दामोदर वैली कार्पोरेशन	136	3.79	51.54	
योग	**2230**		**942.45**	

4.17 इस प्रकार, शीर्ष पांच प्रतिशत की भारित औसत विद्युत क्रय लागत की गणना रू. 942.45 करोड़ / 2230 मिलियन यूनिट = रू. 4.23 प्रति यूनिट की गई है।

4.18 टैरिफ नीति के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर हानि स्तर (पारिभाषिक शब्द 'L' के अनुसार)की गणना पृथक–पृथक की जानी चाहिए। इस प्रयोजन हेतु, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से विश्वसनीय आंकड़ों के अभाव में, प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर हानि स्तरों को निम्नानुसार माना गया है :

तालिका 104 : वोल्टेजवार हानिस्तर (Voltage-wise loss levels)

वोल्टेज स्तर	हानि स्तर (एल)
अति उच्च दाब (पारेषण प्रणाली) बाह्य हानियों को शामिल करते हुए	5.87%
33 केवी (केवल 33 केवी प्रणाली)	5.36%

4.19 पारेषण प्रणाली की लागत प्रत्येक वोल्टेज स्तर पर समस्त उपभोक्ताओं को एक समान रूप से प्रसारित की जाएगी, क्योंकि पारेषण नेटवर्क का उपयोग समस्त उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है। अतएव, चक्रण लागतों की भांति, वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुमोदित पारेषण प्रभारों की गणना निम्नानुसार की गई है :

तालिका 105 : पारेषण प्रभार (Transmission charges)

विवरण	(करोड़ रूपये में)
पीजीसीआईएल (PGCIL) प्रभार	रू. 600.00 करोड़
एमपीपीटीसीएल (MPPTCL) प्रभार	रू. 1430.18 करोड़
एसएलडीसी (SLDC) प्रभार	रू. 8.61 करोड़
कुल प्रभार	रू. 2038.79 करोड़
एमपीटीसीएल द्वारा हस्तालन किये जाने वाले (to be handled) यूनिटों की संख्या	44590 मिलियन यूनिट
प्रति यूनिट पारेषण प्रभार	46 पैसे

4.20 अन्त में, टैरिफ नीति सूत्र के अनुसार, अन्तिम पारिभाषिक शब्द 'T' - प्रत्येक श्रेणी हेतु औसत विद्युत–दर (टैरिफ) को वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश के राजस्व मॉडल (Revenue Model) से प्राप्त किया जाता है।

4.21 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निन्धन तथा शर्त) विनियम, 2005 के अनुसार एक मेगावाट या इससे अधिक संविदा मांग वाले उपभोक्ताओं को दिनांक 1 अक्टूबर, 2007 से खुली पहुंच अनुज्ञेय की गई है। इन उपभोक्ताओं को मप्र विद्युत प्रदाय संहिता के अनुसार 33 केवी या इससे अधिक क्षमता वाली प्रणाली से संयोजित किये जाने की अपेक्षा की गई है।

4.22 उपरोक्त की गई चर्चा के अनुसार, विभिन्न परिदृश्यों के अन्तर्गत 132 केवी/33 केवी पर एक मेगावाट या इससे अधिक संविदा मांग वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु कुल लागत शीर्षक ''परिदृश्यवार लागत (scenario wise cost)'' तालिका में दर्शाई गई है। विशिष्ट वोल्टेज पर प्रति राज्यानुदान अधिभार (cross subsidy

surcharge) की गणना विशिष्ट श्रेणी हेतु औसत विद्युत–दर (average tariff) तथा कुल लागत के अन्तर के रूप में की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश के अनुसार ''श्रेणीवार औसत विद्युत–दर (category wise average tariff)'' निम्न तालिका में दर्शाई गई है। उदाहरण के तौर पर, वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु, 132 केवी के रेलवे कर्षण के लिये औसत विद्युत–दर की गणना रू. 6.09 पैसे प्रति यूनिट की गई है तथा कुल लागत की गणना रू. 4.95 प्रति यूनिट की गई है। इस प्रकार सहायतानुदान अधिभार रू. 6.09 – रू.4.95 = रू. 1.14 प्रति यूनिट होगा। तथापि, ऐसे प्रकरणों में (जैसे कि लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग को छोड़कर, थोक आवासीय उपभोक्ता, छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय, आदि) जहां उपरोक्त पद्धति के आधार पर प्रतिसहायतानुदान अधिभार की गणना ऋणात्मक (negative)' आती है, वहां इसे बिलिंग के प्रयोजन हेतु 'शून्य' माना जाएगा।

तालिका 106 : परिदृश्यवार लागत (रूपये प्रति यूनिट में)

सरल क्रमांक	परिदृश्य	5 प्रतिशत उपांत पर विद्युत की लागत	विद्युत की लागत जिसे वितरण हानियों (5.36 प्रतिशत पर)बाबत सकलबद्ध किया गया है	विद्युत की लागत पारेषण हानियों (5.87 प्रतिशत पर) हेतु सकलबद्ध किया गया है	पारेषण प्रभार	चक्रण प्रभार	कुल लागत [C(1+L/100+D]
i	1	4.23	4.47	4.75	0.46	0.15	5.36
ii	2	4.23	0	4.49	0.46	0	4.95
iii	3	4.23	0	4.49	0.46	0	4.95
iv	4	4.23	4.47	4.75	0	0.15	4.90

तालिका 107 : श्रेणीवार औसत विद्युत–दर (रूपये प्रति यूनिट में)

सरल क्रमांक	उच्च दाब/अति उच्च दाब उपभोक्ताओं की श्रेणी	औसत विद्युत–दर (टैरिफ)
i	HV-1 : रेलवे कर्षण (Railway Traction)	6.09
ii	HV-2 : कोयला खदानें (Coal Mines)	6.41
iii	HV-3.1 : औद्योगिक (Industrial)	5.91
iv	HV-3.2 : गैर–औद्योगिक (Non-Industrial)	6.45
v	HV-3.3 : शापिंग मॉल (Shopping Malls)	6.84
vi	HV-3.4 : गहन विद्युत उद्योग (Power Intensive Industries)	5.10
vii	HV-4 : मौसमी (Seasonal)	7.05
viii	HV-5.1 : सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य (Public Water Works)	4.06
ix	HV-5.2 : सिंचाई के अतिरिक्त (Other than Irrigation)	4.62
x	HV-6 : थोक आवासीय प्रयोक्ता (Bulk Residential Users)	4.83
xi	HV-7 : छूट प्रदायकर्ताओं हेतु थोक विद्युत प्रदाय (Bulk Supply to Exemptees)	3.65

ए–5 : ईंधन लागत समायोजन (Fuel Cost Adjustment)

5.1 राज्य के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यह प्रस्तावित किया गया है कि ईंधन की लागत में समय–समय पर होने वाली घटत/बढ़त का समाधान ईंधन लागत समायोजन प्रभार अन्तरण द्वारा विद्युत–दर के माध्यम से स्वचालित प्रक्रिया द्वारा समायोजित किया जाए।

5.2 मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 विनियम 9.1 में प्रावधान किया गया है कि ''जैसा कि अधिनियम की धारा 62 (4) में प्रावधानित किया गया है, आयोग द्वारा एक ईंधन अधिभार सूत्र विर्निदष्ट किया जा सकेगा तथा विद्युत–दर (टैरिफ) को विनिर्दिष्ट किये गये सूत्र के निबंधनों के अन्तर्गत प्रसारित किये जाने हेतु अनुज्ञेय किया जा सकेगा। किसी विद्युत उत्पादक कम्पनी के संबंध में ईंधन प्रभार, जहां इसे अनुज्ञेय किया गया हो, के प्रभाव को उपभोक्ताओं से वसूल किया जा सकेगा तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी आयोग से ऐसे आदेश जारी किये जाने के संबंध में सम्पर्क कर सकेगा जो कि अधिनियम की धारा 62(4) के अंतर्गत आवश्यक हो।''

5.3 विद्युत मामलों के बारे में माननीय एपीलेट न्यायाधिकरण द्वारा प्रकरण क्रमांक ओपी–1, वर्ष 2011 में जारी किये गये निर्णय दिनांक 11.11.2011 के अन्तर्गत राज्यीय आयोगों को इस बारे में इस प्रकार दिशा–निर्देश दिये गये हैं : ''65 (vi) ईंधन तथा विद्युत क्रय लागत किसी विद्युत वितरण कम्पनी का मुख्य व्यय होता है जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक राज्यीय आयोग के पास ईंधन तथा विद्युत क्रय लागत के बारे में अधिनियम की धारा 62(4) के निबंधन के अनुसार उचित कार्यविधि लागू की जानी चाहिए। ईंधन तथा विद्युत क्रय लागत समायोजन का निर्धारण मासिक आधार पर केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के विद्युत उत्पादन कम्पनियों हेतु लागू प्रक्रिया के अनुरूप किया जाना चाहिए परन्तु यह किसी भी दशा में इसकी कालावधि एक त्रैमास (तीन माह) से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोई भी राज्य आयोग जिसके पास वर्तमान में ऐसा कोई सूत्र/कार्यविधि प्रचलन में नहीं है, द्वारा इस आदेश जारी होने की तिथि से 6 माह के भीतर इस प्रकार का सूत्र/कार्यविधि क्रियान्वित कर दी जानी चाहिए।''

5.4 मध्य प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग के पत्र क्रमांक 967 दिनांक 21.8.2011 द्वारा राज्य शासन के नीति निर्देश प्रेषित प्रेषित किये जा चुके हैं कि राज्य आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(4) के निबन्धनों के अनुसार समुचित विनियमों की

संरचना कर ली जाए जिसके अनुसार मासिक देयकों के अन्तर्गत ईंधन लागत में उपभोक्ताओं पर लागू की जाने वाली किसी वृद्धि या कमी को स्वचालित समायोजनों (automatic adjutments) के माध्यम से अनुज्ञेय किया किया जाए तथा यह भी कि ईंधन की लागत में होने वाली किसी वृद्धि या कमी के अनुसार अन्तरित की जाने वाली राशि को टाला न जाए।

5.5 आयोग उपरोक्त उल्लेखित दिशा–निर्देश को संज्ञान में लेते हुए ईंधन लागत समायोजन (FCA) की गणना किये जाने हेतु विद्युत उत्पादक संयंत्रों हेतु कोयला, खनिज तेल तथा गैस हेतु ईंधन की लागत में किसी वृद्धि या कमी के कारण अनियंत्रणयोग्य लागतों (uncontrollable costs) की वसूली/समायोजन हेतु निम्न सूत्र निर्दिष्ट करता है :

बिलिंग त्रैमास हेतु ईंधन लागत समायोजन (FCA for billing Quarter) (पैसे/यूनिट) = IVC (करोड़ रूपये में) x 1000 / मानदण्डीय विक्रय (Normative Sale)

जहां,

"IVC" अर्थात् परिवर्तनीय लागत में वृद्धि से तात्पर्य निम्न के योग से है – (अ) प्रत्येक दीर्घकालीन कोयला या गैस आधारित विद्युत उत्पादक द्वारा वास्तविक रूप से बिल की गई परिवर्तनीय लागत (Variable Cost) का अन्तर जैसा कि इसे टैरिफ में अनुज्ञेय किया गया है तथा (ब) पिछले त्रैमास के दौरान प्रत्येक विद्युत उत्पादक स्टेशन से प्राप्त की गई यूनिट संख्या, का गुणनफल। जल विद्युत उत्पादक स्टेशनों से परिवर्तनीय लागतों को विद्युत क्रय की परिवर्तनीय लागत में वृद्धि की गणना के प्रयोजन हेतु नहीं माना जाएगा।

> *''पिछले त्रैमास (Preceding Quarter)''* से तात्पर्य पिछले तीन माह की अवधि से है, जिसमें बिलिंग त्रैमास के ठीक पूर्व दो माह की कालावधि शामिल नहीं की जाएगी।

> *''बिलिंग त्रैमास (Billing Quarter)''* का तात्पर्य तीन माह की कालावधि से है, जिसके लिये ईंधन लागत समायोजन की बिलिंग की जाना है तथा यह अवधि किसी त्रैमास को प्रारंभ होने वाली प्रथम दिवस से प्रारंभ होकर उक्त त्रैमास के अन्तिम दिवस को समाप्त होने वाली अवधि है, जैसे कि एक अप्रैल से प्रारंभ होकर तीस जून तक की अवधि, आदि, आदि।

> *''मानदण्डीय विक्रय (Normative Sale)''* का तात्पर्य वास्तविक सकल विद्युत विक्रय से है *जिसकी प्राप्ति पिछले त्रैमास के दौरान* समस्त स्त्रोतों (विद्युत उत्पादकों + अन्य स्त्रोतों) से पीजीसीआईएल, पारेषण, वितरण हानियों के आधार पर पिछले त्रैमास के महीनों के दौरान, जैसा कि इसका प्रावधान टैरिफ आदेश में किया गया है, वास्तविक एक्स–बस आहरण के आधार पर की जाती है।

5.6 ईंधन लागत समायोजन प्रभार की गणना पैसे प्रति यूनिट (किलोवाट ऑवर) के रूप में की जाएगी जिसे निकटतम पैसे तक पूर्णांक किया जाएगा। इस प्रयोजन से 0.5 पैसे तक के अंश की अवहेलना की जाएगी तथा 0.5 पैसे से अधिक अंश को आगामी पैसे तक पूर्णांक किया जाएगा। इस प्रभार को, प्रत्येक उपभोक्ता को बिल की गई ऊर्जा हेतु विद्यमान टैरिफ के अनुसार ऊर्जा प्रभारों में जोड़ा जाएगा, या उसमें से घटाया जाएगा, जैसा कि वह लागू हो तथा इसे उपभोक्ताओं को जारी किये गये विद्युत देयकों में पृथक से दर्शाया जाएगा तथा इसे ऊर्जा प्रभार (energy charge) का एक भाग माना जाएगा।

5.7 ईंधन लागत समायोजन प्रभार (FCA Charge) राज्य की समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की समस्त उपभोक्ता श्रेणियों को एक समान लागू होगा।

5.8 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एमपी ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड जबलपुर को उपभोक्ताओं को खुदरा विद्युत विक्रय हेतु उनकी ओर से विद्युत अधिप्राप्ति हेतु प्राधिकृत किया गया है। त्रैमास के दौरान ईंधन लागत समायोजन की गणना का दायित्व एमपी ट्रेडिंग कम्पनी, जबलपुर का होगा।

5.9 एमपी ट्रेडिंग कम्पनी लि. जबलपुर द्वारा दीर्घकालीन, गैस आधारित विद्युत उत्पादकों से पिछले त्रैमास के दौरान उनके द्वारा प्राप्त किये गये बिलों के आधार पर विद्युत क्रय की परिवर्तनीय लागत में परिवर्तन की गणना की जाएगी। इस जानकारी को ''पिछले त्रैमास'' के प्रत्येक माह के लिये निम्न विधि के अनुसार तैयार किया जाएगा तथा तत्पश्चात् उक्त त्रैमास हेतु इसे संकलित किया जाएगा :

तालिका 108 : ईंधन लागत समायोजन प्रभार हेतु प्रपत्र

माह/त्रैमास	विद्युत उत्पादक केन्द्र/अन्य स्त्रोत का नाम	एक्सबस से आहरित विद्युत की मात्रा	वास्तविक परिवर्तनीय प्रभारों पर आधारित उपगत की गई परिवर्तनीय लागत		टैरिफ आदेश में प्रावधानित की गई दरों के अनुसार परिवर्तनीय लागत		विद्युत क्रय की लागत में वृद्धि
		(मिलियन यूनिट में)	दर (पैसे/यूनिट)	लागत (करोड़ रूपये में)	दर (पैसे/यूनिट)	लागत (करोड़ रूपये में)	लागत (करोड़ रूपये में) (5)–(7)
1	2	3	4	5	6	7	8
योग							

5.10 मप्र पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा ''मानदण्डीय विक्रय (normative sale) की गणना की जाएगी। इस प्रयोजन से, पिछले त्रैमास के महीनों के लिये मानदण्डीय पीजीसीआईएल, पारेषण, वितरण हानि (प्रतिशत/मात्रा), जैसा कि इसका प्रावधान टैरिफ आदेश के अन्तर्गत किया गया है, पिछले त्रैमास के दौरान कुल एक्स–बस पावर में से घटाया जाएगा, जिसके अनुसार मानदण्डीय विक्रय की मात्रा प्राप्त की जाएगी।

5.11 मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कम्पनी जबलपुर द्वारा ईंधन लागत समायोजन (FCA) प्रभार की गणना पूर्व में प्रदत्त सूत्र के आधार पर की जाएगी। उनके द्वारा बिलिंग के प्रयोजन हेतु बिलिंग त्रैमास के लिए राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों को समय–समय पर ईंधन लागत समायोजन प्रभार को शामिल किये जाने के बारे में परामर्श भी प्रदान किया जाएगा। यह अभ्यास बिलिंग त्रैमास के प्रारंभ होने से कम से कम 15 दिवस पूर्व पूर्ण कर लिया जाना चाहिए। एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा तत्समय इसके साथ–साथ सहायक विवरणों के साथ आयोग को भी इस अभ्यास के पूर्ण होने के सात दिवस के भीतर गणना के सुसंबद्ध विवरण प्रस्तुत किये जाएंगे।

5.12 यदि आयोग को एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड जबलपुर द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरणों की समीक्षा के उपरान्त ईंधन लागत प्रभार (FCA Charge) की आधिक्य या कम वसूली किया जाना पाया जाता है तो वह एमपी पावर ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर तथा राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों को ईंधन लागत समायोजन प्रभार बिलिंग में वांछित परिवर्तन किये जाने बाबत तथा उपभोक्ता देयकों में आगे किसी समायोजनों के लिये निर्देशित कर सकेगा, जैसा कि वह उचित समझे।

5.13 राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा ईंधन लागत समायोजन प्रभार (FCA Charge) की बिलिंग, उक्त बिलिंग त्रैमास के प्रथम दिवस से ही प्रारंभ कर दी जाएगी।

5.14 ईंधन लागत समायोजन की दर तथा कुल राशि उपभोक्ता देयकों में पृथक से दर्शाई जाएगी।

5.15 इसे समझने के लिये निम्नानुसार निदर्शन (Illustration) भी प्रस्तुत किया जा रहा है :

5.16 यदि ''बिलिंग त्रैमास'' (billing quarter) माह ''जुलाई से सितम्बर'' माना जाए तो ''पिछले त्रैमास (preceding quarter)'' का तात्पर्य माह ''फरवरी से अप्रैल'' से होगा तथा मई तथा जून के महीनों की अवधि को आंकड़े/विवरणों को एकत्र करने तथा ईंधन लागत समायोजन प्रभार को अंतिम करने हेतु अनुज्ञेय किया जाएगा।

5.17 आयोग के टैरिफ आदेशों के अनुसार पीजीसीआईएल प्रणाली तथा एमपीपीटीसीएल प्रणाली हेतु मानदण्डीय हानियों से संबंधित विवरण निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

तालिका 109 : पीजीसीआईएल , एमपीटीसीएल तथा वितरण हानियां (प्रतिशत में)

सरल क्रमांक	माह / वर्ष	पीजीआईएल हानियां *		एमपीटीसीएल हानियां**	वितरण हानियां***
		क्षेत्र	प्रतिशत में	प्रतिशत में	प्रतिशत में
1	नवम्बर, 2011	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	26.45%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		
2	दिसम्बर, 2011	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	26.45%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		
3	जनवरी, 2012	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	26.45%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		
4	फरवरी, 2012	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	26.45%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		
5	मार्च, 2012	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	26.45%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		
6	अप्रैल, 2012	पश्चिमी क्षेत्र	3.61%	3.74%	23.82%
		पूर्वी क्षेत्र	2.69%		
7	मई, 2012	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	23.82%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		
8	जून, 2012	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	23.82%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		
9	जुलाई, 2012	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	23.82%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		
10	अगस्त, 2012	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	23.82%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		
11	सितम्बर, 2012	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	23.82%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		
12	अक्टूबर, 2012	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	23.82%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		
13	नवम्बर, 2012	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	23.82%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		
14	दिसम्बर, 2012	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	23.82%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		
15	जनवरी, 2013	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	23.82%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		
16	फरवरी, 2013	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	23.82%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		
17	मार्च, 2013	पश्चिमी क्षेत्र	4.79%	3.74%	23.82%
		पूर्वी क्षेत्र	2.38%		

टीप : *****पीजीसीआईएल हानियां (PGCIL Losses) : प्रतिशत पीजीसीआईएल हानि पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र द्वारा पृथक से प्रदान की गई जानकारी पर आधारित हैं।

******पारेषण हानियां : मध्यप्रदेश राज्य की प्रतिशत पारेषण हानियां राज्य सीमा पर किये गये विद्युत आहरण पर आधारित हैं।

*******वितरण हानियां : प्रतिशत वितरण हानियां विद्युत वितरण कम्पनियों की सीमा पर विद्युत के आहरण पर आधारित हैं।

ए–6 : सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियां

6.1 तीन विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर प्रस्तावों को इन्हें स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त इनकी प्रमुख विशिष्टताएं समाचार पत्रों में प्रकाशित की गईं। आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं को विभिन्न हितधारकों से उनकी टिप्पणियां/आपत्तियां/सुझावों को आमंत्रित किये बाबत उनके टैरिफ आवेदनों तथा प्रस्तावों की संक्षेपिका प्रकाशित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये तथा इस हेतु अन्तिम तिथि 31 जनवरी, 2012 निर्धारित की गई थी। आयोग द्वारा सार्वजनिक सुनवाईयों की तिथि तक प्राप्त की गई समस्त टिप्पणियों पर विचार किया गया है। आपत्तिकर्ताओं की सूची जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण आवश्यकता/टैरिफ प्रस्तावों पर टिप्पणियां/आपत्तियां दाखिल की गई थी, परिशिष्ट–1 पर संलग्न की गई हैं।

6.2 आयोग द्वारा तत्पश्चात् द्वारा एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से इच्छुक हितधारकों को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों के संबंध में उनके सुझाव/आपत्तियों व्यक्तिगत रूप से आयोग के समक्ष जन–सुनवाईयों के दौरान प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्तावों पर प्राप्त की गई टिप्पणियों की संख्या निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 110 : प्राप्त की गई आपत्तियों की संख्या

सरल क्रमांक	विद्युत वितरण कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों पर प्राप्त की गई टिप्पणियों की संख्या
1	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि इंदौर (वेस्ट डिस्काम)	**82**
2	म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. जबलपुर (ईस्ट डिस्काम)	**19**
3	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि. भोपाल (सेंट्रल डिस्काम)	**29**
	योग	**130**

6.3 आयोग द्वारा निम्न कार्यक्रम के अनुसार जन–सुनवाईयां आयोजित की गईं :

तालिका 111 : आयोजित की गई जन–सुनवाईयां

स. क्र	विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	जन सुनवाई की तिथि	सुनवाई स्थल
1.	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इंदौर के आपत्तिकर्ताओं हेतु,	22 फरवरी 2012	संतोष सभागृह फिल्म भवन, रानी सती गेट के समीप, यशवन्त निवास, इंदौर
2.	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, जबलपुर के आपत्तिकर्ताओं हेतु	25 फरवरी 2012	''तरंग आडिटोरियम'' शक्ति भवन, रामपुर जबलपुर
3.	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल के आपत्तिकर्ताओं हेतु	28 फरवरी 2012	प्रशासन अकादमी सभागृह, 1100 क्वार्टर, भोपाल
		29 फरवरी 2012	आयोग न्यायालयीन कक्ष

6.4 जन–सुनवाई के दौरान, अधिकांश प्रतिवादियों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित विद्युत–दर (टैरिफ) में वृद्धि का विरोध किया गया। इसी प्रकार, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं की बिलिंग के संबंध में प्रति अश्वशक्ति आकलित खपत में दर वृद्धि संबंधी प्रस्ताव का विभिन्न कृषक संघों के प्रतिनिधियों द्वारा विरोध किया गया। अधिकांश प्रतिवादियों का यह दृष्टिकोण था कि तीन विद्युत वितरण कम्पनियों के असन्तोषजनक निष्पादन का मुख्य कारण उच्च वितरण हानियों के साथ–साथ विद्युत की चोरी तथा घरेलू तथा कृषि श्रेणियों के अमीटरीकृत संयोजनों को मीटरीकृत न किया जाना भी है। प्रतिवादियों द्वारा बहुमत से विद्युत वितरण कम्पनियों की अब तक की मीटरीकरण की असन्तोषजनक प्रगति के बारे में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू तथा कृषि संबंधी संयोजनों के मीटरीकरण को लेकर गंभीर चिन्ता व्यक्त की गई तथा उनका विचार था कि विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों से संरेखित समस्त उपभोक्ता श्रेणियों के शत प्रतिशत मीटरीकरण के क्रियान्वयन हेतु एक सुनिश्चित कार्य योजना लागू की जाए।

6.5 विभिन्न औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों द्वारा वर्ष 2007 के दौरान वित्तीय वर्ष 2008–2011 तक प्रति–सहायतानुदान में कमी लाने संबंधी मार्गदर्शिका (road map for reduction in cross subsidy) को वित्तीय वर्ष 2012–13 से आगे की अवधि हेतु टैरिफ नीति से संरेखित प्रति सहायतानुदान में उत्तरोत्तर कमी लाये जाने संबंधी कार्य योजना पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई।

6.6 गैर शासकीय संगठनों (NGOs) के प्रतिनिधियों तथा अन्यों द्वारा राज्य में स्वच्छ ऊर्जा (Green Power) जैसे कि सौर ऊर्जा के संवर्धन तथा प्रोत्साहन किये जाने के अलावा शीर्ष अवधि के दौरान विद्युत कमी को दूर किये जाने हेतु मांग परक प्रबंधन (Demand Side Management) तथा ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग के बारे में जागरूकता लाये जाने संबंधी प्रभावी उपाय किये जाने के बारे में सुझाव दिये गये हैं।

6.7 विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण के अभ्यास के बतौर, राज्य सलाहकार समिति (State Advisory Committee) की बैठक आयोग कार्यालय में अनुज्ञप्तिधारियों के प्रस्तावों पर सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR)/विद्युत–दर (टैरिफ) प्रस्तावों पर उनके विचार जानने हेतु दिनांक 3.2.2012 को आयोजित की गई। विद्युत–दर आदेश को अन्तिम करते समय आयोग द्वारा राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर यथोचित विचार किया गया है।

6.8 जबकि आयोग द्वारा काफी बड़ी संख्या में सुझावों/आपत्तियों तथा टिप्पणियां प्राप्त की गई हैं तथा जनसुनवाईयों के दौरान उठाई गईं हैं, केवल प्रमुख रूप से सार्वजनिक सुनवाईयों के दौरान प्राप्त की गई आपत्तियों पर ही यथोचित विचार किया गया है। आपत्तियों का समूहीकरण टिप्पणियों/आपत्तियों की प्रकृति के अनुसार किया गया है तथा इन्हें इस अध्याय में निम्न परिछेदों के अंतर्गत संक्षेप में दिया जा रहा है :

विषय क्रमांक 1 : रेलवे कर्षण (Railway Traction) (श्रेणी एचवी–1) में एकल–भाग टैरिफ को पुनर्स्थापित करना तथा विद्युत प्रदाय की लागत पर विचार करते हुए विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी हेतु टैरिफ का निर्धारण युक्तियुक्त स्तर पर किया जाना

<u>आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

भारतीय रेलवे द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया कि रेलवे कर्षण हेतु एकल–भाग विद्युत–दर (Single Part Tariff) को पुनर्स्थापित किया जाए तथा विद्यमान विद्युत वितरण कम्पनी के स्थाई तथा ऊर्जा प्रभारों में वृद्धि किये जाने संबंधी प्रस्ताव को अस्वीकार कर कर्षण विद्युत–दर को एक युक्तियुक्त स्तर पर लाया जाए। विशिष्ट वोल्टेज श्रेणी को प्रयोज्य विद्युत प्रदाय की लागत पर भी विचार किया जाना चाहिए।

<u>वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया</u>

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है कि रेलवे कर्षण हेतु द्वि–भाग टैरिफ को पुनः लागू किया जाना राष्ट्रीय टैरिफ नीति की कंडिका 8.4.1 के उपबन्धों के अनुरूप है जिसमें कहा गया है कि *''उन वृहद् उपभोक्ताओं हेतु (जिनकी मांग एक मेगावाट से अधिक है), द्वि–भाग टैरिफ जिसकी पृथक–पृथक स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों के साथ–साथ समय–विभेदक (time-differential) टैरिफ एक मुख्य विशेषता है, को एक वर्ष के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। इससे विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन में भी शीर्ष अवधि को संतुलित करने में भी सहायता मिलेगी।''*

इसके अतिरिक्त, रेलवे हेतु प्रस्तावित की गई विद्युत–दर युक्तियुक्त है तथा आयोग द्वारा प्रति राज्यानुदान (Cross-Subsidy) कम किये जाने संबंधी दिशा–निर्देशों (रोड मैप) के अनुरूप है। टैरिफ में प्रस्तावित की गई नाममात्र की वृद्धि मुद्रास्फीति से बढ़ी हुई लागतों की पूर्ति हेतु पूर्ण रूप से पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता पुनः यह बात ध्यान में लाना चाहता है कि नवीन परियोजनाओं हेतु पांच वर्षों की अवधि के लिये 10 प्रतिशत की टैरिफ छूट विचाराधीन याचिका में प्रस्तावित की गई है जो एक निश्चित रूप से आकर्षक प्रस्ताव है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण को युक्तिसंगत मानता है तथा इसे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 45(3)(ए) के उपबन्धों के अनुरूप पाता है। तदनुसार, रेलवे कर्षण के प्रकरण में स्थाई प्रभारों की बिलिंग का प्रावधान जारी रखा गया है।

विषय क्रमांक 2 : आधिक्य मांग प्रभार तथा आधिक्य मांग की तत्संबंधी खपत हेतु ऊर्जा प्रभारों में वृद्धि का विरोध किया गया

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

भारतीय रेल द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों के उस प्रस्ताव का विरोध किया गया है जिसके अन्तर्गत रेलवे को स्थाई प्रभारों को दुगुनी दर पर संविदा मांग (संविदा मांग के 15 प्रतिशत तक सीमित होने पर); अनुबन्ध मांग से अधिक की आधिक्य मांग (excess demand) पर ढाई गुना दर पर संविदा मांग से 15 प्रतिशत अधिक वृद्धि होने पर तथा तत्संबंधी ऊर्जा प्रभारों को सामान्य विद्युत–दर से दुगुनी दर पर आनुपातिक आधार पर प्रभारित किया जाएगा।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रया

विद्युत क्षेत्र की वर्तमान प्रणाली के अनुसार, किसी प्रयोक्ता द्वारा ऊर्जा/विद्युत का आधिक्य आहरण किये जाने पर अतिरिक्त प्रभार को अधिरोपित किया जाना आवश्यक है। अतएव, आधिक्य मांग हेतु समस्त प्रभार पूर्णतया न्यायसंगत हैं। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता से इन अप्रत्याशित परिस्थितियों तथा प्रतिबन्धों के बावजूद इस अनुशासन का अनुसरण किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा दोनों हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया है तथा उसके द्वारा निर्णय लिया गया है कि स्थाई प्रावधानों को केवल रेलवे हेतु बिना किसी परिवर्तन को जारी रखा जाए।

विषय क्रमांक 3 : 0.90 से अधिक ऊर्जा कारक (PF) तथा ऊर्जा लागत (132 केवी/220 केवी विद्युत प्रदाय पर) पर 3 प्रतिशत की छूट चाही गई

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

रेलवे के प्रतिनिधियों द्वारा निम्न प्रोत्साहनों/छूटों के संबंध में अनुरोध किया गया है :

(अ) **पावर फैक्टर (पीएफ) प्रोत्साहन** :– (i) कर्षण विद्युत प्रदाय पर 0.95 के स्थान पर 0.90 से अधिक पावर फैक्टर पर पूर्व प्रक्रिया के अनुरूप प्रोत्साहन दिये जाने पर विचार किया जाए; (ii) विद्युत वितरण कम्पनी के 0.90 पावर फैक्टर संबंधी प्रस्ताव को अमान्य किया जाकर इसे पूर्वानुसार 0.85 स्तर पर जारी रखा जाए।

(ब) **वोल्टेज छूट** :– 132/220 केवी हेतु प्रदाय की जा रही ऊर्जा प्रभारों पर 4% की छूट 132 केवी पर तथा 220 केवी पर 5% के अनुरूप इसे लागू किये जाने पर विचार किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

(अ) आयोग द्वारा अधिसूचित ग्रिड कोड में किये गये उपबन्ध के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत का आहरण 0.98 ऊर्जा–कारक (पावर फैक्टर) पर करना होता है तथा इस प्रकार यदि कोई छूट प्रदान की जाना हो तो वह 0.98 ऊर्जा कारक पर ही प्रदान की जानी चाहिए। तथापि, कम्पनी ने विद्यमान संरचना में 0.95 ऊर्जा कारक से अधिक पर प्रोत्साहन दिये जाने पर कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं किया है।

इसके अतिरिक्त रेलवे हेतु ऊर्जा कारक की न्यूनतम सीमा को 0.85 से कम करना विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(3) की भावना के विपरीत होगा। जहां तक ऊर्जा कारक (Power Factor) के नियंत्रण का प्रश्न है तो इसका सर्वोत्तम प्रौद्योगिक हल स्त्रोत पर ही प्रतिक्रिय प्रवाहों (Reactive Flows) का नियंत्रण करना होगा, अर्थात् विद्युत लोकोमोटिव से। उदाहरण के तौर पर, पटल पर स्थापित उचित प्रतिक्रिय क्षतिपूर्ति उपकरण (suitable on-board reactive compensation devices) अथवा सर्किट जो लोकोमोटिव के प्रतिक्रिय भार का अत्यंत निकटता से अनुसरण कर रहे हैं।

(ब) टैरिफ संरचना का अध्ययन किये जाने पर यह देखा जा सकता है कि रेलवे हेतु प्रभावशील विद्युत–दर (टैरिफ) 33 केवी पर प्राप्त किये जा रहे विद्युत प्रदाय से कम है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीन कर्षण बिन्दुओं हेतु 10 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग का मत है कि ऊर्जा कारक हेतु वर्तमान में प्रदाय की जा रही छूट पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, विद्युत प्रदाय वोल्टेज स्तर पर कोई पृथक छूट पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि टैरिफ अवधारणा हेतु विद्युत प्रदाय की लागत की गणना समस्त वोल्टेज स्तरों पर विद्युत प्रदाय की औसत लागत के अनुरूप है।

विषय क्रमांक 4 : टैरिफ श्रेणी थोक आवासीय प्रयोक्ता (एचवी 6) तथा गैर–घरेलू (एलवी 2.2) में दर वृद्धि

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

भारतीय रेलवे द्वारा विद्युत वितरण कम्पनी के टैरिफ श्रेणी थोक आवासीय प्रयोक्ता (Bulk residential users) (एचवी 6) तथा गैर–घरेलू (Non-domestic) (एलवी 2.2) का यह उल्लेख करते हुए विरोध किया गया है यह यात्रा सुविधाओं की मदों, जैसे कि स्टेशन प्रकाश व्यवस्था तथा स्टेशन जल प्रदाय व्यवस्था आदि पर आने वाला प्रत्यक्ष भार है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रति–सहायतानुदान (Cross-subsidy) में कम किये जाने हेतु एक मार्गदर्शिका (road map) आयोग की अधिसूचना दिनांक 6 अक्टूबर, 2007 द्वारा अपनाई गई है। इसके अलावा, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं से विद्युत प्रदाय की सम्पूर्ण लागत की वसूली तक भी प्रस्तावित नहीं की गई है। अतएव अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित की गई मामूली वृद्धि मुद्रा स्फीति दर की लागत की आपूर्ति हेतु पर्याप्त मात्र है तथा न्यायसंगत, उचित तथा युक्तियुक्त है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा इस विषय पर यथोचित विचार किया गया है तथा टैरिफ श्रेणियों/थोक आवासीय प्रयोक्ताओं (एचवी–6) तथा गैर–घरेलू (एलवी–2.2) विद्युत–दर का अवधारण सुसंबद्ध कारकों पर विचार करते हुए किया गया है।

विषय क्रमांक 5 : गहन विद्युत उद्योगों (Power Intensive Industries) हेतु भारकारक प्रोत्साहनों (Low Factor Incentives) की पुर्नस्थापना किया जाना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

ऑल इंडिया इण्डक्शन फर्नेस एसोसियेशन द्वारा टैरिफ श्रेणी एचवी 3.4 के अन्तर्गत 75 प्रतिशत से अधिक भार कारक संधारित किये जाने पर भार कारक प्रोत्साहनों को पुर्नस्थापित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उच्च दाब (HT) की किसी श्रेणी पर भारकारक प्रोत्साहन लागू किया जाना प्रस्तावित नहीं किया गया है। गहन विद्युत उद्योगों की एचवी–3 श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु

प्रस्तावित विद्युत–दर (टैरिफ) पूर्व से ही कम है। वास्तव में, आपत्तिकर्ता द्वारा चाहा गया लाभ उनके लिये प्रस्तावित विद्युत–दर में पूर्व से ही शामिल किया जा चुका है। यहां यह उल्लेख किया जाना अत्यंत प्रासंगिक होगा कि याचिकाकर्ता वर्तमान टैरिफ याचिका के माध्यम से इसकी दक्ष लागतों की शत प्रतिशत वसूली किया जाना प्रतिपादित नहीं कर रहा है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश में गहन विद्युत उद्योगों हेतु एक पृथक श्रेणी लागू की गई है जिसके अन्तर्गत भारकारक प्रोत्साहन (load factor incentive) के प्रभाव पर यथोचित विचार किया गया था, अतएव इस श्रेणी के लिये भारकारक प्रोत्साहन का प्रावधान नहीं किया गया था। वित्तीय वर्ष 2012–13 की विद्युत–दर हेतु भी इसी सिद्धांत को लागू किया गया है, अतः भारकारक प्रोत्साहन अनुज्ञेय किया जाना युक्तिसंगत नहीं होगा।

विषय क्रमांक 6 : न्यूनतम गारंटी खपत में वृद्धि

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

निन्न दाब गैर–घरेलू तथा उद्योगों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत क्रमशः एलवी–2 तथा एलवी–4 श्रेणियों के अन्तर्गत न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत खपत (minimum annual guaranteed consumption) में प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया गया है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

जैसा कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत–दर (टैरिफ) याचिका में उल्लेख किया गया है, वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान विद्युत प्रदाय के घंटों में वृद्धि की जाएगी, अर्थात् विद्युत की खपत अधिक होने लगेगी। अतएव, वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विद्युत खपत को टैरिफ आदेश में न्यनूतम वार्षिक खपत से बढ़े हुए स्तर पर प्रस्तावित किया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का दृष्टिकोण है कि आदर्श परिस्थितियों के अन्तर्गत न्यूनतम प्रत्याभूत खपत को अधिरोपित नहीं किया जाना चाहिए। विद्युत अधिनियम, 2003 में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपगत (incure) किये गये स्थाई लागतों तथा परिवर्तनीय लागतों की वसूली हेतु स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों के उद्ग्रहण का प्रावधान किया गया है। वर्तमान परिदृश्य में, स्थाई लागतों की राशि अधिक है तथा यदि ये लागत स्थाई प्रभारों के उद्ग्रहण द्वारा पूर्णतया प्राप्त कर ली जाती

है तो इससे उपभोक्ताओं पर भार में अत्यधिक वृद्धि होगी, विशेषकर ऐसे उपभोक्ता जिनके भार कारक न्यून स्तर के हैं। अतएव इस संबंध में युक्तिसंगत दृष्टिकोण अपनाते हुए, आयोग द्वारा स्थाई लागतों के एक भाग की पूर्ति के उद्देश्य से न्यूनतम प्रत्याभूत खपत का उद्ग्रहण किया जाना जारी रखा गया है। न्यूनतम प्रत्याभूत खपत केवल उन्हीं प्रकरणों में अधिरोपित की जाती है जहां वास्तविक खपत न्यूनतम निर्दिष्ट स्तर से कम होती है। तथापि, न्यूनतम खपत स्तर में किसी प्रकार की वृद्धि, जैसा कि इसे तत्पश्चात् निर्दिष्ट किया गया है, को स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

विषय क्रमांक 7 : विलम्बित भुगतान अधिभार को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में अर्जित राजस्व माना जाना चाहिए

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुछ प्रतिवादियों द्वारा मुद्दा उठाया गया कि विलंबित भुगतान अधिभार अर्जित किये गये राजस्व का एक भाग है तथा इसे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का एक भाग माना जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

निवेदन किया गया कि विलम्बित भुगतान अधिभार अनिश्चित प्रकार के होते हैं, अतएव ऐसी प्राप्तियों का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, विलम्बित भुगतान का तात्पर्य यह है कि अनुज्ञप्तिधारी को प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित रखा गया है तथा परिणामस्वरूप उसे वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं से उच्च ब्याज दर पर ऋण प्राप्ति के लिए बाध्य किया गया है। विलम्बित भुगतान अधिभार का ऋणों पर ब्याज के विरूद्ध क्षतिपूर्ति होने के कारण, इसे राजस्व का एक भाग नहीं माना जाना चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग, विनियमों के अन्तर्गत दर्शाये गये कारणों से विलंबित भुगतान अधिभार के विरूद्ध प्राप्तियों को आय माने जाने के साथ–साथ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भुगतान में की गई चूक के कारण अतिदेय (Overdue) ब्याज अनुज्ञेय नहीं किये जाने के अपने आधार को यथावत रखता है।

विषय क्रमांक 8 : बिलिंग मांग को संविदा मांग (CD) के 75 प्रतिशत तक कम करना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

आल इंडिया इण्डक्शन फर्नेस एसोसिएशन तथा अन्य औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि न्यूनतम बिलिंग मांग को वर्तमान में संविदा मांग के 90% के विरूद्ध

संविदा मांग का 75% रखा जाए, जैसा कि यह कुछ वर्ष पूर्व प्रचलित था। विद्युत वितरण कम्पनियों के इस प्रस्ताव पर कि बिलिंग मांग को आगामी उच्चतम अंक तक पूर्णांक किया जाए, के प्रति विरोध प्रकट किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2011–12 में निर्दिष्ट किये गये विद्यमान उपबन्धों को जारी रखे जाने का अनुरोध किया गया।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता यह महसूस करता है कि संविदा मांग में 10 प्रतिशत का लचीलापन रखा जाना युक्तियुक्त तथा न्यायसंगत है। याचिकाकर्ता वितरण कम्पनी द्वारा मांग प्रभारों के माध्यम से स्थायी लागतों की मात्र आंशिक वसूली हो पाती है। अतएव, 90% का आंकड़ा तर्कसंगत है। महसूस किया जाता है इससे अगले उच्चतम अंक तक पूर्णांक किया जाने का प्रभाव नाम मात्र का ही होगा। अतएव, याचिकाकर्ता महसूस करता है कि विद्यमान उपबन्ध नियमानुकूल है क्योंकि अनुज्ञप्तिधारी का अन्तिम उद्देश्य समग्र रूप से संतुलित राजस्व प्राप्त किया जाना है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का दृष्टिकोण है कि विद्यमान उपबन्धों में किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

विषय क्रमांक 9 : ईंधन अधिभार समायोजन

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

इलेक्ट्रिसिटी कन्स्यूमर सोसायटी के प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया कि ईंधन अधिभार समायोजन हेतु एक सूत्र का अनुमोदन पृथक विनियम/आदेश के माध्यम से बहुवर्षीय विद्युत–दर संरचना को दृष्टिगत रखते हुए किया जा सकता है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

याचिका के अंतर्गत ईंधन अधिभार समायोजन की आवश्यकता के बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। ईंधन अधिभार समयोजन एक ऐसी क्रियाविधि (Mechanism) है जिसके अन्तर्गत ऊर्जा की लागत में उतार–चढ़ाव के समायोजन हेतु अन्तरिम राहत प्रदान की जा सकती है। अन्तिम समायोजन की वसूली सत्यापन प्रक्रिया के माध्यम से की जा सकती है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु ईंधन अधिभार समायोजन सूत्र को लागू किया गया है जिसकी चर्चा इस आदेश में एक पृथक अध्याय के अन्तर्गत की गई है।

विषय क्रमांक 10 : बाह्य शीर्ष छूट (ऑफ पीक रिबेट) हेतु दिन के समय (टाईम ऑफ डे) प्रोत्साहन को समाप्त करना तथा शीर्ष भार अधिभार में वृद्धि करना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित विद्युत–दर में बाह्य अवधि (Off Peak Load Period) (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक) के दौरान 7.5 प्रतिशत के देय प्रोत्साहन को समाप्त किये जाने का विरोध किया गया है। इसके विपरीत, इस प्रोत्साहन को 15 प्रतिशत की दर पर पुनरीक्षित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार, सांय 6 बजे से 10 बजे की शीर्ष अवधि हेतु, सामान्य दर का 30 प्रतिशत प्रस्तावित किया गया है। इसे पिछले वर्ष के 15 प्रतिशत स्तर पर पुनर्स्थापित किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

प्रणाली मांग में वृद्धि के कारण, शीर्ष अवधि के दौरान, अतिरिक्त विद्युत के क्रय की दर सामान्यतः सामान्य अवधि दर की तुलना में कहीं अधिक होती है। इसी प्रकार, प्रणाली मांग में कमी के कारण, शीर्ष बाह्य (off-peak) अवधि के दौरान, अतिरिक्त विद्युत की क्रय दर सामान्य अवधि दर की तुलना में कम होती है। व्यापारियों के माध्यम से विद्युत का लघुकालीन मूल्य केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की वैबसाईट पर प्रदर्शित किया गया है। इससे यह निष्कर्ष सामने आता है कि शीर्ष अवधि के दौरान, विद्युत की कीमत रात–दिन (round the clock) विद्युत की कीमत से सामान्यतः 15 प्रतिशत अधिक होती है। ऐसा भी पाया गया है कि शीर्ष बाह्य अवधि के दौरान, रात–दिन विक्रित की गई विद्युत की कीमत से अपेक्षाकृत कम होती है। अतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शीर्ष अवधि के दौरान पिछले टैरिफ आदेश में प्रदान की गई छूट, शीर्ष बाह्य अवधि के दौरान विद्युत की कीमत से संरेखित नहीं है। शीर्ष अवधि के दौरान भी अधिभार, शीर्ष अवधि के दौरान विद्युत की कीमत से कम होता है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा दिवस के समय (टाईम ऑफ डे) अधिभार को केवल चार घंटों *(सांय 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)* के लिये तथा छूट को आठ घंटों *(रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6*

बजे तक) हेतु ही निर्धारित किया गया है। आयोग को इस संबंध में दी जा रही छूट की दर में और अधिक परिवर्तन करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

विषय क्रमांक 11 : विनियामक परिसम्पतियों का गठन

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी चिन्ता जतलाई है कि विनियामक परिसम्पत्तियों की संरचना वित्तीय कुप्रबंधन का द्योतक है तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विनियामक परिसम्पत्तियों का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को आघात से बचाना है। यह एक अस्वस्थकर प्रवृत्ति नहीं है। इससे उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला बोझ तो टल ही जाता है तथा इससे अनुज्ञप्तिधारी को अपने प्रदर्शन में सुधार लाये जाने का समय तथा अवसर भी मिल जाता है एवं उपभोक्ता पर वर्तमान में पड़ने वाले प्रत्याशित बोझ का भी निराकरण हो जाता है।

याचिकाकर्ता का यह भी मत है कि आयोग द्वारा विनियामक परिसम्पत्तियों को अनुज्ञेय किये जाने बाबत टैरिफ नीति के दिशा–निर्देशों के अनुसार विनियम तैयार किया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा राजस्व के पूर्वानुमान हेतु ही प्रावधान किया गया है जो पूर्णतया स्वीकार्य लागतों की पूर्ति करता है। अतएव, विनियामक परिसम्पत्तियों को प्रावधानित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

विषय क्रमांक 12 : उच्च दाब तथा निम्न दाब श्रेणी के अन्तर्गत स्थाई तथा ऊर्जा लागत पर अतिरिक्त मांग प्रभार में वृद्धि

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

इण्डस्ट्रियल एसोसियेशन के प्रतिनिधियों द्वारा उच्च दाब तथा निम्न दाब श्रेणी के अन्तर्गत स्थाई तथा ऊर्जा लागत पर अतिरिक्त मांग प्रभारों हेतु अतिरिक्त प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया गया। यह भी अनुरोध किया गया कि अतिरिक्त प्रभार केवल स्थायी प्रभारों पर लिये जाएं तथा कोई तत्संबंधी ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग नहीं की जानी चाहिए क्योंकि आधिक्य मांग का किसी इकाई की खपत के साथ कोई संबंध नहीं होता।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

निवेदन किया गया कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रणाली को उपलब्धता आधारित टैरिफ तथा असूचीबद्ध विनिमय (unscheduled Interchages -UI) प्रभारों की कठोर व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। अतएव यह अपेक्षा की जाती है कि तत्संबंधी उपभोक्ताओं द्वारा भी अपने छोर/स्तरों पर इसी प्रकार के अनुशासन का प्रतिपालन किया जाना चाहिए। इस अनुशासन का परिपालन स्वयं उपभोक्ताओं तथा अनुज्ञप्तिधारी हेतु एक समान रूप से प्रभावी विद्युत–दरों तथा समग्र लागतों में कमी किये जाने की ओर अग्रसर होता है। सख्ती से अनुपालन द्वारा दाण्डिक प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि द्वारा प्रणाली के अनुशासन में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा संविदा मांग से आधिक्य को अभिलिखित करते समय मांग पर अतिरिक्त प्रभारों के संबंध में निर्णय लेते समय समस्त कारकों पर विचार कर लिया गया है तथा विद्यमान प्रावधानों में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना उचित नहीं मानता।

विषय क्रमांक 13 : घरेलू श्रेणी में विद्युत–दर (टैरिफ) वृद्धि तथा घरेलू श्रेणी हेतु खण्डों (Slabs) में कमी किये जाने बाबत

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

घरेलू उपभोक्ताओं तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा घरेलू श्रेणी में प्रस्तावित विद्युत–दर में वृद्धि का विरोध किया गया। सुझाव दिया गया कि घरेलू विद्युत–दर विद्युत–प्रदाय की लागत से अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि घरेलू श्रेणी से अन्य श्रेणियों को प्रति–अनुदानित (cross-subsidize) किये जाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। सुझाव दिया गया कि घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत खण्डों की संख्या घटा कर केवल दो कर दी जाए अर्थात् 0 से 30 यूनिट तक तथा 30 यूनिट से अधिक हेतु एक समान प्रभारों के साथ। कुछ आपत्तिकर्ताओं द्वारा यह निवेदन भी किया गया कि गहन विद्युत दाब की विद्युत–दर घरेलू श्रेणी की विद्युत–दर से कम है।

इस पहल के माध्यम से बिलिंग पर आने वाली लागत, मीटर रीडिंग में धोखाधड़ी (manipulation) तथा संबंधित कदाचारों से बचा जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, स्थाई प्रभारों के अवधारण हेतु दिये गये मूलाधार (rationale) का कुछ घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा विरोध किया गया।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारी खण्डों (स्लैब) की संख्या में बारंबार परिवर्तन प्रस्तावित किये जाने के पक्ष में नहीं है। इसके अतिरिक्त, टैरिफ संरचना में स्थाई प्रभारों का प्रावधान उपभोक्ताओं से ऐसे स्थाई प्रभारों की वसूली हेतु किया जाता है जो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अपने ऊपर आरोपित किये जाते हैं जिस समय उपभोक्ता बिजली की खपत न भी कर रहा हो। यह भी, कि अनुज्ञप्तिधारी कुल स्थाई प्रभारों की 30–40 प्रतिशत वसूली ही कर पाता है तथा शेष राशि की वसूली टैरिफ न्यूनतम प्रभारों के माध्यम से ही करनी होती है। अतएव, आपत्तिकर्ता का स्थाई प्रभारों के युक्तियुक्त किये जाने बाबत दृष्टिकोण सही नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत विवरण कम्पनियों के दृष्टिकोण से सहमत है। अतएव, इस हेतु कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा, यह कथन सही नहीं है कि गहन विद्युत उच्च दाब श्रेणी की विद्युत–दर घरेलू श्रेणी से कम है।

विषय क्रमांक 14 : मांग आधारित निम्न दाब औद्योगिक विद्युत–दर के प्रकरण में संयोजित उच्चतम भार के प्रावधान को हटाया जाना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा टैरिफ श्रेणी एलवी 4.1बी(i), एलवी4.2 बी(ii), तथा एलवी 4.1 सी हेतु मांग आधारित विद्युत–दर (demand based tariff) के प्रकरण में 150 अश्वशक्ति की संविदा मांग हेतु संयोजित भार की उच्चतम सीमा को हटाये जाने का अनुरोध किया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि निम्न दाब उद्योग श्रेणियों के अन्तर्गत अधिकांश उपभोक्ताओं को द्विभाग मीटर प्रदान किये जाते हैं जिनके द्वारा मांग तथा ऊर्जा को अभिलेखित किया जाता है। एक बार मांग मीटर स्थापित किये जाने के उपरान्त, संयोजित भार विद्युत–दर (connected load tarrifs) रखे जाने की सम्पूर्ण अवधारणा तर्कहीन तथा अस्वीकार्य है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

ऐसे प्रकरणों में जहां उपभोक्ताओं की वास्तविक मांग, उनकी संविदा मांग से उल्लेखनीय रूप से अधिक है, संयोजित भार पर उच्चतम सीमा को हटाया जाना तकनीकी तौर पर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रणाली भारों के हस्तालन (handling) हेतु उचित तौर पर सुसज्जित नहीं है। अनुज्ञप्तिधारी में अधिकतम संभव भार जो उसकी प्रणाली हेतु किन्हीं

असामान्य परिस्थितियों तथा अर्हताओं के लिये आनुषंगिक हैं का सही आंकलन तथा नियंत्रण किये जाने का सामर्थ्य होना चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने संविदा मांग आधारित विद्युत–दर धारित करने वाले निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्रकरण में संयोजित भार की उच्चतम सीमा को हटाये जाने संबंधी अनुरोध के बारे में पुनर्विचार किया है। उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा हाल ही में घोषित किये गये निर्णयों तथा ग्रिड अनुशासन के नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में निम्न दाब के औद्योगिक उपभोक्ताओं के प्रकरणों में संयोजित भार की उच्च्तम सीमा से छुटकारा पाया जाना अब संभव नहीं रह गया है। आयोग का दृष्टिकोण है कि उच्चतर संयोजित भार को धारित करने वाले उपभोक्ताओं को अब उच्च दाब (HT) में स्थानान्तरण कर लेना चाहिए तथा इसे सुविधाजनक बनाए जाने की दृष्टि से पिछले टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा संविदा मांग को घटाकर 50 केवीए कर दिया गया है। इस आशय को और आगे बढ़ाये जाने के प्रयोजन से भी आयोग द्वारा जारी किये जा रहे इस टैरिफ आदेश में 100 केवीए की संविदा मांग तक के प्रकरणों में न्यूनतम वार्षिक खपत को 900 यूनिट प्रति केवीए से घटाकर 600 यूनिट प्रति केवीए कर दिया गया है।

विषय क्रमांक 15 : घरेलू स्वीकृत भार का 10 प्रतिशत उपयोग गैर–घरेलू प्रयोजन हेतु अनुज्ञेय किया जाना

आपत्तिकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा

चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि द्वारा सुझाव दिया गया कि घरेलू श्रेणी के संबंध में, 10 प्रतिशत भार को गैर–घरेलू प्रयोजन हेतु अनुज्ञेय किया जाए। ऐसे उपाय स्वरोजगार तथा आजीविका के साधनों को बढ़ावा देने में सहायक होंगे।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

प्रतिवेदकों द्वारा उल्लेखित प्रावधान वित्तीय वर्ष 2008–09 तक प्रचलन में था। तथापि, आयोग द्वारा उक्त प्रावधान के दुरूपयोग संबंधी शिकायतें प्राप्त होने पर इसे वापस ले लिया गया था।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के विचार से सहमत है।

विषय क्रमांक 16 : ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा में परिवर्तन किया जाना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक संगठनों तथा उद्योगों के विभिन्न प्रतिनिधियों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों की निम्न दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों से संबद्ध ''ग्रामीण क्षेत्र'' संबंधी परिभाषा के परिवर्तन के संबंध में प्रस्ताव का विरोध किया गया तथा निवेदन किया गया कि मप्र शासन की अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ13/0513/2006 दिनांक 25 मार्च, 2006 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 के विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश की कंडिका एक में निम्न दाब उपभोक्ताओं की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में उल्लेखित ग्रामीण क्षेत्रों की परिभाषा जारी रखी जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

ग्रामीण क्षेत्र के बारे में पूर्व में जारी टैरिफ आदेशों में दी गई परिभाषा से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा व्यावहारिक कठिनाईयों का अनुभव किया जा रहा है। अतएव, इस विषय के अन्तर्गत दाखिल की गई याचिका में भिन्न परिभाषा का सुझाव दिया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का विचार है कि इस संबंध में किसी परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस विषय को पूर्व टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत भी संव्यवहारित किया जा चुका है।

विषय क्रमांक 17 : शीत गृह (Cold Storage) विद्युत–दर में छूट

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

शीत–गृह संघों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया है कि शीत–गृह को कृषि श्रेणी के अन्तर्गत माना जाए तथा कृषि हेतु प्रयोज्य विद्युत–दर को उच्च दाब तथा निम्न दाब श्रेणी पर भी लागू किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

उल्लेखनीय है कि शीत–गृहों का संचालन वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है क्योंकि ये अपने उपभोक्ताओं को प्रदाय की जा रही सेवा हेतु उन्हें प्रभारित करते हैं। अतएव, श्रेणी में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

विद्युत वितरण कम्पनियों के विचारों से सहमत है।

विषय क्रमांक 18 : कृषि श्रेणी में विद्युत–दर वृद्धि

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कृषि उपभोक्ताओं द्वारा कृषि संयोजनों के संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत–दर में प्रस्तावित वृद्धि के विरूद्ध आपत्तियां दर्ज की गईं। विभिन्न कृषक संगठनों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रस्तावित अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु आकलित खपत (assessed consumption) में वृद्धि का विरोध किया गया है।

इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि उपभोक्ताओं को उनके सिंचाई पम्पों हेतु, आयोग के दिशा–निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट घंटों में निश्चित तथा निरन्तर विद्युत प्रदाय नहीं किया जा रहा है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अन्तर्गत आने वाले अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के सीमान्त कृषकों के संबंध में यह उल्लेख किया गया कि ऐसे कृषकों की वास्तविक खपत निर्दिष्ट वार्षिक मानदण्डों से काफी कम है। अतएव यह सुझाव दिया गया कि सीमान्त कृषकों की खपत के आकलन हेतु आधारित उद्योग/उपयोगों हेतु स्वतंत्र सर्वेक्षण किया जाए। यह सुझाव भी दिया गया कि समस्त कृषि संयोजनों को मीटरीकृत या फिर उनका वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण किया जाए ताकि लघु कृषक अपने देयकों का भुगतान वास्तविक खपत के अनुसार कर सकें। यह सुझाव भी दिया गया कि कृषि आधारित उद्योग/उपयोगों हेतु विद्युत–दर कृषि विद्युत–दर के समकक्ष रखी जाए।

कृषकों द्वारा कृषि संभरकों (फीडरों) पर अत्यधिक कम वोल्टेज के कारण कठिनाईयां, जिनका उनके द्वारा एक साथ सामना किया जा रहा है, का उल्लेख भी किया गया।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि टैरिफ नीति के उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी हेतु विद्युत–दर उक्त विशिष्ट श्रेणी की विद्युत की लागत के अनुरूप होनी चाहिए तथा यह भी कि प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी द्वारा उक्त विशिष्ट श्रेणी हेतु औसत विद्युत लागत की कीमत का न्यूनतम 80% वित्तीय भार वहन करना होगा।

इसके अतिरिक्त, प्रभावशाली मीटरिंग की व्यवहार्यता (feasibility), कृषि क्षेत्र में एक गंभीर बाधा है जिसे व्यवहार में लाना काफी कठिन कार्य है। कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों पर मापयन्त्र स्थापित किये जा रहे हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा कृषि विद्युत–दर को अन्तिम करते समय आपत्तिकर्ताओं के सुझावों तथा अनुज्ञप्तिधारियों की प्रतिक्रिया के साथ–साथ टैरिफ नीति के प्रावधानों को विचार में रखा गया है।

विषय क्रमांक 19 : जल प्रदाय कार्यों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) में वृद्धि

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

नगरपालिक निगम इंदौर के प्रतिनिधियों तथा अन्य संबंधित गैर–शासकीय संगठनों (NGOs)/सक्रिय कार्यकर्ताओं (activitists) द्वारा उच्च दाब तथा निम्न दाब श्रेणी के जल प्रदाय श्रेणी में विद्युत–दर में प्रस्तावित वृद्धि का विरोध किया गया है। इसके अलावा नगरपालिक निगम की नर्मदा जल पम्प व्यवस्था के 132 केवी संयोजन के संबंध में विद्युत प्रदाय की कम लागत के कारण सार्वजनिक जल प्रदाय व्यवस्था को लाभ पहुंचाने हेतु भी अनुरोध किया गया।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रस्तावित विद्युत–दरों का अवधारण विद्युत प्रदाय की औसत लागत तथा टैरिफ विनियमों के सिद्धांतों के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा विद्युत–दर का अवधारण विद्युत प्रदाय की औसत लागत पर आधारित होता है न कि वोल्टेजवार/श्रेणीवार विद्युत प्रदाय लागत पर। तथापि, उपभोक्ताओं की उच्च दाब श्रेणी का रूपांकन करते समय यह प्रयास किया गया है उच्च वोल्टेज स्तर की औसत विद्युत–दर उसी श्रेणी के निम्न स्तर के उपभोक्ता की औसत विद्युत–दर से कम हो सकती है। यही सिद्धान्त जलप्रदाय कार्यों की श्रेणियों को भी बराबर रूप से लागू होता है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा कृषि विद्युत–दर को अन्तिम करते समय आपत्तिकर्ताओं के सुझावों तथा अनुज्ञप्तिधारियों की प्रतिक्रिया के साथ–साथ टैरिफ नीति के प्रावधानों पर भी विचार कर लिया गया है।

विषय क्रमांक 20 : दूर संचार सेवा प्रदायकों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ)

<u>आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

दूरसंचार सेवा प्रदायकों (Telecom Service Providers) के प्रतिनिधियों द्वारा दूरसंचार सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा संधारण श्रेणी के अन्तर्गत निर्दिष्ट किये जाने का अनुरोध किया गया। निवेदन किया गया कि वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दूरसंचार सेवा प्रदायकों को गैर–घरेलू उपभोक्ता (वाणिज्यिक) श्रेणी के अन्तर्गत माना जा रहा है जबकि प्रतिवादी एक अधोसंरचना सेवा प्रदायक (दूरसंचार) है। इसके अलावा, प्रतिवेदक सेवाकर विभाग के पास पंजीकृत है तथा उसके द्वारा सेवाकर का भुगतान भी किया जा रहा है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

टैरिफ संरचना के अन्तर्गत 'वाणिज्यिक' या 'अधोसंरचना' सेवा प्रदायक के नाम से कोई श्रेणी प्रचलित नहीं है। तथापि, कोई भी स्थापना जिसमें अधोसंरचना सेवा प्रदायक शामिल है, तथा जिनके द्वारा सेवा कर का भुगतान किया जाता है, गैर–घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग आपत्तिकर्ता द्वारा दूरभाष सेवा प्रदायकों को औद्योगिक श्रेणी में स्थानांतरित करने में या फिर उनके लिये नवीन श्रेणी का गठन करने संबंधी सुझाव से सहमत नहीं है। तथापि, वित्तीय वर्ष 2011–12 से ग्रामीण श्रेणी में दूरसंचार अधोसंरचना के विस्तार को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने के उद्देश्य से ऐसे उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा प्रभारों में समुचित छूट प्रदान की जा रही है जिसे इस वर्ष के दौरान भी जारी रखा गया है।

विषय क्रमांक 21 : स्थाई प्रभारों में कमी लाना

<u>आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

कुछ प्रतिवादियों द्वारा अनुरोध किया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनी का स्थाई प्रभारों में वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए तथा इसे विद्यमान स्तर पर ही जारी रखा जाए।

<u>वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया</u>

टैरिफ संरचना में स्थाई प्रभारों का प्रावधान, उपभोक्ताओं से स्थाई प्रकृति के प्रभारों, जो कि उनके द्वारा वहन किये जाते हैं भले ही उपभोक्ता विद्युत की खपत न भी कर रहा हो, की वसूली हेतु किया जाता है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा स्थाई प्रभारों का अवधारण करते समय समस्त कारकों पर विचार कर लिया गया है तथा तद्नुसार इसका प्रावधान विद्युत–दर में किया गया है।

विषय क्रमांक 22 : न्यूनतम खपत प्रभारों के प्रावधान को समाप्त करना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है कि विद्युत वितरण कम्पनियों की निम्न दाब/उच्च दाब श्रेणियों हेतु टैरिफ न्यूनतम यूनिट प्रभारों की वसूली न की जाए क्योंकि विद्युत वितरण कम्पनियां ऊर्जा प्रभारों की वसूली टैरिफ न्यूनतम यूनिटों से कहीं अधिक कर रही हैं।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

टैरिफ न्यूनतम खपत/प्रभारों को समाप्त किये जाने संबंधी आपत्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपत्ति को स्वीकृति प्रदान न की जाए क्योंकि यह प्रावधान टैरिफ संरचना का मुख्य भाग होता है तथा यह भी कि यह प्रावधान उपभोक्ता द्वारा कम्पनी के साथ निष्पादित की गई संविदा/अनुबंध से संबद्ध होता है जिसके अनुसार कम्पनी संविदा मांग हेतु विद्युत प्रदाय सुविधा का विस्तार करने हेतु बाध्य तथा प्रतिबद्ध होती है तथा इसके लिये उसे आवश्यक अधोसंरचना विकसित करनी होती है तथा वांछित भार के लिये आवश्यक प्रावधान भी करने होते हैं। अतएव न्यूनतम प्रभार संबंधी प्रावधानों को टैरिफ में जारी रखा जाना आवश्यक है तथा इसे कम्पनी द्वारा प्रस्तावित किये अनुसार ही अनुज्ञेय किया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि यदि स्थाई प्रभारों की वसूली पूर्णतया स्थाई लागत के माध्यम से की जाती है तो सामान्यतः इन्हें उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु, यदि स्थाई प्रभार काफी न्यून स्तर के हों तो कुछ उपभोक्ता श्रेणियों हेतु न्यूनतम प्रभारों को अधिरोपित करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रह जाता ताकि राजस्व का सन्तुलन बना रहे। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि यदि खपत का स्तर न्यूनतम प्रभारों की मानदण्डीय अवसीमा (threshold) के अन्तर्गत हो तो ऐसी दशा में केवल वास्तविक खपत प्रभारों की ही वसूली हो पाती है।

विषय क्रमांक 23 : कृषि आधारित उद्योगों, जैसे कि गिनिंग, प्रेसिंग तथा खाद्य तेल मिल इकाईयों को कृषि श्रेणी के अन्तर्गत लाये जाने बाबत

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

कृषि आधारित उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा गिनिंग, प्रेसिंग तथा तेल मिल इकाईयों को कृषि श्रेणी के अन्तर्गत लाये जाने का अनुरोध करते हुए इन्हें भी उच्च दाब तथा निम्न दाब श्रेणी के अन्तर्गत गिनिंग, प्रेसिंग तथा तेल मिलों को कृषि संबंधी विद्युत दरें लागू किये जाने का अनुरोध किया गया। यह भी निवेदन किया गया कि केन्द्रीय सरकार की नीति में परिवर्तन के कारण, गिनिंग तथा प्रेसिंग उद्योग मासिक टैरिफ न्यूनतम यूनिटों की खपत तक कर पाने में असमर्थ हैं। अतएव अनुरोध किया गया कि मौसमी उपभोक्ताओं हेतु मौसमी–बाह्य (off season) अवधि 4 से 6 माह रखी जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

मप्रविनिआ द्वारा विभिन्न श्रेणियों हेतु विद्युत–दरें विभिन्न कारकों पर विचार करते हुए टैरिफ नीति के उपबन्धों से संरेखित नियत की जाती हैं। मौसमी उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ संरचना मप्रविनिआ द्वारा आमजन के दृष्टिकोण तथा ऐसे उद्योगों की खपत पर विचार करते हुए निर्धारित की गई थी।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा विद्युत–दर को अन्तिम करते समय आपत्तिकर्ताओं के सुझावों तथा अनुज्ञप्तिधारियों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया तथा उसके द्वारा वर्तमान प्रावधानों के किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है।

विषय क्रमांक 24 : उच्च दाब उद्योगों हेतु विद्युत कारक प्रोत्साहन

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि उच्च दाब श्रेणी हेतु विद्युत कारक प्रोत्साहन (power factor incentive) विद्यमान 0.95 के स्थान पर 0.90 से अधिक हेतु प्रदान किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

ग्रिड संहिता के अनुसार, विद्युत वितरण कम्पनी को विद्युत कारक 95 प्रतिशत पर संधारित करना होता है। अतएव, भार कारक 95 प्रतिशत से कम हो जाने पर, उपभोक्ताओं पर अधिरोपित किया गया अर्थदण्ड युक्तियुक्त है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग के विचार में विद्यमान उपबन्धों में परिवर्तन किया जाना उपयुक्त नहीं होगा।

विषय क्रमांक 25 : अस्थाई विद्युत प्रदाय को सामान्य प्रभारों के 1.1 गुना से अधिक प्रभारित न किया जाए

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों के अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों को वर्तमान में निम्न दाब तथा उच्च दाब की समस्त श्रेणियों हेतु प्रयोज्य वर्तमान सामान्य प्रभारों के 1.3 गुना के स्थान पर सुसंबद्ध श्रेणी हेतु 1.5 गुना दर पर बिलिंग किये जाने संबंधी प्रस्ताव का विरोध किया गया है। सुझाव दिया गया कि समस्त श्रेणियों हेतु अस्थाई प्रभार सामान्य प्रभारों के 1.1 गुना से अधिक प्रभारित न किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अस्थाई उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को स्थाई राजस्व स्त्रोत प्रदान नहीं करते हैं तथा जब दीर्घकालीन विद्युत क्रय अनुबंधों से विद्युत उपलब्ध नहीं होती तो ऐसी दशा में कई बार अस्थाई सयोजनों हेतु विद्युत विनिमय केन्द्रों (Power exchanges) से विद्युत प्राप्त करनी होती है जिसकी दर अपेक्षाकृत अत्यधिक होती है। अतएव, सामान्य दर की 1.5 गुना प्रस्तावित दर काफी युक्तियुक्त है। एक ऐसी सुविधा हेतु, जिसे सामान्य तौर पर तत्काल प्रदान किया जाता है, अस्थाई विद्युत प्रदाय की क्षतिपूर्ति हेतु 1.1 गुना की दर पर्याप्त प्रतीत नहीं होती।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा समस्त सुसंबद्ध कारकों पर विचार करते हुए अस्थाई संयोजन की बिलिंग दर को स्थाई संयोजनों की दर का 1.3 गुना प्रावधान किये जाने का प्रावधान किया गया है। इसके उपरान्त, कोई अन्य परिवर्तन किया जाना उचित नहीं होगा।

विषय क्रमांक 26 : स्वतंत्र विशेषज्ञों के माध्यम से आकड़ों का सत्यापन किया जाना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

इण्डस्ट्रियल एसोसियेशन के प्रतिनिधियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा टैरिफ प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये आंकड़ों का सत्यापन स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक

दल के माध्यम से किये जाने की आवश्यकता है। आंकड़ों का सत्यापन निम्न मुद्दों पर किया जा सकता है :

(अ) क्या खुदरा वितरण विद्युत–दरों के अवधारण बाबत समस्त आंकड़े मप्रविनिआ द्वारा संरचित विनियमों के अनुरूप हैं ?

(ब) खुदरा वितरण विद्युत–दरों के अवधारण के संबंध में मांग का पूर्वानुमान, वसूली दरें तथा राजस्व का पूर्वानुमान किया जाना।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि आयोग द्वारा इस विषय पर पूर्व में भी विचार किया गया था तथा उनके द्वारा तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन किये जाने का समर्थन नहीं किया गया। इस संदर्भ में, आपत्तिकर्ता द्वारा मप्र इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूमर सोसायटी, इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक 80/07 में आयोग द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, इस प्रकार का सत्यापन किया जाना एक समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया मात्र होगी तथा अन्तिम रूप से निरर्थक सिद्ध होगी क्योंकि वर्तमान में अनुसरण की जा रही प्रक्रिया में सत्यापन, आपत्तियां के अभिलेखन/सुझावों तथा वांछित पारदर्शिता हेतु पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग इस विषय पर विद्युत वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण से सहमत है।

विषय क्रमांक 27 : कुक्कुट पालन केन्द्रों की श्रेणी हेतु परिवर्तन का सुझाव

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुक्कुट पालन केन्द्र (Poultry Farms) श्रेणी के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि कुक्कुट पालन केन्द्र कृषि उपयोग की श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं। अतएव, इनकी विद्युत–दर कृषि विद्युत–दर के समान ही होनी चाहिए तथा इनकी श्रेणी वर्तमान एलवी 5.2 (कृषि संबंधी अन्य उपयोग) के स्थान पर एलवी 5.1 (कृषि उपयोग) में परिवर्तित की जाए। इसके अलावा, शहरी तथा ग्रामीण विद्युत–दर के अन्तर्गत कुक्कुट पालन केन्द्रों के पम्प–मोटरों में उपयोग की जा रही विद्युत–दरों में उल्लेखनीय अन्तर भी नहीं होना चाहिए तथा इन पर कृषि विद्युत–दर ही लागू की जानी चाहिए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

किसी भी टैरिफ आदेश के अन्तर्गत किसी नये खण्ड (स्लैब) की संरचना को आयोग द्वारा संव्यवहारित किया जाता है जिसे प्रभावित उपभोक्ताओं के दृष्टिकोण पर विचार कर निर्धारित किया जाता है। कम्पनियों के दृष्टिकोण के अनुसार इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा इस विषय पर विचार किया गया तथा उसका मत है कि विषयान्तर्गत दर में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है।

विषय क्रमांक 28 : अति उच्च दाब श्रेणी/उच्च दाब हेतु दरों का युक्तियुक्तकरण किया जाना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

(i) उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा अति उच्च दाब/उच्च दाब श्रेणियों के समस्त वर्गों के संबंध में स्थाई प्रभारों के युक्तियुक्तकरण किये जाने तथा उच्च दाब श्रेणी की तुलना में इन्हें अति उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु इन्हें कम किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसे वोल्टेजवार विद्युत प्रदाय की लागत के साथ संबद्ध किया जाए।

(ii) यह भी सुझाव दिया गया कि HV1 रेलवे, HV2 कोयला खदानें (Coal Mines) तथा HV4 मौसमी (Seasonal) श्रेणियों को श्रेणी HV3 (औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग माल) के साथ संविलय कर दिया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

(i) टैरिफ नीति के अनुसार, टैरिफ के अवधारण तथ प्रति सहायतानुदान (Cross subsidy) हेतु विद्युत प्रदाय की समग्र लागत पर विचार करना होता है न कि वोल्टेज स्तरवार या श्रेणीवार विद्युत प्रदाय की लागत पर।

(ii) उच्च दाब श्रेणियों को एक साथ संविलीयन किया जाना विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(3) के उपबन्धों का उल्ल्घन करने जैसा होगा क्योंकि प्रयोजन जिस हेतु विद्युत प्रदाय की आवश्यकता है, कथित श्रेणियों हेतु अलग–अलग है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा विद्युत–दर हेतु स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों का अवधारण करते समय समस्त घटकों के साथ–साथ प्रति राज्यानुदान मार्गदर्शिका (Cross Subsidy Roadmap) के प्रावधानों पर भी विचार कर लिया गया है। अतएव, इसमें कोई भी परिवर्तन किया जाना उचित नहीं होगा।

विषय क्रमांक 29 : शॉपिंग मॉल श्रेणी हेतु विद्युत–दर में वृद्धि का विरोध किया गया

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

शॉपिंग मॉलों को ''थोक प्रयोक्ताओं (Bulk users)'' के अनुरूप माना जाए तथा इन्हें प्रयोज्य विद्युत–दर श्रेणी एचवी–6 तथा एचवी–7 के अनुरूप थोक विद्युत प्रदाय के मिश्रित भार वाले विभिन्न प्रयोक्ताओं की भांति ही उचित छूट प्रदान की जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

एचवी 3.3 विद्युत–दर, जो शॉपिंग माल हेतु लागू की गई है, उक्त श्रेणी हेतु निम्न प्रयोज्य दाब विद्युत–दर से भी कम है। इसके अतिरिक्त, एचवी–6 तथा एचवी–7 के अंतर्गत विद्युत प्रदाय का उद्देश्य अन्तिम छोर उपयोग श्रेणी एचवी–3.3 से अलग है। अतएव, आपत्तिकर्ता का तर्क न्यायसंगत नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा आपत्तिकर्ताओं की आपत्तियों/सुझावों तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया। शॉपिंग मॉल की विद्युत–दर का अवधारण करते समय आयोग द्वारा इसके लिये उचित विद्युत–दर निर्धारित कर दी गई है।

विषय क्रमांक 30 : ग्रामीण संभरक के माध्यम से विद्युत प्रदाय हेतु छूट प्रदान करना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि मांग तथा ऊर्जा प्रभारों की विद्युत–दर पर 15 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि घोषित किये गये ग्रामीण संभरक (फीडर) ऐसे संभरक होने चाहिए जिन्हें अति उच्च दाब (EHV) उपकेन्द्र (केवल 132 केवी या इससे अधिक) से ग्रामीण संभरक (33 केवी तथा 11 केवी) घोषित किया जाना है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा निवेदन किया गया कि आपत्तिकर्ताओं द्वारा ग्रामीण संभरक से विद्युत प्रदाय हेतु छूट प्रदान किये जाने संबंधी प्रस्ताव स्वीकारयोग्य नहीं है क्योंकि आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के अपने खुदरा विद्युत–दर आदेश में पूर्ण तौर पर पूर्व से ही इस बाबत

पूर्ण सावधानी बरत ली गई है तथा इस प्रकार मांग प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की विद्युत–दर पर 15 प्रतिशत की छूट लागू किया जाना आवश्यक नहीं है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा इस विषय पर विचार किया गया है तथा इस संबंध में विद्यमान उपबन्धों को जारी रखे जाने का निर्णय लिया गया।

विषय क्रमांक 31 : मानदण्डीय हानि से उच्च दर पर वितरण हानियों का दावा किया जाना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी (पूक्षेविविकं) के एक आपत्तिकर्ता द्वारा अभ्युक्ति की गई कि पूक्षेविविकं द्वारा वित्तीय वर्ष 12–13 हेतु 24 प्रतिशत की मानदण्डीय हानि से अधिक, 26.35% की वितरण हानियां, 2.35% अतिरिक्त हानि को सम्मिलित करते हुए चार ग्रामीण विद्युतीकरण सोसायटियों (RE Cooperative Societies-REC) के विद्युत प्रदाय व्यापार को अपने अधिकार क्षेत्र में लेने के कारण प्रस्तावित किया गया है। प्रतिवादी द्वारा यह अभिमत दिया गया कि ग्रामीण विद्युतीकरण सोसायटियों के क्षेत्र को पूक्षेविविकं के क्षेत्र में संविलियन को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु मानदण्डीय मप्रविनिआ द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हानियों में वृद्धि किये जाने का कारण नहीं माना जाना चाहिए तथा इसे अनुज्ञेय नहीं किया जाना चाहिए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के विनियम क्रमांक जी–35, वर्ष 2009 के अनुसार, पूर्व क्षेविविकं हेतु विद्युत वितरण हानि स्तर प्रक्षेप–वक्र (trajectory) के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 हेतु विद्युत वितरण हानियां क्रमशः 27% तथा 24% निर्धारित की गई हैं। ये हानियां पूक्षेविविकं द्वारा दिनांक 15 अगस्त, 2010 को इन ग्रामीण विद्युतीकरण सोसायटियों का व्यापार अपने अधिकार क्षेत्र में लेने से पूर्व संबद्ध विनियम में निर्दिष्ट की गई थीं। अतएव, उसके द्वारा वितरण हानियों में संभावित वृद्धि के प्रभाव का पूर्वानुमान नहीं किया जा सकता था तथा इसे लेख्यांकित भी नहीं किया गया।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि ग्रामीण विद्युतीकरण सोसायटियों के संविलियन के कारण हानियों के प्रति किया गया दावा न्यायोचित नहीं है। विद्युत वितरण कम्पनी को मानदण्डीय हानियों में वृद्धि की

मांग किये जाने के बजाय, संचालन के प्रति अपनी दक्षता में वृद्धि लाये जाने की आवश्यकता है।

विषय क्रमांक 32 : उद्यानिकी संबंधी विषय (Horticulture related issues)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

(i) संचालक (उद्यानिकी) द्वारा उद्यानिकी/कृषि आधारित उद्योगों हेतु पृथक विद्युत–दर निर्धारित किये जाने बाबत अनुरोध किया गया है जैसा कि, इसे वित्तीय वर्ष 2006–07 के टैरिफ आदेश में श्रेणियों, जैसे कि उद्यानिकी तथा संबद्ध गतिविधियों, उद्यानिकी गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए, जैसे कि हरित गृह (Green House), जालीदार गृह (Net House), में उत्पादन, फल उगाने वाले पौधों के रोपण (Plantation of fruits growing plants), पौध रोपण सामग्री के प्रचार–प्रसार हेतु रोपणी (Nursery for propagation of planting material) प्राथमिक प्रसंस्करण इकाईयां, जैसे कि पौधों का श्रेणीकरण करना (Grading plants), गूदा तैयार करना (Pulp making), पैकिंग इकाईयां (packing units) तथा अन्य मूल्य में वृद्धि करने वाले शीत गृह (value addition cold storages)/शीत श्रृंखलाबद्ध इकाईयां (Cold Chain units) तथा अन्य उद्योग जैसे कि आटा चक्कियां, चावल मिलें, दाल मिलें, खाण्डसारी चीनी मिलें, गुड़ (Jaggary), ओटाई (ginning) तथा प्रेसिंग (Pressing), डेरी (dairy), एक्वाकलचर (aquaculture), रेशम उत्पादन (sericuture), मत्स्यपालन तालाब (Fishries ponds) तथा अन्य गतिविधियां जिन्हें वित्तीय वर्ष 2006–07 हेतु टैरिफ अनुसूची एलवी 5.2 के अन्तर्गत रखा गया था।

(ii) कृषकों को अपने उद्योग उनके द्वारा कृषि पम्पों हेतु प्राप्त किये संयोजनों से चलाने की अनुमति प्रदान की जाए।

(iii) स्थाई प्रभारों (Fixed Charges) को समाप्त कर दिया जाए तथा शहरी क्षेत्र की तुलना में ऊर्जा प्रभारों की दरों में रिआयत प्रदान की जाए।

(iv) दिन के समय कम से कम आठ घंटे के लिये निश्चित तथा निरन्तर विद्युत प्रदाय व्यवस्था निश्चित घंटों के दौरान की जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

(i) याचिकाकर्ता इस तथ्य को विशिष्ट तौर पर उजागर करना चाहता है कि श्रेणी एलवी–5.2 में मोटे तौर पर आपत्तिकर्ता द्वारा उल्लेखित अधिकांश गतिविधियों में शामिल की गई हैं। कथित श्रेणी में कृषि से संबंधित समस्त प्राथमिक गतिविधियों जैसे कि फूल/पौधे/पौध (सैंपलिंग), फल उगाने वाली रोपणियां, मत्स्य तालाबों,

एक्वाकल्चर, रेशम उद्योग (सेरीकल्चर), अण्डा सेने के स्थानों (हेचरी), कुक्कुट पालन केन्द्रों, पशु–प्रजनन केन्द्रों (कैटल ब्रीडिंग फार्म्स), चारागाह (ग्रासलैण्ड) तथा उन्हीं डेरी इकाईयों हेतु, जहां केवल दूध निकालने तथा इसका प्रसंस्करण करने, जैसे कि शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण शामिल की जाती हैं। उपभोक्ताओं के मध्य किसी प्रकार की अनिश्चितता को समाप्त करने तथा राजस्व प्रक्षेपणों को सुविधाजनक बनाये जाने हेतु याचिकाकर्ता द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) में किसी प्रकार के संरचनात्मक परिवर्तनों को प्रस्तावित नहीं किया गया है। किसी भी अवस्था में, याचिकाकर्ता विद्युत–दर के अवधारण में राजस्व तटस्थता (Revenue Neutrality) संधारित रखना चाहेगा।

(ii) उल्लेख किये गये दो प्रकरणों में विद्युत के प्रयोग का प्रयोजन अलग–अलग है। अतएव याचिकाकर्ता अनुज्ञप्तिधारी का मत है कि ऐसी व्यवस्था किया जाना तकनीकी तथा वाणिज्यिक तौर पर व्यावहारिक नहीं है।

(iii) याचिकाकर्ता को व्यवसाय चलाने के लिये स्थाई व्ययों (fixed expenses) का निर्वहन करना होता है। अतएव, स्थाई व्ययों की वसूली की जाना नियमानुकूल है। इसके अलावा भी, अनुसूचियों की विद्युत–दर में स्थाई प्रभारों के माध्यम से स्थाई व्ययों की वसूली केवल आंशिक रूप से की जाती है; अन्य समस्त श्रेणियों के अन्तर्गत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा प्रभार समरूप (identical) होते हैं। अतएव, ग्रामीण क्षेत्रों हेतु रिआयती दरें लागू करने हेतु कोई अकाट्य मूलाधार (cogent rationale) विद्यमान नहीं है।

(iv) याचिकाकर्ता अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माह जनवरी 2013 तक समस्त उपभोक्ताओं के लिये, केवल कृषि उपभोक्ताओं को छोड़कर तेजी से 24 घंटे विद्युत प्रदाय उपलब्ध कराने का लक्ष्य प्राप्त करने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं, जबकि राज्य में समस्त कृषि उपभोक्ताओं के लिये यह अवधि 8 घंटे सुनिश्चित की जाना रखी गई है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा फूल/पौधे/पौध/फल उगाने वाली रोपणियों, चारागाह, तथा कुकरमुत्ते उगाने वाले कृषि क्षेत्रों के लिये एलवी 5.2 नामक एक नवीन श्रेणी लागू की गई है।

विषय क्रमांक 33 : 11 केवी विद्युत प्रदाय उपभोक्ताओं के लिये श्रेणी एचवी–3.1 औद्योगिक की टैरिफ संरचना की समीक्षा

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक संगठनों के एक प्रतिनिधि द्वारा 11 केवी वोल्टेज स्तर पर विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु श्रेणी एचवी 3.1 की टैरिफ संरचना की समीक्षा किये जाने हेतु अनुरोध किया गया क्योंकि इस श्रेणी के अन्तर्गत ऊर्जा की लागत उक्त श्रेणी के अन्य वोल्टेज स्तर की अपेक्षा अत्यधिक प्रतिवेदित की गई है। निवेदन किया गया कि इस श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उद्योग मुश्किल से ही 50 प्रतिशत के भार कारक (load factor) तक पहुंच पाते हैं।

अतएव, मासिक स्थाई प्रभार और/या ऊर्जा प्रभारों (दोनों 50 प्रतिशत तक भार कारक पाये जाने के अध्यधीन) को युक्तियुक्त किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारी का मुख्य सरोकार राजस्व तटस्थता (Revenue neutrality) को लेकर है, अर्थात् राजस्व के अन्तर की पूर्ति की जानी चाहिए। यदि किसी विशिष्ट श्रेणी की विद्युत–दर कम कर दी जाती है तो इसका भार किसी अन्य श्रेणी को उठाना होता है। अतएव, मप्रविनिआ को प्रकरण में उचित दृष्टिकोण अपनाया जाना होगा।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा विद्युत–दर को अन्तिम करते समय इस विषय पर यथोचित विचार किया गया है। तथापि, इस तथ्य को संज्ञान में लिया जाना होगा कि अनुज्ञप्तिधारी को एक ही स्तर पर स्थाई लागतों पर व्यय करने होते हैं भले ही उपभोक्ताओं द्वारा की जाने वाली विद्युत खपत कम क्यों न हो। आयोग द्वारा उच्चतर वोल्टेज स्तरों की तुलना में 11 केवी उपभोक्ताओं हेतु न्यूनतम स्थाई प्रभारों का अवधारण किया गया है।

विषय क्रमांक 34 : 33 केवी श्रेणी में 100 केवीए की संविदा मांग घटाकर न्यूनतम 50 केवीए स्तर पर लाना

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों द्वारा उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु 33 केवी श्रेणी के अर्न्तगत एचवी 3.1 श्रेणी में 100 केवीए की न्यूनतम संविदा मांग को घटाकर 50 केवीए स्तर तक लाये जाने का अनुरोध किया गया है। निवेदन किया गया कि उद्यमियों की लद्यु तथा मध्यम श्रेणी (SME) के अन्तर्गत ऐसे अनेक उपभोक्ता हैं जो ऐसी गतिविधियों में संलग्न होते हैं जहां उन्हें एक उत्तम स्थिर वोल्टेज पर निरन्तर विद्युत प्रदाय की आवश्यकता होती है जो प्रायः 11 केवी संभरकों पर उपलब्ध नहीं होती तथा उनकी संविदा मांग की आवश्यकता भी कम होती है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

मप्रविनिआ द्वारा विशिष्ट विद्युत प्रदाय वोल्टेज पर न्यूनतम तथा अधिकतम संविदा मांग तकनीकी विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसाओं के आधार पर लागू की गई है। इसके अतिरिक्त, जब उच्च दाब विद्युत–दर की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों की कण्डिका 1.19 की शर्त लागू

होती हो, अर्थात् किसी विशिष्ट प्रकरण के अन्तर्गत आयोग द्वारा सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है तो श्रेणी एचवी 3.1 के अन्तर्गत, 33 केवी उच्च दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं हेतु संविदा मांग को 100 केवीए से घटाकर इसे 50 केवीए किया जा सकता हो। अनुज्ञप्तिधारी का मत है कि उच्च दाब विद्युत–दर की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों की शर्त 1.18 में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा 33 केवी स्तर पर संविदा मांग की न्यूनतम सीमा 100 केवीए निर्धारित की गई है तथा उसका मत है कि इसमें आगे और कोई परिवर्तन किया जाना उचित न होगा।

विषय क्रमांक 35 : शैक्षणिक/तकनीकी संस्थाओं को रिआयती दर पर विद्युत–दर (टैरिफ) प्रदान करने बाबत अनुरोध

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

एक आपत्तिकर्ता द्वारा शैक्षणिक/तकनीकी संस्थाओं हेतु वर्तमान प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) के स्थान पर इन्हें घरेलू विद्युत–दर रिआयत के रूप में प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रतिवादी द्वारा उनकी संस्था द्वारा कम विद्युत खपत के कारण गिनाये गये तथा आगे निवेदन किया गया कि उनकी शैक्षणिक संस्था के कार्यकारी घंटे सामान्यतः वर्ष में 7 माह के दौरान पूर्वान्ह 10 बजे से सांय 4.30 बजे के मध्य रहते हैं। इसके अलावा भी, विद्युत द्वारा संचालित किये जाने वाले उपकरण, जो अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) के मापदण्डों (norms) के अनुसार स्थापित किये गये हैं, को भी तत्समय एक साथ संचालित नहीं किया जाता। तथापि, विद्युत वितरण कम्पनी के साथ किये गये अनुबन्ध के अनुसार संस्था को 33 केवी स्तर पर संविदाकृत क्षमता हेतु इसके उपयोग की अवधि पर ध्यान दिये बगैर, न्यूनतम खपत प्रभारों का भुगतान करना होता है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु, प्रस्तावित विद्युत–दर संरचना के अन्तर्गत, स्थायी प्रभारों की वसूली के बारे में न्यूनतम प्रभारों का निर्णय वार्षिक न्यूनतम खपत के आधार पर लिया जाता है। यदि मासिक विद्युत खपत वार्षिक खपत से अधिक की जाती है तो न्यूनतम प्रभार अधिरोपित नहीं किये जाते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं के संबंध में, जो मांग आधारित विद्युत–दर (demand based tarrif) हेतु विकल्प प्रस्तुत करते हैं, संयोजित भार तथा संविदा मांग अलग–अलग हो सकते हैं।

तथापि, आपत्तिकर्ता द्वारा संविदा मांग की प्राप्ति या इसका परिवर्तन, उसके उपयोग के अनुसार विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के उपबन्धों के अनुसार किया जा सकता है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा शैक्षणिक संस्थाओं की कठिनाईयों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व से ही उच्च दाब श्रेणी के अन्य उपभोक्ताओं की तुलना में, इन संस्थाओं के लिये न्यून प्रत्याभूत न्यूनतम वार्षिक खपत प्रभारों (lower guaranteed minimum annual charges) का प्रावधान किया गया है। अतएव आगे और परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है।

विषय क्रमांक 36 : दन्त क्ष–किरण मशीन (Dental X-Ray machine) हेतु न्यून अतिरिक्त स्थाई प्रभारों का निर्धारण

आपत्तिकर्ता द्वारा उठाया गया मुद्दा

सुझाव लिया गया कि दन्त क्ष–किरण मशीन की विद्युत–दर (टैरिफ) एकल/तीन फेज आधार पर स्थाई प्रभारों के बजाय किलोवाट आधार पर निर्धारित की जाए क्योंकि सामान्य क्ष–किरण संयंत्रों की तुलना में इन मशीनों की क्षमता काफी कम होती है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

दन्त क्ष–किरण मशीन हेतु विद्युत–दर वॉटेज या वोल्टेज या खपत के आधार पर निर्धारित नहीं की जाती है। वास्तव में इसकी विद्युत खपत काफी कम होती है। दूसरी ओर, जिस क्षण क्ष–किरण मशीन संचालित की जाती है, यह विद्युत प्रणाली पर अकस्मात झटका प्रदान करती है। इस कारण से इस श्रेणी हेतु, स्थाई प्रभार अधिरोपित किया जाता है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा प्रकरण पर विचार किया गया तथा उसके द्वारा दन्त क्ष–किरण मशीनों के लिये न्यून अतिरिक्त स्थाई प्रभार अवधारित किये गये हैं।

विषय क्रमांक 37 : अस्थाई कृषि संयोजनों हेतु अग्रिम भुगतान हेतु अवधि में कटौती किये जाने बाबत

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कृषक संघों के प्रतिवादियों द्वारा अनुरोध किया गया कि अस्थाई संयोजनों हेतु अग्रिम भुगतान हेतु वर्तमान प्रावधानों की न्यूनतम अवधि को तीन माह की घटाकर एक माह कर दिया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश में यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे उपभोक्ता जो अस्थाई कृषि विद्युत प्रदाय हेतु विकल्प प्रस्तुत करते हैं, को तीन माह का अग्रिम भुगतान करना होगा। इसमें ऐसे उपभोक्ता को भी शामिल किये गये हैं, जो केवल एक माह हेतु संयोजन का विकल्प प्रदान करते हैं ; ऐसे उपभोक्ताओं को विस्तार अवधि हेतु प्रतिपूर्ति समय–समय पर करनी होगी जिसका समायोजन अन्तिम देयक के अन्तर्गत संयोजन विच्छेद के उपरान्त करना होगा।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा, पूर्व में यथोचित प्रक्रिया अपनाते हुए, निर्णय लिया गया था कि कृषि श्रेणी हेतु अस्थाई विद्युत प्रदाय की सेवा प्रदान करने हेतु तीन माह का अग्रिम प्राप्त किया जाए। तथापि, यदि उपभोक्ता विद्युत प्रदाय विच्छेद करने का इच्छुक है तथा उक्त अवधि तीन माह से कम है, तो राशि का प्रत्यार्पण (refund) निर्दिष्ट की गई समयावधि के भीतर किया जाए। अतएव, इस प्रावधान में किसी प्रकार का परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

विषय क्रमांक 38 : सेवान्त प्रसुविधाएं (Terminal benefits)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

विद्युत कम्पनियों के विभिन्न संधों तथा मप्र पेंशनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया कि सेवान्त प्रसुविधा न्यास हेतु अंशदान संबंधी प्रावधान तथा वार्षिक पेंशन/सेवान्त सुविधाओं को अनुज्ञेय किये जाने संबंधी प्रावधान सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) में किया जाए। एक आपत्तिकर्ता द्वारा प्रस्तावित किया गया कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ARR) के अन्तर्गत ''देयता अनुसार भुगतान (Pay as you go)'' का प्रावधान वर्ष–दर–वर्ष आधार पर अनुज्ञेय किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता पावर कम्पनियों के विभिन्न संघों तथा एमपी पेंशनर्स एसोसिएशन के तर्क से सहमति व्यक्त करते हैं तथा आयोग को याचिकाकर्ताओं द्वारा हितधारकों के अनुरोध पर विचार करने तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में दावा की गई राशियों को अनुज्ञेय किये जाने का अनुरोध करते हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा हाल ही में इस विषय के संव्यवहार बाबत पृथक विनियमों का एक प्रारूप जारी किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु वार्षिक पेंशन/सेवान्त सुविधाओं के बारे में सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के व्ययों हेतु पेंशन/सेवान्त प्रसुविधाएं भी अनुज्ञेय की गई हैं।

विषय क्रमांक 39 : अमीटरीकृत संयोजनों हेतु मापदण्डों (Norms) में वास्तविकता के आधार पर वृद्धि की जाए

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुछ आपत्तिकर्ताओं द्वारा बतलाया गया कि कृषि तथा अमीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु मापदण्ड (Norms) अत्यन्त न्यून हैं तथा वास्तविक खपत के आधार पर इनका पुनरीक्षण किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनियां आपत्तिकर्ताओं की अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु बिलिंग मापदण्डों (Norms) में वृद्धि किये जाने संबंधी चिन्ताओं के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करती हैं। अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं के संबंध में बिलिंग मापदण्डों में वृद्धि हेतु मूलाधार बिल की गई ऊर्जा को ऊर्जा खपत के वास्तविक स्तर के अनुरूप लाना है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग ने विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत किये गये आंकड़ों पर विचार किया है तथा पाया है कि ये कृषि संयोजनों के बारे में विशेष रूप से सुसंगत नहीं हैं। आयोग द्वारा, तथापि, ग्रामीण क्षेत्र में अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों हेतु मापदण्डों को पुनरीक्षित कर दिया गया है।

विषय क्रमांक 40 : उपलब्धता तथा मांग का पूर्वानुमान (Availabiltiy and Demand Forecast)

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता की गणना को वास्तविक विक्रय स्तर पर आधारित किया जाना चाहिए जबकि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अतिरंजित (exaggerated) विक्रय पूर्वानुमान, विशेषकर निम्न दाब उपभोक्ताओं के संबंध में, प्रस्तुत किये गये हैं। प्राप्त किये गये इन आंकड़ों की अनुज्ञप्तिधारियों से युक्तिसंगत ढंग से जांच कराये जाने की आवश्यकता है ताकि वास्तविक आंकड़ों की प्राप्ति की जा सके।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विचाराधीन याचिका को मप्रविनिआ के विनियम क्रमांक जी–35, वर्ष 2009 के अनुसार दाखिल किया गया है। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, याचिकाकर्ता अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ताओं हेतु अधिक से अधिक विद्युत प्रदाय किये जाने हेतु प्रतिबद्ध है। अतएव ऊर्जा/विद्युत की आवश्यकताएं उपलब्धता पर आधारित न होकर मांग पर आधारित होती हैं। अनुज्ञप्तिधारी मांग के संबंध में उसकी आवश्यकता के विशिष्ट समय (time of incidence) के बारे में उसका पूर्णतया नियन्त्रण तथा अनुसरण नहीं कर सकता है तथा मांग को भिन्न–भिन्न समय पर रखने (stagger) हेतु टाईम ऑफ डे (TOD) का प्रावधान पूर्व से दिन के समय ही किया गया है। एक सामान्य सिद्धान्त के रूप में, किसी प्रतिबंध को लागू किये जाने से पूर्व समस्त श्रेणियों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति की जाना आवश्यक है। यहां पर यह उल्लेख किया जाना भी प्रासंगिक होगा कि रबी मौसम के दौरान फसल उत्पादन हेतु कृषि उपभोक्ताओं के लिये पर्याप्त विद्युत प्रदाय सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ–साथ राज्य की अर्थव्यवस्था के लिये भी निर्णायक है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा विक्रय पूर्वानुमानों की समीक्षा की है तथा वास्तविक रूझानों (historical trends) के आधार पर युक्तियुक्त विक्रय को अनुज्ञेय किया गया है।

विषय क्रमांक 41 : राजस्व का पूर्वानुमान

आपत्तिकर्ताओं द्वारा उठाया गया मुद्दा

राजस्व के पूर्वानुमान को सम्पूर्णतः पुनरीक्षित किया जाना आवश्यक है। निम्न कारकों से राजस्व के अर्जन के संबंध में बतलाने के कोई भी प्रयास नहीं किये गये हैं : (1) विद्युत–दर न्यूनतम प्रभार (Tariff minimum charges) (2) संविदा आबंधों (contract obligations) से उद्भूत होने वाले मांग प्रभार (3) स्थाई प्रभार (Fixed Charges) (4) ऊर्जा कारक अर्थदण्ड (Power Factor Penalty) (5) आधिक्य बिलिंग अर्थदण्ड तथा बिलिंग के बारे में अनेक अन्तर्निहित कारक (latent factors)

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

राजस्व पूर्वानुमानों की गणना के समय याचिकाकर्ता द्वारा माना जाता है कि उपभोक्ताओं द्वारा अनुशासन तथा अनुबन्ध की शर्तों का कठोरता से पालन किया जाएगा। अन्यथा, इसका तात्पर्य

अनुशासन तथा अनुबन्ध की शर्तों के उल्लंघन को प्रोत्साहित किया जाना माना जाता है तथापि, इन माध्यमों (avenues) के द्वारा अर्जित किये गये आधिक्य राजस्व को किसी भी प्रकार सत्यापन अभ्यास के दौरान निष्प्रभावी (neutralize) कर दिया जाता है। प्रक्षेपण के अनुसार, वसूली की औसत दर का औसत विद्युत–दरों से अलग होने का मुख्य कारण खपत के वास्तविक प्रतिदर्श के प्रक्षेपण हेतु उपयोग किये गये मॉडल से अन्तर का होना है जिसकी टैरिफ संरचना में द्विभाग विद्युत–दरें हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

जबकि आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के विचारों से सहमति प्रकट करता है, विद्युत वितरण कम्पनियों को भी वास्तविक आंकड़ों के आधार पर राजस्व का पूर्वानुमान लगाये जाने की आवश्यकता है।

विषय क्रमांक 42 : विविध विषय/मुद्दे

अन्य प्राप्त किये गये सुझावों तथा मतों को निम्नानुसार संक्षेप में सूचीबद्ध किया गया है। आयोग द्वारा विद्युत–दर का अवधारण करते समय इन सुझावों पर यथोचित विचार किया गया है तथा ऐसे विषय जो विद्युत–दर अवधारण अभ्यास से संबद्ध नहीं है, उसके द्वारा यथाशीघ्र उचित कार्यवाही की जाएगी।

(i) ट्रेडको को उनकी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता प्रस्तुत करने हेतु निर्देश दिये जाएं।

(ii) प्रति सहायतानुदान मार्गदर्शिका (Cross-Subsidy roadmap) जारी करना, मय 90 प्रतिशत औसत विद्युत–प्रदाय +/– की लागत के।

(iii) मापयन्त्र प्रबन्धन (Meter Management) तथा बिलिंग संबंधी कार्य को जन–निजी सहभागिता (PPP) प्रणाली या फ्रेन्चाईजी को आवंटित (outsourced) किया जाना चाहिए।

(iv) न्यून हानि क्षेत्रों को विद्युत–दरों में छूट प्रदान करना।

(v) सत्यापन याचिकाओं को अन्तिम करने में विलंब का होना।

(vi) ट्रेडको को समाप्त किया जाए तथा विद्युत की अधिप्राप्ति विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा स्वयं की जाए।

(vii) फ्रेन्चाईजी नियुक्त न किये जाएं।

(viii) न्यूनतम विद्युत–दर (Tariff Minimum) को सम्पूर्ण वर्ष हेतु माना जाए, न कि मासिक आधार पर।

(ix) आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभारों के संबंध में, एलवी–2 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को दोनों श्रेणियों, यथा मांग आधारित विद्युत–दर (demand based tariff) तथा सयोजित भार आधारित विद्युत–दर (connected load base tariff) से छूट प्रदान की जाए।

(x) पथ–प्रकाश (street lights) हेतु, उच्च दाब विद्युत प्रदाय की नवीन मितव्ययी दर पर विचार किया जाए।

(xi) कृषि आधारित उद्योगों के लिये निम्न दाब तथा उच्च दाब के अन्तर्गत, पृथक विद्युत–दरें (टैरिफ) रखी जाएं। इस श्रेणी के अन्तर्गत कोई भी स्थाई प्रभार अधिरोपित न किये जाएं।

(xii) भार–कारक सूत्र (Load Factor Formula) विद्युत–दर आदेश 2008–09 के अनुसार होना चाहिए तथा भार कारक की गणना हेतु ऊर्जा कारक (Power factor) को 0.9 माना जाए।

(xiii) भार–कारक की गणना माह के दौरान दिये गये वास्तविक विद्युत प्रदाय घंटो के आधार पर की जाए तथा इस हेतु मीटर में 'प्रोग्रामिंग' का भी प्रावधान किया जाए।

(xiv) अतिरिक्त प्रभार तथा आधिक्य मांग की गणना केवल स्थाई प्रभारों पर ही की जाए तथा दाण्डिक प्रभारों की वसूली तत्संबंधी यूनिटों पर की जाए।

(xv) जब मीटर में पावर फैक्टर को अभिलिखित करने संबंधी सुविधा उपलब्ध हो तो पृथक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर अधिभार की वसूली न की जाए। अधिभार की बिलिंग के अन्तर्गत ऊर्जा प्रभार के प्रतिशत के रूप में ऊर्जा प्रभार के 10 प्रतिशत के अध्यधीन उचित प्रावधान किया गया है। अतएव, वेल्डिंग अधिभार के बिलिंग संबंधी उपबन्ध को समाप्त किया जाए।

(xvi) निम्न दाब के अन्तर्गत, यदि स्वीकृत भार से अधिक आधिक्य भार पाया जाता है तो बिलिंग टैरिफ आदेश के अनुसार की जानी चाहिए तथा ऐसे प्रकरण में विद्युत अधिनियम की धारा 126 तथा 135 के अन्तर्गत कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।

(xvii) लद्यु उद्योगों के लिये, 25 अश्वशक्ति तक के संयोजित भार आधार हेतु सामान्य विद्युत–दर जारी रखी जाए तथा इस सीमा में 25 अश्वशक्ति से 20 किलोवॉट तक की वृद्धि की जाए तथा संविदा मांग हेतु यह सीमा 75 किलोवॉट से बढ़ाकर 100 किलोवाट कर दी जाए।

(xviii) निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, केवल एक पावर फैक्टर अधिभार (power factor surcharge) हेतु बिलिंग की जाए, जैसा कि इसे मीटर में रिकार्ड किया गया हो, जो ऊर्जा प्रभार के अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन हो। वेल्डिंग ट्रांसफर्मर अधिभार, जो संयोजित भार के 25 प्रतिशत से अधिक हो, हेतु पृथक से बिलिंग न की जाए। ऊर्जा कारक (PF) के 0.8 प्रतिशत से कम होने पर ही केवल अधिभार की वसूली की जाए।

(xix) कपड़ा उद्योग को गहन ऊर्जा उद्योग (Power Intensive Industry) के अन्तर्गत लाया जाए क्योंकि इसमें भार–कारक (Load Factor) 70 से 75 प्रतिशत से अधिक होता है।

(xx) युक्तियुक्त सहायतानुदान अधिभार (cross subsidy surcharge) का अवधारण ऐसे उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु किया जाए जो खुली पहुंच के माध्यम से एक मेगावाट से अधिक बाह्य विद्युत की सुविधा प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

(xxi) प्रणाली से सस्ती विद्युत की प्राप्ति हेतु, खुली पहुंच उपभोक्ता, विद्युत प्रदायकर्ता तथा एमपी ट्रेडको के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का प्रावधान किये जाने का सुझाव दिया जाता है।

(xxii) 132 केवी स्तर पर अधिकतम संविदा मांग को वर्तमान में 50 एमवीए से बढ़ाकर 70 एमवीए कर दिया जाए।

(xxiii) राज्य की विद्युत पारेषण कम्पनी ने अनुरोध किया है कि वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा अनुवर्ती वर्षों हेतु जारी किये गये सत्यापन आदेश की राशि को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में अन्तरित किया जाए।

(xxiv) राज्य में उद्यमियों को प्रोत्साहन प्रदान करने की दृष्टि से, फाउन्ड्री, फोर्जिंग तथा मशीनिंग उद्योगों की अभियांत्रिकी संबंधी पृथक उप–श्रेणी एचवी–3 पर विचार किया जाए।

(xxv) कैप्टिव पावर संयंत्रों के लिये पृथक उदार विद्युत–दर पर विचार किया जाए।

(xxvi) धर्मस्व न्यास तथा अन्य संस्थायें जो कल्याण गतिविधियों हेतु कार्य कर रही हैं, हेतु पृथक विद्युत–दर पर विचार किया जाए।

(xxvii) छात्रावासों (एलवी 2.1) हेतु विद्युत–दर को घरेलू विद्युत–दर के बराबर या उससे भी कम रखा जाए।

(xxxviii) आटा चक्कियों (एलवी–4) के संबंध में, स्थाई प्रभारों तथा न्यूनतम वार्षिक खपत को कम करने के संबंध में अनुरोध किया गया।

(xxix) टयूबलाईट तथा बल्बों के स्थान पर सीएफएल को बढ़ावा प्रदान करने की दृष्टि से, जननिजी भागीदारी (PPP) मॉडल की संभावनाओं का पता लगाया जाए तथा राज्य में 'Green Building Code' के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार को परामर्श प्रदान किया जाए।

(xxx) थोक आवासीय प्रयोक्ता (Bulk residential users) (एचवी 6) के संबंध में, आवासीय समूह सहकारी गृह निर्माण समितियों के अलावा आवासीय कालोनियों की समितियों को भी एकल बिन्दु संयोजन प्रदान करने संबंधी प्रावधान किये जाएं।

(xxxi) नवीन संयोजनों की स्वीकृति के संबंध में मीटरों की टेस्टिंग में विलंब होना पाया जाना।

(xxxii) वितरण ट्रांसफार्मरों के भार–सन्तुलन के संबंध में।

ए–7: खुदरा विद्युत–दर रूपांकन (Retail Tariff Design)

कानूनी स्थिति (Legal Position)

7.1 आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 (2) (जेडडी) सहपठित धारा 45 तथा धारा 61 के अंतर्गत दिनांक 9 दिसम्बर 2009 को अधिसूचित विनियमों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु तीन विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता अवधारित की है। विद्युत जनरेशन कंपनी, विद्युत ट्रांसमिशन कंपनी तथा विद्युत वितरण कंपनियों हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता, खुदरा टैरिफ के माध्यम से प्रभारों की वसूली का प्राथमिक आधार निर्मित करती है।

7.2 इसके अतिरिक्त उपभोक्ता श्रेणीवार विद्युत–दरों के अवधारण में आयोग ने भारत सरकार द्वारा 6 जनवरी, 2006 को अधिसूचित टैरिफ नीति के उपबन्धों से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया है।

विद्युत–दर अवधारण हेतु आयोग की कार्यपद्धति

एक–समान बनाम विभेदित खुदरा टैरिफ दरें (Uniform vs Differential Retail Tariffs)

7.3 आयोग ने राज्य शासन से परामर्श कर यह दृष्टिकोण अपनाया है कि एक–समान खुदरा प्रदाय टैरिफ पद्धति वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु भी जारी रखी जाये।

7.4 मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 29 मार्च, 2012, जो विद्यमान विद्युत उत्पादक क्षमता के तीन वितरण कंपनियों के मध्य पुनरीक्षित आवंटन से संबंधित है, द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के संबंध में एक–समान टैरिफ दर, को न्यूनाधिक एक संतुलित राजस्व आय बनाम अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता द्वारा संभव बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2012–13 की अनुमोदित टैरिफ दरों का अनुप्रयोग करते हुए गणना की गई राजस्व राशि को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से तुलना किये जाने पर तीन कम्पनियों के मध्य असमान राजस्व अन्तरों/आधिक्यों की ओर उद्भूत होते हैं। म.प्र. शासन द्वारा उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य उत्पादन क्षमताओं को पुनर्आवंटित कर दिया गया है जिससे कि विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विद्युत क्रय लागतों का पुनर्संतुलन किया जा सके। इसके द्वारा तीनों वितरण कम्पनियों हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता बनाम वित्तीय वर्ष 2012–13

की अनुमोदित टैरिफ दरों पर न्यूनाधिक संतुलित राजस्व आय को संभव बनाती है, जिससे राज्य भर में एक समान विद्युत–दरें सुनिश्चित की गई हैं।

7.5 सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अवधारण मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय तथा चक्रण हेतु टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत), विनियम, 2009 के अन्तर्गत वितरण हानि स्तर के प्रक्षेप वक्र (loss level trajectory) पर आधारित है।

विद्युत प्रदाय की औसत लागत से संबद्धता

7.6 टैरिफ दरों के अवधारण में, आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की इस अर्हता पर यथोचित विचार किया गया है कि उपभोक्ता विद्युत–दरों (टैरिफ) में विद्युत प्रदाय की लागत प्रतिबिंबित होनी चाहिये। वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु विद्युत प्रदाय की औसत लागत रू. 4.49 प्रति यूनिट के विरूद्ध वित्तीय वर्ष 2012–13 में यह लागत रू. 4.90 पैसे प्रति यूनिट आती है। निम्न तालिका आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश में अवधारित लागत संव्यवहार (Cost coverage) के मुकाबले में वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु टैरिफ आदेश में अवधारित लागत संव्यवहार प्रदर्शित करती है :

तालिका 112 : विद्युत–दर (टैरिफ) बनाम विद्युत प्रदाय की औसत लागत का तुलनात्मक अध्ययन

श्रेणी/उपश्रेणी	औसत वसूली, विद्युत प्रदाय की औसत लागत के प्रतिशत के रूप में	
	वित्तीय वर्ष 2011–12 (टैरिफ आदेश 23 मई 2011 के अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु (इस टैरिफ आदेश के अनुसार निष्पादित)
घरेलू	94.79%	96.69%
गैर–घरेलू	139.80%	136.05%
सार्वजनिक जल–प्रदाय संयंत्र	88.01%	82.92%
पथ–प्रकाश	90.55%	85.20%
औद्योगिक	122.64%	122.82%
कृषि	73.23%	76.78%
रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	124.09%	124.21%
कोयला खदानें (कोल माईन्स)	129.38%	130.92%
औद्योगिक	118.54%	120.57%
गैर–औद्योगिक	128.96%	118.82%
सिंचाई, सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग	97.51%	84.75%
थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसिडेंशियल यूजर्स)	97.28%	98.56%
छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	73.45%	74.52%

7.7 जैसा कि इस आदेश के पूर्व के भागों में व्याख्या की गई है, वर्ष के दौरान लागत संरचना में परिवर्तन हो चुका है। लागतों में वृद्धि के कारण, जो प्राथमिक रूप से विद्युत क्रय के कारण है, विद्युत प्रदाय की औसत लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अन्तर को पाटने की दृष्टि से, आयोग द्वारा यथासंभव सुविचारित ढंग से विद्युत–दर (टैरिफ) को एक मार्गदर्शन के रूप में प्रति अनुदान मार्गदर्शिका (Cross Subsidy Road Map) से संरेखित किया गया है। कई कारकों द्वारा विद्युत–दर के निर्धारण को प्रभावित किया गया है जिसमें शामिल है विभिन्न उपभोक्ता श्रेणियों हेतु विद्यमान दरों के अनुसारं पड़ने वाली वृद्धि का प्रभाव। तथापि, टैरिफ नीति के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अग्रसर होने के लिये उत्तरोत्तर प्रयास किया गया है।

7.8 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु आपत्तिकर्ताओं के सुझावों/आपत्तियों पर विचार करते हुए विद्युत–दर रूपांकन में कुछ परिवर्तन किये गये हैं। इन परिवर्तनों का वर्णन निम्न अनुच्छेदों में किया गया है :

(i) **घरेलू श्रेणी के खण्डों (स्लैब) में परिवर्तन** : आयोग द्वारा घरेलू श्रेणी के विद्यमान खण्ड (स्लैब) के ढांचे में परिवर्तन किया है। विद्यमान ढांचे के अन्तर्गत 101 से 200 यूनिट प्रतिमाह एवं 200 यूनिट से अधिक प्रतिमाह के खण्ड ढांचे को परिर्वितत कर अब इसे 101 से 300 यूनिट प्रतिमाह, 301 से 500 यूनिट प्रतिमाह एवं 500 यूनिट से अधिक प्रतिमाह के आधार पर निर्धारित किया गया है। ये खण्ड (स्लैब) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं की विभिन्न घरेलू श्रेणियों की खपत के रूझान (trend) के आधार पर लागू किये गये हैं। इससे निम्न एवं मध्यम आय वर्ग वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

(ii) **उद्यानिकी (हार्टिकल्चर) हेतु पृथक उपभोक्ता श्रेणी के अनुप्रयोग में परिवर्तन** : आयोग द्वारा उद्यानिकी गतिविधियों हेतु कृषि विद्युत–दर रखे जाने संबंधी अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया है तथा फूल, पौधे, पौध (सैंपलिंग) फल चारागाह (ग्रासलैण्ड) तथा कुकुरमुत्ता (मशरूम) उगाने वाली रोपणियों (nurseries) हेतु उद्यानिकी गतिविधियों के लिये नयी टैरिफ श्रेणी 5.2 की संरचना की गयी है जिसकी विद्युत–दर कृषि टैरिफ के समान ही रखी गयी है।

(iii) **कृषि टैरिफ एलवी 5.1 में नवीन खण्ड** : आयोग ने कृषि श्रेणी एलवी 5.1 के अन्तर्गत नवीन खण्ड (स्लैब) लागू किया है। वर्तमान में विद्यमान 300 यूनिट से अधिक यूनिट प्रतिमाह के स्थान पर प्रथम 300 यूनिट, 301 यूनिट से 750 यूनिट तक तथा 750 यूनिट से अधिक प्रतिमाह की खपत के अनुसार उप–श्रेणियों का निर्धारण किया गया है। माननीय एपटेल द्वारा जारी एक आदेश के अन्तर्गत उल्लेख किया गया है कि अधिक खपत के स्तरों पर प्रति सहायतानुदान (क्रास–सबसिडी) को हतोत्साहित किया जाना चाहिये। इसे दृष्टिगत रखते हुए, 750 यूनिट प्रतिमाह से अधिक खपत के लिये अलग दरों का निर्धारण किया गया है। यह उल्लेखनीय है कि अधिकतर कृषि उपभोक्ता

जिनका भार 3 अश्वशक्ति तथा 5 अश्वशक्ति का होता है उन पर इन दरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इनकी मासिक खपत 750 यूनिट प्रतिमाह से कम होगी।

(iv) **ग्रामीण क्षेत्र के अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के बिलिंग मापदंडों में परिवर्तन** : आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के अमीटरीकृत उपभोक्ताओं के बिलिंग मापदण्डों को पुनरीक्षित कर इन्हें 42 यूनिट प्रतिमाह किया है।

(v) **ईंधन लागत समायोजन क्रिया विधि (FCA Mechanism)** : आयोग ने वर्ष के दौरान ईंधन लागत में होने वाले परिवर्तन के कारण वसूली के लिये यह क्रियाविधि लागू की गई है। हाल ही में, ईंधन की लागत में होने वाले बारंबार परिवर्तनों को, विशेषकर कोयले की कीमत में होने वाले परिवर्तनों को दृष्टिगत रखते हुए, इस क्रियाविधि को लागू किया जाना आवश्यक समझा गया है। तदनुसार, एक सूत्र जिसे ईंधन लागत समायोजन प्रभार (FCA charge) का नाम दिया गया है, को इस विद्युत–दर आदेश में निर्दिष्ट किया जा रहा है। इसके विवरण इस आदेश के संबंधित अध्याय में दिये गये हैं।

(vi) **मीटरीकृत कृषि उपभोक्ता की न्यूनतम खपत में संशोधन (एल.वी.–5.1)** : आयोग द्वारा मीटरीकृत कृषि उपभोक्ता की न्यूनतम खपत में संशोधन किया गया है। इस प्रावधान के अन्तर्गत उपभोक्ताओं को अब माह अप्रैल से लेकर सितम्बर तक 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति या उसके कोई अंश एवं माह अक्टूबर से लेकर मार्च तक 90 यूनिट प्रतिमाह अश्वशक्ति या उसके कोई अंश की न्यूनतम खपत प्रत्याभूत करनी होगी भले ही उसके द्वारा विद्युत का उपभोग उक्त माह के दौरान किया गया हो अथवा नहीं।

(vii) **थोक आवासीय प्रयोक्ता (Bulk Residential users) उच्च दाब श्रेणी 6.1 में गैर–घरेलू/वाणिज्यिक एवं अन्य सामान्य प्रयोजन में हेतु संयोजित भार के उपयोग की उच्चतम सीमा में वृद्धि :** आयोग द्वारा समस्त कारकों पर विचारोपरांत, थोक आवासीय प्रयोक्ता उच्च दाब श्रेणी 6.1 में गैर–घरेलू/ वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु ऐसे प्रकरणों में कुल संयोजित भार में उक्त सीमा को विद्यमान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर उच्चतम 20 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

(viii) **विलंबित भुगतान अधिभार की दर में कमी (Reduction in levy of delayed payment surcharge)** : आयोग द्वारा देयकों का भुगतान नियत तिथि के बाद करने पर विलंबित भुगतान अधिभार की दर को वर्तमान में 1.25 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत किया गया है। आयोग द्वारा विलंबित भुगतान अधिभार राजस्व आवश्यकता की गणना करते समय आय के रूप में नहीं माना जाता है तथा उसके द्वारा संबंधित अन्य तथ्यों पर विचार कर ही यह संशोधन किया गया है।

(ix) **ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (Power Factor Incentive)** : उच्च दाब उपभोक्ताओं के संबंध में जिनका ऊर्जा कारक 99 प्रतिशत या 100 प्रतिशत अभिलिखित किया जाता है, प्रोत्साहन की दर में वृद्धि की गई है। भार कारक 99 प्रतिशत के लिये 0.5 प्रतिशत की दर से एवं 100 प्रतिशत ऊर्जा कारक के लिये 1 प्रतिशत की दर से प्रोत्साहन दर में वृद्धि अनुज्ञेय की गई है।

(x) **भार कारक प्रोत्साहन के ढांचे का पुनरीक्षण (Revision in structure of Load Factor incentive)** : आयोग का यह मत रहा है कि भार कारक प्रोत्साहन की दर को लगातार कम किया जाए, जैसा कि उसके द्वारा पूर्व में जारी किये गये टैरिफ आदेशों में निरन्तर किया जाता रहा है। इस नीति से संरेखित, आयोग द्वारा प्रोत्साहन दर को 0.15 प्रतिशत से घटाकर 0.10 प्रतिशत किया गया है जो 75 प्रतिशत से अधिक भार कारक में प्रत्येक एक प्रतिशत के अनुरूप धनात्मक भार–कारक पर, ऊर्जा प्रभारों हेतु लागू होगी।

(xi) **वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत में कमी (Reduction in guaranteed minimum annual consumption)** : आयोग द्वारा विद्यमान उच्च दाब 3.1 विद्युत–दर श्रेणी के 33 केवी एवं 11 केवी के ऐसे उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 100 केवीए तक है, की विद्यमान वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत को 900 यूनिट से घटाकर 600 यूनिट कर दिया गया है ताकि ऐसे निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ता, जिनका संयोजित भार 150 अश्वशक्ति से अधिक है को, उच्च दाब श्रेणी में संयोजन स्थानान्तरण की सुविधा प्रदान की जा सके।

(xii) **निम्न दाब दरों की सामान्य शर्तों एवं निबंधन की शर्त 7 (क्यू) में परिवर्तन** : माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की रिट याचिका क्रमांक 6006/2008 के दिनांक 21.02.2012 के आदेश को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग द्वारा निम्नदरों की सामान्य शर्तों एवं निबंधन की शर्त क्रं. 7 (क्यू) में समुचित परिवर्तन किया गया है।

(xiii) **दन्त क्ष–किरण उपकरण के लिये अतिरिक्त स्थाई प्रभार** : वर्तमान में दन्त क्ष–किरण उपकरणों पर क्ष–किरण संयंत्र के अनुसार ही अतिरिक्त स्थाई प्रभार लागत है। संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा आयोग के समक्ष किये गये प्रस्तुतीकरण के अनुसार दन्त क्ष–किरण उपकरण की क्षमता सामान्य क्ष–किरण संयंत्र की तुलना में काफी कम होती है। तदनुसार, दन्त क्ष–किरण उपकरण के लिये अतिरिक्त स्थाई प्रभार कम दरों पर निर्धारित किये गये हैं।

(xiv) **वैल्डिंग अधिभार (Welding Surcharge)** : आयोग द्वारा विभिन्न हितधारकों के सुझावों को दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है कि अभिलिखित ऊर्जा कारक 0.8 या इससे अधिक होने की स्थिति में वैल्डिंग सरचार्ज अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

ए 8 : वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश का परिपालन (Compliance of Tariff Order FY 2011-12)

वित्तीय वर्ष 2011–12 के खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश के अन्तर्गत आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा–निर्देशों के परिपालन में विद्युत वितरण कम्पनियों की पैरावार प्रतिक्रया निम्नानुसार दर्शाई गई है :

8.1 वितरण हानियां (Distribution Losses) :

आयोग के दिशा–निर्देश (Commission's Directives)

आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को न केवल दोनों तकनीकी तथा वाणिज्यिक हानियों में कमी लाये जाने हेतु सभी संभव प्रयास करने के निर्देश देता है, ताकि वे न केवल मानदण्डीय हानि स्तरों तक पहुंच सकें वरन् इससे भी बढ़कर प्रयास करने हेतु आग्रह करता है ताकि इनके स्तरों की तुलना देश में बेहतर निष्पादन दर्शाने वाली कम्पनियों से की जा सके।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि मप्रपूक्षेविविकं का हानि स्तर जो वर्ष 2009–10 के दौरान 33.45 प्रतिशत था, वर्ष 2010–11 में घटकर 31.54 प्रतिशत हो गया है। अतएव, मप्र पूर्व क्षेविविकं के हानि स्तर में 1.91 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हुई है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान, मानदण्डीय हानि स्तर मप्रविनिआ के विनियम के अनुसार 30 प्रतिशत था।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान 26.41 प्रतिशत का लाईन हानि स्तर प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। यह मप्रशासन /आयोग द्वारा अधिसूचित किये गये लाईन हानि स्तर प्रक्षेपण (line loss trajectory) के काफी सन्निकट है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु, कम्पनी की वितरण हानियां 31.82 प्रतिशत थीं जो मप्र द्वारा तथा मप्र आयोग द्वारा अनुमोदित किये गये लक्ष्य से 1.18 प्रतिशत कम है।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा अपनी याचिकाओं में यह भी निवेदन किया गया है कि उनके द्वारा काफी बड़ी संख्या में योजनाओं का निष्पादन जारी है जिसमें काफी विशाल

पूंजीगत व्यय भी सन्निहित है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के उपरान्त हानियों में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकेगी। प्रस्तुत की गई याचिकाओं में अनुवीक्षण तथा सतर्कता गतिविधियों से संबंधित उनके प्रयासों का भी विशिष्ट उल्लेख किया गया है।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश (Commission's Directives)

यद्यपि समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा हानियों को कम किये जाने संबंधी रूझान प्रस्तुत किया गया है, तथापि पूर्व तथा पश्चिम क्षेविवि कम्पनी द्वारा विनिर्दिष्ट मानदण्ड स्थापित नहीं किये जा सके हैं। आयोग द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि हानि में कमी लाये जाने हेतु और अधिक सघन प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

8.2 अमीटरीकृत संयोजनों का मीटरीकरण किया जाना (Meterization of unmetered conections) :

आयोग के दिशा–निर्देश (Commission's Directives)

विद्युत वितरण कम्पनियों की ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू मीटरीकरण के संबंध में अब तक की प्रगति अत्यधिक असन्तोषजनक है जबकि मध्य तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र में कृषि–बहुल वितरण ट्रांसफार्मरों के मीटरीकरण में सुधार परिलक्षित हुआ है। आयोग महसूस करता है कि इस दिशा में इससे भी काफी अधिक ईमानदारी से कदम उठाने जाने की आवश्यकता हैं। अमीटरीकृत संयोजनों पर मीटरों की स्थापना की जाना अनुज्ञप्तिधारी के ही हित में है तथा कृषि संयोजनों के प्रकरण में कम से कम वितरण ट्रांसफार्मरों पर इन्हें स्थापित किया जाना बहुत आवश्यक है ताकि यथार्थपूर्ण खपत के आंकड़े प्राप्त हो सकें। आयोग द्वारा इस विषय को पूर्व में ही विद्युत वितरण कम्पनी स्तर पर उठाया गया है तथा वितरण कम्पनियों को अपने पत्र क्रमांक 833 दिनांक 10 मार्च, 2011 द्वारा निम्न निर्देश भी जारी किये हैं :

(i) शहरी क्षेत्रों में समस्त अमीटरीकृत संयोजनों पर माह सितम्बर, 2011 तक मीटर स्थापित कर दिये जाएं

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त अमीटरीकृत संयोजनों पर मीटरों की स्थापना चरणबद्ध रूप से निम्नानुसार पूर्ण की जाए :

(अ) अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का 25 प्रतिशत भाग, माह सितम्बर, 2011 तक

(ब) अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का 60 प्रतिशत भाग, माह दिसम्बर, 2011 तक

(स) अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का शत प्रतिशत भाग, माह मार्च, 2012 तक

(iii) सम्पूर्ण कम्पनी क्षेत्र के अन्तर्गत वे वितरण ट्रांसफार्मर, जिन पर मुख्य रूप से कृषि का भार है, पर चरणबद्ध रूप से मीटर स्थापित किये जाएं तथा इनके मीटरीकरण का कार्य निम्नानुसार पूर्ण किया जाए :

(अ) इस प्रकार के कुल वितरण ट्रांसफार्मरों का 25 प्रतिशत भाग, माह सितम्बर, 2011 तक

(ब) इस प्रकार के कुल वितरण ट्रांसफार्मरों का 60 प्रतिशत भाग, माह दिसम्बर, 2011 तक

(स) इस प्रकार के कुल वितरण ट्रांसफार्मरों का शत प्रतिशत भाग, मार्च, 2012 तक

(iv) समस्त मीटरीकृत वितरण ट्रांसफार्मरों के आंकड़े, जो विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के कुल कृषि बहुल वाले वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या के 10 प्रतिशत से कम न होंगे तथा विविध खपत प्रतिमान (Diverse consumption pattern) का प्रतिनिधित्व करेंगे, नियमित आधार पर संग्रहीत तथा संकलित किये जाने चाहिए। उपभोक्ता सूची को तैयार कराया जाए तथा वास्तविक संयोजित भार की तुलना सत्यापन अभिलिखित खपत से भी कराई जाए। आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को उपरोक्त आंकड़े तथा इनका विश्लेषण, सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों के साथ माह अक्टूबर, 2011 की समाप्ति तक प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।

अतएव, आयोग विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिदेश के अनुरूप निर्देश देता है कि समस्त संयोजनों को मीटरीकृत किया जाना अत्यावश्यक है। आयोग अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत इस तर्क को मानने में स्वयं को असमर्थ पा रहा है कि निधि की कमी के कारण मीटरों की स्थापना का कार्य प्रभावित हो रहा है। आयोग निकट भविष्य में घरेलू उपभोक्ताओं से संबंधित मानदण्डों को समाप्त करने की इच्छा रखता है। इसी प्रकार, कृषि उपभोक्ताओं के बारे में आयोग की इच्छा है कि विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण के बतौर केवल वैयक्तिक मीटरीकरण अथवा समूह मीटरीकरण हेतु विद्युत–दर निर्दिष्ट की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपभोक्ता केवल उनके द्वारा उपभोग की गई विद्युत हेतु ही भुगतान करें।

अतएव आयोग पुनः उपरोक्त दिशा–निर्देशों के परिपालन हेतु पुनः निर्देश देता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :

शहरी घरेलू उपभोक्ताओं का मीटरीकरण :

कम्पनी के पास दिनांक 30.9.2011 की स्थिति में 9,41,305 घरेलू बत्ती तथा पंखा (DLF) या डीएलएफ उपभोक्ता है जिसमें से 9,37,539 उपभोक्ताओं को मीटर उपलब्ध कराये जा चुके हैं तथा इस प्रकार मात्र 3766 उपभोक्ता ही अमीटरीकृत हैं। ये अमीटरीकृत उपभोक्ता आर–एपीडीआरपी योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये हैं

जिस हेतु संविदा जारी की जा चुकी है तथा कार्य माह दिसम्बर, 2011 तक समाप्त किये जाने की आशा है। यहां यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि शहरी क्षेत्र में कोई भी नये संयोजन (connection) स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं परन्तु इनकी संख्या अमीटरीकृत डीएलएफ अनधिकृत उपभोक्ताओं के नियमतिकरण के कारण बढ़ गई है क्योंकि इनके द्वारा पूर्व से ही अवैध रूप से कम्पनी के वितरण नेटवर्क से विद्युत का आहरण किया जा रहा था तथा इन्हें कम्पनी की बिलिंग प्रणाली के अन्तर्गत लाया जा चुका है।

शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के मीटरीकरण की योजना

सरल क्रमांक	विवरण	दिनांक 39.9.11 की स्थिति में
1	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	9,41,305
2	मीटरीकृत उपभोक्ताओं की कुल संख्या	9,37,539
3	अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की कुल संख्या	3,766
4	**मप्रविनिआ के अनुसार लक्ष्य**	
	(i) सितम्बर 2011 तक शतप्रतिशत	–
5	मीटरीकरण हेतु लक्ष्य	माह दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण करना

ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं का मीटरीकरण :

कम्पनी के पास ग्रामीण क्षेत्र में दिनांक 30.9.2011 की स्थिति में कुल 16,57,026 घरेलू बत्ती तथा पंखा (DLF) या डीएलएफ उपभोक्ता हैं जिनमें से 6,83,868 उपभोक्ता मीटरीकृत हैं। शेष 9,73,158 उपभोक्ता अमीटरीकृत हैं। चूंकि इन अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या अत्यधिक विशाल है, अतएव वित्तीय संसाधनों के अभाव में इनका मीटरीकरण माह मार्च 2012 तक किया जाना संभव नहीं है। तथापि, संभरक पृथक्करण योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 5.75 लाख अमीटरीकृत घरेलू उपभोक्ताओं को मीटर प्रदान करने तथा रूके हुए/त्रुटिपूर्ण मीटरों को बदले जाने का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) द्वारा वित्तीय पोषित चरण–एक के अन्तर्गत, संभरक पृथक्करण योजना में माह जुलाई, 2012 तक 2.25 लाख मीटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। एशिया विकास बैंक द्वारा पोषित संभरक पृथक्करण योजना के चरण दो के अन्तर्गत 3.50 लाख मीटर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है तथा यह चरण माह फरवरी 2013 तक पूर्ण लक्ष्य का है। उपरोक्त मीटरीकरण योजना के क्रियान्वयन होने के पश्चात् भी, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 4 लाख से भी अधिक मीटरों की अधिप्राप्ति की जानी होगी जिसके लिये रू. 48 करोड़ की आवश्यकता होगी, तथा इस हेतु लिये वित्तीय संसाधन जुटाये जाना शेष है। यदि कम्पनी को नरम शर्तों पर ऋण या अनुदान प्राप्त हो जाता है तो मीटरीकरण कार्य में गति बढ़ाई जा सकती है।

ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं हेतु मीटरीकरण योजना

सरल क्रमांक	विवरण	दिनांक 39.9.11 की स्थिति में
1	उपभोक्ताओं की कुल संख्या	16,57,026
2	अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की कुल संख्या	9,37,158
3	मप्रविनिआ के अनुसार लक्ष्य	योजना
(i)	माह सितम्बर 2011 तक 25 प्रतिशत अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को मीटरीकृत किया जाना	अमीटरीकृत संयोजनों के 60 प्रतिशत भाग अर्थात् 5.8 लाख उपभोक्ताओं को संभरक पृथक्करण परियोजना के अन्तर्गत माह फरवरी 2013 तक मीटरीकरण किया जाएगा
(ii)	माह दिसम्बर 2011 तक 60 प्रतिशत अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को मीटरीकृत किया जाना	
(iii)	माह मार्च 2012 तक शत प्रतिशत अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को मीटरीकृत किया जाना	शेष 4 लाख मीटरों के मीटरीकरण हेतु रू. 48 करोड़ की वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी जिस हेतु वित्तीय संसाधन जुटाया जाना शेष है।

कृषि वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण (Agricultural DTR Meterization)

कम्पनी दिनांक 30.9.2011 की स्थिति में कुल 39075 कृषि बाहुल्य ट्रांसफार्मरों में से 387 मीटरीकृत कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मर धारित कर रही थी। वर्तमान में कम्पनी की आर्थिक स्थिति नाजुक होने के कारण कम्पनी समस्त कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों पर मीटर स्थापित करने की स्थिति में नहीं है। कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों का मीटरीकरण किया जाना किसी चालू योजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है। तथापि, 11 केवी संभरक मीटरीकरण को संभरक पृथक्करण परियोजना के अन्तर्गत शामिल किया गया है।

सरल क्रमांक	विवरण	दिनांक 39.09.11 की स्थिति में
1	वर्तमान कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मर संख्या	39,075
2	मीटरीकृत कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मर संख्या	387
3	शेष अमीटरीकृत कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मर संख्या	38,688
	मप्रविनिआ के अनुसार लक्ष्य	योजना
(अ)	ऐसी वितरण ट्रांसफार्मर संख्या का 25 प्रतिशत मीटरीकरण माह सितम्बर, 2011 तक पूर्ण करना	लक्ष्य की प्राप्ति हेतु रू. 42 करोड़ की वित्तीय सहायता आवश्यक होगी जिस हेतु वित्तीय संसाधन जुटाया जाना अपेक्षित है।
(ब)	ऐसी वितरण ट्रांसफार्मर संख्या का 60 प्रतिशत मीटरीकरण माह दिसम्बर, 2011 तक पूर्ण करना	
(स)	ऐसी वितरण ट्रांसफार्मर संख्या का शतप्रतिशत मीटरीकरण माह मार्च, 2012 तक पूर्ण करना	

कम्पनी द्वारा एचवीडीएस योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जा चुका है जिसके अन्तर्गत वैयक्तिक कृषि उपभोक्ता हेतु मीटर की स्थापना वितरण ट्रांसफार्मर पर की जाती है। यह कार्य एशिया विकास बैंक निधीयन (ADB Funding) के अन्तर्गत किया जा रहा है तथा प्रथम चरण के अन्तर्गत 16/25 केवीए के 17656 वितरण ट्रांसफार्मर तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत 16739 वितरण ट्रांसफार्मर सम्मिलित किया जाना

प्रस्तावित है। उपरोक्त समस्त ट्रांसफार्मरों पर, उपभोक्ता मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस प्रकार कुल 34395 कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों पर 130761 मीटर वैयक्तिक उपभोक्ताओं के लिये स्थापित किये जाएंगे। दिनांक 30.9.2011 तक, 19005 ट्रांसफार्मरों पर वैयक्तिक उपभोक्ता मीटरों की स्थापना की जा चुकी है। मप्रशासन द्वारा प्रवर्तित की गई 'किसान महापंचायत अनुदान योजना' के अन्तर्गत स्वयं वितरण ट्रांसफार्मरों पर ही उपभोक्ता मीटरों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। माह सितम्बर, 2011 तक कुल 7034 मीटरीकृत पंप संयोजनों पर यह सेवा प्रदान की जा चुकी है। संभरक पृथक्करण परियोजना के अन्तर्गत, कृषि भार को अलग किया जा रहा है। संभरकों पर मीटर उपलब्ध कराये जा रहे हैं परन्तु वित्तीय संसाधनों के अभाव में कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों को इस परियोजना के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :

(i) माह सितम्बर, 2011 की स्थिति में, कम्पनी द्वारा शतप्रतिशत अमीटरीकृत संयोजनों पर मीटर स्थापित करने की कार्य योजना बनाई गई है। निवेदन किया गया कि कम्पनी ग्रामीण क्षेत्रों में 275949 घरेलू अमीटरीकृत संयोजनों पर मीटर स्थापित करने की इच्छुक है। इस हेतु, कम्पनी द्वारा मीटरों की अधिप्राप्ति की योजना भी बनाई गई है। मेसर्स बेनटेक इलेक्ट्रीकल एण्ड इलेक्ट्रॉनिक्स प्रा.लि., कोलकाता को आदेश क्रमांक सीएमडी/डब्लूजेड/06/पीयूआर/टीएस/483/ओआरडी/1194/18508 दिनांक 5 सितम्बर, 2011 द्वारा 3.15 लाख मीटरों की अधिप्राप्ति हेतु आदेशित किया जा चुका है तथा कम्पनी द्वारा शीघ्र ये चरणबद्ध तौर पर प्रदान किये जाएंगे।

(ii) कम्पनी के अधिकार क्षेत्र में 64228 कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मर आते हैं जिनमें से 13275 पर मीटरों की स्थापना की जा चुकी है। कम्पनी द्वारा एडीबी ट्रेंके–4 योजना के अन्तर्गत मेसर्स ओमनी अगेटे, चेन्नई, को कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों पर 12026 मीटर स्थापित करने का कार्यादेश प्रदान किया गया है तथा आशा की जाती है कि माह मार्च 2012 तक 6000 अतिरिक्त मीटरों की स्थापना कर ली जाएगी। इस प्रकार, शेष 44982 कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों पर लगभग रू. 100 करोड़ की निधि की आवश्यकता होगी। वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय व्यवस्था के प्रयास किये जा रहे हैं तथा तदनुसार विद्युत वितरण कम्पनी के पास निधि उपलब्ध हो जाने पर उपरोक्त शेष कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों पर मीटरीकरण का योजना तैयार की जाएगी।

(iii) जहां तक न्यूनतम कुल दस प्रतिशत कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मर के आंकड़ों के संकलन का प्रश्न है, निवेदन किया गया कि वितरण ट्रांसफार्मरों के आंकड़े नियमित रूप से एकत्रित तथा प्रस्तुत किये जा रहे हैं। कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों के आंकड़ों की संक्षेपिका के अनुसार, वह खपत प्रतिदर्श (consumptioon pattern) जिस पर आयोग द्वारा मासिक खपत प्रति

अश्वशक्ति पर विचार किया जा सकता है, को निम्नानुसार उद्धरित किया जा रहा है :

सरल क्रमांक	श्रेणी	वितरण ट्रांसफार्मर संख्या	उपभोक्ता संख्या	खपत
1	ग्रामीण क्षेत्र में अमीटरीकृत कृषि श्रेणी	6853	19429	गैर–मौसम अवधि हेतु 98 यूनिट/अश्वशक्ति /माह वित्तीय वर्ष 2011–12 की मौसम अवधि हेतु आंकड़ो का विश्लेषण एकत्रित किया जाएगा तथा शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आंकड़ों के संग्रहण की नियमित प्रक्रिया जारी रखी गई है तथा इसे आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। पूर्व काल के दौरान एकत्रित किये गये आंकड़े जिन्हें आयोग के समक्ष पूर्व काल से ही पूर्व में ही प्रस्तुत किया जा चुका है, के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि विद्युत खपत प्रति अश्वशक्ति/प्रति माह आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में अनुज्ञेय किये गये से कहीं अधिक है, जिस हेतु मानदण्डों को निम्नानुसार पुनरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है :–

मौसम बाहय (off season) के दौरान – 98 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह

मौसम (on season) के दौरान – सामान्य – 180 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह

केला तथा नर्मदा क्षेत्र के अन्तर्गत – 250 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह

उपरोक्त के अलावा, विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा समस्त 33/11 केवी संभरकों को मीटरीकृत किये जाने का भी लक्ष्य रखा गया है। प्रदाय तथा संस्थापना के संबंध में कार्यादेश क्रमांक सीएमडी/डब्लूजेड/06/पीयूआर/1199–1200/18956–18957 दिनांक 9–9–11 द्वारा जारी किया जा चुका है। आशा की जाती है कि समस्त 33 केवी तथा 11 केवी संभरकों का मीटरीकरण माह मार्च 12 तक पूर्ण कर लिया जाएगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :

शहरी घरेलू उपभोक्ताओं के मीटरीकरण की वस्तुस्थिति निम्नानुसार है :

सरल क्रमांक	विवरण	माह मार्च 2011	माह अगस्त 2011	मार्च 2011 के परिपेक्ष्य में वृद्धि/कमी
1	शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की कुल संख्या	939224	965430	26206
2	अमीटरीकृत–सामान्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे वाले	9164 4347	4056 10166	
	कुल अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की संख्या	13511	14222	711
3	कुल उपभोक्ताओं की परिप्रेक्ष्य में अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का प्रतिशत	1.44	1.47	0.03

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से यह सत्यापित किया जा सकता है कि शहरी क्षेत्र में कम्पनी की मीटरीकरण की स्थिति में निरन्तर सुधार हो रहा है। माह अगस्त, 2011 की स्थिति में, कुल संयोजनों के मात्र 1.47 प्रतिशत को ही मीटरीकृत किया जाना बाकी है। अनुज्ञप्तिधारी का मुख्य लक्ष्य शेष अमीटरीकृत संयोजनों का मीटरीकरण तथा मांग किये जाने पर रूके हुए/त्रुटिपूर्ण मीटरों को बदले जाने का कार्य माह अक्टूबर, 2011 तक पूर्ण कर लेने का है, जैसा कि आयोग कार्यालय में दिनांक 12 अगस्त, 2011 की बैठक में इस बारे में निर्णय लिया गया है। शहरी क्षेत्र के लिये विभिन्न चालू योजनाओं के अन्तर्गत मीटरों की अधिप्राप्ति के बारे में प्रावधान किया जा चुका है, जैसा कि आर–एपीडीआरपी (भाग 'ब'–लगभग 2.45 लाख), एचवीडीएस (एडीबी ट्रेंके–छः), इसके लिये पर्याप्त मात्रा में विभिन्न क्रय आदेशों के अन्तर्गत एकल फेज तथा तीन फेज ऊर्जा मीटरों की प्राप्ति स्टोर में कर ली गई है तथा इस प्रकार शतप्रतिशत शहरी डीएलएण्डएफ उपभोक्ताओं का मीटरीकरण माह अक्टूबर 2011 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के मीटरीकरण की अद्यतन स्थिति निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है :

सरल क्रमांक	विवरण	माह मार्च 2011	माह अगस्त 2011	मार्च 2011 के परिसिति में वृद्धि घटक
1	ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं की कुल संख्या	1044475	1050345	5870
2	अमीटरीकृत–सामान्य अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति/ गरीबी रेखा के नीचे वाले	112465 322711	111014 316954	
	अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की कुल संख्या	435176	427968	(–) 7208
3	कुल उपभोक्ताओं के परिप्रेक्ष्य में अमीटरीकृत उपभोक्ताओं का प्रतिशत	41.66	40.75	(–) 0.91

माह अगस्त 2011 की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में 3.24 लाख उपभोक्ता तथा सामान्य श्रेणी के लगभग 1.11 लाख उपभोक्ता अमीटरीकृत हैं। निवेदन किया गया कि माह मार्च, 2010 के बाद लगभग 2.52 लाख उपभोक्ता और जुड़ गये हैं। अनुज्ञप्तिधारी की प्रस्तावित/चालू योजनाओं के अन्तर्गत इन अमीटरीकृत उपभोक्ताओं को अर्थात् राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (6.07 लाख), एडीबी ट्रेंके पांच में एसवीडीएस के अन्तर्गत (34,390), संभरक पृथक्करण योजना (6.94 लाख) तथा हडको सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत मीटरों की अधिप्राप्ति के माध्यम से मीटरीकृत करने की योजना है। एचवीडीएस में 1,25,000 एकल फेज मीटरों का प्रदाय दिसम्बर 2011 तक पूर्ण किये

जाने का कार्यक्रम है तथा तत्पश्चात 3,75,000 मीटरों की अधिप्राप्ति माह मई 2012 तक पूर्ण कर ली जाएगी। अनुज्ञप्तिधारी ग्रामीण क्षेत्र में समस्त अवशेष उपभोक्ता मीटरीकरण का कार्य, रूके हुए/त्रुटिपूर्ण मीटरों को बदलने का कार्य सम्मिलित करते हुए, माह दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण किये जाने की अपेक्षा करता है।

सम्पूर्ण मीटरीकरण कार्यक्रम (Complete Meterization Programme)

कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा अपनी 45वीं बैठक में मीटरीकरण योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है जिसका वर्तमान में क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत, केवल 7500 कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों का मीटरीकरण किया जाएगा। इसके बाद का संभरक मीटरीकरण कार्य विभिन्न चालू संविदाओं के अन्तर्गत निष्पादित किया जाएगा। कम्पनी द्वारा अमीटरीकृत घरेलू बत्ती तथा पंखा (DLF) उपभोक्ताओं के लिये महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है, जिसे माह मार्च 2013 तक शहरी क्षेत्र में तथा ग्रामीण क्षेत्र में माह दिसम्बर 2016 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। विभिन्न चालू योजनाओं के अन्तर्गत, मीटरीकरण संबंधी प्रावधान किया गया है, अर्थात् हडको वित्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति त्रैमास 13500 की दर से मीटरों की अधिप्राप्ति की जा रही है।

वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण की अद्यतन स्थिति (Status of DTR Metrisation) : पूर्व वर्ष की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अनुसार, विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण कार्यक्रम के लक्ष्य तथा अद्यतन स्थिति को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

योजना का नाम	विद्युत वितरण ट्रांसफर्मरों की संख्या	पूर्ण करने के संबंध में प्रगति/लक्ष्यय	सम्मिलित किया गया क्षेत्र	योजना का नाम
एपीडीआरपी (APDRP)	7865	स्थापित किये जा चुके हैं	नगरीय क्षेत्र	एपीडीआरपी
हडको (HUDCO)	7500	94% कार्य पूर्ण, 7012 मीटर स्थापित किये गये (माह दिसम्बर 2010 की स्थिति में)	ग्रामीण संभरकों के माध्यम से कृषि उपभोक्ताओं का खपत प्रतिदर्श (पैटर्न) ज्ञात करना	हडको
एडीबी ट्रेंके चार (ADB Tranche iv)	3679	कार्य माह अगस्त 2011 में पूर्ण किया गया/ 3640 मीटर स्थापित किये गये	ग्वालियर, मुरैना तथा अम्बाह नगरों के आंशिक भाग	एडीबी ट्रेंके चार
आरएपीडीआरपी (RAPDRP)	6217	माह अक्टूबर 2011	32 आरएपीडीआरपी नगरीय क्षेत्रों में	आरएपीडीआरपी

कृषि बाहुल्य संभरकों से संबद्ध वितरण ट्रांसफार्मरों पर एएमआर प्रदाय हेतु कार्यादेश, जिसमें हडको वित्त के अन्तर्गत दो वर्ष के ऊर्जा अंकेक्षण (energy audit) का प्रावधान किया गया है, निम्नानुसार जारी किया गया :

एजेंसी का नाम	**संविदा राशि**
1. मेसर्स ओमनी आगेटे सिस्टम प्रा.लि., चेन्नई	रू. 10.815 करोड़
2. मेसर्स जेनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., जयपुर	रू. 4.853 करोड़

95 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य, मय ऊर्जा अंकेक्षण के प्रयोजन हेतु नियमित आंकड़ा अनुवीक्षण कार्य शीघ्र निष्पादित किया जाएगा।

कम्पनी के अन्तर्गत वर्तमान में 90,902 मीटरीकरण बिन्दु संचालित किये जा रहे हैं जिसमें से 17,223 को मीटरीकृत किया जा चुका है, (इनमें से 7499 एएमआर (AMR) आधारित मीटरिंग बिन्दु हैं तथा 9724 गैर–एएमआर मीटरिंग बिन्दु हैं)। जैसा कि दिनांक 30.6.2011 की स्थिति में आयोग को जानकारी प्रस्तुत कर दी गई है, कुल 64042 वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना कृषि बाहुल्य क्षेत्रों में की गई है, जिनमें से 8847 पूर्व से ही मीटरीकृत है, जिसका तात्पर्य 13.81 प्रतिशत से है। कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा अपनी पैंतालीसवीं बैठक में मीटरीकरण योजना को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है तथा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस मीटरीकरण योजना के अनुसार, शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं, जैसे कि आरएपीडीआरपी, भाग अ तथा ब, एडीबी ट्रेंके–चार, पांच तथा छः, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना तथा संभारक पृथक्करण योजनाओं को पूर्ण किये जाने के उपरान्त ऐसा अनुमान लगाया गया है कि कुल 1,67,187 वितरण ट्रांसफार्मर उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों की विद्युत मांग की आपूर्ति करेंगे। इसमें से 93805 वितरण ट्रांसफार्मरों को मीटरीकृत किया जाएगा, जो 55.93 प्रतिशत है। यहां यह उल्लेख किया जाना उचित होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में संभरक पृथक्करण योजना तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत स्थापित किये जाने वाले समस्त वितरण ट्रांसफार्मरों को मीटरीकृत किया जाएगा। इस प्रकार माह दिसम्बर 2012 तक, कृषि बाहुल्य क्षेत्रों में मीटरीकरण की प्रतिशत दर में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जाएगी।

कृषि वितरण ट्रांसफार्मर (Agriculture DTR)

मीटरीकृत वितरण ट्रांसफार्मरों के नमूना आंकड़े जिनका सम्पूर्ण वर्ष 2010–11 के दौरान नियमित रूप से अनुवीक्षण किया गया है तथा अमीटरीकृत घरेलू बत्ती तथा पंखा श्रेणी

के उपभोक्ता, जिन्हें मीटरीकृत वितरण ट्रांसफार्मरों से जोड़ा गया है, से संबंधित आंकड़ों को याचिका में प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त आंकड़ों का खपत रूझान (consumption pattern) निम्नानुसार है :

सरल क्रमांक	श्रेणी	वितरण ट्रांफार्मरों की संख्या	उपभोक्ताओं की संख्या	खपत
1	ग्रामीण क्षेत्र में अमीटरीकृत कृषि वाले उपभोक्ता	142	635	156 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह
2	ग्रामीण क्षेत्र में अमीटरीकृत घरेलू प्रकाश तथा पंखायुक्त उपभोक्ता	19	889	181 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह
3	नगरीय क्षेत्र में घरेलू अमीटरीकृत प्रकाश तथा पंखायुक्त उपभोक्ता	35	2103	340 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह

कुल 8847 कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों को मीटरीकृत किया जा चुका है। यहां यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि कृषि बाहुल्य कृषि संभरकों के अन्तर्गत वितरण ट्रांसफार्मरों पर एएमआर मीटरों की संस्थापना मय द्विवर्षीय ऊर्जा अंकेक्षण के संबंध में दो संविदाओं का आवंटन मेसर्स ओमनी अगेटे सिस्टम प्रा.लि., चेन्नई तथा मेसर्स जेनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. जयपुर को किया गया है। इन संविदाओं के अन्तर्गत, 7500 एएमआर मीटरों की स्थापना पूर्ण की जा चुकी है तथा आंकड़ों का अन्तरण किस्तों में प्रारंभ किया जा चुका है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माह अप्रैल से अक्टूबर 2011 तक की अवधि हेतु मेसर्स ओमने अगेटे सिस्टम से 580 एएमआर आंकड़े तथा मेसर्स जेनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि से 186 एएमआर आंकड़े उपरोक्त दर्शाई गई अवधि हेतु एकत्रित किये हैं। इसी प्रकार, माह अक्टूबर, 2011 हेतु, मेसर्स जेनस पावर से भी आंकड़े एकत्रित किये गये हैं तथा इनका विश्लेषण किया जा चुका है। ये मीटर वितरण ट्रांसफार्मर की खपत के आंकड़ों का संग्रहण कर रहे हैं तथा उक्त वितरण ट्रांसफार्मर पर अधिकतम मांग को भी अभिलिखित करते हैं। इन दो मापदण्डों (parameters) के आधार पर औसत खपत की गणना किलोवाट ऑवर प्रति केवीए में की गई है। इस अध्ययन के परिणाम निम्न तालिका में दर्शाये गये हैं :

मीटरीकृत वितरण ट्रांसफार्मरों के अध्ययन परिणाम (अवधि माह अप्रैल–अक्टूबर, 2011 तक)

सरल क्रमांक	वितरण ट्रांसफार्मर संख्या	स्थापित वितरण ट्रांसफार्मर का केवीए	अधिकतम मांग के आधार पर औसत खपत किलोवाट आवर/केवीए में अभिलिखित							औसत किलोवाट प्रतिमाह (माह अप्रैल से अक्टूबर 2011 तक)
			अप्रैल 11	मई 11	जून 11	जुलाई 11	अगस्त 11	सितम्बर 11	अक्टूबर 11	
1	580	46350	120	124	96	128	154	151	136	130
2	186	15414	136	158	124	155	164	154	109	143
3	362	29832							128	128
योग	1128	91596	128	141	110	142	159	153	124	137

उपरोक्त दो अध्ययनों से स्पष्ट है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अमीटरीकृत संयोजनों से खपत 156 यूनिट/अश्वशक्ति माह तथा अभिलिखित अधिकतम मांग के आधार पर 137 यूनिट/प्रति केवीए है। अतएव आयोग से कृषि उपभोक्ताओं की अमीटरीकृत श्रेणी के बिलिंग प्रतिमानों (norms) को पुनरीक्षित करने का अनुरोध किया जाता है।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश

ऐसा पाया गया है कि अमीटरीकृत संयोजनों को मीटरीकृत किये जाने संबंधी परिणाम अत्यन्त असन्तोषजनक हैं। आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों का इस विषय में रवैया कुल मिलाकर युक्तियुक्त होना नहीं पाया गया है। अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों के संबंध में, विद्युत वितरण कम्पनियां समय–समय पर मीटरीकरण की स्थिति में सुधार लाये जाने बाबत आश्वस्त करती आ रही है, परन्तु मीटरीकरण की अद्यतन स्थिति, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रो में, अत्यंत शोचनीय है तथा यह स्थिति अभी भी बरकरार है। इस संबंध में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी का निष्पादन काफी असन्तोषजनक है। विद्युत वितरण कम्पनियां द्वारा उचित ऊर्जा अंकेक्षण को सुनिश्चित किये जाने की दृष्टि से कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों, 33 केवी तथा 11 केवी संभरकों के मीटरीकरण में सुधार हेतु यथोचित ध्यान भी नहीं दिया जा रहा है। मीटरीकरण के बारे में प्रस्तावित किये गये लक्ष्य विशेषकर अमीटरीकृत ग्रामीण घरेलू उपभोक्ताओं के संबंध में स्वीकार्य नहीं हैं। आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विशाल पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) योजना राशि की उपलब्धता की पृष्ठभूमि में निधि की अनुपलब्धता संबंधी तर्क भी युक्तियुक्त नहीं पाया गया है। इन कम्पनियों के प्रबंधन को यह समझना होगा कि वे विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 55 के आशय के विपरीत कार्य कर रही हैं तथा इस प्रकार इसका भी उल्लंघन कर रही हैं। उन्हें इस अधिनियम के परिपालन में अपनी दृढ़ इच्छाशक्ति तथा उद्देश्य को सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के साथ प्रदर्शित करना होगा, अन्यथा अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार यथोचित कार्यवाही की जाएगी। आयोग इस मुद्दे पर विद्युत वितरण कम्पनियों के स्तर पर पृथक से कार्यवाही करेगा तथा यदि आयोग द्वारा यह पाया जाता है कि किये गये सुधार वांछित स्तर पर नहीं किये गये हैं तो वह कठोर कार्यवाही कर सकेगा। विद्युत वितरण कम्पनियों को अमीटरीकृत संयोजनों के मीटरीकरण कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों, 33 केवी तथा 11 केवी संभरकों के बारे में इस आदेश जारी होने के एक माह के भीतर माहवार योजना/लक्ष्य दाखिल किये जाने के संबंधी कठोर निर्देश दिये जाते हैं ताकि माह मार्च 2013 तक शत प्रतिशत मीटरीकरण प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जा सके।

8.3 तकनीकी हानियों को कम किये जाने संबंधी पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan for reduction of Technical Losses)

आयोग की अभ्युक्तियां (Commission's directives) :

अनुज्ञप्तिधारियों को वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान पूंजीगत व्यय योजना की माह जून 11 तक की प्रगति माह जुलाई 11 तक तथा तत्पश्चात् प्रति तिमाही दाखिल करने के निर्देश दिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु पूंजीगत व्यय योजना विनियमों के उपबन्धों के अनुसार माह जुलाई 11 तक दाखिल की जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2015–16 तक की एक विस्तुत पूंजीगत योजना (Capex Plan) विनियमानुसार आयोग को पत्र क्रं. मुख्य अभियंता (डब्लू एण्ड पी)/ईजेड, क्रमांक 6520 दिनांक 30–8–2011 द्वारा प्रस्तुत की गई है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2011–12 से वित्तीय वर्ष 2016–17 तक की पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने बाबत त्वरित कार्यवाही की गई है जिसमें वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान उपरोक्त पूंजीगत योजना की प्रगति को शामिल करते हुए प्रगति का विवरण भी संलग्न किया गया है। आयोग द्वारा पूंजीगत व्यय योजना की प्रस्तुति याचिका के रूप में चाही गयी है तथा वर्तमान में इसे तैयार किया जा रहा है तथा कम्पनी की समस्त निर्माणाधीन योजनाओं को सम्मिलित करते हुए इसे यथाशीघ्र आयोग को प्रस्तुत किया जाएगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : दिनांक 31.3.2011 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) तथा माह जून 2011 को समाप्त होने वाले त्रैमास से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन आयोग को पत्र क्रमांक सीएमडी/एमके/वर्क्स/127 दिनांक 30.4.2011 तथा सीएमडी/एमके/वर्क्स/751 दिनांक 12.9.2011 को प्रस्तुत किये गये हैं। बारहवीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित वित्तीय वर्ष 2012–13 से वित्तीय वर्ष 2016–17 की पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) राज्य शासन को पत्र क्रं सीएमडी/एमके/वर्क्स/11–12/744 दिनांक 7.9.2011 द्वारा प्रस्तुत की गई है।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश : *आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की गई योजनाओं की समीक्षा की गई तथा विद्युत वितरण कम्पनियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये कि इन योजनाओं में कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों के मीटरीकरण को सम्मिलित करते हुए, अमीटरीकृत संयोजनों के शत प्रतिशत मीटरीकरण का भी प्रावधान किया जाए। आयोग द्वारा प्रकरण की अतिरिक्त समीक्षा भी की जा रही है।*

8.4 ऐसे मीटरों की संस्थापना करना जिनमें उपभोक्ताओं को घरेलू श्रेणी में औसत मासिक मांग लेख्यांकित करने की सुविधा हो :

आयोग के दिशा–निर्देश : *आयोग मध्य तथा पश्चिम क्षेविवि कम्पनियों को निर्देश देता है कि वे इस वर्ष के दौरान 10 किलोवाट या इससे अधिक संयोजित भार वाले मीटर उपभोक्ताओं को मापयन्त्र उपलब्ध करायें जिनमें समस्त घरेलू संयोजनों पर औसत मासिक मांग अभिलिखित करने की सुविधा उपलब्ध हो। आयोग पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी को यह निर्देश देता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि समस्त नवीन संयोजन/भार वृद्धि वाले प्रकरणों में भविष्य में 10 किलोवाट या इससे अधिक भार वाले वाले घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को मांग आधारित मीटर उपलब्ध करा दिये जाएं।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : वर्तमान में ऐसे मीटरों की संख्या, जो अधिकतम मांग (Maximum Demand) लेख्यांकित करने में सक्षम हैं, लगभग 12000 है तथा यह संख्या उल्लेखनीय भी है अर्थात् (कुल संख्या का लगभग 80 प्रतिशत)। 13000 अधिकतम मांग (MD) आधारित मीटरों का प्रदाय आदेश मेसर्स जेनस मीटर्स को जारी किया जा चुका है तथा इनकी प्राप्ति दो माह के भीतर अपेक्षित है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि ऐसे उपभोक्ता, जिनके भार 10 किलोवाट से अधिक हैं, को कथित प्रकार के मीटर माह मार्च 2012 तक उपलब्ध करा दिये जाएं।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी दिशा–निर्देश के पालन हेतु अति उत्साहित है। इन्दौर शहर में ऐसे संयोजन, जिनका संयोजित भार 10 किलोवाट है, हेतु मीटरों की स्थापना का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : ऐसे समस्त घरेलू संयोजनों पर ऐसे मांग मीटर प्रदान कर दिये जाएंगे, जो अधिकतम मांग लेख्यांकित करने में सक्षम हैं।

आयोग की अभ्युक्तियां/दिशा–निर्देश : विद्युत वितरण कम्पनियों में से एक के द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं के लिये संविदा मांग आधारित विद्युत–दर (Demand Based Tariff) प्रस्तावित की गई है। तथापि, जैसा कि प्रस्तुत किये गये अद्यतन स्थिति प्रतिवेदन से प्रकट होता है, ऐसी विद्युत–दर को लागू करना असामयिक होगा, जब तक कि ऐसे उपभोक्ताओं को उपयुक्त प्रकार के मीटर उपलब्ध नहीं कर दिये जाते। विद्युत वितरण कम्पनियों को यह कार्य वित्तीय वर्ष 2012–13 में पूर्ण करने के निर्देश दिये जाते हैं।

8.5 **ग्रामीण संभरकों का कृषि तथा अन्य श्रेणियों में पृथक्करण किया जाना** :

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : *आयोग निर्देश देता है कि भविष्य में इसके बाद इन योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में प्रगति प्रतिवेदन पूंजीगत व्यय योजना के अन्तर्गत शामिल किये जाएं।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : संभरक पृथक्करण परियोजना की अद्यतन स्थिति निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है :

दिनांक 23–.09–2011 की स्थिति में एफएसपी के अन्तर्गत संभरक पृथक्करण योजना की प्रगति								
संभरकों की संख्या	सर्वेक्षण संबंधी विवरण					स्थापना की अद्यतन स्थिति		
	संभरक संख्या	उच्च दाब लाईन (कि.मी.)	वितरण ट्रांफार्मर (संख्या)	निम्न दाब लाईन (कि. मी. में)	उपभोक्ता संख्या	PT संख्या	PE संख्या	Stringing कि.मी
1645	435	137077	151609	159945	666641	52927	13006	61.36

इसके अतिरिक्त, निर्देशानुसार संभरक पृथक्करण योजना के क्रियान्वयन की प्रगति को पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) के प्रगति प्रतिवेदन में शामिल किया जाएगा।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा संभरक पृथक्करण योजना को दो चरणों में प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण के अन्तर्गत इन्दौर, धार, खण्डवा, खरगोन, बड़वानी बुरहानपुर तथा रतलाम जिलों को शामिल किया गया है जबकि द्वितीय चरण के अन्तर्गत उज्जैन, देवास, मन्दसौर, नीमच, अलीराजपुर, झाबुआ तथा शाजापुर जिलों को शामिल किया गया है। योजना हेतु वित्तीय व्यवस्था प्रथम तथा द्वितीय चरणों के लिये क्रमशः ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) तथा एशिया विकास बैंक (ADB) द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। दोनों चरणों हेतु कार्यों का आवंटन

किया जा चुका है, एजेन्सी के साथ वांछित अनुबन्ध किया जा चुका है तथा कार्यों का निष्पादन प्रगति पर है। संभरक पृथक्करण योजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत 422 किमी 11 केवी लाईन, 262 की संख्या में वितरण ट्रांसफार्मरों तथा 2975 किमी अनावृत निम्न दाब चालकों (bare LT conductor) को एबी केबलों में परिवर्तन तथा 3925 की सख्या में नवीन संयोजन प्रदान करने का कार्य अब तक पूर्ण किया जा चुका है जबकि द्वितीय चरण के अंतर्गत 7 जिलों के लिये कार्यादेश जारी किये जा चुके हैं तथा फर्मों को संघटन अग्रिम राशि (Mobilization Advance) भी जारी की जा चुकी है। फर्मों द्वारा निष्पादन हेतु वांछित सामग्री की अधिप्राप्ति की जा रही है तथा सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है। इसके अलावा, 11 केवी के 20 संभरकों का कार्य 440 ग्रामों में पूर्ण कर लिया गया है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : इस योजना का क्रियान्वयन दो चरणों में किया जा रहा है जिसके विवरण याचिका क्रमांक 63/2010 में प्रस्तुत किये गये हैं। इसके अलावा, योजना की भौतिक तथा वित्तीय प्रगति केपैक्स प्रगति प्रतिवेदन के माध्यम से त्रैमासिक आधार पर प्रस्तुत की जा रही है। योजना की संक्षेपिका को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

चरण	सम्मिलित किये गये जिले	अनुबन्ध राशि (करोड़ रूपये में)	कार्य पूर्ण करने की अपेक्षित तिथि	विशेष
प्रथम चरण	भोपाल, हरदा, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, बैतूल, सीहोर	438	जुलाई 2012	समस्त एजेंसियों को कार्यादेश जारी किया जा चुका है। रू. 35 करोड़ के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं, जो लगभग आठ प्रतिशत है।
द्वितीय चरण	गुना, अशोक नगर, राजगढ़, दतिया, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, श्योपुर तथा ग्वालियर	699	फरवरी 2013	समस्त एजेंसियों को कार्यादेश माह जुलाई, 2011 में जारी किये जा चुके हैं। संघटन अग्रिम की राशि भी माह अगस्त 2011 में जारी की जा चुकी है।

इस योजना के अन्तर्गत, 1315 की संख्या में 11 केवी संभरकों का पृथक्करण 920 नवीन अतिरिक्त बे (Bays) के सृजन द्वारा किया जाएगा। चरण प्रथम तथा चरण द्वितीय हेतु क्रमशः दिनांक 3 जुलाई 2012 तथा फरवरी 2013 तक संभरक पृथक्करण कार्य पूर्ण करने हेतु, 16821 किमी 11 केवी लाईन, 28960 वितरण ट्रांसफार्मरों, 17742 किमी निम्न दाब एबी केबलों तथा 694160 ऊर्जा मीटरों का प्रावधान किया गया है।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश : विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रतिवेदनों से प्रकट होता है कि वे संभरक पृथक्करण कार्य के क्रियान्वयन हेतु महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर कार्य कर रहे हैं जिन्हें माह जनवरी, 2013 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित किया गया है। विद्युत वितरण कम्पनियों को नियमित रूप से प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं।

8.6 **न्यूनतम विद्युत प्रदाय अवधि** :

आयोग के दिशा–निर्देश :*आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को पुनः वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु दिये गये निर्देशों के अनुरूप इस वर्ष भी न्यूनतम दैनिक विद्युत प्रदाय घंटे संधारित किये रखे जाने के निर्देश देता है।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र में विद्युत प्रदाय का विनियमन राज्य भार प्रेषण केन्द्र के समन्वयन द्वारा विद्युत उपलब्धता तथा मांग के आधार पर किया जाता है। वित्तीय प्रतिबन्धों के अन्तर्गत, मांग में किसी अप्रत्याशित वृद्धि के कारण चूक भी हो सकती है। तथापि, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम विद्युत प्रदाय घंटे सुनिश्चित करने हेतु ईमानदारीपूर्वक सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु माह अक्टूबर, 2011 तक माहवार औसत विद्युत प्रदाय घंटे निम्नानुसार प्रतिवेदित किये गये हैं :

माह	संभागीय मुख्यालय	जिला मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	ग्रामीण
अप्रैल–11	23:11	21:01	16:36	12:29
मई–11	23:30	21:57	16:36	12:28
जून–11	23:55	22:59	20:18	15:56
जुलाई–11	23:41	22:45	17:36	13:35
अगस्त–11	23:54	23:45	19:41	15:38
सितम्बर–11	24:00:00	24:00:00	22:51	21:38
अक्टूबर 11	23:15	20:48	14:04	9:36

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : पश्चिम क्षेत्र विविकं के माह अप्रैल 11 से माह अक्टूबर 11 तक के विद्युत प्रदाय घंटे निम्नानुसार प्रतिवेदित किये गये हैं:

सरल क्रमांक	माह	ग्रामीण मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	जिला मुख्यालय	संभागीय मुख्यालय
1	अप्रैल–11	11:47	16:01	20:51	22:18
2	मई–11	12:19	16:33	21:30	22:26
3	जून–11	14:28	18:40	22:33	23:24
4	जुलाई–11	13:23	17:35	21:50	22:54

5	अगस्त–11	16:38	19:54	23:26	23:38
6	सितम्बर–11	20:26	21:58	23:59	24:00
7	अक्टूबर–11	11:28	15:00	21:44	22:58
	औसत	14:21	17:57	22:16	22:58

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : वित्तीय वर्ष 2010–11 तथा 2011–12 हेतु औसत विद्युत प्रदाय घंटे निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

सरल क्रमांक	संभागीय मुख्यालय	जिला मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	ग्रामीण (3 फेज + एकल फेज)
	22.32	23.31	16.31	11.33

विद्युतप्रदाय घंटे – वर्ष 2011–12					
सरल क्रमांक	माह	संभागीय मुख्यालय	जिला मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	ग्रामीण (3 फेज + एकल फेज)
1	अप्रैल–11	22.55	21.02	17.44	12.54
2	मई–11	22.48	20.29	16.38	12.14
3	जून–11	22.56	20.45	17.34	14.13
4	जुलाई–11	23.17	21.14	17.43	13.15
5	अगस्त–11	23.44	22.56	20.10	16.11
6	सितम्बर–11	24.00	24.00	22.22	22.27

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ग्रामीण क्षेत्रों तथा तहसील मुख्यालयों हेतु विद्युत प्रदाय घंटों की अवधि कुछ माह के दौरान, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु निर्धारित किये गये कम आवंटन के कारण कम रही है। अतएव, प्रणाली के प्रबन्धन हेतु, विद्युत की कटौती की गई है जिसके परिणामस्वरूप कुछ माह के दौरान तहसील मुख्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत प्रदाय कम अवधि हेतु किया जा सका है।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश : आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को पुनः वर्ष 2011–12 हेतु टैरिफ आदेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप इस वर्ष भी न्यूनतम दैनिक विद्युत प्रदाय घंटे संधारित किये जाने के निर्देश देता है।

8.7 **व्यवसायिक प्रतिनिधियों (फ्रेन्चाईजी) की नियुक्तियां** (**Appointment of Franchisees**):

आयोग के दिशा–निर्देश : आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश देता है कि उनके द्वारा अपने क्षेत्र के फ्रेन्चाईजी नियुक्त किये जाने पर विवरण आयोग को प्रस्तुत किये जाएं। पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी को भी एक माह के अन्दर अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दिये जाते हैं।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि वर्तमान में 27 वितरण ट्रांसफार्मर स्तर के विद्युत आहरण आधारित फ्रेन्चाईजी (DTR level input based franchisees) कार्यरत हैं।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : (अ) जिला तथा शहरी फ्रेन्चाईजी : उज्जैन शहर के लिये निविदा सूचना दिनांक 30.9.11 को जारी की गई तथा पूर्व बोली बैठक (Prebid conference) दिनांक 15.10.11 को आयोजित की गयी। इस निविदा सूचना हेतु अच्छी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई तथा कई बड़ी कम्पनियों द्वारा इस निविदा में अपनी रूचि व्यक्त की गई। पूर्व बोली बैठक में आयोजित चर्चाओं के आधार पर 'प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RPF)' के निबन्धनों तथा शर्तों को पुनरीक्षित किया जाना है। अतएव, बोली की अन्तिम तिथियों को आगामी सूचना तक बढ़ा दिया गया है। जिला फ्रेन्चाईजी तथा शहरी फ्रेन्चाईजी जारी निविदा सूचना में पूंजीगत व्यय का प्रावधान भी किया गया है। (ब) ग्रामीण फ्रेन्चाईजी : चालू वर्ष के दो नवीन ग्राम फ्रेन्चाईजी बढ़ाये गये हैं जो खरगोन जिले में क्रमशः भासनेर तथा टेमला हैं। विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंचों के प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किये गये हैं ताकि पंचायतों को उनके क्षेत्रों के लिये फ्रेन्चाईजी सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेरित किया जा सके। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के संचालक मण्डल द्वारा नवीन ग्रामीण फ्रेन्चाईजी नीति का अनुमोदन किया जा चुका है तथा इसे माह अक्टूबर, 2011 में प्रसारित किया गया। नवीन फ्रेन्चाईजी नीति हेतु, विद्युत निवेश का मापन 11 केवी स्तर पर किया जाएगा तथा फ्रेन्चाईजी हेतु बिल को उपभोक्ता की औसत बिलिंग दर के आधार पर तैयार किया जाएगा। विद्यमान फ्रेन्चाईजी को नवीन 11 केवी विद्युत आहरण आधारित फ्रेन्चाईजी योजना को स्वीकार किये जाने हेतु नोटिस जारी किये जा चुके हैं। रतलाम जिले के लिये 15 नवीन ग्राम पंचायतों द्वारा ग्रामीण फ्रेन्चाईजी हेतु विकल्प प्रस्तुत किये जा चुके हैं जो पलसोदा, बांगरोड, नलकुई, भाटी बरोडिया, कुआ झंगार, मुण्देरी, ढोलका, आलिनिया, बिलपाक, ढिकवा, बड़नारा, सिनोदा सिमलावाड़ा, बिरभावल, दन्तोड़िया, ग्रामों से संबंधित हैं। फ्रेन्चाईजी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु पर्याप्त सावधानी बरती गई है। वास्तव में, अन्य ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में फ्रेन्चाईजी क्षेत्र के लिये 3 घंटे का अतिरिक्त विद्युत प्रदाय भी किया जा रहा है तथा इस प्रकार ऐसे क्षेत्रों में उपभोक्ता सन्तुष्टि स्तर में अत्यधिक वृद्धि हुई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : प्रारंभ में, एक मार्गदर्शक परियोजना के रूप में एक आहरण आधारित फ्रेन्चाईजी माडल के साथ कम्पनी द्वारा परिक्षेत्र स्तर के फ्रेन्चाईजी

की नियुक्ति की गई थी, अर्थात् विद्युत प्रदाय के आहरण बिन्दु स्थापित मीटरों के माध्यम से 11 केवी संभरकों पर मीटरीकरण। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी भोपाल के अन्तर्गत आहरण आधारित माडलों पर पांच फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति निम्न दर्शाये गये विवरणों के अनुसार की गई है :

सरल क्रमांक	परिक्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र का नाम जहां फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति की गई	फ्रेन्चाईजी का नाम तथा पता	प्रचालन तिथि
1	संचालन एवं संधारण वृत्त भोपाल के अंतर्गत बैरसिया वितरण केन्द्र	सोशल वेलफेयर आर्गेनाईजेशन, विदिशा	1–05–2007
2	शहर वृत्त भोपाल के अन्तर्गत करोंद परिक्षेत्र	अग्रवाल पॉवर, भोपाल	1–10–2007
3	शहर वृत्त भोपाल के अन्तर्गत छोला परिक्षेत्र	श्याम इण्डस पावर सोल्यूशन्स, नई दिल्ली	1–02–2008
4	शहर वृत्त भोपाल के अन्तर्गत जहांगीराबाद परिक्षेत्र	जूम डेवलपर, इंदौर	1–02–2008
5	शहर वृत्त भोपाल के अन्तर्गत चांदबड़ परिक्षेत्र	श्याम इण्डस पावर सोल्यूशन्स, नई दिल्ली	1–03–2008

वर्तमान मे केवल 2 फ्रेन्चाईजी (सरल क्रमांक 2 तथा 3) कार्यरत हैं। सरल क्रमांक 1, 4 तथा 5 पर दर्शाये गये फ्रेन्चाईजी द्वारा अपनी संविदा अवधि पूर्ण किये जाने से पूर्व कार्य बन्द कर दिया गया है।

नवीन फ्रेन्चाईजी हेतु प्रस्ताव : कम्पनी द्वारा जिला ग्वालियर, दतिया तथा भिण्ड हेतु जिला स्तरीय फ्रेन्चाईजी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु, 'प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP)' सूचना जारी की जा चुकी है तथा बोली प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 19.8.2011 निर्धारित की गई है। प्रत्याशित बोलीकर्ताओं के साथ पूर्व बोली बैठक आयोजित की जा चुकी है। पूर्व बोली बैठक में चर्चाओं के आधार पर, 'प्रस्ताव हेतु अनुरोध सूचना (RFP)' को पुनरीक्षित किये जाने की आवश्यकता है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है।

आयोग की अभ्युक्ति/दिशा–निर्देश : फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति संबंधी अद्यतन स्थिति प्रोत्साहित करने वाली नहीं है। आयोग द्वारा आगे भी वस्तुस्थिति की समीक्षा करना जारी रखा जाएगा।

8.8 **वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्रथम देयक के साथ नवीन विद्युत–दर (टैरिफ) से संबंधित टैरिफ कार्ड जारी करना** :

आयोग के दिशा–निर्देश : *विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि इस टैरिफ आदेश के बाद उपभोक्ताओं को जारी किये जाने वाले प्रथम देयक के साथ*

वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश के अनुसार लागू विभिन्न श्रेणियों हेतु विद्युत–दर के विवरण दर्शाते हुए टैरिफ कार्ड जारी किये जाएं।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : कम्पनी द्वारा निगमित स्तर (Corporate Level) पर टैरिफ कार्डों को मुद्रित किये जाने की व्यवस्था की गई है तथा इन्हें मैदानी इकाईयों के माध्यम से निम्न दाब उपभोक्ताओं को प्रदान किया गया है। समस्त उच्च दाब उपभोक्ताओं को टैरिफ पुस्तिका (Tariff Book) भी उपलब्ध कराई गई है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : वित्तीय वर्ष 2011–12 के टैरिफ आदेश के अनुसार उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु प्रयोज्य विद्युत–दर का विवरण दर्शाने वाले टैरिफ कार्ड समस्त उपभोक्ताओं को वित्तीय वर्ष के प्रथम देयक के साथ जारी किये जा चुके हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निम्न दाब उपभोक्ताओं को टैरिफ प्रावधान दर्शाने वाले टैरिफ कार्ड जारी किये जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, टैरिफ अनुसूची पुस्तिकाएं समस्त उच्च दाब उपभोक्ताओं को उपलब्ध करा दी गई हैं।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा निर्देश दिये जाते हैं कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के टैरिफ आदेश हेतु भी उपभोक्ताओं को टैरिफ कार्ड प्रदान करने की प्रक्रिया को जारी रखा जाए।

8.9 **सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों को हिन्दी भाषा में दायर किया जाना** :

आयोग के दिशा–निर्देश : *आयोग निर्देश देता है कि विद्युत वितरण कम्पनियां कम से कम अपने प्रस्तावों की कार्यकारी संक्षेपिका, मय वांछित आंकड़ों के हिन्दी में तैयार करें तथा इसे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्तावों तथा सत्यापन याचिकाओं के साथ भविष्य में प्रस्तुत करें।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि याचिका को अंग्रेजी भाषा में दाखिल किया गया है तथा प्रस्तावों की याचिका के प्रस्ताव के हिन्दी रूपान्तरण हेतु प्रमाणिक प्रयास किये जाएंगे तथा सार्वजनिक सूचना जारी होने से पूर्व इन्हें दाखिल कर दिया जाएगा।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का हिन्दी रूपान्तरण शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के हिन्दी अनुवाद हेतु, संविदा जारी की जा चुकी है तथा इसे शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। टैरिफ प्रस्ताव की कार्यकारी संक्षेपिका याचिका के साथ संलग्न प्रस्तुत की जा रही है।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों से सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्तावों की प्राप्ति के बाद उन्हें इसका हिन्दी रूपान्तरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे। तदोपरान्त, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा इनका हिन्दी रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है जिसे सार्वजनिक किया गया। सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/विद्युत–दर प्रस्ताव भविष्य में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किये जाएं।

8.10 **छूट/प्रोत्साहनों/अधिभारों का लेखांकन** :

आयोग के दिशा–निर्देश : *आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को पुनः आगामी याचिकाओं में उपभोक्ताओं की राजस्व बिलिंग से वांछित विवरण की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश देता है।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : उच्च दाब उपभोक्ताओं के माहवार बिलिंग के विवरण याचिका के साथ सॉफ्ट प्रति में प्रस्तुत किये गये हैं। निवेदन किया गया वांछित विवरण प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के साथ उपलब्ध हैं।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आर–एपीडीआरपी परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत मेसर्स टीसीएस द्वारा साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। विभिन्न विशिष्टताएं जैसे कि पृथक छूट/प्रोत्साहन/अधिभार विकसित सॉफ्टवेयर इकाई में उपलब्ध रहेंगी।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : उद्यम संसाधन नियोजन अर्थात् Entrepreneur Resource Planning (ERP) कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। इस कार्य के सम्पन्न होने पर बिलिंग विवरण उपभोक्ताओं के बिल पर उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा वांछित विवरण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा आगामी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता संबंधी प्रस्तावों के साथ कम से कम उच्च दाब उपभोक्ताओं से संबंधित प्रस्ताव अवश्य प्रस्तुत किये जाएं।

8.11 **एक समान लेखा का संधारण** :

आयोग के दिशा–निर्देश : *आयोग पुनः निर्देश देता है कि कम्पनियां मानक लेखा संव्यवहारों की अर्हता के परिपालन की प्रक्रिया में तेजी लाएं ताकि समस्त विद्युत वितरण कम्पनियां लेखा प्रक्रिया में एकरूपता का वहन कर सकें।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियां दिनांक 1 जून, 2005 से स्वतंत्र रूप से कार्य निष्पादन कर रही हैं। चूंकि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के लिये अलग–अलग वैधानिक अंकेक्षक (Statutory Auditors) स्वतंत्र रूप से कार्य कर कर रहे हैं, अतएव कम्पनी उपरोक्त दिशा–निर्देशों के परिपालन में कठिनाई का अनुभव कर रही है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : कम्पनी को दिनांक 31 मई, 2002 को निगमित किया गया है। तथापि, इनका वाणिज्यिक प्रचालन मध्य प्रदेश शासन की अधिसूचना क्र 226 दिनांक 31 मई, 2005 के अनुसरण में किया गया है। तत्कालीन मप्र राज्य विद्युत मण्डल के लेखे विद्युत प्रदाय वार्षिक लेखा नियम, 1985 (ESAAR, 1985) में वर्णित सिद्धान्तों तथा नीतियों पर आधारित हैं। ये नीतियां तथा सिद्धान्त कम्पनी के चालू वर्ष के संचालन हेतु भी जारी रखे गये हैं। उक्त सीमा तक कम्पनी की लेखा नीतियां तथा सिद्धांन्त कम्पनी एक्ट, 1956 की धारा 211 (3C) में उल्लेखित लेखा मानकों के सुसंगत नहीं हो सकते। कम्पनी इस अन्तर्वर्ती अवधि (transition period) के दौरान, उनकी वर्तमान लेखा नीतियों को कम्पनी एक्ट की धारा 211 (3C) में उल्लेखित लेखा मानकों से संरेखित अपना क्रमिक विकास तथा सुधार की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। उपरोक्त के अलावा, सूचित किया जाता है कि मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेविवि कम्पनी, इन्दौर की ईआरपी परियोजना में अधिप्राप्ति (Procurment), कस्टमीकरण (customization) का क्रियान्वयन प्रस्तावित है तथा ईआरपी के वित्त, मानक संसाधन, सामग्री प्रबन्धन तथा परियोजना प्रबंधन मॉडयूल हेतु अनुवर्ती समर्थन कार्यान्वयन के क्षेत्र में आते हैं। ईआरपी

के क्रियान्वयन द्वारा सर्वोत्तम लेखा संव्यवहार तथा विनियामक परिपालन सुनिश्चित किया जा सकेगा।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : ईआरपी कार्यक्रम में लेखा भाग को भी शामिल किया गया है। एक समान लेखा का संधारण ईआरपी कार्यक्रम के समापन के उपरान्त किया जा सकेगा।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं है तथा अपेक्षा करता है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा लेखांकन प्रक्रिया में शीघ्र एकरूपता लाई जाएगी।

8.12 **विनियमों का परिपालन** :

आयोग के दिशा–निर्देश : *आयोग निर्देश देता है कि भविष्य में याचिका विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप ही दाखिल की जाए तथा यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी किन्हीं विशिष्ट बिन्दुओं पर आयोग का ध्यान आकृष्ट करने का इच्छुक हो तो इसका प्रस्तुतिकरण याचिका में अतिरिक्त प्रस्तुतिओं के माध्यम से किया जा सकता है।*

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया : याचिकाएं विनियमों के उपबन्धों के अनुसार मय अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण के ही दाखिल की गई हैं।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : दिशा–निर्देशों का परिपालन भविष्य में भी सुनिश्चित किया जाए।

8.13 **ऐसे समस्त निम्न दाब उपभोक्ता, जिनका भार 25 अश्वशक्ति से अधिक है, उनके लिये अधिदेशात्मक (mandatory) मांग आधारित विद्युत–दर लागू की जाना**

आयोग के दिशा–निर्देश : आयोग वित्तीय वर्ष 2012–13 से ऐसे उपभोक्ता जिनका भार 25 अश्वशक्ति से अधिक है, समस्त गैर–घरेलू उपभोक्ताओं से अनिवार्य मांग आधारित टैरिफ लागू करने का इच्छुक है। विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि ऐसे समस्त संयोजनों पर अधिकतम मांग को अभिलिखित करने वाले मीटरों की स्थापना सुनिश्चित करें तथा परिपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निवेदन किया गया कि गैर–घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु मीटरों की स्थापना कर दी गई है तथा कम्पनी अधिकतम मांग अभिलिखित किये जाने संबंधी कथन का समर्थन करती है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा समस्त गैर–घरेलू श्रेणी के उपभोक्ता, जिनका संयोजित भार 25 अश्वशक्ति से अधिक हैं हेतु मांग आधारित टैरिफ मीटर स्थापित करने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : समस्त निम्न दाब के उच्च मूल्यांकित (High Value) उपभोक्ता, जिनका संयोजित भार 25 अश्वशक्ति से अधिक है, उन्हें एएमआर मीटर उपलब्ध कराये जा रहे हैं। इसके लिये दो विभिन्न ठेकेदारों को संविदा जारी की जा चुकी है। दिनांक 30–6–2011 की स्थिति में 8999 संविदाकृत मात्रा के विरूद्ध 4666 एएमआर मीटरों की स्थापना की जा चुकी है। इसके अलावा 31164 एएमआर मीटर भी माह दिसम्बर 2012 तक आरएपीएडीआरपीबी योजना के अन्तर्गत स्थापित कर दिये जाऐंगे।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : मध्य तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दिशा–निर्देर्शों का परिपालन नहीं किया गया है। उन्हें वित्तीय वर्ष 2012–13 में इसका परिपालन किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं।

8.14 **निम्न दाब मांग आधारित विद्युत–दर की उच्चतम सीमा को हटाना।**

आयोग के दिशा–निर्देश : आयोग मांग आधारित निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिये संयोजन भार की अधिकतम सीमा समाप्त करने का इच्छुक है। अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे माह मार्च, 2012 तक समस्त ऐसे निम्न वोल्टेज उपभोक्ताओं हेतु स्वचालित मापयंत्र वाचन (AMR) पद्धति को लागू किया जाना सुनिश्चित करें।

विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : मांग आधारित निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु, मेसर्स सेक्योर, एल एण्ड टी जेमस से प्राप्त किये गये मीटर वर्तमान में कार्यरत है परन्तु याचिकाकर्ता मांग आधारित निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु संयोजित भार से उच्चतम सीमा हटाये जाने संबंधी विचार के पक्ष में नहीं है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : दिशा–निर्देर्शों का पालन किया जा रहा है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : समस्त गैर–घरेलू निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु मांग आधारित मीटरों की स्थापना जिनका भार 25 अश्वशक्ति से अधिक है, तथा समस्त उपभोक्ताओं हेतु एएमआर आधारित मीटरों की स्थापना, जिनके द्वारा मांग आधारित विद्युत–दर के लिये विकल्प प्रस्तुत किया गया है, माह दिसम्बर 2012 तक पूर्ण किये जाने की संभावना है।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा मांग आधारित निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु अभी तक संयोजित भार पर उच्चतम सीमा हटाये जाने पर विचार नहीं किया गया है, जैसा कि इसे अध्याय ''सार्वजनिक आपत्तियां'' तथा अनुज्ञप्तिधारी की याचिकाओं पर टिप्पाणियां'' में दर्शाये गये कारणों में स्पष्ट किया गया है। तथापि, आयोग निर्देश देता है कि ऐसे समस्त निम्न दाब संयोजनों पर एएमआर मीटरों की स्थापना के संबंध में, जिनकी मांग 25 अश्वशक्ति से अधिक है, परिपालन वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान सुनिश्चित कर लिया जाए।

परिशिष्ट–1 (आपत्तिकर्ताओं की सूची)

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्त्ताओं के नाम एवं पते
1	श्री रविदत्त सिंह, भारतीय किसान संघ, महाकौशल प्रान्त, सिरमौर रोड खुटेची पंचवटी पेट्रोल पम्प के पास, रीवा
2	श्री रमेश पटेल, अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, जुनवानी कलां, तहसील सिहोरा, जबलपुर (म.प्र.) 483225
3	श्री निर्मल लोहिया, ताल दरबाजा, टीकमगढ़ (म.प्र.)
4	श्री मदनमोहन शकरगये, 2116, राईट टाउन, जबलपुर
5	श्री सी.एल. स्वर्णकार, पूर्व मुख्य अभियंता, मप्रराविमं, रचना मेडिकल स्टोर के पास, नेहानगर मकरोनिया, जिला सागर
6	श्री राजनारायण भारद्वाज, प्लाट नं. 453, पटेल आटा चक्की के पास, संजीवनी नगर गढ़ा जबलपुर
7	डॉ. पी.जी. नाजपण्डे, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, 6/47, राम नगर, आधार ताल, जबलपुर–482004
8	श्री पवन जैन, महासचिव म.प्र. विद्युत मंडल अभियंता संघ, शैड नं. 13, विद्युत नगर, पोआ. रामपुर, जबलपुर
9	मेसर्स प्रिज्म सीमेंट लि. मंकाहारी, सतना (म.प्र.)
10	श्री डी.आर. जेसवानी, सचिव, मेसर्स महाकौशल उद्योग संघ, औद्योगिक क्षेत्र जुबलपुर–482010
11	श्री रवि गुप्ता, महासचिव, महाकौशल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, चैम्बर भवन, सिविक सेंटर, जबलपुर (म.प्र.)
12	मेसर्स जबलपुर इंटरटेनमेंट काम्प्लेक्स प्रा.लि., साउथ एवेन्यू माल, परफेक्ट पॉटरी के बाजू में, नर्मदा रोड, जबलपुर 482008
13	श्री रतन लाल, मुख्य विद्युत वितरण अभियन्ता, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
14	मुख्य अभियंता, (सी एंड सीएम) म.प्र. पावर ट्रांसमिंशन कंपनी लि. ब्लॉक नं.2, शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर–482008
15	मेसर्स ज्ञान गंगा, इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नॉलोजी एवं साईंस 13, वर्धमान टॉवर, रूसेल चौक, नेपियर टाउन, जबलपुर–482001
16	श्री जी.सी. जैन, मेसर्स एच.जे.आई डिविजन, ओरिएन्ट पेपर मिल्स, पो.ओ. अमलाई पेपर मिल्स, अनूपपुर (म.प्र.)
17	श्री शैलेन्द्र राजपूत, शिव नगर, दमोह नाका जबलपुर
18	श्री पंकज पाण्डे, कांग्रेस पार्सद एवं अन्य, 975, शंकर घी भंडार, गड़ाफाटक, जबलपुर (म.प्र.)
19	श्री आर.एन. दीक्षित, अध्यक्ष, उपभोक्ता संरक्षक परिषद्, 348, ब्यावरा निवास, साथिया कुआ, जबलपुर

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्त्ताओं के नाम एवं पते
1	श्री रघुनाथ विश्वनाथ पाटील, अध्यक्ष, प्रगति किसान संगठन, दापोड़ा, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
2	श्री शिव कुमार सिंह कुशवाहा, संरक्षक, प्रगति किसान संगठन, दापोड़ा, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)
3	श्री तुलसीराम सिलावट, विधायक, सांवेर 80, अग्रवाल नगर, इंदौर
4	श्री लोकेन्द्र धनगर, ग्राम केशरपुरा, तहसील, अंजड़, जिला बड़वानी, (म.प्र.)
5	श्री कादू भगवान पाटिल, ग्राम बसद, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
6	श्री आत्माराम गणपत राव पाटिल, ग्राम बसद, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
7	श्री माधव राव गणपत राव पाटिल, ग्राम बसद, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर
8	श्री धोडूजी श्रीपत राव, ग्राम बसद, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर
9	श्री मानिक राव गणपत राव पाटिल, ग्राम बसद, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर
10	श्री ज्ञानेश्वर पाटिल, ग्राम बसद, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर
11	श्री अनिल परसराम पाटिल, ग्राम बसद, तहसील नेपानगर, जिला बुरहानपुर
12	श्री मनोहर चौधरी, अध्यक्ष, किसान विकास मंच, लोनी, जिला बुरहानपुर
13	श्री मधुकर कांशीनाथ चौधरी, लोनी, जिला बुरहानपुर
14	श्री उदय एकनाथ चौधरी, लोनी जिला बुरहानपुर
15	श्री एकनाथ तुकाराम चौधरी, लोनी, जिला बुरहानपुर
16	श्री शांताराम तुकाराम चौधरी, लोनी, जिला बुरहानपुर
17	श्री नवीन कुमार पाटीदार, 8, सरदार, पटेल कालोनी, सिंधीपुरा, बुरहानपुर
18	श्री एस.एम. जैन, अध्यक्ष, मेसर्स आल इंडिया इंडक्शन फरनेसेस एसोसिएशन, मेसर्स वीनस एलॉयस प्रा.लि. 67, औद्योगिक क्षेत्र मंदसौर – 458001 (म.प्र.)
19	श्री एस.एम. जैन, संचालक, मेसर्स विनस एलॉयस प्रा.लि. 67, औद्योगिक क्षेत्र मंदसौर
20	श्री पवन सिंघानियां, डायरेक्टर, मेसर्स जयदीप इस्पात एवं अलॉयज प्रा.लि. यूनिट–3, 669–670, सेक्टर–3, पीथमपुर, जिला धार (एम.पी.) – 454774
21	श्री विमल टोडी, डायरेक्टर, मेसर्स भोयरा स्टील्स, लि. ग्राम संजवाया, पोस्ट–घाटबिलोद जिला धार, (एम.पी.) – 454773
22	श्री विमल टोडी, डायरेक्टर, मेसर्स भारती इन्गॉट प्रा.लि. 808, एफ, सेक्टर–3, पीथमपुर, जिला धार, (एम.पी.) – 454773
23	श्री पंकज बंसल, डायरेक्टर, मेसर्स शिवांगी रोलिंग मिल्स प्रा.लि., 16/9, रेस कोर्स रोड, टोंगिया कम्पाउन्ड, इंदौर
24	श्री इंदरबीर सिंह नय्यर, सचिव. इंदौर पोल्ट्री फेडरेशन, 8/3 विकास रेखा काम्पलेक्स, खातेवाला टैंक, इंदौर
25	श्री सुनील मेहता, मेसर्स सम्राट पोल्ट्री फार्म, 73–डी, प्रेम नगर, इंदौर
26	मेसर्स चोआइज पोल्ट्री फार्म, ग्राम टिल्लोर खुर्द, जिला इंदौर
27	श्री हेमंत सोलंकी, मेसर्स इंदौर पोल्ट्री फार्म, 110–ई, बख्तावर राव नगर, इंदौर
28	मेसर्स आईडियल फार्म, 330, विष्णुपरी अनेक्स, इंदौर
29	मेसर्स सिमरन फार्म लि. 1–बी, विकास रेखा काम्प्लेक्स, काठीवाला टैंक, इंदौर
30	श्री सुनील जायसवाल, ओरिएन्ट फूड्स एवं फीड्स, 145, सुन्दरम काम्पलेक्स, भंवरकुआ मेन रोड, इंदौर
31	श्री अजय जायसवाल, मेसर्स ओरिएन्ट ट्रेडर्स, 16/2, मुल्क बाग रोड, इंदौर
32	श्री दर्शन सिंह, मेसर्स संजोत पोल्ट्री फार्म, 66–67, विष्णुपुरी अनेक्स, इंदौर
33	श्री श्रीचंद माखीजा, मेसर्स हाईनेस पोल्ट्री फार्म, सतनाम विल्ला, 117–त्रिवेणी कालोनी, इंदौर

34	मेसर्स त्रिलोक पोल्ट्री फार्म, 4–विष्णुपुरी गुरूकृपा अपार्टमेंट, ग्राउन्ड फ्लोर, इंदौर
35	श्री सुनील सचदेव, मेसर्स साकेत पोल्ट्री फार्म, 28/41, वीर सावरकर नगर, प्रकाश एवेन्यू, प्लाट नं. 401, इंदौर
36	श्री किशोर गोयल, अध्यक्ष, मेसर्स अग्रवाल परिषद (पंजीकृत) 18 वैभव चैम्बर, प्रथम तल, 7/1, उषा गंज, इंदौर–452001
37	श्री आर.एन. शर्मा, अध्यक्ष, वरिष्ठ नागरिक मंच, 37, प्रकाश नगर, नवलखा इंदौर–452001
38	म.प्र. विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन, सी–14/14, महाकाल कामर्शियल सेंटर, नानाखेड़ा, उज्जैन–456001
39	सचिव, विद्युत उपभोक्ता जागृति समिति, 23/2, शंकु मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन
40	श्री संजय कुमार अग्रवाल, मेसर्स उपभोक्ता हित प्रहरी, 970, मानक चौक, महू इंदौर
41	श्री सुशील शर्मा, प्रातीय महामंत्री, विद्युत मंडल कर्मचारी यूनियन उज्जैन 197, के. सेक्टर, ए स्कीम नं. 71, गुमाश्ता नगर, मेन रोड, इंदौर
42	श्री प्रवीण कुमार जैन, 23/2, शंकू मार्ग, फ्रीगंज, उज्जैन
43	श्री कैलाश खण्डेलवाल, म.प्र. कॉटन, प्रोसेसर्स एवं ट्रेडर्स एसोसिएशन द्वारा विकास कॉटन फाइबर्स, वेरला रोड, सेंधवा, जिला बड़वानी–451666
44	श्री प्रह्लाद तायल, सेंधवा कॉटन, एसोसिएशन, द्वारा प्रदीप वेरला रोड, सेंधवा, जिला बड़वानी–451666
45	श्री मनजीत सिंह चावला, अध्यक्ष, मंडी व्यापारी संघ, व्यापारी विश्रान्ति भवन, कृषि उपज मंडी परिसर, बिस्टन रोड, खरगोन, जिला खरगोन–451001
46	डॉ. गौतम कोठारी, राष्ट्रीय क्षेत्र कर्मनिष्ठा संघ रक्षक 231, साकेत नगर, इंदौर–452018
47	डॉ. गौतम कोठारी, पीथमपुर औद्योगिक संगठन, 231, साकेत नगर, इंदौर–452018
48	डॉ. गौतम कोठारी, मानसेवी सचिव, मेसर्स इलेक्ट्रीसिटी कंस्मूयर्स सोसायटी, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन, (म.प्र. राज्य बोर्ड) औद्योगिक क्षेत्र, पोलोग्राउन्ड, इंदौर–452015
49	श्री एम.सी. रावत, सचिव, म.प्र. टेक्सटाईल मिल्स एसोसिएशन 56/1, जाल सभागृह साउथ तुकोगंज, इंदौर–452001 म.प्र.
50	मेसर्स इडिया सेल्यूलर लि. 268, अनूप नगर, इंदौर–452008
51	मेसर्स किर्लोस्कर ब्रदर्स लि. रेलवे स्टेशन के पीछे, देवास–455001
52	मेसर्स ग्रासिम इंडस्ट्रीज (केमिकल डिवीजन) नागदा, जिला उज्जैन
53	श्री बी.एल. जाजू, अध्यक्ष, मेसर्स म.प्र. कोल्ड स्टोरेज, 115–बी, औद्योगिक स्टेट पोलोग्राउन्ड इंदौर
54	श्री योगेन्द्र शर्मा, आयुक्त, इंदौर नगरपालिक निगम, इंदौर
55	श्री किशोर कोडवानी, विकास मित्र दृष्टि 2050, 301, पुष्पदीप अपार्टमेंट 14, सर्वोदय नगर, इंदौर
56	श्री आर.एस. गोयल, 51, प्रकाश नगर, नेमावर रोड, इंदौर
57	श्री आर.सी. सोमानी, सुखराज, 67 सी.एच. स्कीम नं. 74 सी विजय नगर, इंदौर
58	मेसर्स ओआसिस डिस्टलरीज लि. एच–102,, बी–2, मेट्रो टॉवर्स, विजय नगर, इंदौर–10
59	मेसर्स धनलक्ष्मी साल्वेक्स प्रा.लि. 201, बंसी प्लाजा, 581, एम.जी. रोड, इंदौर–452001
60	श्री दिलीप जैन, मेसर्स महावीर कॉट फायबर्स, पानसेमल खेतिया, जिला बड़वानी
61	मेसर्स कश्यप स्वीटनर्स लि. चेतन्या ग्राम, बदनावर, जिला धार–454660
62	श्री संजय मित्तल, मेसर्स मित्तल ऑयल इंडस्ट्रीज पानसेमल रोड, खेतिया जिला बड़वानी, 451881
63	श्री संजय अग्रवाल, अध्यक्ष, कृषि उपज मंडी व्यापारी संघ, खेतिया जिला बड़वानी, 451881
64	श्री रसदीप सिंह चावला, मेसर्स हारमन कॉटेक्स, इंदौर
65	मेसर्स मिलेनियम स्ट्रक्चरल्स (आई) लि. 101–103, इंदौर ट्रेड सेंटर, 3/2, साउथ तुकोगंज, इंदौर–452006

66	मेसर्स पावरएज टॉवर्स लि., 101–103, इंदौर ट्रेड सेंटर, 3/2, साउथ तुकोगंज, इंदौर–452006
67	मेसर्स कपिल स्टील्स लि., 101–103, इंदौर ट्रेड सेंटर, 3/2, साउथ तुकोगंज, इंदौर–452006
68	श्री मनीष श्रीमाली, मेसर्स तिरूपति फाईबर्स, जुलवानिया रोड, खरगोन (म.प्र.)
69	श्री एस.के. निलोसे, महाप्रबंधक, वर्क्स, मेसर्स दिव्य ज्योति इंडस्ट्रीज लि., 92/3, सपना संगीता मेन रोड, तनिष्क शोरूम के पास, इंदौर
70	श्री पवन गोयल, मेसर्स पवन कॉटन इंडस्ट्रीज, वेरला रोड, सेंधवा, जिला बड़वानी
71	मेसर्स मसन्द एग्रो इक्यूपमेंटस प्रा.लि., 70, शास्त्री मार्केट, इंदौर (म.प्र.) 452007
72	श्री अशोक बड़जात्या, अध्यक्ष, मेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, म.प्र.
73	श्री अशोक खंडेलिया, अध्यक्ष, मेसर्स एसोसिएशन इंडस्ट्रीज देवास, 1/बी1, 1/बी2 आई.एस. गजरा इंडस्ट्रीयल एरिया नं.1, ए.बी. रोड, देवास
74	सतीश मित्तल, अध्यक्ष, मेसर्स आयर्न एंड स्टील रि–रोलर एसोसिएशन (रजि.) 61/1, सांवेर रोड, सेक्टर ''एफ'' श्री गणेश तौल कांटा के पीछे, इंदौर–452015
75	श्री सुधीर भाई गोयल, कार्यकारी संचालक, सेवाधाम आश्रम, 104, दुर्गा प्लाजा, देवास रोड, फ्रीगंज, उज्जैन
76	श्री हरिशंकर सूर्यवंशी, अध्यक्ष, मेसर्स इंदौर इलेक्ट्रीक काट्रेक्टर एसोसिएशन, 236, सेक्टर–बी, स्लाइस–2, स्कीम नं.78, उजाला इलेक्ट्रीक के पास, इंदौर (म.प्र.)
77	श्री प्रमोद चौरसिया, अध्यक्ष, विद्युत उपभोक्ता एसोसिएशन, 23, नगर निगम मार्केट, जन्जीर चौराहा, इंदौर (म.प्र.)
78	श्री बाल कृष्ण आत्मज श्री मनिरामजी राठौर, नन्दलाल चौक, हाथोड, जिला इंदौर
79	श्री हरिलाल सैनी, अध्यक्ष, उपभोक्ता मंच, 900, छोटा बाजार, महू–453441
80	श्री कैलाश यादव, वरिष्ठ पार्सद, नगर पालिक निगम, इंदौर
81	श्री पूनम चंद भंडारी, 28–ए, साई नाथ कालोनी, इंदौर
82	श्री मन्नालाल पाटीदार, फ्रेन्चाईजी, रूपाखेड़ा विद्युत वितरण समिति, रुपाखेड़ा

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र के आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्त्ताओं के नाम एवं पते
1	श्री चन्द्रकांत गौर, मध्य क्षेत्र विद्युत प्रभारी, भारतीय किसान संघ, डी–104/4, शिवाजी नगर, भोपाल
2	श्री कातिलाल भूरिया, श्री मानक अग्रवाल, श्री पी.सी. शर्मा, श्री सत्यदेव कटारे, श्री जोधाराम गुर्जर, श्री अभय दुबे, श्री जे.पी. धनोपिया, श्री संजय आलिया, श्री मुनिन्द्रा द्विवेदी, श्री शांतिलाल पडीयार, श्री हैदरयार खान, श्री प्रमोद गुगलिया एवं अन्य सदस्य, म.प्र. काग्रेस कमेटी, इंदिरा भवन, शिवाजी नगर, भोपाल
3	श्री सुहास वीरानी, सचिव, भोपाल हॉस्टल ओनर्स एसोसिएशन द्वारा, विंध्यश्री गर्ल्स हॉस्टल, 50, जोन–2, एम.पी.नगर, भोपाल
4	श्री ओमप्रकाश नाहर, 168/10, विहारी जी मार्ग, दतिया म.प्र.
5	श्री एन.के. जैन, एडवोकेट, बी–6, अलकापुरी, भोपाल–462024
6	श्री कुलदीप सिंह गौतम, हलालपुर, पोस्ट बैरागढ़, भोपाल
7	श्री प्रवीण सक्सेना, ई–7/78, अरेरा कालोनी, भोपाल – 462016
8	डॉ. अजय गुप्ता, एम–233, गौतम नगर, पो. आ. गोविन्दपुरा, भोपाल–462023
9	श्री श्री सतीश गोविला, 10, कांति नगर, ग्वालियर–474002
10	संचालक, उद्यानिकी, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल
11	श्री आई.सी. जिंदल, डायरेक्टर, मैगनम आईरन एंड स्टील प्रा.लि. ए–4, औद्योगिक क्षेत्र बानभोर जिला मुरैना
12	श्री सौरभ अग्रवाल, मेसर्स सौरभ मैटल्स प्रा.लि. 45, एंसेलरी इंडस्ट्रीयल एस्टेट हबीबगंज, भोपाल –462024
13	श्री योगेश गोयल, अधिकृत प्रतिनिधि, गोविन्दपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ठोपाल, एसोसिएशन काम्पलेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल–462023 (म.प्र.)
14	श्री सी.बी. मालपानी, महासचिव, मेसर्स एसोसिएशन आफ इंडस्ट्रीज प्लाट नं. 85–ए, ए सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप–462046
15	श्री विपिन कुमार जैन, सचिव, मप्र लद्यु उद्योग संघ, ई–2/30, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016
16	श्री विजयेन्द्र पुरी, सचिव, मेसर्स फेडरेशन ऑफ म.प्र. चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, उद्योग भवन, द्वितीय तल, 129–ए, मालवीया नगर, भोपाल–462003
17	श्री एस. पाल, मुख्य कार्यपालक, वर्धमान यार्नस, प्लाट नं. ए1–ण्6, औद्योगिक क्षेत्र, फेस–2, सतलापुर, मंडीदीप – 462046
18	श्री अमिश दवे, मेसर्स टाटा टैली सर्विसेस लि., चिनार फोरच्यून सिटी, वृंदावन ढावा के पास, होशंगाबाद रोड, भोपाल–462026
19	श्री आशिष घीलदियाल, मेसर्स व्योम नेटवर्क्स लि., 162, मोदी हाईट्स, प्रथम एवं द्वितीय तल, पी.एफ. ऑफिस के पास, एम.पी. नगर, जोन–2, भोपाल–462011
20	डा. प्रवीण अग्रवाल, मध्य प्रदेश चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री, चेम्बर भवन, सनातन धर्म मंदिर मार्ग, ग्वालियर–474009
21	श्री मनीष हर्षे, बी–10, सर्वधर्म कालोनी, भोपाल
22	श्री नरेन्द्र कुमार सोनी, सचिव, म.प्र. स्टेट, मेसर्स लद्यु उद्योग भारती एम.पी., डी–100/45, शिवाजी नगर, भोपाल–462016
23	श्री श्रीचन्द्र लालवानी, महामंत्री, एम.पी. आटा एवं मसाला चक्की पिसाई महासंघ समिति, 35, मेन बाजार, जहांगीराबाद, भोपाल
24	श्री फिरोज आलम, 108, ब्राईट कालोनी, ईदगाह हिल्स, भोपाल
25	प्राचार्य, मरियम स्कूल फार द मेंटली हैंडीकैप्ट, बी–ब्लॉक, आशा निकेतन काम्पलेक्स, ई/6, अरेरा कालोनी, भोपाल
26	श्री अजय गौंड, महासचिव, राष्ट्रीय जागरण मंच, मंदिर श्री धरनीधर पचीसा घाट, फतेहगढ़, भोपाल
27	श्री राजेन्द्र राज सक्सेना, 3, नेताजी सुभाष लेन, जहांगीराबाद, भोपाल
28	श्री पी. जेटली, द्वारा कमल राठी, भोपाल
29	श्री अजय श्रीवास्तव, प्रदेश महामंत्री, लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी, एफ–48/10, साउथ टी.टी. नगर, भोपाल

टैरिफ अनुसूचियां

परिशिष्ट –2

निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

निम्न दाब (लो टेंशन–एलटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

अनुक्रमणिका

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां	पृष्ठ क्रमांक
एलवी–1 घरेलू	212
एलवी–2 गैर–घरेलू	215
एलवी–3 सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य तथा पथ–प्रकाश	218
एलवी–4 निम्न दाब उद्योग, गैर–मौसमी तथा मौसमी	220
एलवी–5 कृषि संबंधी एवं कृषि संबंधी अन्य उपयोग	224
निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबन्धन एवं शर्तें।	228

———————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–1

घरेलू :–

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) केवल आवासीय उपयोग के लिये बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी। इस श्रेणी के अंतर्गत धर्मशालाएं, वृद्धावस्था आवास गृह (ओल्ड एज हाऊसेज), सुधारालय (रेसक्यू हाऊसेज), अनाथालय, पूजा–स्थल, तथा धार्मिक संस्थाएं, भी शामिल होंगे।

विद्युत–दर (टैरिफ) (Tariff) :

एलवी 1.1 [100 वॉट (0.1 किलोवाट) से अधिक स्वीकृत भार के उपभोक्ताओं हेतु जिनकी खपत 30 यूनिट प्रति माह से अधिक नहीं है]

(ए) ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार – मीटरीकृत संयोजन (कनेक्शन) हेतु

मासिक खपत	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)
30 यूनिट तक	290	शून्य

(बी) न्यूनतम प्रभार – इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को न्यूनतम प्रभारों के रूप में रूपये 40 प्रति संयोजन प्रति माह लागू होंगे।

एल वी 1.2

(ए) (i) **ऊर्जा प्रभार तथा स्थाई प्रभार–** मीटरीकृत संयोजनों हेतु

मासिक खपत के खण्ड (Slabs)	ऊर्जा प्रभार दूरबीनी (टेलिस्कोपिक) लाभ के साथ (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
50 यूनिट तक	340	40 प्रति संयोजन	25 प्रति संयोजन
51 से 100 यूनिट तक	385	65 प्रति संयोजन	40 प्रति संयोजन
101 से 300 यूनिट तक	480	प्रति आधा किलो वाट अधिकृत भार पर रूपये 75 की दर से	प्रति आधा किलो वाट अधिकृत भार पर रूपये 50 की दर से
301 से 500 यूनिट तक	520	प्रति आधा किलो वाट अधिकृत भार पर रूपये 80 की दर से	प्रति आधा किलो वाट अधिकृत भार पर रूपये 70 की दर से
500 यूनिट से अधिक	550	प्रति आधा किलो वाट अधिकृत भार पर रूपये 85 की दर से	प्रति आधा किलो वाट अधिकृत भार पर रूपये 70 की दर से

न्यूनतम प्रभार : उपरोक्त श्रेणियों हेतु रू. 60 प्रति संयोजन प्रति माह के न्यूनतम प्रभार ही होगा ऊर्जा प्रभारों हेतु लागू होंगें।

टीप : अधिकृत भार वही होगा जैसा कि इसे विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में परिभाषित किया गया है। (प्रत्येक 75 यूनिट प्रति माह की खपत अथवा उसके किसी अंश को आधा किलोवाट के अधिकृत भार के समतुल्य माना जाएगा। उदाहरण : यदि किसी माह के दौरान खपत 125 यूनिट हो तो अधिकृत भार को एक किलोवाट माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि किसी माह में खपत 350 यूनिट हो तो अधिकृत भार को 2.5 किलोवाट माना जाएगा)

अस्थाई/वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत संयोजन	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी क्षेत्र/ग्रामीण श्रेत्र	मासिक स्थाई प्रभार	
		ग्रामीण	शहरी
स्वयं के गृह निर्माण हेतु अस्थाई संयोजन (अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु),	675	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, के लिए रू. 300	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, के लिए रू. 200
सामाजिक/वैवाहिक प्रयोजन तथा धार्मिक समारोहों हेतु अस्थाई संयोजन।	675	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु रू. 40	प्रत्येक किलोवाट के स्वीकृत, संयोजित या अभिलिखित भार, इनमें से भी सर्वाधिक हो, प्रत्येक 24 घंटे की अवधि या उसके किसी अंश हेतु रू. 20
वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा, झुग्गी–झोपड़ी समूह हेतु जब तक व्यक्तिगत मीटर उपलब्ध नही करा दिये जाते	300	शून्य	शून्य

न्यूनतम प्रभार : अस्थाई संयोजन हेतु, ऊर्जा प्रभारों हेतु, रू. 500 प्रति संयोजन प्रति माह के प्रभार लागू होंगे तथा झुग्गी झोपड़ी समूह हेतु वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा विद्युत प्रदाय हेतु कोई भी न्यूनतम प्रभार लागू होंगे।

(ii) अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों हेतु ऊर्जा प्रभार :

विवरण	अमीटरीकृत संयोजनों हेतु प्रतिमाह बिल किये जाने वाले यूनिट तथा ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)
शहरी क्षेत्र में अमीटरीकृत संयोजन हेतु	77 यूनिट हेतु, 420 पैसे प्रति यूनिट की दर से	75 प्रति संयोजन
ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत संयोजन हेतु	42 यूनिट हेतु, 340 पैसे प्रति यूनिट की दर से	30 प्रति संयोजन

(बी) न्यूनतम प्रभार – इस श्रेणी के उपभोक्तओं के लिये किसी प्रकार के न्यूतम प्रभार लागू नहीं होंगे।

निबंधन तथा शर्तें

(अ) बिलिंग के प्रयोजन से, वितरण ट्रांसफार्मर मीटर में अभिलिखित किये गये ऊर्जा प्रभारों के तत्संबंधी ऊर्जा प्रभारों को उक्त वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं के मध्य बराबर–बराबर विभाजित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग हेतु ऐसे उपभोक्ताओं की सहमति प्राप्त की जाएगी ।

(ब) ऐसे प्रकरण में जहां वास्तविक खपत हेतु, ऊर्जा प्रभार न्यूनतम प्रभारों से कम हो, वहां ऊर्जा प्रभारों के प्रति न्यनूतम प्रभारों की बिलिंग की जाएगी। अन्य समस्त प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य है, की बिलिंग भी की जाएगी।

(स) अन्य निबन्धन तथा शर्ते वही होगी जैसा कि इन्हें निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–2

गैर–घरेलू :–

एलवी 2.1

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर शैक्षणिक संस्थाओं मय अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निकों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) (जो किसी शासकीय निकाय अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत/से संबद्ध/द्वारा मान्यता प्राप्त हैं) स्थित कर्मशालाओं (वर्कशाप) तथा प्रयोगशालाओं को, विद्यार्थियों अथवा कामकाजी महिलाओं अथवा खिलाड़ियों हेतु छात्रावासों (हॉस्टल) (शासन द्वारा अथवा वैयक्तिक रूप से संचालित) को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

विद्युत–दर निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र	मसिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
स्वीकृत भार आधारित विद्युत–दर	520	90 प्रति किलोवाट	60 प्रति किलोवाट
वैकल्पिक (Optional) 10 किलोवाट से अधिक संविदा मांग हेतु आधारित विद्युत–दर (टैरिफ)	520	180 प्रति किलोवाट अथवा रू. 144 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	120 प्रति किलोवाट अथवा रू. 96 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर

एलवी 2.2

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) [रेलवे कर्षण (ट्रैक्शन) तथा रेलवे कालोनीं/जलप्रदाय व्यवस्था के प्रयोजन को छोड़कर] दुकानों/शोरूम, बैठक–कक्ष (पारलर), समस्त कार्यालयों, अस्पतालों, तथा चिकित्सा देखभाल सुविधाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सम्मिलित कर, औषधालयों (क्लीनिकों) नर्सिंग होम जो शासन या सार्वजनिक या निजी संस्थाओं से संबंद्ध हैं, सार्वजनिक भवनों, अतिथि–गृहों (गेस्ट हाऊसों), सर्किट हाऊस, शासकीय विश्राम गृहों, क्ष–किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट), मान्यता–प्राप्त लघु स्तर के सेवा संस्थानों, क्लब, रेस्टॉरेंट, खान–पान संबंधी स्थापनाओं, बैठक–परिसरों (मीटिंग हाल), सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, सर्कस–प्रदर्शनों, होटलों, सिनेमाघरों, व्यावसायिक परिसरों (चेम्बर्स) (यथा, अधिवक्ताओं, सनदी लेखापालों (चार्टर्ड अकाऊंटेंट, परामर्शदाताओं, चिकित्सकों आदि के) बॉटलिंग संयंत्रों, वैवाहिक उद्यान–स्थलों

(मैरिज गार्डन), विवाह–घरों, विज्ञापन–सेवाओं, विज्ञापन पटलों (बोर्डों)/होर्डिंग, प्रशिक्षण अथवा कोचिंग संस्थाओं, पेट्रोल पंपों तथा सेवा केन्द्रों (सर्विस स्टेशन), सिलाई कार्य की दुकानों (टेलरिंग शॉप), वस्त्र धुलाई–घर (लाउण्ड्री), व्यायाम–घर (जिमनेजियम), स्वास्थ्य–क्लब (हेल्थ–क्लब) मोबाईल संचार हेतु दूरसंचार टॉवर तथा अन्य कोई संस्था (एलवी 2.1 श्रेणी में सम्मिलित की गई संस्थाओं को छोड़कर) जिन्हें केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों के अंतर्गत वाणिज्यिक–कर/सेवा–कर/वेल्यू एडिड टैक्स (वैट)/मनोरंजन –कर/विलास–कर (लक्ज़री टैक्स) का भुगतान करने संबंधी अर्हता हो, को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु प्रयोज्य है।

टैरिफ :

विद्युत–दर (टैरिफ) निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार, (पैसे/ यूनिट) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि मासिक खपत 50 यूनिट से अधिक नहीं है	540	50 प्रति किलोवाट	30 प्रति किलोवाट
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि खपत की मात्रा 50 यूनिट से अधिक है	600	85 प्रति किलोवाट	60 प्रति किलोवाट
वैकल्पिक 10 किलोवाट से अधिक की संविदा मांग हेतु **मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) पर**	525	190 प्रति किलोवाट अथवा 152 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर	120 प्रति किलोवाट अथवा 96 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर
अस्थाई संयोजन, निम्नदाब पर बहु–बिन्दु अस्थाई संयोजन, मेला स्थलों को सम्मिलित कर *	715	130 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो	85 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार, (पैसे/ यूनिट) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में	स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
वैवाहिक प्रयोजनों हेतु, विवाह उद्यान स्थल (मैरिज गार्डन) अथवा विवाह–घर (मैरिज हॉल) अथवा एलवी 2.1 तथा 2.2 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले अन्य परिसरों हेतु अस्थाई संयोजन	715 (न्यूनतम खपत प्रभारों की बिलिंग 6 यूनिट प्रति किलोवाट भार पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, पर की जायेगी जो न्यूनतम राशि रू. 500/– के अध्यधीन होगी)	50 प्रत्येक किलो वाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो,	30 प्रत्येक किलो वाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो,

क्ष–किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट) हेतु	अतिरिक्त स्थाई प्रभार (रूपये प्रति मशीन प्रति माह)
एकल फेज	450
तीन फेज	650
दंतक्ष किरण मशीन (डेंटल एक्सरे प्लांट)	50

*टीप : * केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जबकि मध्यप्रदेश शासन के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा मेला आयोजन की अनुमति प्रदान की गई हो।*

एलवी–2 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन एवं शर्तें

(ए) **न्यूनतम खपत :** उपभोक्ता को **स्वीकृत भार अथवा संविदा मांग (मांग आधारित प्रभारों के प्रकरण में)** हेतु शहरी क्षेत्रों में 360 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 180 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत को प्रत्याभूत (गारंटी) करना होगा। परन्तु, क्ष–किरण इकाई के भार को, न्यूनतम खपत की गणना हेतु उपभोक्ता के संयोजित भार पर विचार करते समय, सम्मिलित नहीं किया जाएगा। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

(बी) **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार :** इनकी बिलिंग विधि निम्न–दाब हेतु विद्युत–दर हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

(सी) **ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित दूरसंचार अधोसंरचना (Telecom Infrastructure) हेतु ऊर्जा प्रभारों में छूट** : राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार, सेवाओं के संवर्धन की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित मोबाईल संचार टावरों (Mobile Communication Towers) हेतु 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट प्रदान की गई है।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

टैरिफ अनुसूची–एलवी–3

सार्वजनिक जलप्रदाय कार्य (Public Water Works) एवं पथ–प्रकाश (Street Lights)

प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–3.1** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अथवा नगरीय निकायों अथवा ग्राम पंचायतों अथवा कोई अन्य संस्था जिसे शासन द्वारा जलप्रदाय/जलप्रदाय संयंत्रों/जल–मल संयंत्रों का उत्तरदायित्व सार्वजनिक उपयोगिता (यूटिलिटी) की जलप्रदाय योजनाओं, जल–मल उपचार संयंत्रों (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), जल–मल पंपिंग संयंत्रों हेतु जलप्रदाय/ सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्रों/जल–मल संस्थापनों के संधारण का दायित्व सौंपा गया हो, को लागू होगा तथा नगरीय निकायों/ न्यासों द्वारा संधारित विद्युत शव–दाह गृहों (Electric crematorium) को भी लागू होगा।

टीप : निजी जल प्रदाय योजनाएँ, संस्था आदि द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों/टाऊनशिपों हेतु चलाई जा रही जलप्रदाय योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी। इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जलप्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में सम्पूर्ण खपत की बिलिंग उक्त प्रयोजन हेतु की जाएगी, जिस हेतु विद्युत–दर उच्चतर है।

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–3.2** यातायात संकेतों, सार्वजनिक सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों की प्रकाश व्यवस्था मय उद्यानों, नगर भवन (टाऊन हाल), स्मारकों तथा इनसे संबद्ध संस्थानों, संग्रहालयों, सार्वजनिक प्रसाधनों (टायलेट), शासन, नागरिक निकायों, द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों तथा सुलभ शौचालयों को लागू होगा।

विद्युत–दर (टैरिफ) : सार्वजनिक जल प्रदाय तथा पथ–प्रकाश हेतु

उपभोक्ता श्रेणी/प्रयोज्यता का क्षेत्र	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये/किलोवाट)	न्यूनतम प्रभार
एलवी 3.1 सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य			**कोई न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे**
नगरपालिक निगम/छावनी (केन्टोनमेंट) बोर्ड	365	140	
नगरपालिका/नगर पंचायत	365	120	
ग्राम पंचायत	365	50	
अस्थाई विद्युत प्रदाय	प्रयोज्य टैरिफ से 1.3 गुना दर पर		

एलवी 3.2 पथ–प्रकाश			
नगरपालिक निगम/छावनी (केन्टोनमेंट) बोर्ड	375	230	**कोई न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे**
नगरपालिका/नगर पंचायत	375	210	
ग्राम पंचायत	375	50	

एलवी–3 श्रेणी हेतु विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

(ए) मांग–परक प्रबन्धन (डिमांड साईड मैनेजमेंट) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन :

ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर [जैसे कि, पम्प सेट्स हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू–बन्द/मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित] उपभोक्ता को 5% की दर से **प्रोत्साहन** प्रदान किया जाएगा। **प्रोत्साहन** उसी दशा में अनुज्ञेय किया जाएगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को उपयोग में लाये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रहेगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हैं। अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु, वृहद् प्रचार–प्रसार की व्यवस्था भी करनी होगी।

(बी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

———————

टैरिफ अनुसूची एलवी – 4

निम्नदाब उद्योग

प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–4** प्रिंटिंग प्रेस अथवा अन्य कोई औद्योगिक संस्थाओं तथा कर्मशालाओं [जहां कोई प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) अथवा विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) कार्य, टायर–रीट्रिडिंग को सम्मिलित कर, सम्पन्न हो] के लिए लाईट, पंखा या उपकरणों के प्रचालन हेतु पावर के लिये लागू होंगी। ये विद्युत–दरें (टैंरिफ) शीतागार (कोल्ड स्टोरेज), गुड़ (जैगरी) बनाने वाली मशीनों, आटा चक्कियों (फ्लोर मिल्स), मसाला चक्कियों, हलर, खाण्डसारी इकाईयों, ओटाई (गिन्निंग) तथा प्रेसिंग इकाईयों, गन्ना पिराई (गन्ने का रस निकालने वाली मशीनों को सम्मिलित करते हुए) विद्युत–करघा (पावरलूम), दालमिलों, बेसन मिलों तथा वर्फखानों (आईस–फैक्टरी) तथा अन्य कोई विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) अथवा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) इकाईयों (बाटलिंग संयत्रों को छोड़कर), खाद्य उत्पादन का प्रसंस्करण, उसका संरक्षण/इसके शेल्फ उपयोगी जीवन काल (shelf life) में अभिवृद्धि तथा डेरी इकाईयों [जहां शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चुरीकरण आदि को छोड़कर दूध का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), किया जाता है जिससे दुग्ध उत्पादों का उत्पादन हो सके] हेतु भी लागू होंगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) : गैर–मौसमी (नॉन सीजनल) तथा मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु

	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)		ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में	
4.1 गैर–मौसमी उपभोक्ता				
4.1 ए	निम्न दाब उद्योग जिनका संयोजित भार 25 अश्वशक्ति (हार्स पावर) तक है	90 प्रति अश्वशक्ति	30 प्रति अश्वशक्ति	400
4.1 बी (i)	मांग–आधारित विद्युत–दर (Demand based tariff) (जिनकी संविदा मांग तथा संयोजित भार 100 अश्वशक्ति तक है)	220 प्रति किलोवाट अथवा 176 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	110 प्रति किलोवाट अथवा 88 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	510
4.1 बी (ii)	मांग आधारित विद्युत–दर (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा 100 अश्वशक्ति से अधिक तथा 150 अश्वशक्ति से अनाधिक संयोजित भार पर)	300 प्रति किलोवाट अथवा 240 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	210 प्रति किलोवाट अथवा 168 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	525
4.1 सी	मांग आधारित विद्युत–दर (100 अश्वशक्ति* से अधिक	300 प्रति किलोवाट अथवा 240 प्रति	210 प्रति किलोवाट अथवा 168 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	525

	150 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा 150 अश्वशक्ति से अनाधिक संयोजित भार पर) (केवल विद्यमान उपभोक्ताओं हेतु लागू)	केवीए की बिलिंग मांग पर		
4.1 डी	अस्थाई संयोजन	प्रयोज्य विद्युत–दर का 1.3 गुना		
*इसके अतिरिक्त, इन उपभोक्ताओं द्वारा रूपांतरण (ट्रांसफार्मरमेशन) हानियां तीन प्रतिशत की दर से तथा ट्रांसफार्मर भाड़ा मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 के अनुसार देय होगा।				
4.2 मौसमी उपभोक्ताओं हेतु (मौसम की अवधि एक वित्तीय वर्ष में निरंतर 180 दिवस से अधिक की न होगी)। यदि घोषित मौसम अथवा मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो ऐसी दशा में प्रयोज्य विद्युत–दर तत्संबंधी अवधि हेतु लागू होगी।				
4.2 ए	**मौसम के दौरान**	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)
4.2 बी	**मौसम बाह्य (ऑफ–सीजन) के दौरान**	गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनसे जो भी अधिक हो	गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनमें से जो भी अधिक हो	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर का 120 प्रतिशत

निबंधन तथा शर्तें

(ए) उपभोक्ता की प्रतिमाह अधिकतम मांग, उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह में निरंतर पन्द्रह मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई चार गुना अधिकतम किलोवाट एम्पीयर आवर्स की मात्रा के बराबर मानी जाएगी।

(बी) कोई भी उपभोक्ता मांग आधारित टैरिफ हेतु अपना विकल्प दे सकेगा, परन्तु उन उपभोक्ताओं हेतु जिनका संयोजित भार **25 अश्वशक्ति से अधिक** है, इन्हें मांग आधारित टैरिफ आदेशात्मक है तथा अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता हेतु टाई–वेक्टर/बाई–वेक्टर मीटर जो कि मांग केवीए/किलोवाट, किलोवाट ऑवर, किलोवोल्ट एम्पीयर ऑवर तथा उपयोग का समय खपत (टाईम ऑफ यूज कंसम्पशन) में अभिलिखित किये जाने हेतु सक्षम हो, प्रदान करेंगे।

(सी) 100 अश्वशक्ति से अधिक तथा 150 अश्वशक्ति तक के भारों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) केवल **विद्यमान उपभोक्ताओं** हेतु श्रेणी एलवी 4.1 सी के अन्तर्गत लागू है। इस श्रेणी के अन्तर्गत कोई भी नवीन संयोजन जारी न किये जाएं।

(डी) **न्यूनतम खपत** : निम्नानुसार मानी जाएगी :

(डी.1) 100 अश्वशक्ति तक के संयोजित भार हेतु

i. **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 180 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश, पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

ii. **शहरी क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 360 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

iii. उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 15 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत उपरोक्त निर्दिष्ट की गई यूनिटों की संख्या से कम हो।

iv. **न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि** निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

(डी.2) 100 अश्वशक्ति से अधिक तथा 150 अश्वशक्ति तक के संयोजित भार हेतु

i. **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 240 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश, पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

ii. **शहरी क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 480 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

iii. उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 20 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह अथवा उसके किसी अंश हेतु संविदा मांग की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 40 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत निर्दिष्ट की गई यूनिटों की संख्या से कम हो।

iv. **न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि** निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

(ई) आधिक्य अतिरिक्त मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार : इनकी बिलिंग निम्न दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप की जाएगी।

(एफ) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(जी) मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें :

i. उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु मौसम के तथा मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा। यदि उपभोक्ता द्वारा इसके बारे में टैरिफ आदेश जारी होने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सूचित किया जा चुका हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे संज्ञान में लिया जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे स्वीकार किया जाएगा।

ii. उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

iii. यह विद्युत–दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

iv. उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को, पिछले तीन मौसमों के दौरान औसत मासिक खपत के अधिकतम 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि इस सीमा का किसी बाह्य मौसम माह के दौरान उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु, लागू विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार की जाएगी।

v. उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु, लागू विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार की जाएगी।

————————

टैरिफ अनुसूची–एलवी–5

कृषि संबंधी एवं कृषि संबंधी अन्य उपयोग

1. प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–5.1** कृषि संबंधी पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों (chaff cutters), थ्रेशरों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों, (Winnowing machines) बीजारोपण मशीनों, उद्‌वहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंप मय पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा निकाले गये जल हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगा।

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–5.2** रोपणियां, फूल/पौधे/पौध (सैंपलिंग)/फल/**कुकुरमुत्ता** उगाने वाले प्रक्षेत्रों तथा चारागाह हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगा।

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–5.3** मत्स्य तालाबों, एक्वाकल्चर, रेशम उद्योग (सेरीकल्चर), अण्डा सेने के स्थानों (हैचरी), कुक्कुट पालन केन्द्रों, पशु–प्रजनन केन्द्रों (कैटल ब्रीडिंग फार्म्स), तथा केवल उन्हीं डेरी इकाईयों हेतु, जहां केवल दूध निकालने तथा इसका प्रसंस्करण करने, जैसे कि शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण, आदि का कार्य किया जाता है, हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होगा।

2. विद्युत–दर (टैरिफ) : कृषि संबंधी तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग हेतु

सरल क्रमांक	उप–श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
5.1	**कृषि संबंधी उपयोग हेतु**		
ए)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	कुछ नहीं	320
बी)	300 यूनिट से अधिक तथा 750 यूनिट तक	कुछ नहीं	375
सी)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों की खपत हेतु	कुछ नहीं	400
डी)	अस्थाई संयोजन	कुछ नहीं	400
ई)	वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ता हेतु	कुछ नहीं	300
5.2	**कृषि संबंधी अन्य उपयोग हेतु उद्यानिकी (हार्टिकल्चर) गतिविधि**		
ए)	प्रथम 300 यूनिट	कुछ नहीं	320
बी)	300 यूनिट से अधिक तथा 750 यूनिट तक	कुछ नहीं	375
सी)	माह के अन्तर्गत शेष यूनिटों के खपत हेतु	कुछ नहीं	400
डी)	अस्थाई संयोजन	कुछ नहीं	400
5.3	**कृषि संबंधी अन्य उपयोग हेतु**		
ए)	शहरी क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	रू. 55 प्रति अश्वशक्ति	375
बी)	ग्रामीण क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	रू. 20 प्रति अश्वशक्ति	375
सी)	शहरी क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत–दर (Demand based Tariff) (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	रू.170/किलोवॉट अथवा रू. 136/केवीए, बिलिंग मांग का	450
डी)	ग्रामीण क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत–दर (Demand based Tariff) (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	रू. 80 किलोवाट अथवा रू.64/केवीए बिलिंग मांग का	450

3. अमीटरीकृत विद्युत खपत की बिलिंग का आधार (श्रेणी 5.1 हेतु) :

अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु बिलिंग की आकलित खपत निम्न तालिका में दर्शायेनुसार होगी :

विवरण		प्रति माह प्रति अश्वशक्ति की संख्या, स्वीकृत भार हेतु			
		शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र	
मोटर पम्प का प्रकार	संयोजन का प्रकार	अप्रैल से सितम्बर तक	अक्टूबर से मार्च तक	अप्रैल से सितम्बर	अक्टूबर से मार्च
तीन फेज	स्थाई	90	170	50	150
	अस्थाई	175		155	
एकल फेज	स्थाई	90	180	60	160
	अस्थाई	190		170	

निबंधन तथा शर्तें :

1.1 अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु विकल्प देने वाले उपभोक्ताओं को तीन माह के अग्रिम प्रभारों का भुगतान करना होगा तथा इनमें वे उपभोक्ता भी शामिल होंगें जो केवल एक माह हेतु संयोजन का लाभ लेने हेतु अनुरोध करते हैं जो कि बढ़ाई गई अवधि हेतु समय–समय पर की गई संपूर्ति (Replacement) के अध्यधीन तथा संयोजन विच्छेद उपरान्त अन्तिम देयक के अनुसार समायोजन के अध्यधीन होगा। फसलों की थ्रेशिंग के प्रयोजन से अस्थाई संयोजन के संबंध में केवल रबी तथा खरीफ मौसम के अन्त में एक माह की अवधि हेतु अस्थाई संयोजन एक माह के प्रभारों के अग्रिम भुगतान द्वारा प्रदाय किया जा सकेगा।

1.2 मीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बचत उपकरण स्थापित किये जाने पर, निम्न **प्रोत्साहन*** प्रदान किये जाएंगे :

सरल क्रमांक	ऊर्जा बचत उपकरणों का विवरण	टैरिफ में छूट (रिबेट) दर
1	पंप सेट्स हेतु जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं	15 पैसे प्रति यूनिट
2	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्व के उपयोग हेतु	30 पैसे प्रति यूनिट
3	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्ब के उपयोग हेतु मय उपयुक्त श्रेणी (रेटिंग) के शंट कैपेसिटर की संस्थापना हेतु	45 पैसे प्रति यूनिट

***मांग परक प्रबंधन के अंतर्गत, ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन सामान्य टैरिफ दर पर (पूर्ण टैरिफ दर में से शासकीय अनुदान प्रति यूनिट घटा कर, यदि यह देय हो) पर उपभोक्ता के**

अंशदान भाग पर ही अनुज्ञेय किया जाएगा। यह प्रोत्साहन केवल उसी दशा में अनुज्ञेय होगा, यदि पूर्ण बिल की राशि का भुगतान निर्धारित तिथियों के अंदर कर दिया जाए जिसका परिपालन न किये जाने पर, समस्त खपत किये गये यूनिटों को सामान्य दर पर प्रभारित किया जाएगा। प्रोत्साहन स्थापना के माह के उपरान्त ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही अनुज्ञेय होगा। अनुज्ञिप्तधारी को ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था हेतु वृहद् रूप से इसका प्रचार–प्रसार करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक सूचना अपनी वैबसाईट पर प्रदर्शित करनी होगी।

1.3 न्यूनतम खपत :

(i) मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं हेतु (एलवी–5.1 तथा एलवी 5.2) : ऐसे उपभोक्ताओं को माह अप्रैल से सितम्बर तक संयोजित भार की 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश की प्रतिमाह की न्यूनतम खपत तथा माह अक्टूबर से मार्च तक संयोजित भार की 90 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश की प्रतिमाह न्यूनतम खपत प्रत्याभूत (गारंटी) करनी होगी, इस तथ्य से असंबद्ध कि माह के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है या नहीं।

(ii) कृषि संबंधी अन्य प्रयोग हेतु (एलवी–5.3) :

(ए) उपभोक्ता को अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में संविदा मांग का 180 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके अंश पर तथा शहरी क्षेत्रों में सविंदा मांग का 360 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके अंश पर आधारित न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) प्रत्याभूत करनी होगी, इस तथ्य से असंबद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है अथवा नहीं।

(बी) उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 15 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत मासिक न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर में) से कम हो।

(सी) न्यूनतम खपत हेतु बिलिंग की विधि निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

1.4 **आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार** : इनकी बिलिंग विधि निम्न दाब विद्युत–दर हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

1..5 **वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु विशिष्ट शर्तें :**

अ. वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक संयोजित भार पर की गई यूनिटों की गणना के अनुसार ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करना होगा।

ब. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे संयोजित उपभोक्ताओं से बिलिंग हेतु उपरोक्त (अ) में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार सहमति प्राप्त की जाएगी।

1.6 पावर सर्किट से पंप पर या उस के समीप एक 40 वॉट लैम्प लगाने की अनुमति होगी।

1.7 तीन–फेज कृषि पंप का उपयोग, एकल फेज पर उपलब्ध विद्युत प्रदाय के दौरान बाह्य उपकरण की स्थापना को अवैध विद्युत की निकासी माना जाएगा तथा त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के विरूद्ध विद्यमान नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

1.8 अन्य निबंधन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

निम्नदाब (लो टेंशन) टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्ते

1. **ग्रामीण क्षेत्रों (Rural Areas)** से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र जिन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ 13/05/13/2006 दिनांक 25 मार्च, 2006 द्वारा जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया गया है। **शहरी क्षेत्रों (Urban Areas)** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा अधिसूचित समस्त अन्य क्षेत्र।

2. **पूर्णांक करना (Rounding off)** : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की लाएगी तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

3. **बिलिंग मांग (Billing demand)** : मांग आधारित टैरिफ के प्रकरण में, माह हेतु बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात् 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (Fraction) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (Ignored) किया जाएगा।

4. **स्थाई प्रभारों की बिलिंग (Fixed charges billing) –** जब तक विशिष्ट तौर पर निर्दिष्ट न किया जाए, स्थाई प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, आंशिक भार (Fractional load) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा अर्थात् 0.5 या इससे अधिक की भिन्न को उच्चतर अंक तक पूर्णांक किया जाएगा जबकि 0.5 से कम की भिन्न की उपेक्षा की जाएगी, तथापि एक किलोवाट/अश्वशक्ति से कम के भारों को एक किलोवाट/अश्वशक्ति माना जाएगा।

5. **न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि (Method of Billing of Minimum Consumption) –**

   (क) **मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग उद्यानिकी (Horticulture) हेतु श्रेणी एलवी 5.1 तथा 5.2 :–** उपभोक्ता की बिलिंग न्यूनतम मासिक खपत (किलोवाट ऑवर में) हेतु जो उस श्रेणी हेतु उक्त माह निर्दिष्ट की गई है, जिसके अन्तर्गत उसकी वास्तविक खपत विनिर्दिष्ट न्यूनतम खपत से कम है, के अनुसार की जाएगी।

(ख) अन्य उपभोक्ताओं हेतु, जहां यह प्रयोज्य है

(अ) उपभोक्ता की बिलिंग प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) जो उसकी श्रेणी हेतु प्रति माह विनिर्दिष्ट की गई है, के बारहवें (1/12) भाग पर की जाएगी, यदि वास्तविक खपत उपरोक्त उल्लेखित की गई खपत से कम है।

(ब) उक्त माह, जिसमें वास्तविक संचित खपत (cumulative consumption) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत के बराबर हो जाती है अथवा इससे अधिक हो जाती है तो वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में न्यूनतम मासिक खपत हेतु और आगे बिलिंग नहीं की जाएगी तथा केवल वास्तविक अभिलिखित खपत की बिलिंग ही की जाएगी।

(स) उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक होती हो तथा यदि उपभोक्ता को उसकी वास्तविक खपत कम होने के कारण, पूर्व के महीनों में मासिक न्यूनतम खपत हेतु प्रभारित किया गया हो तो ऐसी दशा में टैरिफ की न्यूनतम अन्तर खपत का समायोजन उक्त माह में किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाती है। यदि ऐसा टैरिफ न्यूनतम अन्तर इस माह में पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो पाता है तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलोवाट ऑवर (KWH) मासिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट ऑवर (KWH) है।

माह	**वास्तविक संचयी खपत** (KWH)	**संचयी न्यूनतम खपत** (KWH)	**2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो** (KWH)	**वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत** (KWH)	**यूनिट संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है (4–5)** (KWH)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

6. आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार (Additional Charge for Excess Demand) :

इसकी बिलिंग निम्न प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी :

(अ) **वे उपभोक्ता जो मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) का विकल्प प्रस्तुत करते हैं:** मांग आधारित विद्युत–दर पर विद्युत प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं को अपनी वास्तविक उच्चतम मांग, संविदा (Contract Demand) के अंतर्गत सीमित रखनी होगी। तथापि, यदि किसी माह के दौरान वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से 105% अधिक हो जाती है, तो उक्त माह के दौरान इस अनुसूची के अन्तर्गत विद्युत–दर संविदा मांग के 105 प्रतिशत तक की सीमा हेतु ही लागू होगी। ऐसे प्रकरण में उपभोक्ता को संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक के अध्यधीन (जिसे आधिक्य मांग कहा गया है) अभिलिखित मांग हेतु तथा तत्संबंधी खपत हेतु निम्न दरों के अनुसार प्रभारित किया जाएगा :–

(ब) **आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार (Energy Charges for Excess Demand)** : ऐसे प्रकरण में जहां अभिलिखित की गई अधिकतम मांग संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक अभिलिखित की जाती हो, उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों का भुगतान आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) के 1.3 गुना की दर से भुगतान करना होगा।

उदाहरण : जहां कोई उपभोक्ता, जिसकी संविदा मांग 50 केवीए है, यदि वह 60 केवीए की अधिकतम मांग अभिलिखित करता हो तो आधिक्य मांग (60 केवीए–52.5 केवीए) = 7.5 केवीए हेतु उसकी बिलिंग निम्न के बराबर होगी, अर्थात् (माह के दौरान अभिलिखित की गई कुल खपत)* 7.5 केवीए /अधिकतम अभिलिखित की गई मांग)* 1.3 ऊर्जा प्रभार यूनिट दर

(स) **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार (Fixed Charges for Excess Demand)** : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115 प्रतिशत तक हो (Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 115% of the contract demand)** :– संविदा मांग से 105 प्रतिशत से अधिक आधिक्य मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed Charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 115% of the contract demand)** :– उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 15 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

(द) उपभोक्ताओं को प्रयोज्य आधिक्य मांग हेतु उपरोक्त बिलिंग, बिना किसी पक्षपात अनुज्ञप्तिधारी के अनुबन्ध के पुनरीक्षण हेतु उसके द्वारा कहे जाने के अधिकारों तथा अन्य अधिकार, जो आयोग द्वारा विनियमों के अन्तर्गत या अन्य किसी कानून के अर्न्तगत अधिसूचित किये गये हों, प्रयोज्य होंगी।

(ई) प्रत्येक माह के दौरान, किसी उपभोक्ता की अधिकतम मांग (Maximum Demand) की गणना उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह के दौरान निरन्तर 15 मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई किलोवाट एम्पीअर आवर्स की उच्चतम मात्रा का चार गुना के रूप में की जाएगी।

7. अन्य निबंधन तथा शर्तेः–

(ए) खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी **अग्रिम भुगतान** की राशि जिसके लिए देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह की छूट उक्त राशि (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) पर, जो अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उपभोक्ता के खाते में आकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।

(बी) **तत्पर (Prompt) भुगतान हेतु छूट** : ऐसे प्रकरणों में, जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रू. एक लाख या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है, देयक राशि [विद्युत शुल्क (Electricity Duty) तथा उपकर को छोड़कर] के तत्पर भुगतान पर 0.25% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस छूट की पात्रता नहीं होगी।

(सी) स्वीकृत भार/संयोजित भार/संविदा मांग 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि उपभोक्ता उसके भार/मांग को 75 किलोवाट /100 अश्वशक्ति की इस उच्चतम सीमा का उल्लंघन टैरिफ अवधि के अन्तर्गत दो बिलिंग माह में दो अवसरों से अधिक बार करता हो तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उच्चदाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने बाबत आग्रह कर सकेगा।

(डी) मापयंत्र प्रभारों (metering charges) की बिलिंग, मीटरिंग तथा प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। बिलिंग के प्रयोजन से माह के एक अंश को पूर्ण माह माना जाएगा।

(ई) ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश (चेक) को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां नियमों के अनुसार, बिना किसी पक्षपात अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार के कोई कार्यवाही किये जाने हेतु, जैसा कि सुसंगत कानून के अन्तर्गत उपलब्ध हो, 150 रूपये प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जाएगा।

(एफ) अन्य प्रभार, जैसा कि इनका उल्लेख विविध प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, भी अतिरिक्त रूप से लागू होंगे।

(जी) **वेल्डिंग अधिभार** वेल्डिंग ट्रांसफार्मरयुक्त संस्थापनाओं के साथ प्रयोज्य होगा, जहां पर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का भार कुल संयोजित भार से 25 प्रतिशत अधिक हो तथा जहां पर निर्दिष्ट क्षमता के उपयुक्त कैपेसिटर स्थापित नहीं किये गये हों जिससे कि ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) न्यूनतम 0.8 (80%) लैगिंग का सुनिश्चित किया जा सके, वेल्डिंग अधिभार, माह के दौरान सम्पूर्ण अधिस्थापना हेतु 75 (पिचहत्तर) पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया जाएगा। तथापि, ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) 0.8 या इससे अधिक अभिलिखित किये जाने पर कोई वेल्डिंग प्रभार अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(एच) वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का संयाजित भार किलोवॉट में गणना किये जाने के प्रयोजन से ऐसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का 0.6 (60%) का भार–कारक (पावर फेक्टर) अधिकतम करंट का अथवा केवीए रेटिंग पर प्रयोज्य होगा।

(आई) विद्यमान निम्नदाब उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में उसके द्वारा उचित क्षमता (रेटिंग) के निम्नदाब कैपेसिटर की व्यवस्था कर दी गई है। इस संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 का अवलोकन मार्गदर्शन हेतु किया जा सकता है। उपभोक्ता द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व रहेगा कि किसी एक माह के दौरान समग्र रूप से औसत भार–कारक (पावर फेक्टर) 0.8 (80%) से कम न रहे। उपरोक्त मानदण्ड प्राप्त न किये जाने पर, उपभोक्ता को माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों पर निम्न दरों के अनुसार निम्न भार–कारक (लो पावर फेक्टर) हेतु भुगतान करना होगाः

1. **ऐसे निम्न दाब उपभोक्ता के लिये, जिसका मीटर औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) अभिलेखन हेतु सक्षम है :**

   क. 80% से नीचे 75% तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1% गिरावट के लिये, ऊर्जा प्रभारों पर 1% की दर से अधिभार।

   ख.. 75% से नीचे 70% तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1% गिरावट के लिये ऊर्जा प्रभारों पर 5% + 1.25% की दर से अधिभार।

   अधिभार की अधिकतम सीमा माह के दौरान बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों के 10% राशि तक सीमित होगी।

2. **ऐसे निम्न दाब उपभोक्ता के लिये, जिसका मीटर औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) अभिलेखन हेतु सक्षम नहीं है** : उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उचित क्षमता के निम्न दाब कैपेसिटर की व्यवस्था करे तथा इसे सही हालत में कार्यरत रखे। इस संबंध में, मार्गदर्शन हेतु मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 का अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त मानदण्डों का परिपालन न किये की दशा में, उपभोक्ता पर माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों के विरूद्ध बिल की गई सम्पूर्ण राशि पर 10% की दर से निम्न ऊर्जा कारक (Low Power Factor) अधिभार अधिरोपित किया जाएगा तथा इसे ऐसी अवधि तक जारी रखा जाएगा जब तक कि उपभोक्ता उपरोक्त मानदण्डों की आपूर्ति नहीं कर लेता।

(जे) यदि उपभोक्ता द्वारा भार–कारक (पावर फेक्टर) में सुधार किये जाने के संबंध में उचित शंट कैपेसिटरों की स्थापना द्वारा उचित कदम नहीं उठाये जाते तो उपरोक्तानुसार दर्शाये गये वेल्डिंग/भार–कारक (पावर फेक्टर) सरचार्ज, अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी पक्षपात, उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन–विच्छेद (डिसकनेक्ट) किये जाने के अधिकारों के अंतर्गत होंगे।

(के) भार कारक (लोड फेक्टर) रियायत : मांग आधारित टैरिफ (डिमांड बेस्ड टैरिफ) के अंतर्गत, उपभोक्ताओं को निम्नानुसार रियायत के स्लैब (खण्ड) अनुज्ञेय होंगेः

भार–कारक (लोड फेक्टर)	ऊर्जा प्रभारों में रियायत
संविदा मांग पर 25 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक के भार–कारक (लोड फेक्टर) पर	बिलिंग माह के दौरान, 25 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 12 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी
संविदा मांग पर 30 प्रतिशत से अधिक तथा 40 प्रतिशत तक के भार कारक पर	30 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 30 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 24 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी
संविदा मांग पर 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर	40 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 36 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी

भार कारक (लोड फेक्टर) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{मासिक खपत x 100}}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या x मांग–ऊर्जा कारक}}$$

i. मासिक खपत माह के दौरान की गई यूनिटों (KWH) में खपत के अनुसार होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी के अलावा बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त किये यूनिटों की संख्या सम्मिलित नहीं होगी।

ii. बिलिंग माह में अनुसूचित विद्युत अवरोध (Scheduled Outages) घंटों की संख्या शामिल नहीं होगी।

iii. उपरोक्त सूत्र में, हर (denominator) में मांग ऊर्जा_कारक [Demand_Power Factor(PF)], निम्न में से जो भी अधिक हो लिया जाएगा :

क. अधिकतम अभिलिखित मांग (maximum demand recorded) या संविदा मांग (contract demand), इनमें से जो भी अधिक हो तथा 0.8 मांग कारक (0.8 power factor)

अथवा

ख. अधिकतम अभिलिखित की गई मांग तथा 0.8 का गुणनफल या वास्तविक औसत मासिक ऊर्जा कारक, इनमें से जो भी अधिक हो।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) प्रतिशत को निकटतम संख्या (Integer) तक पूर्णांक किया जाएगा। बिलिंग माह, मीटर वाचन की दो क्रमवर्ती (consecutive) तिथियों की दिवस संख्या में वह अवधि होगी जो कि उपभोक्ता हेतु, बिलिंग के प्रयोजन से एक माह के रुप में विचाराधीन हो।

(एल) किसी विशिष्ट निम्न दाब श्रेणी पर, टैरिफ की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(एम) विद्युत–दर (टैरिफ) में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स), उपकर (सेस) अथवा चुंगी (डूयूटी) सम्मिलित नहीं होतीं, जो कि तत्समय प्रचलित किसी कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती हैं। ऐसे प्रभार, यदि लागू हों तो उपभोक्ता द्वारा इनका भुगतान टैरिफ प्रभारों तथा प्रयोज्य विविध प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

(एन) **समस्त श्रेणियों हेतु विलम्बित भार अधिभार** : बकाया (outstanding) राशि पर पूर्व की अवशेष राशि (Arrears) सम्मिलित कर, पर रूपये 1.00% प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश अनुसार, की दर से अधिभार की राशि का भुगतान करना होगा यदि देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता, जो कुल बकाया देयक की राशि रू. 500/– तक न्यूनतम रू. 5/– तथा देयक की राशि के रू. 500/– से अधिक होने पर रू. 10/– के अध्यधीन होगा। विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन से, माह के किसी अंश को पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय संयोजन स्थाई तौर पर विच्छेद किये जाने के उपरान्त विलंबित भुगतान अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(ओ) निम्नदाब संयोजन को उच्चदाब संयोजन में परिवर्तन किये जाने की दशा में, उपभोक्ता द्वारा उच्च दाब विद्युत प्रदाय की सुविधा का लाभ उठाने से पूर्व दोनों उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी को उच्चदाब अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य (आदेशात्मक) होगा।

(पी) **ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहन :** यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक हो तो प्रोत्साहन निम्नानुसार भुगतान योग्य होगा :

भार कारक (पावर फैक्टर)	बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर भुगतान योग्य प्रोत्साहन प्रतिशत
85 प्रतिशत से अधिक तथा 86 प्रतिशत तक	0.5
86 प्रतिशत से अधिक तथा 87 प्रतिशत तक	1.0
87 प्रतिशत से अधिक तथा 88 प्रतिशत तक	1.5
88 प्रतिशत से अधिक तथा 89 प्रतिशत तक	2.0
89 प्रतिशत से अधिक तथा 90 प्रतिशत तक	2.5
90 प्रतिशत से अधिक तथा 91 प्रतिशत तक	3.0
91 प्रतिशत से अधिक तथा 92 प्रतिशत तक	3.5
92 प्रतिशत से अधिक तथा 93 प्रतिशत तक	4.0
93 प्रतिशत से अधिक तथा 94 प्रतिशत तक	4.5
94 प्रतिशत से अधिक तथा 95 प्रतिशत तक	5.0
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	6.0
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	7.0
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	8.0
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	9.0
99 प्रतिशत से अधिक	10.0

इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान 'कुल किलोवॉट आवर्स' तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है।

(क्यू) **एक ही संयोजन से मिश्रित भारों का उपयोग** : जब तक किसी टैरिफ श्रेणी में विशिष्ट रूप से अनुज्ञेय न किया जाए, विभिन्न प्रयोजनों हेतु मिश्रित भारों हेतु अनुरोध करने वाले उपभोक्ता को उक्त प्रयोजन हेतु विद्युत–दर की बिलिंग की जाएगी, जो इनमें से उच्चतर हो।

(आर) अधिसूचित औद्योगिक विकास केन्द्रों के अन्तर्गत शहरी नियमावली (discipline) के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर शहरी विद्युत बिलिंग लागू की जाएगी।

(एस) टैरिफ तथा टैरिफ संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर, किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की लिखित अनुमति के बिना की गई किसी कार्यवाही को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जाएगा तथा प्रकरण में विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंगत उपबन्धों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

(टी) यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही कोई उपबंध उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीतात्मक हो।

8. निम्नदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु अतिरिक्त शर्तें :

(ए) किसी प्रत्याशित विद्यमान उपभोक्ता द्वारा अस्थाई विद्युत प्रदाय की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्यतः इसकी व्यवस्था की जा सकेगी, जब मांग हेतु यथोचित नोटिस दिया जाए। अस्थाई अतिरिक्त विद्युत प्रदाय को अतिरिक्त सेवा माना जाएगा तथा निम्न शर्तों के अध्यधीन इसे प्रभारित किया जाएगा। तथापि, तत्काल योजना के अंतर्गत विविध प्रभारों की अनुसूची अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुसार सेवा 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(बी) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग सामान्य टैरिफ की **1.3 गुना** की दर से, जैसा कि वह तत्संबंधी श्रेणी हेतु लागू हो, की जाएगी, यदि वह विशिष्ट रूप से अन्यथा विनिर्दिष्ट न की गई हो।

(सी) प्राक्कलित देयक राशि का भुगतान अस्थाई संयोजनों को सेवाकृत करने से पूर्व, अग्रिम रूप से भुगतान योग्य है जिसकी समय–समय पर सम्पूर्ति (replenishment) की जाएगी तथा संयोजन विच्छेद के समय इसे अन्तिम देयक के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इस अग्रिम भुगतान पर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का ब्याज देय न होगा।

(डी) स्वीकृत भार/संयोजित भार 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति से अधिक न होगा।

(ई) अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, माह से अभिप्रेत है संयोजन की दिनांक से 30 दिवस की अवधि। बिलिंग के प्रयोजन से तीस दिवस से कम की किसी भी अवधि को पूर्ण माह माना जाएगा।

(एफ) संयोजन एवं संयोजन विच्छेद प्रभार तथा अन्य विविध प्रभारों का भुगतान पृथक से करना होगा जैसा कि इन्हें विविध प्रभारों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(जी) भार–कारक (लोड–फैक्टर) रियायत (कन्सेशन) को अस्थाई संयोजन खपत हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

(एच) ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहन/अर्थदण्ड स्थाई संयोजन के अनुरुप एक समान दर पर प्रयोज्य होंगे।

————————

परिशिष्ट–3

उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

द्वारा पारित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

उच्च दाब (हाई टेंशन–एचटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

अनुक्रमणिका

टैरिफ अनुसूचियां	पृष्ठ क्रमांक
एचवी–1 रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	237
एचवी–2 कोयला खदानें (कोल माईन्स)	239
एचवी–3 औद्योगिक, गैर–औद्योगिक	240
एचवी–4 मौसमी (सीजनल)	243
एचवी–5 सिंचाई, सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग	245
एचवी–6 थोक आवासीय प्रयोक्ता	247
एचवी–7 छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	249
उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तें	250

टैरिफ अनुसूची–एचवी–1

रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन) :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) रेलवे के केवल कर्षण (ट्रेक्शन) भारों हेतु ही लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रतिमाह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)
1	132 केवी/220 केवी पर रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	265	500

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

(ए) राज्य में रेलवे नेटवर्क को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की दृष्टि से संयोजन तिथि से पांच वर्षो की अवधि हेतु उन्हीं नवीन रेलवे कर्षण परियोजनाओं हेतु ऊर्जा प्रभारों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी जिनके अनुज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु अनुबंध वित्तीय वर्ष 2012–13 के दौरान अंतिम किये जाते हैं। पूर्व में जारी किये गये आदेशों में दी गई, छूट उक्त टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत उल्लेखित दर तथा अवधि हेतु जारी रहेगी।

(बी) समर्पित संभारक संधारण प्रभार (डेडिकेटिड फीडर मेंटनेंस चार्जेस) लागू **नहीं** होंगे।

(सी) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption) संविदा मांग की 1500 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में दर्शाये गये के अनुरूप होगी।

(डी) ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) अर्थदण्ड :

i. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। **ऊर्जा कारक के अवधारण हेतु, केवल अनुगामी तर्क (लैग लॉजिक) का उपयोग किया जाएगा तथा अग्रगामी (लीडिंग) ऊर्जा–कारक अभिलिखत होने पर कोई ऊर्जा कारक अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।**

ii. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को शीर्ष ''ऊर्जा प्रभारों'' के अन्तर्गत कुल देयक राशि पर 5 (पांच) प्रतिशत + 2 (दो) प्रतिशत की दर से जिसके अनुसार औसत मासिक ऊर्जा कारक 85% प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, अधिरोपित किया जाएगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35% से अधिक नहीं होगा।

iii. इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान ''कुल किलोवॉट आवस' तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक के इस अनुपात (%) को निकटतम एकीकृत अंश तक पूर्णांक

किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।

iv. उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उपभोक्ता उपरोक्त को इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु प्राधिकृत होगा :

- यह छः माह की अवधि उक्त तिथि से मान्य की जाएगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया था।

- समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों की बिलिंग की जाएगी, परन्तु यदि उपभोक्ता अनुवर्ती तीन माह में (इस प्रकार कुल–मिलाकर चार माह) कम से कम 90% से अधिक औसत ऊर्जा कारक संधारित करता है तो कथित छः माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा इन्हें आगामी मासिक बिलों में आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

- उल्लेखित की गई यह सुविधा, नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार देय नहीं होगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से छः माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम न रहा हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90% प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

(ई) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तें में उल्लेखित की गई है।

———————

टैरिफ अनुसूची–एचवी–2

कोयला खदानें (कोल माईन्स)

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) दर कोयला खदानों को पावर, वातायन (वेटिंलेशन), बत्तियां, पंखे, कूलर आदि हेतु लागू होगी जिससे अभिप्रेत है समस्त ऊर्जा का कोयला खदानों, कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन में प्रकाश व्यवस्था, प्रांगण की प्रकाश व्यवस्था आदि तथा उनसे संलग्न आवासीय उपयोग में विद्युत ऊर्जा की खपत को सम्मिलित किया जाना। संविदा मांग केवल पूर्णाकों में अभिव्यक्त की जाएगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

स.क्र.	उपभोक्ता उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
	कोयला खदानें			
1	11 केवी प्रदाय	505	545	465
2	33 केवी प्रदाय	515	525	445
3	132 केवी प्रदाय	525	515	435
4	220 केवी प्रदाय	535	505	425

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

ए. **प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption)** : निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलो वाट ऑवर में) प्रति केवीए संविदा मांग का
220/132 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	1620
33/11 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी।

बी. **भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन** : उपभोक्ता को उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

सी. **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

डी. अन्य निबन्धन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में उल्लेख की गई हैं।

टैरिफ अनुसूची–एचवी–3

औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल

प्रयोज्यता :

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.1 (औद्योगिक) समस्त उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को, खदानों को सम्मिलित कर (कोयला खदानों को छोड़कर) पावर, बत्ती, पंखा आदि को लागू होगा जिससे अभिप्रेत है कार्यालयों, मुख्य फेक्टरी भवन, भण्डारों, केन्टीन, उद्योगों की आवासीय कालोनियों, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था तथा डेरी इकाईयां जहां दूध का प्रसंस्करण (शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण आदि को छोड़कर)अन्य दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.2 (गैर–औद्योगिक) रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, होटलों, शासकीय अस्पतालों संस्थानों आदि (उपभोक्ताओं के समूह को छोड़कर) जैसी संस्थापनाओं को लागू होगा जिनके पावर, बत्ती तथा पंखा आदि के मिश्रित भार हैं जिस से अभिप्रेत है कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था हेतु खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना। इसमें समस्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ता भी सम्मिलित होंगे, जो निम्नदाब गैर–घरेलू श्रेणी में परिभाषित होते हैं, बशर्ते उच्चदाब उपभोक्ता किसी भी प्रकार से अन्य निम्नदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा को न ही पुनर्वितरित करेगा अथवा न ही इसे उप–भाटक (सब–लेट) पर देगा।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.3 (शॉपिंग मॉल) शॉपिंग मॉल की संस्थापनाओं को लागू होगा जिनमें निम्न परिभाषित गैर–औद्योगिक समूह सम्मिलित हैं जो इस अनुसूची (ई) में दर्शाये विशिष्ट निबन्धनों तथा शर्ते के अध्यधीन होंगे।

शॉपिंग मॉल किसी शहरी क्षेत्र में एक बहुमंजिला बाजार करने का एक केन्द्र है जो पैदल भ्रमण करने वालों के लिये समावृत होगा जिसमें घेरी गई भूमि के अन्तर्गत पैदल चलने वालों के लिये मार्ग निर्मित होंगे तथा जिसका प्रबन्धन संस्था/विकास–अभिकरण (डेवलपर) द्वारा एक इकाई के रूप में स्वतंत्र खुदरा स्टोर समूह सेवाओं तथा पार्किंग स्थलों का निर्माण तथा संधारण किया जाता है।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.4 [गहन विद्युत उद्योग (पावर इन्टेंसिव इन्डस्ट्रीज)] श्रेणी लद्यु इस्पात संयन्त्रों (मिनी स्टील प्लांट या एमएसपी) मय रोलिंग मिल, स्पोंज आयरन संयन्त्र के, जो एक ही परिसर में स्थिति हों, विद्युत रासायनिक (इलेक्ट्रो–केमिकल), विद्युत ताप उद्योग (इलेक्ट्रो थर्मल इण्डस्ट्रीज), फैरो–अलॉय उद्योग, जिसका तात्पर्य तथा इसमें सम्मिलित होगी फैक्टरी परिसर में खपत की गई समस्त विद्युत तथा कार्यालयों, मुख्य फैक्टरी भवन, गोदामों केंटीन, उद्योगों के आवासीय परिसरों (कालोनियों), परिसर में विद्युत व्यवस्था (कम्पाउन्ड लाईटिंग) आदि।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता की उप–श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
3.1	**औद्योगिक**			
	11 केवी प्रदाय	225	510	450
	33 केवी प्रदाय	370	500	400
	132 केवी प्रदाय	470	460	380
	220/400 केवी प्रदाय	500	440	370
3.2	**गैर–औद्योगिक**			
	11 केवी प्रदाय	190	540	465
	33 केवी प्रदाय	300	515	450
	132 केवी प्रदाय	425	480	415
3.3	**शॉपिंग मॉल**			
	11 केवी प्रदाय	190	450	465
	33 केवी प्रदाय	280	520	455
	132 केवी प्रदाय	400	480	410
3.4	**गहन विद्युत उद्योग (Power Intensive Industries)**			
	33 केवी प्रदाय	435	395*	395
	132 केवी प्रदाय	560	375*	375

*श्रेणी एचवी 3.4 को भार प्रोत्साहन (load factor incentive) की पात्रता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, इस श्रेणी के लिये, ऊर्जा प्रभार, भार–कारक से असंबद्ध, सम्पूर्ण खपत हेतु एक समान होंगे।

विशिष्ट निबन्धन शर्तें

(ए) **प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption)** : उपरोक्त दर्शाई गई समस्त श्रेणियों हेतु निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	उप–श्रेणी	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलोवाट ऑवर) में प्रति केवीए संविदा मांग का
220/132 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	रोलिंग मिलें	1200
	शैक्षणिक संस्थाऐं	720
	अन्य	1800
33/11 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	शैक्षणिक संस्थाऐं	600
	100 केवीए की संविदा मांग तक	600
	अन्य	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी।

(बी) **भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन** : उपभोक्ता को उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक

आधारित प्रोत्साहन की पात्रता होगी। तथापि, एचवी 3.4 श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को भार कारक प्रोत्साहनों का पात्रता नहीं होगी।

(सी) दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट : यह अधिभार/ छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(डी) ग्रामीण बहुल क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय करने वाले ग्रामीण संभारकों (फीडरों) के माध्यम से छूट : इस श्रेणी के अन्तर्गत उच्च दाब उपभोक्ता जो ग्रामीण संभारकों (फीडर) के माध्यम से विद्युत प्रदाय प्राप्त करते हैं, उन्हें उपरोक्तानुसार तत्संबंधी वोल्टेज हेतु विनिर्दिष्ट स्थाई प्रभारों पर 10% तथा न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) पर 20% कमी की जाएगी।

(ई) शॉपिंग मॉल अतिरिक्त हेतु, विनिर्दिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(i) वैयक्तिक अन्तिम छोर के प्रयोक्ता को ऐसी विद्युत–दर (टैरिफ) अधिरोपित नही की जाएगी जो निम्न दाब संयोजन के प्रकरण में, गैर–घरेलू वाणिज्यिक विद्युत–दर तथा (उपश्रेणी एलवी 2.2) उच्च दाब संयोजन के प्रकरण में उच्च दाब गैर–औद्योगिक विद्युत–दर श्रेणी (उपश्रेणी एचवी 3.2) से अधिक हो, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अवधारित किया जाए।

(ii) इस श्रेणी के अन्तर्गत, समस्त अन्तिम छोर प्रयोक्ताओं को प्रबन्धक संस्थान/विकासक (डेवलपर) तथा अनुज्ञप्तिधारी से शॉपिंग मॉल में विद्युत प्रदाय की प्राप्ति तथा उपलब्धि हेतु विद्युत–दर के लाभ प्राप्ति हेतु एक त्रि–पक्षीय अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

(एफ) अन्य निबंधन तथा शर्तें वह होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–4

मौसमी (सीजनल) :–

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) ऐसे मौसमी (सीजनल) उद्योगों/उपभोक्ताओं को लागू होगी जिन्हें एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के प्रयोजनों से एक वित्तीय वर्ष में निरंतर एक सौ अस्सी दिवस की अवधि हेतु तथा न्यूनतम तीन माह की अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। **यदि घोषित मौसम का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो ऐसी दशा में संबंधित अवधि की विद्युत–दर प्रयोज्य होगी।**

अनुज्ञप्तिधारी इस विद्युत–दर (टैरिफ) दर को केवल मौसमी उपयोग वाले किसी उद्योग को ही अनुज्ञेय करेगा।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
मौसम (सीजन) के दौरान			
11 केवी प्रदाय	250	490	425
33 केवी प्रदाय	280	480	410
मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) के दौरान			
11 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर, रूपये 250	588 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नहीं
33 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर, रूपये 280	576 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नहीं

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत संविदा मांग का 900 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए होगी । न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(बी) **भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन** : उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(डी) उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु मौसम के तथा मौसम–बाह्य (ऑफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा।यदि इस आदेश के जारी होने से पूर्व उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष के दौरान उसके मौसमी/मौसम–बाह्य महीनों की घोषणा कर दी गई हो तो इसे इस टैरिफ आदेश के संबंध में स्वीकार कर लिया जाएगा तथा इस हेतु वैध माना जाएगा।

(ई) उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(एफ) यह विद्युत–दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

(जी) उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को पिछले तीन मौसमों के अंतर्गत उच्चतम औसत मासिक खपत के 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसे किसी मौसम बाह्य माह में कोई खपत इस सीमा से अधिक पाई जाए तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची दर के अनुसार की जाएगी।

(एच) उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची के अनुसार की जाएगी।

(आई) अन्य निबंधन तथा शर्तें वह होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–5

सिंचाई, सार्वजनिक जल–प्रदाय कार्य तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी एचवी–5.1 उद्वहन सिंचाई (लिफ्ट इरीगेशन) योजनाओं, समूह सिंचाई (ग्रुप इरीगेशन), सार्वजनिक उपयोगिता की जलप्रदाय योजनाओं, जल–मल उपचार सयंत्रों/जल–मल पंपिंग संयत्रों में पावर प्रदाय तथा पंप हाऊस में प्रकाश व्यवस्था हेतु उपयोग की गई ऊर्जा हेतु ही लागू होगी।

टीप : निजी जल प्रदाय योजनाएँ, संस्था द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों/टाऊनशिपों हेतु चलाई जा रही जल प्रदाय आदि योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी, वरन् इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जल प्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में उच्चतम विद्युत–दर (टैरिफ) प्रयोज्य होगी।

टैरिफ श्रेणी एचवी–5.2 कृषि पंप संयोजनों को छोड़कर अन्य विद्युत प्रदाय, जैसे कि अंडे सेने के स्थल (हैचरी), मत्स्य तालाबों कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्म), पशु–प्रजनन केन्द्र (केटल ब्रीडिंग फार्म), चारागाह (ग्रासलेंड), सब्जी/फल/पुष्प कृषि (फ्लोरीकल्चर), कुकरमुत्ता (मशरूम) उगाने वाली इकाईयों, आदि तथा डेरी [वे डेरी इकाईयां जहां केवल दूध निकालने का कार्य तथा इसका प्रसंस्करण जैसे कि शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चरीकरण आदि किया जाता है] को लागू होगी। परन्तु ऐसी इकाईयों में, जहां दूध का प्रसंस्करण दूध के अन्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है वहां बिलिंग, एचवी–3.1 (औद्योगिक) श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी।

टैरिफ :

क्रमांक	उपभोक्ताओं की उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
5.1	**सार्वजनिक जल प्रदाय कार्य, समूह सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई योजनाएं**		
	11 केवी प्रदाय	170	400
	33 केवी प्रदाय	190	380
	132 केवी प्रदाय	210	360
5.2	**कृषि संबंधी अन्य उपयोग**		
	11 केवी प्रदाय	190	405
	33 केवी प्रदाय	210	385
	132 केवी प्रदाय	230	370

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) **प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत :** संविदा मांग का 720 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(बी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) **मांग–परक प्रबन्धन (डिमांड साईड मैनेजमेंट) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन** : ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर [जैसे कि, पम्प सेट्स हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू–बन्द/मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित] उपभोक्ता को 5% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। **प्रोत्साहन** उसी दशा में अनुज्ञेय किया जाएगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को आयोग में लाये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रहेगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हैं। अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु, वृहद् प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करनी होगी। अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ताओं हेतु प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक जानकारी अपनी वैबसाईट पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–6

थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसीडेन्शियल यूजर्स)

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी **एचवी–6.1** औद्योगिक अथवा अन्य टाऊनशिप [उदाहरणतया विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल, सैनिक अभियन्ता सेवा (एमईएस), सीमान्त ग्राम, आदि] के लिए केवल घरेलू प्रयोजन हेतु, जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, पंखे, ऊष्मा प्रदाय (हीटिंग) हेतु लागू होगी, बशर्ते यह कि अत्यावश्यक सामान्य सुविधाओं जैसे कि आवासीय क्षेत्र में गैर–घरेलू विद्युत प्रदाय, पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु संयोजित भार निम्नानुसार विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के अंतर्गत होगा :–

(i) जलप्रदाय तथा जल–मल (सीवेज) पंपिंग, अस्पताल हेतु–**कोई सीमा का बंधन नहीं होगा**

(ii) गैर–घरेलू/वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु समन्वित रूप से–**कुल संयोजित भार का 20 प्रतिशत**

टैरिफ श्रेणी **एचवी–6.2**, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 798 (ई) दिनांक 9 जून 2005 के अनुसार पंजीकृत सहकारी समूह गृह–निर्माण समितियों तथा अन्य पंजीकृत समूह गृह–निर्माण समितियों तथा वैयक्तिक घरेलू प्रयोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु लागू होगी। उपभोक्ताओं की इस श्रेणी हेतु निबन्धन तथा शर्ते विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 4.77 से 4.95 (दोनों धाराएं सम्मिलित करते हुए) के उपबन्धों, जैसे कि ये समय–समय पर संशोधित किये गये हैं, के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

टैरिफ :

सरल क्रमांक	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
1.	**टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.1 हेतु**			
	11 केवी प्रदाय	215	465	410
	33 केवी प्रदाय	230	440	390
	132 केवी प्रदाय	245	425	375
2.	**टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.2 हेतु**			
	11 केवी प्रदाय	145	470	415
	33 केवी प्रदाय	150	460	405
	132 केवी प्रदाय	155	445	390

विशिष्ट निबंधन तथा शर्ते :

(ए) **प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत** : संविदा मांग का 780 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी । न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(बी) **भार कारक प्रोत्साहन (लोड फेक्टर इन्सेन्टिव) :** उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) समस्त वैयक्तिक अन्तिम छोर प्रयोक्ता या उपभोक्ता (end users) को इस श्रेणी के अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) के लाभ की प्राप्ति हेतु समूह गृह निर्माण समिति तथा अनुज्ञप्तिधारी के साथ समिति के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु, त्रिपक्षीय समझौता करना होगा। वैयक्तिक अन्तिम छोर प्रयोक्ता को तत्स्थानी निम्न दाब श्रेणी की प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) से अधिक की दर अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–7

छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय (बल्क सप्लाई टू एक्जेम्पटीज)

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) सहकारी समितियों, किसी स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत संस्था, प्रयोक्ताओं के संघ (यूजर्स एसोसियेशन), सहकारी संस्थाओं, गैर–सरकारी संस्थाओं अथवा उनके व्यावसायिक प्रतिनिधियों (फ्रेन्चाईजी) अर्थात् वे उपभोक्ता जिन्हें कि विद्युत अधिनियम 2003, (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 13 के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई हो, को लागू होगी।

समस्त वोल्टेज स्तरों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 13 के अंतर्गत छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय		
(ए)	सहकारी समितियां जो विद्युत का मिश्रित उपयोग कर रही हैं	240	350
(बी)	राज्य शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित घरेलू तथा कृषि उपयोग (अधिकतम 10 प्रतिशत गैर–घरेलू उपयोग अनुज्ञेय किया जावेगा)	140	290
(सी)	शहरी क्षेत्रों में मिश्रित घरेलू तथा गैर–घरेलू उपयोग (कुल प्रयोग के 10 प्रतिशत के अध्यधीन)	180	350

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) विद्युत प्रदाय केवल 33 केवी तथा इससे अधिक वोल्टेज पर प्रदाय किया जावेगा। **तथापि, सहकारी समितियों को 11 केवी पर संयोजन किये जाने बाबत अनुज्ञेय किया जा सकता है।** छूट प्राप्तकर्ताओं द्वारा वैयक्तिक उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले प्रभार, तत्संबंधी श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट टैरिफ दर के अनुसार सीमित रखे जाएंगे।

(बी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

———

उच्चदाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तें

निम्न निबंधन तथा शर्तें समस्त उच्चदाब उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होंगी, जो तत्संबंधी श्रेणी हेतु उल्लेखित टैरिफ अनुसूची के अंतर्गत उक्त श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन होंगी :

1.1 संविदा मांग को केवल पूर्णांक में ही व्यक्त किया जाएगा

1.2 **सेवा का स्वरूप :** सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अनुसार होगा जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया जाए।

1.3 **प्रदाय बिन्दु** :–

(ए) उपभोक्ता को सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय सामान्य तौर पर एकल बिन्दु पर ही प्रदान किया जाएगा।

(बी) रेलवे कर्षण के प्रकरण में, प्रत्येक उपकेन्द्र पर विद्युत प्रदाय पृथक रूप से मीटरीकृत तथा प्रभारित किया जाएगा।

(सी) कोयला खदानों के प्रकरण में, उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर विद्युत प्रदाय सम्पूर्ण परिसर हेतु एक ही बिन्दु पर किया जाएगा। विद्युत प्रदाय, तथापि, उपभोक्ता के अनुरोध पर उसकी तकनीकी संभावनाओं के अध्यधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदाय किया जा सकेगा परन्तु ऐसे प्रकरण में मीटरीकरण तथा बिलिंग व्यवस्था प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु हेतु अलग–अलग की जाएगी।

(डी) श्रेणी एचवी–7 के उपभोक्ताओं के प्रकरण में, उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय एकल बिन्दु पर किया जाएगा। तथापि विद्युत प्रदाय, सहकारी समिति के अनुरोध पर, उसकी तकनीकी संभावनाओं के अध्यधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदान किया जा सकेगा परन्तु ऐसे प्रकरण में मीटरीकरण तथा बिलिंग व्यवस्था प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु हेतु अलग–अलग की जाएगी।

1.4 **मांग का अवधारण :** प्रत्येक माह में विद्युत प्रदाय की **अधिकतम मांग**, माह के दौरान 15 मिनट की निरंतर अवधि के दौरान, मांग के मापन के सलाईडिंग विंडो सिद्धांत के अनुसार प्रदाय बिन्दु पर प्रदत्त अधिकतम किलोवाट एम्पीयर घंटे का चार गुना होगी।

1.5 **बिलिंग मांग (बिलिंग डिमांड)** : माह के दौरान, माह हेतु, बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा, अर्थात् 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (fraction) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा जबकि 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (ignored) किया जाएगा।

1.6 टैरिफ न्यूनतम खपत की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1) उपभोक्ता को उसकी श्रेणी हेतु प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर) में विनिर्दिष्ट संविदा मांग की यूनिट संख्या प्रति केवीए के आधार पर बिलिंग की जाएगी इस तथ्य से असंबद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है, अथवा नहीं।

2) उपभोक्ता की बिलिंग प्रति माह उसकी श्रेणी से संबद्ध निर्धारित की गई प्रत्याभूत वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में) के बारहवें (1/12) भाग) पर की जाएगी, यदि वास्तविक खपत मासिक न्यूनतम खपत से कम हो।

3) उक्त माह में, जिसके अन्तर्गत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत (Guaranteed) खपत की प्राप्ति पूर्ण कर ली जाती है, उसके अनुवर्ती महीनों में वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक न्यूनतम खपत की बिलिंग नहीं की जाएगी।

4) उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक होती हो तथा यदि उपभोक्ता को उसकी वास्तविक खपत कम होने के कारण, पूर्व के महीनों में मासिक न्यूनतम खपत हेतु प्रभारित किया गया हो तो ऐसी दशा में टैरिफ की न्यूनतम अन्तर खपत का समायोजन उक्त माह में किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाती है। यदि ऐसा टैरिफ न्यूनतम अन्तर इस माह में पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो पाता है तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा। निम्न उदाहरण विद्युत खपत की मासिक बिलिंग की प्रक्रिया प्रदर्शित करता है, जहां 1200 किलो वाट आवर (KWH) मासिक खपत के आधार पर आनुपातिक मासिक न्यूनतम खपत 100 किलोवाट आवर (KWH) है।

माह	वास्तविक संचयी खपत (KWH)	संचयी न्यूनतम खपत (KWH)	2 तथा 3 में से जो भी अधिक हो (KWH)	वर्ष के दौरान अद्यतन बिल की गई खपत (KWH)	यूनिट संख्या जिसकी माह के दौरान बिलिंग की जाना है (4–5) (KWH)
1	2	3	4	5	6
अप्रैल	95	100	100	0	100
मई	215	200	215	100	115
जून	315	300	315	215	100
जुलाई	395	400	400	315	85
अगस्त	530	500	530	400	130
सितम्बर	650	600	650	530	120
अक्टूबर	725	700	725	650	75
नवम्बर	805	800	805	725	80
दिसम्बर	945	900	945	805	140
जनवरी	1045	1000	1045	945	100
फरवरी	1135	1100	1135	1045	90
मार्च	1195	1200	1200	1135	65

1.7 पूर्णांक करना (राऊडिंग ऑफ) : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा। अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की लाएगी तथा 50 पैसे से अधिक के राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

प्रोत्साहन/छूट/अर्थदण्ड :

1.8 ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (पावर फेक्टर इनसेन्टिव)

ऊर्जा कारक प्रोत्साहन का भुगतान निम्नानुसार देय होगा :

ऊर्जा कारक	बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों पर देय प्रतिशत प्रोत्साहन
95 प्रतिशत से अधिक तथा 96 प्रतिशत तक	1.0 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की दर से
96 प्रतिशत से अधिक तथा 97 प्रतिशत तक	2.0 प्रतिशत (दो प्रतिशत) की दर से
97 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	3.0 प्रतिशत (तीन प्रतिशत) की दर से
98 प्रतिशत से अधिक तथा 99 प्रतिशत तक	5 प्रतिशत (पांच प्रतिशत) की दर से
99 प्रतिशत से अधिक	7 प्रतिशत (सात प्रतिशत) की दर से

1.9 भार कारक की गणना तथा भार कारक प्रोत्साहन

1) **भार–कारक (लोड फेक्टर)** : की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{मसिक खपत} \times 100}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{मांग_ऊर्जा कारक}}$$

i मासिक खपत, माह के दौरान खपत किये गये यूनिटों (KWH) की संख्या के बराबर होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से प्राप्त की गई ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाएगा।

ii बिलिंग माह के दौरान, घंटों की संख्या में, अनुसूचित अवरोध अवधियों (scheduled outages) के घंटे शामिल न होंगे।

iii उपरोक्त सूत्र में, हर (denominator) में मांग ऊर्जा_कारक [Demand_Power Factor)], निम्न में से जो भी अधिक हो लिया जाएगा :

क. अधिकतम अभिलिखित मांग (maximum demand recorded) या संविदा मांग (contract demand), इनमें से जो भी अधिक हो तथा 0.9 मांग कारक (0.9 पावर फैक्टर)

अथवा

ख. अधिकतम अभिलिखित की गई मांग तथा 0.9 का गुणनफल या वास्तविक औसत मासिक ऊर्जा कारक, इनमें से जो भी अधिक हो।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) प्रतिशत को निकटतम निम्न एकीकृत (Integral) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा। यदि उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो, तो अन्य स्त्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिट, उपभोक्ता को बिल की गई शुद्ध ऊर्जा (खपत किये गये यूनिटों में से अन्य स्त्रोतों से प्राप्त यूनिटों को घटाकर) को ही केवल भार कारक की गणना के प्रयोजन से माना जाएगा। उपभोक्ता हेतु बिलिंग के प्रयोजन से माह के दौरान मापयन्त्र (मीटर) वाचन की दो क्रमवर्ती (Consecutive) तिथियों के बीच की अवधि दिवस संख्या के रुप में होगी।

2) **भार कारक प्रोत्साहन** की गणना निम्न योजना के अनुसार उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी जहां इसे विनिर्दिष्ट किया गया हो :

भार कारक सीमा	प्रोत्साहन	ऊर्जा प्रभार (भार कारक = x%) पर प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) की गणना
भार कारक <=75%	किसी प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी	= 0.00%
भार कारक >75%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर 75% से अधिक, 75% भार कारक से अधिक धनात्मक खपत हेतु, भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 0.10% का प्रोत्साहन देय होगा	= (x-75) * 0.10

उदाहरण,

- *वह उपभोक्ता, जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 72 प्रतिशत का होगा, वह ऊर्जा प्रभारों पर कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करेगा।*
- *वह उपभोक्ता, जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 82 प्रतिशत होगा, वह 75 प्रतिशत भार कारक से अधिक धनात्मक खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर [0.10 प्रतिशत *(82-75)]=0.7 प्रतिशत प्रोत्साहन प्राप्त करेगा।*

टीप : **धनात्मक खपत (incremental consumption)** की गणना हेतु, 75% भार कारकों से तत्संबंधी भार कारक को कुल खपत में से घटाया दिया जाएगा। उपरोक्त भार कारक प्रोत्साहन केवल ऊर्जा प्रभारों पर, जो कि ऐसी धनात्मक खपत से तत्संबंधी हैं, को लागू होंगे, जिसके लिये पृथक दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं।

1.10 खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी **अग्रिम भुगतान** की राशि जिसके लिए कि देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह का प्रोत्साहन उक्त राशि (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) पर, जो कि अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उपभोक्ता के खाते में आकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।

1.11 **त्वरित भुगतान हेतु छूट** : के प्रकरणों में, जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रू. 1 लाख या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में देयक राशि [विद्युत शुल्क (Electricity Duty) तथा उपकर को छोड़कर)] के तत्पर भुगतान पर 0.25% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस प्रोत्साहन पात्रता नहीं होगी।

1.12 **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट**: यह योजना उन उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होगी जहां इसे विनिर्दिष्ट किया गया है। यह योजना दिवस की अलग–अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात सामान्य अवधि (नार्मल पीरियड), शीर्ष–भार (पीक लोड) तथा शीर्ष–बाह्य भार (ऑफ पीक लोड) अवधि हेतु। खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	शीर्ष/शीर्ष–बाह्य अवधि	तत्संबंधी अवधि हेतु खपत की गई विद्युत पर ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट
1	सायं शीर्ष–भार अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 15 प्रतिशत, अधिभार के रूप में
2	शीर्ष–बाह्य अवधि (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 7.5 प्रतिशत, छूट के रूप में

टीप : ***स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जाएगी, अर्थात्, दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।***

1.13 ऊर्जा कारक अर्थदंड (पावर फेक्टर पैनाल्टी) (रेलवे कर्षण एचवी–1 श्रेणी से अन्य उपभोक्ताओं हेतु)

(i) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो वह प्रत्येक 1 (एक) % गिरावट प्रतिशत हेतु, जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु अतिरिक्त कुल बिल राशि पर 1% (एक प्रतिशत) का अर्थ दण्ड भुगतान शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार'' के अन्तर्गत करेगा।

(ii) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों के अन्तर्गत प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु 5% (पांच प्रतिशत) (+) 2% (दो प्रतिशत) की दर से, अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35% से अधिक न होगा।

(iii) यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक, 70 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन को विच्छेद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जब तक कि इसमें अनुज्ञप्तिधारी की तुष्टि होने तक इसमें उचित सुधार लाये जाने बाबत उचित कदम उठाये नहीं जाते। तथापि, यदि संयोजन का विच्छेद नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में, अनुज्ञप्तिधारी बिना किसी भेद–भाव के निम्न दाब कारक हेतु, दाण्डिक प्रभारों को अधिरोपित कर सकेगा।

(iv) इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान अभिलिखित की गई 'कुल किलोवॉट आवर्स' तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक (%) को निकटतम एकीकृत अंश तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।

(v) उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उपरोक्त को इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगाः

(ए) यह 6 माह की अवधि उस तिथि से मान्य की जाएगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया हो।

(बी) समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों का बिलिंग किया जाएगा, परन्तु यदि उपभोक्ता औसत आगामी तीन माह के दौरान (इस प्रकार कुल चार माह) कम से कम 90% ऊर्जा कारक संधारित करता है तो निम्न ऊर्जा कारक के कारण बिल किये गये प्रभारों को कथित

6 माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा आगामी मासिक बिलों में इन्हें आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

(सी) उल्लेखित की गई उपरोक्त सुविधा नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार प्रदान नहीं की जाएगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से 6 माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम न रहा हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

1.14 आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार :

i. उपभोक्ताओं को समस्त समयों पर, वास्तविक अधिकतम मांग को संविदा मांग के अंतर्गत सीमित रखना होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां कि किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक तक बढ़ जाती है तो विभिन्न दर्शाई गई विद्युत–दरें (टैरिफ) संविदा मांग की 105 प्रतिशत अधिक की सीमा तक प्रयोज्य होंगी। उपभोक्ताओं को आधिक्य मांग हेतु प्रभारित किया जाएगा। ऊर्ज़ा प्रभारों तथा स्थाई प्रभारों पर अभिलिखित अधिकतम मांग तथा संविदा मांग के 105 प्रतिशत के अन्तर के रूप में, प्रभारित किया जाएगा तथा ऐसा करते समय टैरिफ की अन्य निबन्धन तथा शर्तें, यदि वे लागू हों, तो वे कथित आधिक्य मांग हेतु भी लागू होंगी। किसी माह के अन्तर्गत इस प्रकार की गई आधिक्य मांग की गणना, यदि कोई हो, को समस्त उपभोक्ताओं पर, केवल रेलवे कर्षण को छोड़कर, निम्न दरों के अनुसार भारित किया जाएगा :–

ii. **आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार** : ऐसे प्रकरण में, जहां अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 105 प्रतिशत से अधिक हो, उपभोक्ता को आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत के ऊर्जा प्रभारों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) की 1.3 गुना दर पर प्रभारों का भुगतान करना होगा।

उदाहरण : एक ऐसा उपभोक्ता, जिसकी संविदा मांग 200 केवीए है, यदि 250 केवीए की अधिकतम मांग अभिलिखित करता है तो (250 केवीए–210 केवीए) = 40 केवीए हेतु ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग निम्न के बराबर होगी, अर्थात् (माह के दौरान अभिलिखित की गई खपत* 40 केवीए/अधिकतम अभिलिखत संविदा मांग)* 1.3* ऊर्जा प्रभार यूनिट दर

iii. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार** : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115 प्रतिशत तक हो (Fixed charges for Excess Demand when the recorded maximum demand is up to 115% of the contract demand)** :– संविदा मांग से 105 प्रतिशत से अधिक मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, सामान्य दर की 1.3 गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

2. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग के 115 प्रतिशत से अधिक हो (Fixed charges for Excess Demand when the recorded maximum demand exceeds 115% of contract demand) :–** उपरोक्त 1 में दर्शाये गये स्थाई प्रभारों के अतिरिक्त, संविदा मांग से 15 प्रतिशत से अधिक अभिलिखित की गई मांग हेतु, स्थाई प्रभारों को, स्थाई प्रभारों की सामान्य दर के 2 (दो) गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा।

आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभारों का उदाहरण : यदि किसी उपभोक्ता की संविदा मांग 100 केवीए है तथा बिलिंग माह के दौरान अधिकतम मांग 140 केवीए है, तो उपभोक्ता की स्थाई प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

(अ) 105 केवीए तक, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर

(ब) 105 केवीए से अधिक तथा 115 केवीए तक, अर्थात् 10 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत–दर की 1.3 गुना दर पर

(स) 115 केवीए से अधिक तथा 140 केवीए तक, अर्थात् 25 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत–दर की दो गुना दर पर

iv. **रेलवे कर्षण** के प्रकरण में, उपरोक्तानुसार इस प्रकार गणना की गई आधिक्य मांग, यदि कोई हो, को किसी माह के अंतर्गत निम्न दरों पर भारित किया जायेगा :

(अ) जब अभिलिखित अधिकतम मांग, संविदा मांग का 115% हो तो संविदा मांग से 105 प्रतिशत अधिक मांग पर – रू. 290/– प्रति केवीए की दर से प्रभारित किया जाएगा।

(ब) जब अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा मांग का 115% से अध्कि हो जाए तो उपरोक्त स्थाई प्रभारों के अलावा मांग संविदा से 15% अधिक को रू. 398 प्रति केवीए की दर से प्रभारित किया जाएगा।

ऐसा करते समय, विद्युत–दर (टैरिफ) (जैसे कि टैरिफ, न्यूनतम प्रभार, आदि) के अन्य उपबंध उपरोक्त दर्शाई गई आधिक्य मांग हेतु भी प्रयोज्य होंगे।

v. किसी माह में की गई अधिक मांग की गणना को, मासिक देयकों के साथ प्रभारित किया जाएगा तथा उपभोक्ता को इसका भुगतान करना होगा।

vi. उपभोक्ता को सामान्य विद्युत–दर से अधिक मांग की बिलिंग किया जाना, विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, विद्युत प्रदाय विच्छेद किये जाने संबंधी अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

1.15 विलंबित भुगतान अधिभार : देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक न किये जाने पर, उपभोक्ता को (outstanding) राशि, {बकाया पूर्व की अवशेष (एरियर्स) राशि को सम्मिलित कर}, पर अधिभार का भुगतान 1.00 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश की दर से करना होगा। माह के किसी अंश को विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन हेतु पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता के विद्युत संयोजन को स्थाई तौर पर विच्छेदित कर दिये जाने पर, विलंबित भुगतान अधिभार प्रयोज्य न होगा।

1.16 अनादरित धनादेशों (डिसआनर्ड चेक्स) पर सेवा प्रभार : ऐसे प्रकरण में, जहां उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश/धनादेशों [cheque(s)] को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां पर नियमों के अनुसार रूपये 1000/– प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जाएगा। यह प्रावधान अनुज्ञप्तिधारी के बिना

किसी पक्षपात सुसंगत कानून के अन्तर्गत, राहत प्राप्त किये जाने के अधिकार के अध्यधीन होगा।

1.17 **उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय :** यदि कोई उपभोक्ता किसी अस्थाई अवधि के लिए विद्युत प्रदाय चाहता हो, तो अस्थाई विद्युत प्रदाय को पृथक सेवा माना जाएगा तथा इसे निम्न दरों के अध्यधीन प्रभारित किया जाएगाः

(ए) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार सामान्य टैरिफ दरों की 1.3 गुना दर पर प्रभारित किये जाएंगे। स्थाई प्रभार की वसूली पूर्ण बिलिंग माह अथवा उसके किसी अंश हेतु की जाएगी।

(बी) उपभोक्ता को न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) प्रत्याभूत करनी होगी जैसा कि यह स्थाई उपभोक्ताओं को अनुपातिक आधार पर निम्न दर्शाई गई दिवस संख्या संबंधी विवरण पर प्रयोज्य है :–

$$\text{अस्थाई अवधि हेतु, अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु, न्यूनतम खपत} = \frac{\text{स्थाई विद्युत प्रदाय को प्रयोज्य वार्षिक न्यूनतम खपत} \times \text{अस्थाई संयोजन की दिवस संख्या}}{\text{वर्ष के अन्तर्गत दिवस संख्या}}$$

(सी) बिलिंग मांग, उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय अवधि के अंतर्गत संयोजन माह से प्रारंभ होकर बिलिंग माह की समाप्ति तक आवेदित की गई मांग अथवा उच्चतम मासिक अधिकतम मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी। उदाहरण के तौर पर :

माह	अभिलिखित की गई अधिकतम मांग (केवीए में)	बिलिंग मांग (केवीए में)
अप्रैल	100	100
मई	90	100
जून	80	100
जुलाई	110	110
अगस्त	100	110
सितम्बर	80	110
अक्टूबर	90	110
नवम्बर	92	110
दिसम्बर	95	110
जनवरी	120	120
फरवरी	90	120
मार्च	80	120

(डी) उपभोक्ता को अस्थाई संयोजन प्रदान किये जाने से पूर्व, उसे प्राक्कलित प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा जो कि उसके द्वारा समय–समय पर की गई संभूति (Replenishment) के अध्यधीन होगा तथा जिसे संयोजन विच्छेद के उपरान्त अन्तिम देयक में समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार की अग्रिम राशि पर ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ई) उपभोक्ता को मीटरिंग प्रणाली हेतु भाड़े का भुगतान करना होगा।

(एफ) संयोजन तथा संयोजन विच्छेद प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।

(जी) विद्यमान उच्च दाब उपभोक्ता के प्रकरण में, अस्थाई संयोजन को विद्यमान स्थाई उच्च दाब संयोजन के माध्यम से निर्धारण की गई निम्न पद्धति के अनुसार प्रदान किया जा सकेगाः–

(i) स्थाई प्रभार हेतु सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार माह हेतु बिलिंग की जाने वाली मानी गई संविदा मांग = स्थाई संयोजन हेतु सामान्य टैरिफ पर संविदा मांग (विद्यमान) + अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु, अस्थाई संयोजन हेतु सामान्य विद्युत–दर पर संविदा मांग।

(ii) किसी माह हेतु, बिलिंग मांग टैरिफ आदेशानुसार उक्त माह हेतु, मानी गई संविदा मांग के अनुसार होगी।

(iii) माह के दौरान स्थाई संयोजनकी बिलिंग हेतु, खपत (ए) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{खपत ए} = \frac{\text{संविदा मांग (स्थाई)}}{\text{मानी गई संविदा मांग}} \times \text{कुल खपत}$$

अस्थाई संयोजन हेतु खपत=कुल खपत – (A)

(iv) उपरोक्तानुसार, अस्थाई संयोजन हेतु खपत की गणना, बिलिंग सामान्य ऊर्जा प्रभारों की 1.3 गुना दर पर की जाएगी।

(v) उपरोक्त जी (i) में गणना की गई मानी गई संविदा मांग को आधिक्य मांग माना जाएगा। बिलिंग के प्रयोजन से किसी माह के अन्तर्गत, इस प्रकार की आधिक्य मांग, यदि कोई हो, को अस्थाई संयोजन भार से संबद्ध माना जाएगा तथा इसे सामान्य अस्थाई संयोजन के स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की डेढ़ गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा। अस्थाई संयोजन की अवधि के दौरान लेख्यांकित की गई आधिक्य मांग के अतिरिक्त प्रभारों की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार = अस्थाई संयोजन हेतु ऊर्जा प्रभार प्रति केवीए* आधिक्य मांग* 1.5 (डेढ़)

आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार = अस्थाई संयोजन हेतु प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार * 1.5 (डेढ़) * (आधिक्य मांग/मानी गई संविदा मांग) * कुल खपत

(एच) अस्थाई संयोजन संबंधी खपत पर भार–कारक रियायत (लोड फेक्टर कन्सेशन) अनुज्ञेय नहीं की जाएगी।

(आई) ऊर्जा कारक प्रोत्साहन/अर्थदण्ड स्थाई संयोजन हेतु तथा दिवस के समय (टाईम ऑफ डे) अधिभार/छूट हेतु शर्त स्थाई संयोजन की शर्तों के अनुरूप दरों पर होगी।

स्थाई संयोजन हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें

1.18 विद्यमान 11 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 300 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 11 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई

प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 5 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.19 विद्यमान 33 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 10000 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 33 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 3 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.20 विद्यमान 132 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 50000 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 132 केवी पर उसके अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.21 मापयंत्र प्रभारों (metering charges) की बिलिंग मीटरिंग तथा प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। माह के एक अंश को बिलिंग के प्रयोजन से पूर्ण माह माना जाएगा।

1.22 टैरिफ दर में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स), उपकर (सेस) अथवा चुंगी (डूयूटी) सम्मिलित नहीं है जो कि तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती है। ऐसे प्रभार, यदि ये लागू हों, तो इनका भुगतान उपभोक्ता द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

1.23 इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश की व्याख्या के संबंध में और/या विद्युत–दर (टैरिफ) की प्रयोज्यता के संबंध में, किसी विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

1.24 विद्युत–दर (टैरिफ) अथवा विद्युत–दर (टैरिफ) संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु, न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर, किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की बिना लिखित अनुमति की गई किसी कार्यवाही को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जाएगा तथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 के की सुसंबद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

1.25 यदि कोई उपभोक्ता, उसी के अनुरोध पर, सुसंगत श्रेणी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई मानक प्रदाय वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय का उपयोग करता हो, तो ऐसी दशा में

उसकी बिलिंग उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई वोल्टेज के अनुसार की जाएगी तथा उसके द्वारा उच्चतर वोल्टेज उपयोग किये जाने के कारण कोई अतिरिक्त प्रभार उस पर अधिरोपित नहीं किये जाएंगे।

1.26 ऐसे समस्त उपभोक्ताओं को, जिनके लिये द्वारा स्थाई प्रभार प्रयोज्य है, को प्रत्येक माह में स्थाई प्रभारों का भुगतान करना अनिवार्य होगा, भले ही उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

1.27 यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही उपबंध, यदि कोई लागू हों, उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीत हों।

1.28 ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादकों लागू की जाने वाली विद्युत–दरों (टैरिफ) हेतु निबन्धन तथा शर्तें जो अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता नहीं है तथा जो विद्युत की प्राप्ति ग्रिड से समकालन (Synchrornization) अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली को प्रारंभ करने (start up) के इच्छुक हों।

(i) स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों हेतु विद्युत–दरें अस्थाई दरों के आधार पर लागू होंगी जो उच्च दाब/अति उच्च दाव उद्योग हेतु प्रयोज्य विद्युत–दर में तत्संबंधी अनुसूची एचवी–3.1 के अंतर्गत संबद्ध वाल्टेज श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं।

(ii) ग्रिड से समकालन (Synchrornization) अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु (start up power) विद्युत संयंत्र में विद्युत प्रदाय उच्चतम मूल्यांकन (Rating) इकाई की क्षमता के 15% से अधिक नहीं किया जाएगा।

(iii) न्यूनतम खपत की शर्त विद्युत उत्पादकों हेतु, तथा कैप्टिव विद्युत उत्पादकों को, लागू नहीं होगी। विद्युत खपत की बिलिंग वास्तविक तथा बिलिंग माह के दौरान अभिलिखित विद्युत खपत हेतु की जाएगी।

(iv) कैप्टिव विद्युत उत्पादक को विद्युत प्रदाय विनिर्माण (production) गतिविधि हेतु विद्युत प्रदाय अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा जिस हेतु वह सुसंबद्ध विनियमों के अन्तर्गत वैकल्पिक समर्थन (stand-by support) प्राप्त कर सकेगा।

(v) ग्रिड के साथ समकालन (Synchrornization) अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ किये जाने हेतु विद्युत प्रदाय वार्षिक नियोजित संधारण, अन्य संधारण हेतु, विद्युत अवरोधों (outages) हेतु, विद्युत उत्पादक इकाईयों के विवशजन्य अवरोधों (forced outages) तथा ग्रिड से विद्युत उत्पादक के पृथक किये जाने के अवसर पर भी, उपलब्ध कराया जाएगा।

(vi) ग्रिड के साथ समकालन अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु ऊर्जा प्रत्येक अवसर पर अधिकतम दो घंटे के लिये उपलब्ध कराई जाएगी। यह समय सीमा प्रणाली को प्रारंभ करने संबंधी गतिविधि (start up activity) हेतु लागू नहीं होगी।

(vii) विद्युत उत्पादक, कैप्टिव विद्युत विद्युत उत्पादक को सम्मिलित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी के साथ ग्रिड का समकालन किये जाने बावत अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु विद्युत की आपूर्ति हेतु एक अनुबंध का निष्पादन करेंगे, जिसमें उपरोक्त निबंधन तथा शर्तों का भी समावेश किया जाएगा।

————